लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय | पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . . १८१—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . . २०४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३ . . . . . . २३८—३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . . ३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . . ३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३३१—३४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ३३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३३४—७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८०—९१

अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १७० . . ३९३—४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . . ४१३—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ . ४७३—५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५५९—६५

चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . . ५६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ५६५

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति . ५६६

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि ५६६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६६—६७

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प . ५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६९—८०

अंक १०—   शनिवार, १९ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१

१७ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समतवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"भूमि सेना"[1]

†*८५. श्री हेम बरुआ :
श्री गोरे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिये एक "भूमि सेना" तैयार करने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस प्रकार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गांवों में कृषि विस्तार और ग्रामीण विकास कार्य के संवर्धन के लिए एक भूमि सेना के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा १९५१ में स्वीकार किया गया था और राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के लिए भेज दिया गया था । विभिन्न राज्यों में सामुदायिक आधार पर पेड़ लगाने और उनका संधारण, कम्पोस्ट गढ़ों की खुदाई, तरकारी उगाना, कीड़ों और रोगों का नियंत्रण, फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा, जंगली घास का उन्मूलन, चकबन्दी, तालाबों, कुओं आदि जैसे सिंचाई साधनों का सुधार, नालियां खोदना जैसे कार्य करने के लिए भूमि सेनायें निर्मित की गई थीं । १९५२ में सामुदायिक विकास संगठन के उद्घाटन और राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना हो जाने से, जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती हैं जिनके लिए भूमि सेना निर्मित की गई थी, प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Land Army.

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास संगठन और पंचायत राज्य संस्थाओं की स्थापना पर भूमि सेना का प्रस्ताव छोड़ दिया गया । क्या सरकार का यह मत है कि इन संस्थाओं के अन्तर्गत भूमि सेना का संगठन नहीं किया जा सकता है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** माननीय मित्र ने जो कुछ कहा वह सही है । सामुदायिक विकास संगठन के बन जाने पर कृषि मंत्रालय ने ऐसे कार्य को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा । यदि आवश्यकता हुई तो सामुदायिक विकास प्रशासन उसे करने में समर्थ है । आज की स्थिति इस प्रकार है ।

†**श्री गोरे :** चूंकि पंजाब में अभी भी बहुत विस्तृत जलानुविद्ध क्षेत्रों को खेती के योग्य बनाया जाना र और मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी भूमि है, क्या सरकार भूमि सेना के रूप में अपना कोई यंत्र रखना आवश्यक नहीं समझती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस प्रकार के प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं और वे विभिन्न प्रकार से गैर-सरकारी अभिकरणों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं । भूमि सेना का आश्रय लेना आवश्यक नहीं है । यदि हम माननीय सदस्य द्वारा बताये गये कर्य करना चाहते हैं तो हमें बजट उपबन्ध करना होगा । मैं समझता हूं कि पहले इसका विचार नहीं किया गया था ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार सामुदायिक विकास तथा अन्य संगठनों के माध्यम से इस प्रकार की जलानुवेंधन आदि परियोजनाओं में ग्रामीण जनता का ऐच्छिक सहयोग और सहायता नहीं लेना चाहती है और क्या सामुदायिक विकास संगठन के ऊपर भूमि सेना संगठित करने से उसमें सैनिक तरीकों का समावेश नहीं हो जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं बड़े सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि १९५१ में रखे गये प्रस्ताव के उद्देश्य और माननीय मित्रों के सुझाव के उद्देश्य कुछ भिन्न भिन्न हैं । यह स्वेच्छा से काम करने वाले गैर-सरकारी लोगों का संगठन मात्र है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परियोजनायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में योजना आयोग को विचार करना होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** १९५१ में जो उद्देश्य उपयोगी समझा गया था क्या वह इस मंत्रालय अथवा सामुदायिक विकास मंत्रालय, जिसने यह कार्य प्रारम्भ किया है, द्वारा किसी प्रकार पूरा हुआ है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि भूमि सेना की स्थापना के पीछे जो उछेश्य है वह अभी तक किसी भी अन्य संगठन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका है । सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** १९५१ से लेकर योजना के छोड़े जाने तक उस पर कितना व्यय हुआ था और उन कर्मचारियों का क्या हुआ जिन्होंने यह कार्य छोड़ा था ? क्या उन से अन्य कार्य लिया जा रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं नहीं समझता कि इसके लिए निर्दिष्टत कोई व्यय किया गया था । वर्तमान शासकीय यंत्र ही गर-सरकारी संगठनों का सहयोग ले रहा था । कोई अलग व्यय नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** क्या गांवों में बेरोजगार लोगों की कमी है जो एक अतिरिक्त सेना की आवश्यकता पड़ी ? सेना का निर्माण कहां तक उचित है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह १९५१ की बात है अतः हमें बेरोजगारी की स्थिति जानने के लिए पीछे की ओर देखना होगा । वास्तव में गर-सरकारी व्यक्तियों की अंशतः प्रयुक्त शक्तियों का उपयोग किया जाना था ।

†**श्री त्यागी :** समस्त ग्रामीण गैर-सरकारी व्यक्ति हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार इस प्रश्न में बताई गई स्थिति को स्वीकार करती है कि खाद्यान्न की कमी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और यदि नहीं तो क्या इसका प्रतिवाद किया गया है ? वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या सरकार इस प्रश्न में लगाये गये आरोप को स्वीकार करती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है । वास्तव में स्थिति प्रति वर्ष सुधर रही है । यह पुरानी योजना है जिसका प्रयोजन ग्रामीणों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना ह । यदि किसी गांव के ९५ प्रतिशत लोग खेतिहर हैं तो वहां बाहर के किसी व्यक्ति के जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : जिस तरह से किसान अपने खेतों में परिश्रम करते हैं, जो लैंड आर्मी बनेगी क्या वह उस से ज्यादा परिश्रम करेगी ? और यदि करेगी तो फिर किस तरह से ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यही तो मैं ने कहा कि वे नहीं करेंगे और इस लिये यह चीज आगे चलने वाली नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य भूमि सेना नहीं चाहते हैं । वह विचार छोड़ दिया गया है । अब वह और क्या चाहते हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह कहा गया है कि खाद्यान्न की कमी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और माननीय सदस्य उसका अपने लिखित उत्तर में प्रतिवाद नहीं करना चाहते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं ने किया तो था । एक अन्य प्रश्न भी है जिसके उत्तर में हमने कहा है कि इस वर्ष हमारा उत्पादन सर्वाधिक रहा है । कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न में लिखा है और हम प्रश्न में शुद्धि नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** चूंकि भूमि सेना बनाने का विचार छोड़ा जा रहा ह इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** कृषि और सामुदायिक परियोजना का प्रत्येक कार्यक्रम उसी दिशा में है ।

†**श्री गोरे :** मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने कहा था कि बहुत से क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिन्हें खेती के योग्य बनाया जाना है और मंत्री जी ने कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि वह कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है । उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक ऐसा कोई अभिकरण नहीं मिल सका है जो यह कार्य कर सके । इस सम्बन्ध में मैं उनसे यह पूछना चाहता था कि क्या भूमि सेना का विचार छोड़ देना और पूर्णतः अयोग्य अभिकरणों पर निर्भर करना बुद्धिमानी होगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं ने यह उत्तर दिया था कि माननीय सदस्य जो कार्य कह रहे हैं वह इतना बड़ा है कि उसके लिए हजारों व्यक्तियों और करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी--मेरा तात्पर्य पंजाब की समस्याओं से है । भूमि सेना, जिसे तालाबों की मरम्मत करने अथवा कुएं खोदने जैसे कार्य करने के लिये बनाया जा रहा था, से ऐसे कार्य करने की आशा नहीं की गई थी ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में प्रस्तावित भूमि सेना के अनेक कृत्य बताये गये हैं । कीटाणु तथा रोग-नियंत्रण उनमें से एक है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन स्वयंसेवी निकायों को रेड केटरपिलर जैसे कीटाणुओं, जो मूंगफली की फसल खराब करते हैं, के नियंत्रण के लिए छिड़काव की सामग्री के संभरण के लिए समस्त व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : कृषि मूलतः और मुख्यतः राज्य सरकारों और खेतिहरों की जिम्मेदारी है । मैं नहीं समझता कि गांव में बाहर के अभिकरण क्या कर सकते हैं । परन्तु मैं उनको वहां जाने से रोक नहीं रहा हूं । मैं ने केवल इतना ही कहा था कि उस अभिकरण को आप किसी भी नाम से पुकारें उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है ।

श्री यादव नारायण जाधव : चूंकि आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा भूमि की बहुत मांग की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अधिक भूमि को खेती के योग्य बनाने और वनरोपण के लिए कौन से अभिकरण का प्रयोग करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक अधिक भूमि को खेती के योग्य बनाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि प्रश्न में सम्पूर्ण स्थिति नहीं आती है । परन्तु मैं यह कहूंगा कि संसार के किसी भी देश में इतनी भूमि में खेती नहीं होती है जितनी भूमि में भारत में होती है । यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि बहुत अधिक भूमि खेती के योग्य बनाये जाने के लिए शेष है तो यह बात ठीक नहीं है । थोड़ी सी भूमि ऐसी हो सकती है । जहां तक वन रोपण का सम्बन्ध है, हम पीछे रह गये हैं और हमें वनों को बढ़ाने का गंभीर प्रयत्न करना चाहिये और भूमि को खेती के अन्तर्गत नहीं लाना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री की विदेश यात्रा

\+

†*८६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्रीमती इला पालचौधरी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह रूस, अमरीका तथा अन्य देशों में गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम निकला; और

(ग) दौरे में कुल कितना खर्च हुआ और कितनी विदेशी मुद्रा लगी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) रूस की यात्रा सरकार की ओर से निमंत्रण आने के कारण की गई थी तथा उससे कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के नवीनतम तरीकों का अध्ययन करने का अवसर मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा का प्रयोजन भारतीय चीनी के लिए नियमित बाजार स्थापित करने की संभावना का पता लगाना था। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अर्जेन्टाइना, यूरुगुए और चली का दौरा भी सम्बन्धित सरकारों के निमंत्रण पर किया गया था। मार्ग में सरकारी काम से ब्राजील, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया और ब्रिटेन में यात्रा भंग की गई। ये यात्रायें जिन उद्देश्यों से की गई थीं उनमें पर्याप्त सफलता मिली।

(ग) कुल व्यय २४,८८८ रुपये हुआ जिसमें ९८०७ रुपये की विदेशी मुद्रा का अंश भी सम्मिलित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस प्रश्न के ग्रहण कर लिये जाने का दुःख है। ये सब ब्यौरे की बातें हैं। जब संसद् ने कुछ लोगों को प्रशासन का प्रभारी बना दिया है तो उन्हें बाहर भेजना ही पड़ेगा। क्या मुझे हर बार इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति देनी होगी कि अमुक मंत्री अमुक जगह क्यों गया ?

कई माननय सदय उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह मंत्री की हैसियत से भेजे गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भी बाहर जा रहे हैं। फिर मंत्रीगण क्यों न जायें ?

†**श्री हेम बरुआ** : वह चीनी का कोटा दुगना करने के लिए गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में नुकसान क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** : नुकसान कुछ नहीं है। हम तो प्राप्त सफलता जानना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा चीनी के निर्यात के सम्बन्ध मे की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या माननीय मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को भारत के लिए चीनी का अधिक कोटा आवण्टित करने के लिए तैयार कर सके हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह सब कागजों में है। अमेरिका ने पहली बार भारत से २०० लाख डालर की चीनी खरीदी है। इसलिए इससे अधिक मैं क्या कह सकता था ? यदि यह मात्रा और भी अधिक होती तो मैं अधिक प्रसन्न होता। परन्तु वैसा अगली बार हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है और, यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में पैदा किये जाने वाले अतिरिक्त खाद्यान्न के विपणन के लिए विदेशी बाजार स्थापित करने का विचार किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं समझता कि अन्य खाद्यान्नों के लिए बाजारों की स्थापना का प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है । यदि चीनी सम्बन्धी कठिनाइयां माननीय मंत्री के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो स्वाभाविक है कि हम अधिक खाद्यान्न पैदा करके और उसके निर्यात की कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे ।

†**डा० विजय आनन्द :** क्या माननीय मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान स्कैण्डेनेवियन देशों से मछली उत्पादन के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें चीनी को छोड़ कर मछली पर नहीं जाना चाहिए ।

†**श्री साधन गुप्त :** माननीय मंत्री ने अभी कहा कि उन्हें अगली बार अधिक चीनी के लिए जाने की आशा है । क्या उनका मतलब यह है कि वह पुनः अमरीका जायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** 'अगली बार' के मायने यह नहीं है कि वहां जाने पर ही वैसा होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अमेरिका द्वारा चीनी किस भाव पर खरीदी जा रही है और उसकी उत्पादन लागत क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल:** मैं समझता हूं कि इसके बारे में आगे एक प्रश्न है । मोटे तौर से मैं यह कहूंगा कि भाव बाजार में घटता बढ़ता रहता है । जहां तक बिक्री का सम्बन्ध है वह ३५० रुपए के लगभग है । उत्पादन लागत लगभग ८०० रुपए है अर्थात् दुगने से भी अधिक ।

तीसरी योजना में नौवहन टनभार

+

†*८७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अमजद अली :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नौवहन (टनभार) का क्या लक्ष्य है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में टनभार लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ११ लाख जी० आर० टी० ।

(ख) हां श्रीमान् । राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने यह अभ्यावेदन किया था कि नौवहन लक्ष्य १४.२२ लाख जी० आर० टी० कर दिया जाना चाहिये जैसी कि मूलतः सिफारिश की गई थी ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नौवहन के लिए वित्तीय आवण्टन ५५ करोड़ रुपए है जबकि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा १०४.७७ करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : भारतीय नौवहन समवायों ने भारतीय विदेश व्यापार में क्या योग दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : अनुमान है कि हमारे निर्यात तथा आयात व्यापार में लगभग ९ से १० प्रतिशत भाग नौवहन समवायों द्वारा सम्भाला जाता है ।

श्री प्र० चं० बरुआ उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । यह प्रश्न तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाने के पूर्व आया था । माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें और यदि फिर भी ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता हो तब वे उन्हें पूछ सकते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : योजना के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रतिवेदन का अध्ययन कर लेने के पश्चात् प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा । अगला प्रश्न ।

रेलवे में विवादों का निपटारा

+

†*८८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्ताना :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पुरी में आयोजित भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ (नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन) के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में पारित संकल्पों की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत सरकार से कहा गया है कि वह वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वित किये जाने के कारण भारत सरकार और उसके रेल कर्मचारियों के बीच पैदा हुए सभी विवादों को निबटाने के लिये फैडरेशन के परामर्श से एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार विशेष न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझती है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार ने नैमित्तिक श्रमिकों के प्रश्न पर विचार किया है जो रेलवे कर्मचारियों की मुख्य शिकायत है और जिसके कारण यह सम्मेलन आयोजित किया गया था ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने नैमित्तिक श्रमिकों के प्रश्न पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था परन्तु स्थिति ऐसी है कि यह नहीं कहा जा सकता कि रेलवे समस्त नैमित्तिक श्रमिकों को खपा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को रेलवे कर्मचारियों से वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं देखा है । इस प्रश्न का सम्बन्ध ही उस पहलू से है । हमने वेतन आयोग की उन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये आदेश जारी कर दिये हैं जो सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं । कुछ छोटी छोटी सिफारिशें हैं जो बहुत से श्रमिकों और विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करती हैं । उनका ब्यौरा रेलवे बोर्ड में तैयार किया जा रहा है और आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने की आशा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे श्रमिकों ने मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री जगजीवन राम**: माननीय सदस्य जानते है कि हाल में वेतन आयोग ने इन सब प्रश्नों पर विचार किया था और नये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वेतन आयोग के नैमित्तिक श्रमिकों सम्बन्धी प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मन्त्री कोई ऐसा कार्यक्रम बनायेंगे जिससे नैमित्तिक श्रमिकों को थोड़ी थोड़ी संख्या में स्थायी वर्ग में रख लिया जाये ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में वेतन आयोग के प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों को पूरा किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : वास्तव में हम रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में अत्यन्त उदार नीति बरत रहे हैं । सम्भवत: माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जो नैमित्तिक श्रमिक लगातार छै महीने तक काम करते हैं उन्हें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनक्रम दे दिये जाते हैं । परन्तु कुछ विभागों में यह सम्भव है कि नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कम की जा सके परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं रेलवे का कार्य इस प्रकार का है कि एक समय में विभिन्न परियोजनाओं तथा अन्य कार्यों में बहुत अधिक संख्या में नैमित्तिक श्रमिक हो सकते हैं और उस सब को खपा लेना कभी भी सम्भव नहीं होगा । परन्तु जहां तक खुली लाइनों के निर्माण कार्य में लगे हुए नैमित्तिक श्रमिकों का सम्बन्ध है, हमारी नीति बहुत उदार रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि हमारे यहां अस्थायी व्यक्ति बहुत हैं और उनको स्थायी बनाया जाना चाहिये । इसके सम्बन्ध में फेडरेशन और रेलवे बोर्ड में मतभेद है कि इस प्रश्न का हल कैसे किया जायेगा ।

†**श्री जगजीवन राम**: मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है क्योंकि हमारा भी यह प्रयत्न है कि अधिकाधिक कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायी बना दिया जाये । जितने पद मंजूर होते हैं उन पर हम कर्मचारियों को स्थायी कर देते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चूंकि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के पश्चात् अनेक अनियमिततायें उत्पन्न हो गई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में मंत्रालय रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशनों के साथ चर्चा करेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय रेलवे कर्मचारियों के केवल एक फेडरेशन को मान्यता प्राप्त है और जब कभी अनियमिततायें उत्पन्न होती हैं तो यह आवश्यक है कि रेलवे बोर्ड और फेडरेशन के बीच चर्चा हो । अनेक बैठकें हो चुकी हैं और अनेक अनियमिततायें

---

†मूल अंग्रेजी में

दूर की जा चुकी हैं। अन्तिम बैठक ७ जुलाई को हुई थी और मैं आशा करता हूं कि अभी और बैठकें होंगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार के अनुसार एक ही फेडरेशन को मान्यता प्राप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार दूसरे फेडरेशन के विचारों पर कैसे विचार करेगी। यदि वे अभ्यावेदन करें तो उनकी सुनवाई होगी या नहीं ?

†**श्री जगजीवन राम** : रेलवे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं।

†**श्री त० ब्र० विट्ठल राव** : एक तदर्थ न्यायाधिकरण निर्मित किया गया था और उसने अपना पंचाट १९५८ में किसी समय दिया था। पंचाट पर केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आने के पश्चात् विचार किया जाना था। मैं जानना चाहता हूं कि उस पंचाट का क्रियान्वयन किस अवस्था में है ?

†**श्री जगजीवन राम** : तदर्थ न्यायाधिकरण द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया गया था उनमें से अनेक पर स्वयं वेतन आयोग ने भी विचार किया था और हमने वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। जिन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सका था उन पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है।

†**श्री तंगामणि**: सिफारिशों के स्वीकार किये जाने के समय से कितने कर्मचारी स्थायी बनाये गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयों की तरक्की की संभावनाओं से सम्बन्धित तापसी समिति का प्रतिवेदन क्रियान्वित किया गया है और, यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। ?

†**श्री जगजीवन राम** : सर्वप्रथम तो यह प्रश्न यहां उत्पन्न ही नहीं होता है। मैं समस्त सूचना अपने पास नहीं रख सकता हूं। जहां तक स्थायी बनाए गए कर्मचारियों का सम्बन्ध है उसके लिए पृथक सूचना की आवश्यकता होगी। जहां तक तापसी समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने उस समिति की समस्त प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और रेलवे प्रशासन को उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

चीनी का निर्यात

+

श्री गोरे :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोडियान :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दामानी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आसर :
श्री आचार :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मुरारका :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सरजू पांडे :
श्री विभूति मिश्र :
श्री खुशवक्त राय :
†*८६. श्री दिनेश सिंह :
श्री सुब्बैया अम्बलम् :
श्री सुगन्धि :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सूपकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बै० च० मलिक :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री चुनीलाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६०-६१ में देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) अभी फिलहाल देश में कितनी चीनी फालतू है ;

(ग) क्या यह सच है कि चीनी अमरीका, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और अन्य मध्य पूर्व तथा पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात की जायगी ;

(घ) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा, निर्यात की अवधि और मुद्रा भुगतान का ढंग क्या है और प्रत्येक देश को कितनी मात्रा भेजी जायेगी ;

(ङ) इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) इन निर्यातों पर राज्य व्यापार निगम और मिल मालिकों को सहायता की कुल कितनी रकम दिखायी गयी है ;

(छ) जिन कीमतों पर विभिन्न देशों को चीनी निर्यात की जाती है क्या वे कीमतें निर्धारित की जा चुकी हैं ;

(ज) इस निर्यात के कारण सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ेगी ;

(झ) क्या चीनी निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम और भारतीय चीनी निर्माता संघ को सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ञ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). १९६०-६१ (नवम्बर-अक्तूबर) में चीनी के उत्पादन का अनुमान २९.८ लाख टन है। साधारण अग्रनेयन और निर्यातों का प्रबन्ध करने के पश्चात् वर्ष के अन्त में फालतू माल ६ से ७ लाख टन होगा।

(ग) और (घ). दिसम्बर १९६१ से पहले अमरीका को लगभग १.८७ लाख टन और मलायन राज्य संघान के अन्य देशों को लगभग ३०,००० टन का निर्यात करने का विचार है। भुगतान क्रमशः डालरों और पौंड पावना में होगा।

(ङ) लगभग १२ करोड़ रुपये।

(च) और (छ). सरकार को लगभग ५·५ करोड़ रुपये की हानि होगी।

(ज) जी, नहीं। निर्यात मूल्य नियत करना संभव नहीं है क्योंकि ये बिक्री के समय अमरीका और विश्व बाजारों के हालात और मूल्यों पर निर्भर होंगे।

(झ) और (ञ). भारतीय चीनी की मिल संस्था के द्वारा निर्यात किया जा रहा है।

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे देश में चीनी का संकट हो रहा है क्योंकि इतना अधिक उत्पादन है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, सरकार चीनी उत्पादन की लागत को कम करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है और वे न केवल अमरीका को, अपितु अन्य देशों, पाकिस्तान और इन्डोनेशिया से भी चीनी के निर्यात में सुविधा देने के लिये क्या करना चाहती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : पाकिस्तान और दूसरे देशों को चीनी का निर्यात करने से संबंधित प्रश्न के पिछले भाग के बारे में, सभा को मालूम होना चाहिये कि जब हमने अमरीका से २२५,००० शार्ट टनों का कोटा स्वीकार कर लिया है, यह इस आधार पर है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते में अवश्य शामिल होना है। उस समझौते में शामिल होने का लाभ है और हम शामिल होंगे। उस समझौते के भाग के रूप में एक अतिरिक्त कोटा है जो हो सकता है २००,००० टन हो, जो समझौते वाले किसी भी देशों को जा सकता है, न केवल अमरीका को, किन्तु उस समझौते में बहुत से देश है। इससे कोटा लगभग ४२५,००० टन या कुछ अधिक हो जाता है। ऐसा करने के बाद हम समझौते के बाहर या किसी दूसरे देश को चीनी नहीं बेच सकते। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, हमने बहुत सी चीनी बेच दी है और मलायन राज्यों को जो शेष बेचनी है, अतः अन्य देशों को बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक उत्पादन लागत कम करने का संबंध है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि उत्पादन नीति तथा कृषकों को दी जाने वाली राशि के फलस्वरूप मूल्य बढ़ गये हैं। इसलिये सरकार को और इस सभा को यह फैसला करना होगा कि आया इतना मूल्य नहीं देना चाहिये। यह बड़ा प्रश्न है जो उचित समय पर आयेगा। किन्तु हमें देखना यह है कि कृषकों को किसी प्रकार की हानि न हो।

†**श्री आचार :** निर्यात की गई चीनी पर प्रति टन कितनी रियायत देनी पड़ती है और प्रति टन कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** इसका उत्तर मुख्य प्रश्न में दिया गया है। मेरे वरिष्ठ साथी ने इस से पहले बताया है कि उत्पादन लागत लगभग ८०० रुपये प्रति टन होगी। अमरीका को किये गये निर्यात के लिये हमें लगभग ५६० रुपये प्रति टन (एफ० ओ० आर०) मिलता है। विश्व बाजार में यह बहुत कम होगा। संभवतः हमें १३ से १४ रुपये तक हानि होगी, जब कि अमरीका को किये गये निर्यातों में हमें प्रतिमन ८ रुपये से कुछ अधिक हानि होती है।

†**श्री खुशवक्त राय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो और दूसरे देशों के नाम लिये गये हैं उन में जो चीनी भेजी गई है वह अब तक कितनी भेजी गई है ?

श्री स० का० पाटिल : मैं यह मानता हूं कि सब कुल मिला कर मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन इधर करीब सवा लाख टन या डेढ़ लाख टन चीनी तो हम व भेजी होगी। शायद सम्भव है कि उनको २ लाख टन का कोटा मिले लेकिन थोड़ी तो रखनी भी चाहिये। ३०–४० हजार टन रही है और वह मलायन स्टेट्स फेडरेशन को जायगी। सब मिला कर करीब २ लाख टन मिलेगी।

श्री खुशवक्त राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री विभूति मिश्र।

श्री खुशवत राय : मैं जानना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के अलावा सरकार जो चीनी एक्सपोर्ट करने जा रही है वह कितनी है ?

श्री स० का० पाटिल : वह सब मिला कर २ लाख टन होगी जिस में से डेढ़ लाख टन चली गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं किसी सदस्य का नाम लेता हूं और पहला सदस्य बोलता रहता है तो मंत्री को उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मैं मा० सदस्य को पुनः समय दूंगा।

श्री विभूति मिश्र : चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार को जो ५.५ करोड़ रुपये का कुल घाटा होगा तो जैसा कि मंत्री जी ने अखबार में स्टेटमेंट दिया है क्या सरकार उस घाटे को गन्ने की कीमत घटा कर किसानों से वसूल करना चाहती है ?

श्री स० क० पाटिल : अभी तो गन्ने की कीमत घटाई नहीं है। अभी जो कीमत है उसको का इरादा नहीं वह तो चल गयी। आयन्दा के लिए अलबत्ता यह चीज रक्खी है और यदि कभी उसकी आवश्यकता महसूस की भी गई तो वह चीज पार्लियामेंट के सामने आवेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव :** चीनी की मांग अधिक होने के कारण क्या देश में अधिक चीनी फैक्टरियां लगाने का प्रस्ताव है ?.

†**श्री अ० मा० थामस :** हम ने मार्च, १९६० तक प्राप्त होने वाली प्रार्थनाओं पर विचार किया है और हमने ३१.५ लाख टन क्षमता तक का लाइसेंस दे दिया है। हम इस लाइसेंस की गई क्षमता में से लगभग ३५ लाख टन उत्पादन कर सकेंगे। इस समय हम और कोई लाइसेंस देने का विचार नहीं करते।

†**श्रीमती मकीदा अहमद :** प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, मा० खाद्य मंत्री ने हाल ही में बम्बई में बताया है कि वह गन्ना उत्पादकों को मनायेंगे कि वे उनके उत्पादन पर पांचवां भाग मूल्य कम करने का उनका सूत्र मान लें। क्या सरकार तात्कालिक संकट से निकलने का इसे उचित और पर्याप्त उपाय समझती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह तात्कालिक संकट को टालने के लिये नहीं है। यदि भविष्य में निर्यात बढ़ाना होगा तो प्रत्येक को कुछ त्याग करना होगा। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, गन्ना उत्पादकों को भी मनाने में कोई हानि नहीं है। मैं आन्तरिक उपभोग की बात कर रहा हूं और इस मामले पर विचार करना होगा।

†**डा० राम सुभग सिंह :** चीनी के मूल्यों का उल्लेख करते समय मा० मंत्री ने कहा है कि कृषकों को दिये जाने वाले भावों के कारण मूल्य बढ़ गये हैं। क्यूबा और इंडोनेशिया में कृषकों को मूल्य का कितना अंश दिया जाता है और भारत में क्या है ? क्या यहां वहां से कम नहीं है ?

†**श्री स० का० पाटिल:** मुझे सही आंकड़े मालूम नहीं हैं। मैं मा० सदस्य को आंकड़े दे दूंगा। मूल्य का ७० प्रतिशत गन्ने का मूल्य होता है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, बाजार में जो दाम मिलते हैं वे संसार में किसी भी स्थान के उत्पादन मूल्य से बहुत कम हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मैं यह बात नहीं पूछ रहा। क्यूबा और इंडोनेशिया में तथा अन्य देशों में चीनी के मूल्य की तुलना में क्या मूल्य दिया जाता है और यहां दिये जाने वाले मूल्य की तुलना में यह कैसा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मुझे क्यूबा और इंडोनेशिया का पता नहीं। मुझे अमरीका के बारे में मालम है। वहां विश्व बाजार मूल्य से २० प्रतिशत अधिक देता है क्योंकि उन्हें उस मूल्य पर अपनी चीनी के दाम देने पड़ते हैं। मेरे पास अन्य स्थानों के बारे में सूचना नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** गन्ने का मूल्य चीनी के मूल्य का कितने प्रतिशत होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह लगभग ७० प्रतिशत होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या क्यूबा में ऐसी बात है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरे पास अन्य देशों के आंकड़े नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनको क्यूबा के बारे में पता नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** चीनी का मूल्य भारत में ३२ रुपये मन है जब कि गन्ने का मूल्य दरवाजे पर रुपया १.६२ नये पैसे है और खेत में १ रुपया ५२ नये पैसे। अतः यह ७० प्रतिशत नहीं हो सकता ।

†**श्री स० का० पाटिल :** उत्पादन शुल्क निकाल कर प्रति मन मूल्य ३२ रुपये नहीं, यह उससे बहुत कम है ।

†**श्री अ० म० थामस :** उत्पादन करने वाले अन्य देशों में चीनी का आन्तरिक मूल्य निर्यात की गई चीनी के मूल्य से कहीं अधिक होता है। अतः प्रत्येक देश को चीनी के निर्यात पर रियायत देनी पड़ती है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** लद्दाख में चीनी का आन्तरिक मूल्य क्या है और वे किस मूल्य पर अपनी चीनी बेच रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनको पता नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि पंजाब के स्टाक को अभी तक निर्यात कोटा में शामिल नहीं किया गया है ; यदि हां, तो वहां जमा भारी स्टाक को उठाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** पंजाब का स्टाक भी निर्यात अभ्यंश में शामिल है ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच नहीं है कि भारत में फालतू चीनी होने के बावजूद इसका वितरण कुछ चुने हुये ऐजण्टों तक सीमित है जो कुछ कमीशन लेते हैं और यह निर्बाध नहीं बेची जाती, जिसका परिणाम यह है कि केवल इन ही चुने हुए एजेंटों के द्वारा चीनी बाजार में आ सकती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** चीनी का वितरण १०० प्रतिशत होता है---जो राज्यों का उत्तर-दायित्व होता है । हम कई हजार टन या जो कुछ उपलब्ध हो, दे देते हैं । हम उन की इच्छा से ज्यादा जारी कर देते हैं । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम प्रतिमास लगभग २००,००० टन चीनी देते हैं । इसमें से थोड़ी सी भी चीनी बेची नहीं जाती, चाहे ऐसा वितरण त्रुटिपूर्ण प्रणाली के कारण हो । हम वितरण के तरीके को सरल करने के बारे में राज्य-सरकारों के साथ परामर्श कर रहे हैं, ताकि कठिनाइयां दूर कर दी जाएं ।

†**श्री मोहन स्वरूप :** क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम, जिसे चीनी का निर्यात का काम सौंपा गया था, पाकिस्तान और ईरान के साथ मूल्य निर्धारित करने में असफल रहा है, जिसका परिणाम यह निकला कि उन देशों को अन्य देशों के साथ सौदा करने को बाध्य होना पड़ा ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच नहीं है । पाकिस्तान के साथ सौदे के बारे में हम किराया भाड़ा माफ अटारी प्रति टन के लिये २३ पौण्ड तक देने को तैयार थे ---यह भी पाकिस्तान सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया । स्वीकृति हमारे पास २७ जून १६६१ को आई । हमने उन्हें सूचित किया कि हम अगस्त के पहले सप्ताह में संभरण देंगे । क्या वे शर्तें उनको स्वीकार्य थीं या नहीं, यह बात उन्होंने हमें नहीं बताई और उन्होंने ऐसा न करके सौदा समाप्त कर दिया तथा क्यूबा की चीनी खरीदने का समझौता किया । ईरान के साथ कोई सौदा नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार अन्य देशों को चीनी के निर्यात पर होने वाली व्यवस्था लागत को कम करने के लिये कुछ करेगी ताकि सरकार को जो ५.५ करोड़ रुपये की हानि हो रही है वह कम हो जाए ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैंने चीनी के निर्यात की व्यवस्था लागत के आंकड़े तैयार नहीं किये। यदि ऐसी बात है तो इसे घटाने का प्रयत्न किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**श्री यादव नारायण जाधव :** मैं एक विशेषाधिकार प्रश्न पूछता हूं। एक मंत्री ने पूना में वक्तव्य दिया था कि और अधिक चीनी फैक्टरियों को लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे। वह बात इस सभा को बताई नहीं गई। इस सभा को बताने और इस बारे में संसद का निर्णय होने से पूर्व यह समाचारपत्रों में दी गई और इसका व्यापक प्रचार किया गया।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं ऐसा नहीं समझता, हमें सब चीजों के लिये संसद की बैठक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह मंत्रियों के सामान्य दैनिक कार्य के अन्दर किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। हम आज के कार्य के पश्चात इस मामले को फिर लेंगे। तब मा० सदस्य अपनी शंकाएं दूर कर सकेंगे।

†**श्री गोरे :** हमारे पास उपमंत्री का टिप्पण अवश्य होना चाहिये था। कम से कम वह हमें दिया जाना चाहिये। अब आंकड़े हमारे पास नहीं। हम एक या दो दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सभा चाहती है कि कोई सक्रिय चर्चा होने से पूर्व टिप्पण परिचालित किया जाना चाहिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार के पास जो भी सूचना है वह माननीय सदस्यों को दे दी जाएगी। हम टिप्पण परिचालित कर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह वक्तव्य पटल पर रख दें, मैं परिचालित करवा दूंगा। चर्चा आज की बजाए कल होगी। तब माननीय सदस्य अपनी शंकाएं दूर कर लें।

राजधानी के इर्द गिर्द होटल और मोटल

†*६०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेंहदी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह राजधानी में और उसके आसपास उपयुक्त क्षेत्रों में नये होटल और मोटल के लिए जमी दे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि भारत सरकार की साधारण नीति यह नहीं है कि होटल आदि के किसी वाणिज्यिक कार्यों के लिये बातचीत द्वारा भूमि आवंटित की जाए, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ने एक विशेष मामले के नाते, व्यक्तिगत प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर विचार करना स्वीकार कर लिया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्रालय के काम अब तक दिल्ली में होटलों और मोटलों के निर्माण के लिये कितने प्रस्ताव आये हैं?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न के बारे में जहाँ तक इसका उचित दामों पर भूमि आवंटन से संबंध है, शिलांग में सितंबर १९६० में पहली बार चर्चा हुई थी। तब हमने निर्माण, आवास और संभरण मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को एक व्यापारी पत्र भेजा। हमारे पास उनके उत्तर अभी आए हैं और मैं नहीं समझता कि होटलों या मोटलों म दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने इतनी शीघ्र इसका लाभ उठा सकते।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्री कितनी भूमि देने को तैयार हैं?

†**श्री राज बहादुर** : निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री ने बताया है कि दिल्ली में और इर्दगिर्द अधिकांश भूमि के बारे में वचन दिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि मुख्य आयुक्त ने ३४,७०० एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है जिसके अधिग्रहण की अधिसूचना भी दी गई है; और मुख्य आयुक्त को यह भी शक्ति दी गई है कि वह भूमि का विकास तथा आवंटन कर सकता है और उसने सुझाव रखा है कि इस मामले में उससे पूछा जाए।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो होटल दिल्ली में हैं क्या वे ना-काफी हैं और अगर ना-काफी हैं तो टूरिस्ट्स के लिए कितनी और जगह की जरूरत है?

श्री राज बहादुर : जी हां, यह सर्वविदित है कि हमारे पास होटल्ज में जो स्थान है वह ना-काफी है और जरूरत इस बात की है कि होटल्ज में और स्थान बनाया जाए।

†**डा० मा० श्री अणे** : यद्यपि मैंने शब्दकोष देखा है, किन्तु मुझे मोटल शब्द के अर्थ नहीं मिलें। क्या मा० मंत्री इसका अर्थ बताएंगे?

†**श्री राज बहादुर** : यह नया बनाया शब्द है और शायद शब्दकोष में नहीं मिलता। यह वह स्थान होता है जहां पर्यटक मोटर कार के साथ जा सकते हैं और रात्रि के लिये ठहर सकते हैं। उनको भोजन मिलता है और रात्रिविश्राम के लिये कमरा मिलता है। उसकी कार की निगरानी रखी जाती है और उसकी सर्विसिंग, गैसोलीन आदि चीजें मिलती हैं।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या बहुत से होटलों के स्वामी नये होटल या मोटल खोलेंगे या होटल कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को अधिमान दिया जाएगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजबहादुर** : यदि हमारे पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव आता है जिसमें उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सुविधाएं या रियायतों का ब्योरा होता है तो उस मामले पर विचार किया जा सकता है। अन्यथा ऐसे अस्पष्ट प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर ही दिया जा सकता है।

दिल्ली के "मास्टर प्लान" का प्रारूप

\+

*९१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के "मास्टर प्लान" के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : दिल्ली विकास प्राधिकार ने कुछ बातों को छोड़कर दिल्ली के मास्टर प्लान पर विचार-विमर्श अब लगभग पूरा कर लिया है। आशा है कि इस महीने के अन्त तक मास्टर प्लान अनुमोदनार्थ सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बारे में अपना अंतिम निर्णय कब तक दे देगी ?

श्री करमरकर : सरकार के पास इसके आने के बाद अधिक समय नहीं लगेगा और वह जल्दी से जल्दी निर्णय दे देगी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्रमुख निर्णय कर लिए गए हैं वे क्या-क्या हैं और कौन-कौन सी बातों से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री करमरकर : अभी तक तो इसके बारे में हमें पता नहीं है। हमारे पास आने के बाद ही पता चलेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार ने दिल्ली का मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार करने में बहुत समय लगा दिया है और इस बीच बहुत से अनधिकृत मकान और बस्तियां बन गई हैं। क्या सरकार ने इस के लिये कोई उपचार रखा है ताकि मास्टर प्लान की भूमि अनधिकृत निर्माण द्वारा घेर न ली जाए ?

†**श्री करमरकर** : यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने देर लगा दी है। एक संविहित प्राधिकार दिल्ली विकास प्राधिकार के नाम से है और मामला उसके सामने है। इसने मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया है और यह सरकार के पास नहीं आया है। बीच के समय के बारे में एक अन्तरिम जनरल प्लान है। ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में गड़बड़ी है और कोई भी व्यक्ति जहां चाहे मकान बना ले। कुछ लोग विधि का उल्लंघन अवश्य करते हैं और मकान बना लेते हैं जिन्हें गिरा दिया जाता है।

श्री दलजीत सिंह : दिल्ली के इर्दगिर्द जो नई बस्तियां हैं, वहां पर पानी का, बिजली का और कनवेएंस का इंतिजाम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मास्टर प्लान में वे सब चीजें आ जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : मास्टर प्लान में तो सब चीजें आ जायेंगी ।

†**श्री च० कृ० नायक** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि दिल्ली में १५० से अधिक बस्तियां अनधिकृत रूप से बनी हुई हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे मालूम है ।

†**श्री च० कृ० नायर** : फिर क्या वह कह सकते हैं कि कोई धांधले बाजी नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि प्रश्न पूछते ही बिजली चली गई । बात यह है कि चूंकि माननीय मित्र दिल्ली विकास प्राधिकार और उपसमिति के सदस्य हैं, इसलिये उनको मेरी अपेक्षा ताजा ज्ञान होगा । यह सच है कि कुछ अनधिकृत बस्तियां दिल्ली में बन गई हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है यह बहुत कठिन समस्या है जिसको हल किया जाए । परन्तु जहां तक अधिकार देने का प्रश्न है, ऐसी बात नहीं कि नियम और प्लान नहीं हैं । किन्तु नियमों और प्लानों के बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अनधिकृत बस्तियां बन गई हैं । जो अभी हाल में ही बने हैं उनको गिराने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है । जो अनधिकृत मकान एक विशिष्ट अवधि से पहले से विद्यमान हैं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि जब तक उनके लिये वैकल्पिक स्थान का प्रबंध न कर दिया जाए, उनको वहां से न निकाला जाए । क्योंकि बहुत जोर से यह कहा गया था कि यद्यपि कब्जा अनधिकृत है, उनको भूमि से तुरन्त निकालना अमानवीय कृत्य होगा, अतः इस प्रकार की आपत्ति को पूरा करने के लिये, हमने उनको तुरन्त न निकालने का संकल्प किया है, जब तक कि हम उनके लिये वैकल्पिक प्रबंध नहीं कर देते ।

दिल्ली दुग्ध योजना

\+

†*९२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री कालिका सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) अभी तक दिल्ली दुग्ध योजना ने कितना मुनाफा कमाया है ;

(घ) योजना में लगायी गयी पूंजी और मुनाफे का क्या अनुमान है ; और

(ङ) इस योजना के अधीन कितने छात्रों को रोजगार दिया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ३ वर्ष की अवधि में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). योजना से सरकार को होने वाले लाभ या हानि का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया, क्योंकि व्यवस्था व्यय अर्थात् पूंजी पर ब्याज और संयंत्र, मशीनरी और इमारतों आदि का अवक्षयण अभी तक आंका नहीं गया, क्योंकि इमारतों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ और उपकरण का केवल थोड़ा भाग उपयोग में लाया जा रहा है।

(ङ) ७६५ ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सरकार इस दूध योजना के लिये दूध सहकारी समितियों द्वारा खरीदती है या अपनी निजी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के द्वारा या फिर बाहरी एजेंटों की मार्फत ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : दूध बाहर छः जगहों में हम इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें से पांच जगहों पर कोआप्रेटिव सोसाइटीज बन रही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दूध किस भाव पर खरीदा जाता है और किस भाव पर ठंडा किया जाता है और बेचा जाता है ? अन्तर कितना है ? क्या सरकार इसमें सहायता करती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम गांवों से १६ रुपये से २१ रुपये प्रति मन के भाव से दूध खरीदते हैं। गर्मियों में भाव बढ़ जाते हैं। हम दूध २२ रुपये ५० नये पैसे मन के नियत दाम पर बेचते हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या लाभ दूध वालों में बांट दिया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारा भारी लाभ करने का इरादा नहीं है। साथ ही हम हानि भी नहीं उठाना चाहते ।

†**श्री बलराज मधोक** : गाय और भैंस का दूध पृथक-पृथक कितना होता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : २४०० मन दूध में ३० मन गाय का दूध होता है। गाय के दूध की मांग बढ़ती जा रही है। परन्तु हमारी गायें भैंस की तुलना में अधिक दूध नहीं देतीं।

†**श्री कमल नयन बजाज** : क्या यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र को अधिक दूध देने के लिये, बीकानेर के पास एक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने बीकानेर तथा उसके साथ वाले क्षेत्र समेत राजस्थान के कुछ भागों का विकास करने की योजनायें बनाई हैं और वहां गाय के दूध के संभरण का प्रबन्ध होगा, क्योंकि राजस्थान में ऐसी गायें हैं जो हरियाना की भैंसों की तुलना में अधिक दूध दे सकती हैं। अतः हम गाय का दूध प्राप्त करने के लिये उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं ताकि हम दिल्ली में गाय के दूध की मांग को पूरा कर सकें।

दिल्ली को पंजाब से जल का संभरण

\+

*९३. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से दिल्ली को अधिक जल संभरण करने की योजना में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पश्चिमी यमुना नहर को भाखड़ा नहर से मिलाने की कोई योजना है ;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या इस जल के लिये पंजाब सरकार को कोई भुगतान किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो यह भुगतान किस दर से किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां । प्रावैधिक समिति ने जो २०० क्यूसेक जल की सिफारिश की थी उसके बजाय पंजाब सरकार अब १९६४ के ग्रीष्म तक ३२५ क्यूसेक जल देने के लिये सहमत हो गई है ।

(ख) जी हां । पश्चिमी यमुना नेहर फीडर प्रौजेक्ट भाखड़ा नहर को नरवाना और मुनक के बीच पश्चिमी यमुना नेहर से मिलायेगा ।

(ग) इस प्रौजेक्ट पर कुल २५६ लाख रुपये खर्च होंगे ।

(घ) और (ङ). इस प्रौजेक्ट पर दिल्ली का अनुपाती भाग ३० लाख रुपये है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि जिस जल प्राप्ति योजना के संबंध में पंजाब सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है, उस योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा ?

श्री करमरकर : अभी तो इस वर्ष के लिये उन्होंने मंजूर किया है । हम अपने दिल में आशा रखते हैं कि जब तक यह पूरी योजना अमल में आयेगी तब तक पंजाब गवर्नमेंट हम से सहमत हो जायेगी और दिल्ली में हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : प्रश्न के भाग (ङ) जो यह है कि भुगतान किस दर से किया जायेगा का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब किस दर पर पानी देगा ?

†**श्री करमरकर** : तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी दल ने परियोजना की क्रियान्विति की सिफारिश की है और इसीलिये तीसरी योजना में २५६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें पंजाब, राजस्थान, तथा दिल्ली का भाग क्रमशः १६१ लाख रुपये, ६५ लाख रुपये तथा ३० लाख रुपये होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि पंजाब से किन दरों पर पानी खरीदा जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : मैंने समझा था कि पानी की दरों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । प्रश्न यह था कि क्या पानी के लिये पंजाब सरकार को कोई धनराशि दी जायेगी तथा यदि दी तो भुगतान किस दर पर होगा । मैंने बताया कि समस्त योजना लगभग २५६ लाख रुपये की है और दिल्ली में हम इसके लिये ३० लाख रुपये देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह गलत समझे । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पानी किन दरों पर लिया जायेगा । संभवतया उनके पास जानकारी नहीं है ।

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि यह एक सम्मिलित योजना है और इस योजना से प्रत्येक राज्य को लाभ है । इसलिये इसके लिये धन दिया जाना चाहिये । हम पंजाब से पानी खरीद नहीं रहे हैं । यह सम्मिलित योजना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : माननीय मंत्री ने जिस योजना का उल्लेख किया है वह दिल्ली को पानी देने के बारे में है। जब पश्चिमी जमना नहर, भाखड़ा नहर से मिलाई जायेगी और भाखड़ा नहर से दिल्ली प्रशासन को लाभ होगा तो क्या दिल्ली प्रशासन भाखड़ा परियोजना के लिये कुछ धनराशि देगा क्योंकि नहर, परियोजना का ही अंग है ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली के लाभ वाली इस योजना के बारे में मैं बता चुका हूं तथा पुन: दोहराता हूं कि दिल्ली से ३० लाख रुपया दिया जायेगा और पंजाब सरकार इस व्यवस्था से सन्तुष्ट है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मेरा प्रश्न भाखड़ा परियोजना के निर्माण के बारे में है। क्योंकि भाखड़ा नहर इस परियोजना का ही अंग है। जब दिल्ली प्रशासन को भाखड़ा नहर का पानी पश्चिम जमना नहर के द्वारा मिलेगा तो क्या वह भाखड़ा परियोजना के अनावर्तक व्यय के लिये धन देंगे ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य इस प्रश्न को अब उठाना चाहते हैं। परन्तु पंजाब सरकार ने भाखड़ा परियोजना के लिये धन नहीं मांगा है। इस योजना के बारे में तीनों संबंधित सरकारों के बीच समझौता हो गया है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली की जल पूर्ति योजना के लिये पंजाब से पानी प्राप्त करने का यत्न किया गया है क्या उसी प्रकार से कोई यत्न उत्तर प्रदेश से भी पानी प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : जो हां, एक स्कीम तो है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ आता है। वह रामगंगा नामक स्कीम है जिस से हम अपेक्षा करते थे। दक्षिण क्षेत्र के लिये २०० क्यूजक पानी अभी उत्तर प्रदेश सरकार उस पर विचार कर रही है।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार द्वारा मांगी गई राशि के बारे में पंजाब तथा दिल्ली प्रशासन में कुछ मतभेद था और इसीलिये योजना के समाप्त हो जाने की संभावना थी ?

†**एक माननीय सदस्य** : उन्हें मूल्य की जानकारी नहीं है ।

†**श्री करमरकर** : मैं नहीं जानता ।

†**श्री बलराज मधोक** : यह समाचार पत्रों में इतनी बार आ चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कार्यालय, कलकत्ता

\+

†*९४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कार्यालय, कलकत्ता, में गबन के मामले में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कोई अभियोग लगाया गया है ; और

(ग) उसमें कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). जांच के बाद पुलिस ने चीफ प्रेजीडैंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में, श्री एस० सी० साह, चीफ कैशियर, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन आफिस के विरुद्ध २३-५-६१ को अभियोग लगा दिया है। मामला न्यायाधीन है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्योंकि बड़ी धनराशि का गबन किया गया है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मामला न्यायालय में है और हम आशा करते हैं कि उस पर शीघ्र निर्णय हो जायगा। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि रोकड़ संभालने वाले पदाधिकारियों का गबन के लिये बीमा किया जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या मामले की जांच करने वाले विशेष पुलिस संगठन ने इसके लिये एक ही आदमी को जिम्मेदार पाया अथवा अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदार पाया ? संभव है अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अभियोग न लगाया जा सकता हो परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य पदाधिकारी भी इसके लिये जिम्मेदार थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हमारी सूचनानुसार पुलिस ने एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाया है। मुझे इसके बारे में और जानकारी नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : इस मामले में कितनी कथित धनराशि का गबन हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स की एक फर्म ने जांच की थी और उसको पता लगा कि लगभग १,४७,००० रुपये का गबन हुआ है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स ने यह बताया था कि रिकार्डों में बड़ी काटछांट की गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट मिल गई है तो या तो यह जानकारी भी उसमें होगी अथवा नहीं होगी। इसमें कोई सन्देह तो रह नहीं जाता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : रिपोर्ट आई० ए० सी० के मुख्य कार्यालय में आई होगी। वह मुझे अभी नहीं मिली है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि जब डिफाल्केशन नोटिस में लाया गया उससे कितने दिन पहले वहां की सरकार से हिसाब किताब का आर्डर कराया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : आंतरिक लेखापरीक्षा होती रहती है। तभी पता लगा कि अधीक्षण करने वाले कुछ पदाधिकारियों ने ठीक तरह से काम नहीं किया है। एक वरिष्ठ एकाउन्टैंट, जो वास्तव में जिम्मेदार था, गबन के पता लगने से तीन महीने बाद मर गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या ठीक प्रकार से अधीक्षण न करने के दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी हां ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया कि अधीक्षण के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि एरिया मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** एरिया मैनेजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उनको प्रत्यक्षत: जिम्मेदार नहीं पाया गया है ।

प्रश्न संख्या ११६ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पुन्नूस ने मुझे लिखा है कि केरल की इडुकी जल विद्युत् परियोजना के बारे में प्रश्न संख्या ११६ को लिया जाये ।

केरल की इडुक्की जल विद्युत् परियोजना

+

†*११६. { **श्री पुन्नूस :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मणियंगाडन :
श्री कोडियान :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इडुकी जल विद्युत् परियोजना का कार्य आरम्भ करने की मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ख) क्या परियोजना की रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है ;

(ग) इस परियोजना में कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) लागत के अनुमान नहीं बनाये गये हैं ।

(घ) इस समय बताना संभव नहीं है ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार को पता है कि रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले ही जलागम क्षेत्र से बेदखली के आर्डर हो गये थे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी :** भारत सरकार ने अभी तक परियोजना के लिये स्वीकृति नहीं दी है । बेदखली आदि का प्रश्न भारत सरकार तय नहीं करेगी अपितु राज्य सरकार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि इस परियोजना को आरम्भ करने में सीमेंट की कमी सबसे मुख्य कठिनाई है ?

†**श्री हाथी :** परियोजना प्रतिवेदन की जांच की जा रही है इसलिये निर्माण आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी तक परियोजना भी स्वीकार नहीं की गई है ?

†**वासुदेवन नायर :** तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रतिवेदन बन गया है और इस परियोजना के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है तो परियोजना का क्या होगा ?

†**श्री हाथी :** इसको तीसरी योजना में आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार को मालूम है कि जब अखिल भारतीय आयोजन आरम्भ हुआ था उस समय देश के इस भाग की खपत के लिये वहां पर पूरी बिजली थी। परन्तु अब वहां पर बहुत कमी है इसलिये इसको शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये ?

†**श्री हाथी :** मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझा।

†**श्री पुन्नूस :** आयोजन के आरम्भ में हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली थी परन्तु आज वहां पर बहुत कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना को प्राथमिकता देने जा रही है ?

†**श्री हाथी :** जी हां। परियोजना तीसरी योजनावधि में आरम्भ होगी और हमने इसके लिये तीसरी योजना में पर्याप्त धनराशि रखी है।

†**श्री तंगामणि :** तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं लगभग ३ करोड़ रुपया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना

†*९५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में टेलीफोन एक्सचेंजों में हाथ से काम करने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कायम करने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कार्यक्रम की प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी रकम की व्यवस्था की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) ११.३२ करोड़ रुपये (लगभग) ।

गुलाटी आयोग

†*९६. श्री नाथ पाई :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री गोरे :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री रामी रेड्डी :
श्री आसर :
श्री आचार :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० अचमम्बा :
श्री सुगन्धि :
श्री अगाडी :
श्री वोडयार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी उपलब्ध होने के संबंध में समीक्षा करने के लिये श्री गुलाटी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों वाले आयोग ने क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या आयोग ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) कृष्णा-गोदावरी के पानी के बारे में नियुक्त किये गये आयोग ने इन नदियों से संबंधित विभिन्न राज्यों का दौरा किया, राज्यों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से बातचीत की और बड़ी मात्रा में संबंधित आंकड़े एकत्र किये ।

(ख) जी, नहीं । आयोग से नवम्बर, १९६१ के अन्त तक प्रतिवेदन देने को कहा गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांडला अबाध व्यापार बन्दरगाह

†*९७. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री खीमजी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह के एक हिस्से को अबाध व्यापार क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से उस बन्दरगाह का विस्तृत अध्ययन करने के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** :(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पोलैण्ड से जहाज

†*९८. **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पौलेंड से कुछ जहाज खरीदने के बारे में क्या निर्णय किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : पोलैंड में जहाज बनाने के लिये प्रस्ताव का लाभ उठाने में इस समय कोई भी भारतीय जहाज कम्पनी अभिरुचित नहीं है ।

संयुक्त स्टीमर कम्पनियां

†*९९. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या कलकत्ता से अमम तक माल के परिवहन के लिए संयुक्त स्टीमर कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले माल भाड़े की नयी दरों के औचित्य के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

समिति ने कछार से चाय और खाद्यान्नों के अतिरिक्त सभी यातायात पर वर्ष १९६० में चालू माल भाड़े की दर में ५ प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है ।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि (१) वर्ष १९६३ के आरम्भ में इस बात का मूल्यांकन करने के लिये, कि उसके बाद चालू लागू किये जाने के लिये परिवर्तित परिस्थितियों में क्या दर उचित होंगे, और जांच पड़ताल की जाये और (२) इन्होंने जिस दर की सिफारिश की है वह पुनर्विलोकन का परिणाम ज्ञात होने तक लागू रहें ।

अलेक्जेंड्रा गोदी, बम्बई में अग्निकाण्ड

†*१००. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री आसर :
श्रीमती मकीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मई, १९६१ को अलेक्जेंड्रा गोदी, बम्बई में भयानक अग्निकांड हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी चावल और गेहूं की काफी बड़ी मात्रा उससे नष्ट हो गयी ;

(ग) यदि हां तो अनुमानतः कुल कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ ;

(घ) क्या अग्निकांड के कारण की जांच की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी, हां । १६ मई, १९६१ की प्रातः लगभग ५.३० बजे अलैक्जेंड्रा गोदी संख्या ११ के पिछले भाग में एक नाले में कई विस्फोट हुए । विस्फोट के तुरन्त बाद आग लग गई जिसने शेड को घेर लिया । खतरा सामने देख करके तत्काल म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड और पोर्ट ट्रस्ट आक्जीलियरी फायर सर्विसिज को बुलाया गया । म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड ने प्रातः लगभग ७.३० बजे तक आग पर काबू पा लिया ।

(ख) और (ग). खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस शेड में जिसमें आग लगी, १,८१७ टन चावल और ४,०२९ टन गेहूं का भण्डार था । इस मात्रा में से १,६७८ टन चावल और ३,१९७ टन गेहूं बचाया जा सका । इस प्रकार आग से १३९ टन चावल और ८३२ टन गेहूं की हानि हुई । इस १३९ टन के आंकड़ों में पूर्णतः नष्ट हुआ २२ टन चावल भी शामिल है ।

(घ) और (ङ). यह पता लगा कि आग नाले में पड़े चिलीयन नाइट्रेट के वर्षा के पानी में मिलने और नाली से नीचे बह कर गैस बनाने के कारण, जिसका विस्फोट हुआ, लगी । आग के कारणों की विस्तृत जांच पुलिस विस्फोटक पदार्थों के मुख्य निरीक्षक के परामर्श से कर रही है । उनकी जांच के परिणाम प्रतीक्षित हैं ।

भाखड़ा बांध परियोजना के लिये दिये गये अग्रिम ऋणों पर ब्याज की राशि

†*१०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि भाखड़ा बांध परियोजना के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज की राशि के भुगतान की शर्तों में फेर बदल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है कि भारत सरकार द्वारा भाखड़ा-नंगल परियोजना के सिंचाई भाग के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज आरम्भ से ही ३ प्रतिशत लिया जाये ।

(ग) योजना आयोग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

डीजल इंजन

श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

†मूल अंग्रेजी में

†*१०२. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री वारियर :
श्री नेगी रेड्डी :
श्री कोडियान :
श्री मणियंगाडन :

क्या **रेलवे** मंत्री, ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सरकारी क्षेत्र में डीजल इंजनों के निर्माण का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : विशेषज्ञ समिति द्वारा भेजे गये परियोजना प्रतिवेदन का रेलवे मंत्रालय और योजना आयोग ने अनुमोदन कर दिया है । सरकारी क्षेत्र में डीजल रेलवे इंजन बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

गहन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम

†*१०३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सात चुने हुए जिलों में गहन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त जिलों में भी, न केवल वित्त की कमी के कारण अपितु वित्तीय अनुदान तथा आवश्यक संभरण में समायोजन न होने के कारण कार्यक्रम पर आघात हुआ है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३०२५/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त स्टीमर कम्पनियां

†*१०४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त स्टीमर कम्पनियों की प्रति वर्ष कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है ;

(ख) उन सहायता राशियों का क्या प्रयोजन है ;

(ग) दूसरी योजना के पांच वर्षों की अवधि के दौरान संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के लाभ तथा रक्षित धन की राशि क्या है ;

(घ) क्या कम्पनियों ने अभी हाल यह मांग की है कि उन्हें किराये में वृद्धि करने की अनुमति दी जाये ; और

(ङ) सरकार का इस विषय में क्या रुख है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष १९५८–५९ से पूर्व केन्द्रीय सरकार ने कम्पनियों को कोई अनुदान नहीं दिया है । वर्ष १९५८–५९ से पिछले तीन वर्षों में, निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये हैं :

१९५८–५९ .	५,००,००० रुपये
१९५९–६०	८,७४,३२४ रुपये
१९६०–६१ . .	६,४०,४७२ रुपये

इसके अतिरिक्त कम्पनियों को असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से क्रमश: ५००० रुपये और ९५०० रुपये वार्षिक मिलता है ।

(ख) ये अनुदान संयुक्त स्टीमर कम्पनियों द्वारा असम, सुन्दरबन और कछार क्षेत्रों में नदी संरक्षण कार्यों पर किये गये खर्च के एक भाग को वापस देने के लिये हैं ।

(ग) वर्ष १९५६ से १९६० तक संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के शुद्ध व्यापार परिणाम निम्न प्रकार थे :

१९५६ .	५५ लाख रुपये की हानि
१९५७ . . .	१४.१६ लाख रुपये की हानि
१९५८ . . .	२७.८८ लाख रुपये का लाभ
१९५९ . . .	४.९८ लाख रुपये की हानि
१९६०	४३.१४ लाख रुपये की हानि

रिजर्व के बारे में जानकारी मांगी गयी है और प्रतीक्षित है ।

(घ) और (ङ). अपने भाड़े बढ़ाने के लिये संयुक्त स्टीमर कम्पनियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है । उन्होंने कछार से चाय और खाद्यान्नों को छोड़

†मूल अंग्रेजी में

कर अन्य सभी सामान पर १५ मार्च, १९६१ से भाड़ा दर में १० प्रतिशत की वृद्धि कर दी । असम सरकार ने इस वृद्धि को अनुचित समझा और केन्द्रीय सरकार से इसको रद्द करने अथवा घटाने का अनुरोध किया । भाड़ा दरों में कमी करने के लिये वार्ता के परिणाम-स्वरूप, कम्पनियां वृद्धि में ४ प्रतिशत कमी करने को सहमत हो गयीं अर्थात्, २२ अप्रैल, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक, एक समिति द्वारा भाड़ा ढांचे की उचितता का पुनर्विलोकन होने तक, १० प्रतिशत से ६ प्रतिशत । ऐसा पुनर्विलोकन किया गया और परिणामस्वरूप १ जुलाई, १९६१ से वर्ष १९६० में चालू दरों पर ५ प्रतिशत की वृद्धि सीमित की गयी है ।

हैदराबाद के निकट ग्लाइडिंग केन्द्र

†*१०५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के निकट ग्लाइडिंग केन्द्र कब से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस केन्द्र में अभी तक कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हैदराबाद के निकट ग्लाइडिंग केन्द्र ग्लाइडरड्रोम का निर्माण पूरा होने पर आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) ग्लाइडिंग केन्द्र आरम्भ करने में विलम्ब हैदराबाद के निकट ग्लाइडरड्रोम की अनुपलब्धता है जो बनाया जाना है ।

स्थान के चुनाव, इसके सर्वेक्षण, नक्शा बनाने, विस्तृत प्राक्कलनों में समय लगा । अब ये औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं और आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित भूमि का असैनिक उड्डयन महानिदेशक को हस्तान्तरण करने की प्रार्थना की गयी है ।

इस कार्य पर अभी तक कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

टेल्टा स्टेशन के निकट गाड़ियों की टक्कर

†*१०६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री आसर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ मार्च, १९६१, को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के टेल्टा स्टेशन पर हुई माल तथा सवारी गाड़ियों की टक्कर के बारे में की गई जांच संबंधी प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे के सरकारी इन्सपेक्टर ने अपना प्रारूप प्रतिवेदन दे दिया है । उसकी अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार, यह टक्कर संख्या २४ डाउन के गल्ती से मुख्य लाइन पर आने के कारण हुई जिस पर डेल्टा स्टेशन पर ७२५ अप माल गाड़ी पहले ही थी ।

(ग) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

हुगली नदी की स्थिति

†*१०७. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो सक्रिय सोने का घोल लगी हुई बाल को हुगली में डालने के संबंध में कुछ प्रयोग किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रमुख प्रयोग का उद्देश्य हुगली नदी के तल में रेत के परिवहन की दर का अध्ययन करने के लिये रेडियो सक्रिय तत्वों के इस्तेमाल की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना था । यह परिणाम प्राप्त करने के लिये केवल न्यूनतम रेडियो सक्रियता वाले तत्वों को इस्तेमाल किया गया और इसमें मानव जाति और मछलियों को कोई भय नहीं था ।

यह प्रयोग मोयापुर बार में किया गया जो कलकत्ता से नदी के नीचे लगभग १८ मील है और जो बहुत गहरी नदी है ।

रेडियो-सक्रिय रेत २६ अप्रैल, १९६१ को प्रातः ११-३० बजे डाली गयी । २९ अप्रैल, १९६१ के दोपहर बाद तक दिन के समय अन्वेषी यंत्रों की सहायता से माप जारी रही ।

यह प्रयोग पूर्णतः सफल हुआ क्यों कि इससे हुगली नदी में तल परिवहन और प्रयोग में लगाये गये तरीके के अध्ययन के लिये रेडियो सक्रिय सोना १९८ की उपयुक्तता का पता चला ।

भावी कार्य के लिये प्रमुख प्रयोग के दौरान प्रयोग किये गये तरीके में थोड़े से संशोधन की आवश्यकता होगी ।

परीक्षणों से अत्यधिक परिणाम प्राप्त करने के लिये दो अन्वेषण दलों की आवश्यकता होगी ।

इन परिणामों का विश्लेषण अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे और केन्द्रीय जल दथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में किया जा रहा है और उनके प्रतिवेदन प्रतीक्षित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान

†*१०८. **श्री कोडियान :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दामानी :
श्री मुरारका :
श्री दिनेश सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की 'ट्रंक' सर्विसों को अधिक सुगठित करने के लिये फ्रांसीसी मध्यम प्रकार के जेट विमान 'कैरावेल" खरीदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जायेंगे ; और

(ग) उनकी कुल कीमत क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खतरे की जंजीरों का हटाया जाना

†*१०९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन गाड़ियों में खतरे की जंजीरें हटा दी गयी थीं उनमें वे फिर लगा दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे गाड़ियां कौन कौन सी हैं ; और

(ग) क्या ऐसा केवल रात के सफर के लिये किया गया है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अब तक ११५ गाड़ियों में खतरे की जंजीरें लगायी जा चुकी हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) जी, नहीं । कुछ मामलों में खतरे की जंजीरें दिन की गाड़ियों में भी लगायी गयी हैं ।

मलेरिया

†*११०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में फैले हुए ऐसे भागों को, जहां मलेरिया का प्रकोप अधिक है, निर्धारित करने के लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मलेरिया का भारत से उन्मूलन करने के लिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये कुल कितनी राशि रखी है ; और

(ग) इस संबंध में डा० हैरल्ड ई० हिनुवां (मलेरिया विशेषज्ञ) के नेतृत्व में यू० एस० टी० सी० एम० मूल्यांकन दल की क्या उपपत्तियां और सुझाव थे ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) व्यापक सर्वेक्षण द्वारा अधिकांश भागों को निर्धारित कर दिया गया है और बाकियों को निर्धारित किया जा रहा है । ऐसे सभी भागों से मलेरिया के प्रकोप को समाप्त करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये ५५ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है ।

(ग) संयुक्त राज्य प्रविधिक सहकार मिशन दल की उपपत्तियों और सुझावों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३०२६/६१]**

केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि का निर्माण

†*१११. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि के निर्माण के संबंध में कोई अंतिम निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रिहन्द बांध

*११२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द बांध के निर्माण और वहां विद्युत् उत्पादन कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) रिहन्द बांध परियोजना पूर्ण होने वाली है । बांध तथा सम्बन्धित कार्यों पर कंक्रीट के कुल कार्य का ९८.६ प्रतिशत भाग मई, १९६१ के अंत तक पूर्ण हो चुका था ।

(ख) आशा है कि यह कार्य चालू वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पानी की कमी

†*११३. **श्री सै० अ० मेहदी :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पानी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार जल सम्भरण में वृद्धि करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां। कारण ये हैं : (१) यमुना नदी में पानी की कमी (२) कुछ क्षेत्रों में जहां वितरण पद्धति पुरानी है, मेन्स में कम दबाव।

(ख) उपरोक्त (१) के बारे में, गर्मी के महीनों में जब नदी में बहाव कम हो जाता है, पंजाब सरकार से अश्चिमी यमुना नहर से नदी में पानी छोड़ने का अनुरोध किया जाता है। (२) के बारे में, उन सभी क्षेत्रों में जहां मेन्स छोटे साइज़ के हैं, उनको बढ़ाने की योजना है और ऐसी कई योजनायें आरम्भ की गई है।

उत्तर रेलवे में जालसाजी के मामले

†*११४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १० मई, १९६१ की "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस संवाद की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि डिवीजनल सुपरिंटैंडेंट, दिल्ली के कार्यालय में काम करने वाले उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने षढयंत्र रचकर रेलवे से ८.५ लाख रुपये ठग लिये हैं ;

(ख) क्या यह खबर सही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, १९६० में उत्तर रेलवे को दिल्ली स्टेशन पर रियायत आदेशों के धोखेसे जारी करने का मामला पता लगा था और प्राथमिक जांच के बाद यह मामला आगे कार्यवाही के लिये विशेष पुलिस संस्थान को सौंप दिया गया। इसका पता नहीं है कि इस में ठीक कितनी रकम ग्रस्त है।

(ग) सभी रेलवे से कहा गया है कि वे अपने कार्यालयों में रियायती आदेशों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की नियमों को दृढ़ता से लागू करें और नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारियों

---

†मूल अंग्रेजी में

के विरुद्ध कार्यवाही करें । विद्यार्थी रियायती टिकटों की पृथक् माला टिकटों पर दोनों ओर "विद्यार्थी रियायत" छपा होगा लागू करने और अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की मूर्तियां

†*११५. **श्री सूब्बया अम्बलम् :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच देश के कलाकारों महात्मा गांधी के प्लास्टर आफ पेरिस के माडल भेजने के लिये निमंत्रण भेजा जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कितने माडल प्राप्त हुए हैं तथा किस कलाकार का माडल मंजूर हुआ है ;

(ग) क्या व्यय की जाने वाली राशि तथा निर्मित की जाने वाली मूर्तियों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अमेरिका को विमान सेवायें

†*११७. **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमान अटलांटिक सागर पार अमेरिका कुल कितनी बार जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने अमेरिका से यह प्रार्थना की है कि वह दैनिक विमान सेवा की अनुमति देवे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) मई, १९६१ से अटलांटिक सागर पर भारत और अमेरिका के बीच प्रत्येक दिशा में सप्ताह में पांच बार ।

(ख) और (ग). भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल/मई, १९६१ में वाशिंगटन में हुई विमान वार्ता के दौरान, दोनों देशों की विमान कम्पनियों द्वारा अधिक बार विमान उड़ाये जाने का प्रश्न उठाया गया परन्तु वार्ता समाप्त नहीं हुई और उसके पुनः आरम्भ होने की सम्भावना है । इस समय उसका ब्योरा बताना जनहित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लाइडर 'रोहिणी'

†*११८ { श्री आसर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित ग्लाइडर "रोहिणी" अपनी उड़ान में सफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस कारखाने में निर्मित किया गया है और उसकी विशेष बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ऐसे अन्य ग्लाइडरों के निर्माण का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** :(क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) यह ग्लाइडर असैनिक उड्डयन विभाग के प्रविधिक केन्द्र में बनाया गया है और यह दो सीटों वाला प्रथम ग्लाइडर है जिसमें साथ साथ दो सीटें हैं और जिसका नमूना और निर्माण भारत में किया गया है । यह केवल हिमालय की लकड़ी और श्वेत सेदार प्लाईवुड जैसे देशी सामान से बनाया गया है । इसमें दोहरी नियंत्रण-व्यवस्था है और यह अर्द्ध-नभोरोमशी प्रकार के ग्लाइडरों के लिये वैमानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाया गया है ।

(ग) और (घ). असैनिक उड्डयन विभाग का प्रविधिक केन्द्र इस समय यथासंभव देशी सामान इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के नमूने के ग्लाइडर बना रहा है । प्रविधिक केन्द्र में विकसित नमूने के तौर पर कम से कम ४ या ५ रोहिणी ग्लाइडर बनाने का प्रस्ताव है । प्रविधिक केन्द्र में ग्लाइडरों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है ।

रक्त बैंक

†*११९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी रक्त बैंक का संचालन सरकार द्वारा भी किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रक्त बैंक कितने हैं और कहां-कहां हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) सफदरजंग अस्पताल में एक रक्त बैंक चल रहा है और विलिंगडन अस्पताल के लिये एक अन्य रक्त बैंक मंजूर किया गया है । दिल्ली में भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के तत्वावधान में एक रक्त बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें / प्रशासन ७५ रक्त बैंक चला रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारी

†*१२०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग में ऐसे कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका वेतन अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित नहीं हुआ है; तथा कई अन्य मामलों में कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) बाकी कुछ मामले निपटाये जा रहे हैं ।

कलकत्ता-अगरतला विमान सेवा

†*१२१. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अगरतला के बीच फोकर फ्रेंडशिप विमान सेवा के समय के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) क्या रात्रि में विमान की उड़ान बन्द करने के शिये वर्तमान समय सूची में फेर बदल करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) जी, हां ।

(ख) १-७-१९६१ से समय बदल दिये गये हैं । अब विमान कलकत्ता से १६.४० बजे जाता है और वहां वापस १९.३५ बजे लौटता है जब कि पहले १८.१५ बजे जाता था और २०.५५ बजे वापस लौटता था ।

इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन के किराये में वृद्धि

†*१२२. **श्री मुरारका :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री.दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राममू :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देब :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री अमजद अली :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन किराये में वृद्धि करने का विचार कर रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस तारीख से ;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस वृद्धि में कितनी आय होने की आशा है ?

†असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संशोधित वाइकाउंट किराये १-९-६१ से लागू होंगे और जो वृद्धि हुई है वह साधारणतया विमान परिवहन परिषद् द्वारा की गई सिफारिश टेपर डिजाइन में १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । आसाम और त्रिपुरा क्षेत्रों में चलने वाले डकोटाओं की सेवाओं को छोड़ कर, दूसरे सभी मार्गों पर इसी आधार पर यात्री भाड़ा में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) ईंधन के मूल्य, पुर्जों की कीमत और मजूरी बिल में हाल ही में हुई काफी वृद्धि के कारण संचालन व्यय बढ़ जाने के कारण ।

(घ) वाइकाउंट के किरायों के संशोधन से लगभग ४० लाख रुपये आय होने का अनुमान है ।

गेहूं और चावल का उत्पादन

†*१२३. श्री रामी रेड्डी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत में गेहूं और चावल का अधिकतम उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) देश में खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता की तुलना में यह राशि कितनी है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : जी हां ।

(ख) १९६०-६१ और १९५९-६० में चावल और गेहूं के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]** ।

(ग) १९६०-६१ के लिये सब खाद्यान्नों के उत्पादन अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। तब भी मोटे तौर पर, यह अनुमान है कि खाद्यान्न के उत्पादन में चालू वर्ष की आवश्यकता में से २० से ३० लाख टन तक कम होगा, जिसकी पूर्ति सरकारी स्टाक और आयात से आसानी से की जा सकती है ।

आगरा के लिये सस्ती पर्यटक बसें

†*१२४. श्री **विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से आगरा और मथरा के लिये सस्ती पर्यटक बसों की कोई व्यवस्था नहीं है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो क्या भविष्य में सरकार इनकी व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज दिल्ली और आगरा के बीच प्रतिदिन एक सीधी पर्यटक गाड़ी चलाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की बसें दिल्ली-मथुरा-आगरा मार्ग पर चलती हैं।

'बोइंग' विमानों के लिये 'एयर इंडिया इण्टरनेशनल' को अमेरिका द्वारा ऋण

†*१२५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की सरकार ने 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' को दो 'बोइंग ७०७' विमान की आंशिक कीमत चुकाने के लिये ४ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). अमरीका के निर्यात-आयात बैंक ने भारत सरकार को, 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' द्वारा २ और 'बोइंग ७०७' विमान की खरीद के लिये डालर व्यय का कुछ अंश पूरा करने के लिये ८१ लाख डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। ऋण की शर्तों और निबंधनों संबंधी समझौता अभी किया गया है।

'एयर इण्डिया' के 'बोइंग' विमान की दुर्घटना

†*१२६. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ जुलाई, १९६१ को एयर इंडिया के एक बोइंग विमान से आर्ली हवाई अड्डे पर एक बड़ी दुर्घटना हो गयी जिसमें वह बोइंग विमान, इजराइली एयर लाइन्स का विमान ई० आई० ए० बिटानिया तथा एक लारी क्षतिग्रस्त हुई तथा एक कारीगर को चोट पहुंची; और

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण थे तथा इससे कितनी हानि हुई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी हां। एयर इंडिया इन्टरनेशनल के एक बोइंग विमान की छोटी दुर्घटना हुई जब कि वह ८ जुलाई १९६१ को हवाई अड्डे के धावन पथ पर चल रहा था। ब्रिटिानिया विमान को भी एक ट्रक द्वारा क्षति पहुंची,जो कि बोइंग के इंजन के धमाके से विमान के अग्रभाग में टकरा गया। विमान के उस भाग में काम करने वाले एक कारीगर को भी हल्की चोट आई। बोइंग विमान के पोर्टविंग टिप और नम्बर १ प्रोपैलर और ब्रिटानिया के नोज़ भाग को भी थोड़ी क्षति पहुंची। हवाई अड्डे प्रशासन के जनरल मैनेजर इस समूचे मामले की जांच कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†*१२७. **श्री खाडिलकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ जून, १९६१ को वाशिंगटन में पत्रकारों के सम्मुख खाद्य तथा कृषि मंत्री ने जो विचार प्रगट किये हैं उनसे परिवार नियोजन के विषय में सरकार के रवैये का पता चलता है; और

(ख) क्या सरकार जनसंख्या को रोकने के उद्देश्य से गर्भपात से कानूनी प्रतिबन्ध हटाने के लिये एक विधान बनाने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा वाशिंगटन में पत्रकारों के समक्ष जो विचार व्यक्त किये गये थे वे उनके अपने निजी विचार थे।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

पैकेज प्रोग्राम

†१२८. **श्री सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सात जिलों को छोड़ कर जिनमें पिछले वर्ष "पैकेज प्रोग्राम" आरम्भ किया गया था, राज्यों के अन्य चुने हुये जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अन्य राज्यों में यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). मैसूर, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम महाराष्ट्र, और जम्मू तथा काश्मीर शेष ८ राज्यों में सघन कृषि संबंधी जिला कार्यक्रम के विस्तार के लिये भारत सरकार का अनुमोदन संबद्ध राज्य सरकारों को जून १९६१ में भेज दिया गया था। अनुमोदन निम्न आधार पर दिया गया था :—

(१) माडया (मैसूर) पालघाट और अलप्पी केरल, और सूरत (गुजरात) जिलों को तुरन्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त समझा गया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व निम्न तैयारियां कर लें :—

(क) पहले वर्ष में कार्यक्रम को चलाने के लिये क्षेत्र का चुनाव।

(ख) उन क्षत्रों में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिये कदम उठायें।

(ग) किसानों और गैर-सरकारी अभिकरणों अर्थात् पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में सामान्य जागृति पैदा करें ताकि कार्यक्रमों में उनका सहयोग मिले। इसका अर्थ यह है कि ठीक प्रारम्भ से ही कृषि सूचना और व्यापक प्रचार कार्यक्रम किया जाय।

(घ) अतिरिक्त कर्मचारियों का चुनाव, नियुक्ति और तैनाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) किये जाने वाले कार्यक्रम, नीतियों और तरीकों के मूल सिद्धांतों और फार्म उत्पादन योजनायें तैयार करने के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण ।

(च) साधन और उत्पादन सर्वेक्षण करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्तियां और प्रशिक्षण तथा क्षेत्र में कार्यक्रम को चलाने से पहले ऐसे सर्वेक्षण को पूर्ण करें ।

(छ) संभरण विशषतया बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक वस्तुओं, उपकरण आदि की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना एवं उनके संमाहार के लिये प्रबन्ध करना ।

(ज) किसानों को सरलतापूर्वक माल मिल सके इसके लिये गोदामों का निर्माण करने या किराये पर लेने का प्रबन्ध करना ।

(झ) कृषि ऋण की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाना और यह अनुमान लगाना कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कितने अधिक ऋण की आवश्यकता होगी और उसे उपलब्ध करने के लिये कार्रवाई करना ।

कार्यक्रम की विभिन्न मदों संबंधी विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ मंगवाये गये हैं । उन पहले सात जिलों में जो अनुभव प्राप्त होगा जहां इस समय कार्यक्रम चालू है, उससे यह निष्कर्ष निकाला है कि उपरोक्त प्रारम्भिक व्यवस्था पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा तथा वे राज्य आगामी रबी ऋतु या १९६२–६३ की खरीफ तक कार्यक्रम को आरम्भ कर सकेंगे ।

(२) यद्यपि सामान्यतया बर्दवान (पश्चिम बंगाल) और संबलपुर (उड़ीसा) के लिये उपयुक्त हैं, बहुत सा प्रारम्भिक कार्य इन दोनों जिलों में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिये और कार्यक्रम के चालू किये जाने के फलस्वरूप उन पर जो उत्तरदायित्व आयेगा उसे सहने के लिये तैयार करना होगा ।

रिजर्व बैंक, कृषि और सहकारिता विभागों के प्रतिनिधियों का एक दल शीघ्र ही इन जिलों में जायेगा और वह उन कार्यवाहियों के बारे में सिफारिशें करेंगे जो राज्य सरकारों को सहकारिता आंदोलन का पुनर्गठन करने के लिये करनी होंगी ताकि वे संभरण को दे सकने के अतिरिक्त भार को सहन करने योग्य हो सकें । कार्यक्रम की वास्तविक गहनता तभी मालूम होगी जब यह कार्य पूरा हो चुकेगा और इसमें कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा ।

(३) महाराष्ट्र सरकार ने अस्थायी तौर पर कार्यक्रम को चलाने के लिये कोलावा जिला चुना है । चूंकि जिले में सहकारी बैंकों की शक्ति कमजोर है और वह इस समय कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़े हुये वित्त को देने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व करने में समर्थ नहीं हैं । इसलिये भांडार अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकार के विचारार्थ उसका सुझाव दिया गया है । जो निर्णय हो उसके अनुसार कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ।

(४) आसाम सरकार ने कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये जिला कच्छार चुना है । तथापि समूचे आसाम राज्य में सहकारी संगठन की कमजोरी को ध्यान में रखते हुये कोई भी जिला चुनने योग्य नहीं है । इसलिये आसाम राज्य को कार्यक्रम में तभी शामिल किया जा सकता है जब राज्य सरकार कम से कम एक जिले में, जहां कार्यक्रम को बाद में चालू किया जा सके, सहकारी ढांचा मजबूत कर सके । उपरोक्त (२) में उल्लिखित दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा, सहकारी आंदोलन को

मजबूत करने के उपायों का सुझाव देगा और उपयुक्त जिला चुनने के लिये राज्य सरकार की सहायता करेगा ताकि कम से कम समय के अन्दर आवश्यक प्रारम्भिक कार्य किया जा सके।

(५) जम्मू और काश्मीर में कार्यक्रम निम्न ६ खंडों में राज्य के दोनों प्रांतों के दो जिलों में किया जायेगा :

काश्मीर प्रांत	जम्मू प्रांत
१. कैमोह	१. जम्मू
२. लरकीपोरा	२. रणबीरसिंहडरा
३. नांवल	३. बिशनाह

(प्रत्येक प्रांत में तीनों खंड एक साथ मिले हुये हैं)।

राज्य सरकार को कह दिया गया है कि वह कार्यक्रम के विभिन्न मदों के संबंध में संशोधित प्रस्ताव दें (राज्य सरकार के मूल प्रस्तावों में ३ जिलों के अन्दर आने वाले ६ खंडों का चुनाव करने का प्रस्ताव था)। प्रस्तावों की प्राप्ति पर इनको जांच की जायेगी और प्रारम्भिक उपायों का सुझाव देने के लिये, जिन्हें राज्य सरकार को कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व करना होगा, एक दल भेजने का प्रबन्ध किया गया है।

केरल को चावल का सम्भरण

†*१२६. श्री मणियंगाडन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की सरकार ने अभी हाल की बाढ़ से उत्पन्न हुई कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से चावल की अतिरिक्त मात्रा की मांग की है;

(ख) चावल की कितनी मात्रा की मांग की गयी है; और

(ग) चावल की कितनी मात्रा संभरित की गयी है?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). २०,००० टन की मांग की गई थी जिसको पूरा-पूरा स्वीकार कर लिया गया है।

तमिल में तार

†१३०. **श्री तंगामणि**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य के भीतर भेजे जाने के लिये तमिल के तारों को भी स्वीकार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तमिल तारों की कुंजी (की) तैयार कर ली गयी है; और

(घ) क्या यह सच है कि एक कर्मचारी ने तमिल तार की कुंजी तैयार कर ली है?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) मामला विचारधीन है। रोमन अथवा देवनागरी लिपि में लिखे हुए तमिल भाषा के तार भेजने की सुविधा अभी भी वर्तमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

राप्ती पर पुल

†*१३१. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री आसर :
श्री कालिका सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के निकट राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने के लिये राप्ती नदी पर बनाये जाने वाले पुल के खम्भों में से एक जमीन में धंस गया जिसके परिणामस्वरूप पुल टूट कर नदी में गिर गया;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है और क्या इसके द्वारा प्रतिवेदन देने और सिफारिशें करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने समिति द्वारा रिपोर्ट पेश किये जाने तक पुल का निर्माण बन्द करने के लिये आदेश जारी किये हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस दुर्घटना के बारे में ठेकेदार और इंजीनियरों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और क्या यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**। समिति का प्रतिवेदन मिलने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) से (च). राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है। मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना

†*१३२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री कुन्हन :
श्री पांगरकर :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना स्थापित करने के लिये ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, जापान और स्वीडन से तकनीकी सहयोग के बारे में बातचीत अंतिम रूप से पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) अभी नहीं। निर्णय लिए जाने के बाद सभा को बता दिया जायेगा।

अम्बाला रेल यार्ड में आग

†*१३३. श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मई, १९६१ को अम्बाला रेल यार्ड में काफी अधिक मात्रा में केरोसीन (मिट्टी का तेल) आग में जल कर नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो आग के कारण क्या थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी ?

†**रेलवे उप-मन्त्री (श्री से० वे० रामस्वामी)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

२५-५-६१ को अम्बाला यार्ड में शंटिंग के समय एक बड़ी लाइन का टैंक वैगन जिसमें एविएशन तेल था, मिट्टी का तेल नहीं, पटरी से उतर गया। उसके ऊपरी मैन होल में से तथा एक जोड़ में से तेल रिसना शुरू हो गया। निकलते हुए तेल को इकट्ठा करने की शीघ्र कार्यवाही की गई और मालगोदाम में प्राप्त सभी खाली ड्रमों तथा टीनों में उसको भरना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार २,२०० गैलन तेल इकट्ठा कर लिया गया।

२६-५-६१ के सबेरे निकट की एक लाइन पर शंटिंग के समय इंजन में से एक चिंगारी, तेल से तर जमीन पर गिर पड़ी जिससे आग लग गई। खतरे की घंटी बजाई गई और फायर ब्रिगेड वहां पर आ गया जिसने आने के एक घंटे ही में आग पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार इकट्ठा किए गए २,२०० टन तेल में से १,८०० गैलन तेल नष्ट हो गया।

मामले की जांच के लिए अधिकारी जांच समिति बनाई गई जिसने एक पाइन्ट्समैन, एक यार्ड फोरमैन और शंटिंग जमादार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहाज प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा

†*१३४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कुछ जहाज खरीदने के लिये कुछ भारतीय जहाज कंपनियों को अभी हाल में काफी विदेशी मुद्रा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं हैं कि कितनी राशि पर्याप्त समझी जा सकती है। परन्तु सरकार ने आस्थगित शर्तों के आधार पर तीन पुराने जहाजों को खरीदने के लिये तथा दो नये जहाजों के निर्माण के लिए २५.७७ लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा देना स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी

†*१३५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब २५ मई १९६१ को पुलिस ने मोतिया खान कबाड़ बाजार में कई दूकानों पर छापा मारा और चोरी का माल रखने के लिए ३ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तब पुलिस ने दिल्ली मुख्य स्टेशन से कथित चुराई गयी ४०,००० रुपये से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पत्ति बरामद की;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्रवाई की गयी; और

(ग) रेलवे गोदामों से और आगे चोरी रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अधिक कड़े करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जी हां। पुलिस तथा आर० पी० एफ० द्वारा सम्मिलित छापा मारने पर मोतिया खान की सात कबाड़खाने की दूकानों पर अवैध रेलवे सामग्री मिली जिसके परिणामस्वरूप २५-५-६१ को पुलिस ने आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

(ग) आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था इस समय भी है और विशेष सावधानी रखी जाती है जिससे गोदामों से रेलवे सम्पत्ति अनधिकृत रूप से न चुराई जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना

†*१३६. श्री कोडयान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दामानी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश में चार ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह विश्वविद्यालय कहां कहां खोले जायेंगे; और

(ग) इन पर कितना व्यय होगा?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य क्षेत्र में २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन विश्वविद्यालयों की संख्या तथा स्थापना स्थान पर भारत सरकार विचार कर रही है।

गढ़मुक्तेश्वर में सड़क का पुल

***१३७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर सड़क के पुल का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) इस पुल से किन-किन क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा ; और

(ग) इस पुल के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है और कितना समय लगा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, पुल के मुख्य भाग का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है ।

(ख) इस पुल के बन जाने से दिल्ली क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जिस में मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर और बुलन्दशहर के जिले शामिल हैं, को लाभ होगा ।

(ग) ११५.२५ लाख रुपयों की स्वीकृत व्यय राशि में से जून १९६१ तक पुल के निर्माण में लगभग ६३.०२ लाख रुपये और इस सारे निर्माण कार्य में कुल ८७.७७ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपये खर्च हो चुके हैं जिस में इस पुल पर दोनों ओर से आने वाली सड़कों व उन पर पड़ने वाले छोटे पुलों के निर्माण का खर्च भी शामिल है । इस कार्य पर अभी और खर्च होना शेष है । इस पुल के निर्माण में लगभग तीन वर्ष लगे ।

दूर संचार इंजीनियरों की विदेश यात्रा

†*१३८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के एक दल ने, जिसमें वरिष्ठ तार संचार इंजीनियर भी सम्मिलित थे, यूरोप के कुछ देशों तथा जापान का भ्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो यह दल किस मुख्य योजना को ले कर वहां गया था ;

(ग) क्या वहां से लौटने के बाद उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जी हां । तीन इंजीनियरों का एक दल योरोपीय देशों को गया है । इस समय यह जापान में है ।

(ख) भारत में काम में लाने के लिए तथा निर्माण के लिए आधुनिक, सुचारू तथा मितव्ययी टेलीफोन पद्धति के चुनाव के लिए ।

(ग) और (घ). एकत्रित जानकारी का ब्यौरेवार अध्ययन करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन देगी ।

स्कूल विद्यार्थियों के लिये भोजन की व्यवस्था

†*१३९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल-विद्यार्थियों के लिये भोजन की व्यवस्था करने के लिये जिस स्कूल स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गयी थी उसने अपना अंतिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब का नाला नम्बर ८

*१४०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वाजपेयी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक विशेषज्ञों ने पंजाब के नाला नम्बर ८ का मार्ग बदलने के प्रश्न के बारे में अपनी राय दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या राय दी है ;

(ग) क्या इसे स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) ड० ए० एन० खोसला ने गांव कुंडली के निकट नाला नं० ८ के व्यपवर्तन[1] के तीन वैकल्पिक समरेखन[2] सुझाएं हैं। डा० खोसला ने इन तीनों में से एक समरेखन को मान लेने के लिये कहा है ।

(ग) जिस समरेखन को डा० खोसला ने मान लेने के लिये सुझाया है उसे दिल्ली प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। पंजाब सरकार ने दो शर्तों के अधीन ड० खोसला के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ।

(घ) इस विषय पर सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय, पंजाब सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श कर के, विचार कर रहा है ।

वाणिज्यिक विपणन दायित्व

†*१४१. **श्री पांगरकर :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा सरकार के साथ वाणिज्यिक विपणन दायित्वों को कम करने सम्बन्धी बातचीत का क्या नतीजा निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diversion

[2]Alignments

केन्द्रीय बीज निगम

†*१४२. श्री नेकराम नेगी
श्री रामनकृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री चुनीलाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अच्छे बीज के उत्पादन की वृद्धि के लिये बीज फार्म निगम की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमख)** : बढ़िया बीज निगम बनाने का प्रस्ताव सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है । निगम के लिए संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेद बना लिए गए हैं और उनकी जांच हो रही है ।

रेलों के लिये विश्व बक ऋण

†*१४३. श्री चुनीलाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के लिये ऋण के हेतु विश्व बैंक से जो बातचीत चल रही थी अब पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेल उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) भारतीय रेलों के लिए ऋण लेने के विश्व बैंक से कोई बातचीत आरम्भ नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कैंसर

†*१४४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के दौरान में भारत के सरकारी हस्तपतालों में कैंसर ग्रस्त कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया ;

(ख) क्या कैंसर रोग की वृद्धि हो रही है ;

(ग) क्या औद्योगिक विकास के साथ साथ फेंफड़े के कैंसर की वृद्धि की संभावना की जा सकती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) औद्योगिक कर्मचारियों को कैंसर से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि कैंसर के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) औद्योगिक विकास के साथ साथ फेफड़े के कैंसर की वृद्धि की संभावना नहीं है ।

(घ) औद्योगिक कर्मचारियों के डाक्टर इसके बारे में आवश्यक कदम उठायेंगे ।

सूरी ट्रांसमीशन

†*१४५. **श्री हेडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एम० एम० सूरी ने जो सूरी ट्रांसमीशन तैयार किया है उसके लिये जापान ने एकस्व-मान्यता देने से इंकार कर दिया है ;

(ख) किन किन देशों ने इस आविष्कार को एकस्व प्रदान कर दिया है ;

(ग) जापान द्वारा एकस्व प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । इस समय ।

(ख) भारत, ब्रिटेन, अमरीका, चैकोस्लोवाकिया, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इटली और फ्रांस ।

(ग) जापान के पेटेन्ट आफिस के अनुसार श्री सूरी का आविष्कार आवेदन पत्र मिलने से पहले ही जापान में इसी टैक्नीक के अनुसार था ।

(घ) जापान से अपील की गई है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पी० एल० ४८० करार

†*१४६. **श्री आसर :**
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मंत्री के अभी हाल के अमरीका भ्रमण के दौरान में पी० एल० ४८० करार में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये संशोधित करार में कोई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तटीय नौवहन

†*१४७. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से देश के दक्षिण तथा पश्चिम भागों को कोयला ले जाने वाले तटीय नौवहन समवायों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और मद्रास कोचीन तथा कुडलूर बन्दरगाहों पर अपर्याप्त नौवहन सुविधाओं के कारण ऐसी क्षति उठानी पड़ती है जिससे बचा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो जहाजों के तीव्रगामी आवागमन के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जब तक देश के दक्षिण के बन्दरगाहों के लिये आवंटित कोयले के जहाज इन बन्दरगाहों का ठीक प्रकार से भरे हुए ठीक समय पर आते हैं तब तक नौवहन सुविधायें पर्याप्त रहती हैं परन्तु जब कई जहाज एक साथ बन्दरगाह पर आ जाते हैं तब यह सुविधायें अपर्याप्त हो जाती हैं। कभी कभी, मानसून, आदि की कठिनाइयों के कारण भी विलम्ब हो जाता है। इन कठिनाइयों पर बन्दरगाह के अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(ख) सरकार तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की तीनों समन्वय समितियां लगातार स्थिति का पुनरीक्षण कर रही हैं। इसी कार्य के लिय मद्रास में एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। बन्दरगाहों पर कोयला इकट्ठा करने की जगह बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

कपास का उत्पादन

†*१४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई व्यापार में कथित संकट के कारण देश में कपास उत्पादन सम्बन्धी प्रयत्नों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस संकट के फलस्वरूप जो व्याप्त स्थिति है उससे बचने के लिय केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र ने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). समस्या अधिकांशत : गुजरात राज्य की है। इसके कारण कपास उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) मिलों को भारतीय रुई का अतिरिक्त कोटा देना ।

(२) भारतीय कपास मिल फैडरेशन से कहा गया है कि उस रुई को खरीदें जिसके मूल्य कम होने लग गये हों ।

(३) बैंकों से कहा गया है कि रुई का बड़ा भांडार बनाने के लिए मिलों को धन दें ।

(४) २३/३२" के रेशों वाली रुई की ५०,००० गांठों का निर्यात कोटा देना क्योंकि गुजरात में इसी प्रकार की किस्म उगाई जाती है ; और

(५) ६०,००० गांठों वाले निर्यात कोटे की और घोषणा जिसमें बंगाल देसी की ३,००० गांठें तथा बंगाल देसी के अतिरिक्त $^{3}/_{4}$" वाले रेशे की रुई की ३०,००० गांठें ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के भाड़े की दर

†*१४६ **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के भाड़े की दर में ५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) इंडिया जनरल नैविगशन एण्ड रेलवे कम्पनी लिमिटेड तथा रीवर्स स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड, (जो ज्वायन्ट स्टीमर कम्पनीज़ कहलाती है) जो भारत के उत्तर पूर्व आन्तरिक मार्गों पर सेवायें चलाती है, ने कलकत्ता से आसाम को नदी मार्गों से जाने वाले खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर परिवहन की भाड़ा दरें दस प्रतिशत बढ़ा दी हैं। भाड़ा दरों को कम करने के लिये ज्वायंट स्टीमर कम्पनीज़ के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बाद यह स्वीकार किया गया कि २२ अप्रैल १९६१ से ३० जून १९६१ तक ६ प्रतिशत दरें बढ़ा दें और इस बीच भारत सरकार स्टीमर कम्पनियों की आर्थिक स्थिति तथा दरों की जांच कर लेगी। तदनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने कलकत्ते से आसाम तक के नदी मार्ग पर गत तीन वर्षों में समवायों द्वारा लादे गये यातायात १९६० की भाड़ा दरों तथा माच १९६१ में परिवर्तन से पूर्व लागू भाड़ा दरों के आधार पर निकट भविष्य में यातायात की जांच की। समिति ने सिफारिश की कि १९६० की भाड़ा दरों में कछार की चाय तथा यातायात खाद्यान्नों को छोड़कर ५ प्रतिशत वृद्धि हो जानी चाहिये। भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और ज्वायंट स्टीमर कम्पनीज़ से भी कहा है कि

†मूल अंग्रेज़ी में

इसको स्वीकार कर लें और लागू कर दें। ज्वायंट स्टीमर कम्पनीज़ ने १ जुलाई १९६१ से १९६० की दरों पर ५ प्रतिशत भाड़ा दरों में वृद्धि कर दी है।

(ख) जून १९६१ के आरंभ से यातायात के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। मार्च, अप्रैल तथा मई १९६१ में भाड़ा दरें सर्वाधिक होने पर भी यातायात की मात्रा में कोई कमी नहीं आई थी।

कलकत्ता पत्तन

†*१५०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामजी वर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के विकास के बारे में विश्व बैंक से वार्ता पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

रूस से रेलवे पटरियों की खरीद

†*१५१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यादवनारायण जाधव :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० म० देब :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइन तैयार करने तथा पुरानी लाइनों की मरम्मत के लिये जो लगभग ४००,००० टन रेलवे पटरियों की आवश्यकता है उसे रूस से खरीदने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रूस से ६०,००० मीट्रिक टन रेलवे लाइनों के संभरण का प्रस्ताव मिला है जो विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रस्ताव की मुख्य बात है कि भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में होगा तथा ३१-३-१९६२ से पहले ही पटरियां मिल जायेंगी ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

†*१५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कुन्हन:
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री सुब्बैया अम्बलम् :
श्री आचार :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से सरकार ने हसन तथा मंगलौर के बीच रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). मंगलौर बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए तीसरी योजना के लिए रेलवे कार्यक्रम में मंगलौर-हसन लाइन विचाराधीन है ।

चेचक नियंत्रण आयोग

†*१५३. **श्री चुनीलाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेचक नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए एक चेचक नियंत्रण आयोग बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**स्वस्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारत सरकार का विचार चेचक नियंत्रण आयोग बनाने का नहीं है । सरकार का विचार स्वास्थय सेवाओं के महा-निदेशालय में एक विशेष संगठन बनाने का है, जो चेचक नियंत्रण कार्यक्रम का समन्वय, अधीकरण तथा मूल्यांकन करेगा ।

रेलवे वैगन

†*१५४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्योगों में भी रेलवे वैगन बनाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे वगनों के उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा और वे किन स्थानों पर बनायें जायेंगे ;

(ग) क्या गैर-सरकारी उद्योगों में १९६०–६१ के वैगनों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो किस सीमा तक और पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां । वर्तमान रेलवे वर्कशापों में ।

(ख) आशा है कि बाक्स टाइप खुले वैगन बड़ी लाइन के २,००० तथा चार पहियों वाले खुले/बन्द वैगन बड़ी लाइन के १०,००० निम्नलिखित रूप में रेलवे वर्कशापों में बनाये जायेंगे :—

मध्य रेलवे	. . .	लालगुडा, झांसी तथा माटुंबग शाप
उत्तर रेलवे	. . .	अमृतसर शापस
पूर्व रेलवे	. . .	कंचरा पाड़ा तथा लिल्लूआह शाप्स
दक्षिण रेलवे	. . .	गोल्डन राक शापस
पश्चिम रेलवे	. . .	महालक्ष्मी तथा कोटा शाप्स

(ग) जी नहीं ।

*१९६०–६१ में लक्ष्य	. .	२०,८५० (चार पहियों वाले)
१९६०–६१ में कुल प्राप्य	.	१३,२१० (चार पहियों वाले)

(घ) १९६०–६१ में ७६४० चार पहियों वाले वैगनों की कमी रह गई थी ।

कमी के कारण

१. ठीक इस्पात के संभरण में देरी ।

२. नये डिजाइन के वैगनों में परिवर्तन ऐसा करने के लिए डिजाइन बनाने और उसको अन्तिम रूप देने के लिए प्रोटो टाइप का परीक्षण करने के बाद वैगन बनाने वालों को उसके अनुसार अपने औजार बनाने के कारण ।

*वैगन बनाने के वर्ष जून १९६० से १९६१ के यह लक्ष्य तथा प्राप्तियां हैं ।

जहाजरानी का विकास

†***१५५. श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी जहाजरानी समवायों से कहा है कि वे अपनी विकास योजनाओं को पूरी तरह से आगे बढ़ायें और जहाजरानी के लिये जो राशियां नियत की गयी हैं उनका उपयोग करें ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जहाजरानी समवायों ने क्या उत्तर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जी हां । यद्यपि कोई खुलासा सुझाव नहीं दिए गए हैं क्योंकि प्रथमतः भारतीय नौवहन समवाय ही अपने बेड़े के विस्तार के लिए योजनायें बनायेंगे । यह सच है कि नौवहन महानिदेशक अपना बेड़ा बढ़ाने पर सर्वदा बल दे रहे हैं । नौवहन समवायों की राय का अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वह मामले पर विचार कर रहे हैं ।

ईराक के लिये भारतीय विमान चालक तथा टेक्नीशियन

†*१५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस अप्रैल के अन्त में एक ईराकी प्रतिनिधि मंडल सरकार से ईराकी विमान सेवा के लिये भारतीय विमान चालकों तथा टैक्नीशियनों की सेवायें प्राप्त करने के लिये सरकार से बातचीत करने के लिये राजधानी आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी हां। ईराकी प्रतिनिधिमंडल ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से कुछ और इंजीनियर, पायलट, तथा अधिकारी मांगे हैं । प्रतिनियुक्ति की शर्तों के बारे में समझौता होने के बाद इन अधिकारियों को उपलब्ध किया जायेगा ।

बाजार में गेहूं की खरीद

*†१५७ { **श्री प्र० गं० देव** :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां। मिलों को गेहूं बाजार से खरीदने की अनुमति दे दी गई थी । सरकार ने ऐसा इसलिए किया था जिससे मूल्य बहुत कम न हो जाये और किसानों को नकसान हो जाये।

दिल्ली में जैट विमानों की उड़ान के लिये मौसम केन्द्र

*†१५८. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट विमानों की उड़ान में सहायता देने के लिये दिल्ली में कोई नया मौसम केन्द्र बनाने की कोई योजना बनाई गयी है , और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिलीगुड़ी से बड़ी लाइन

†*१५९. {**श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय रेलवे मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि सिलीगुड़ी पर समाप्त होने वाली पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी लाइन को कम से कम गोहाटी तक बढ़ा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को आसाम की परिवहन की गम्भीर समस्या का उचित मात्र समाधान माना है ; और

(ग) यदि हां तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है । परन्तु बढ़े हुए यातायात को पूरा करने के लिए वर्तमान मीटर गाज लाइन की क्षमता बढ़ाने का विचार है ।

सहकारी शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी

†**१४३. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी शिक्षा संबंधी गोष्ठी का अन्तिम प्रतिवेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

ताज के दर्शक

†*१४४. {**श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नंकराम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में आगरा के ताज महल को देखने के लिए कितने व्यक्ति आये ?

*मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १९६०–६१ में ताज देखने आये लोगों की सही संख्या प्राप्त नहीं है । परन्तु नमूना सर्वेक्षण जो अभी पूरा नहीं हुआ है के अन्तरिम विश्लेषण के आधार पर अनुमान है कि प्रतिदिन औसतन ३००० दर्शक ताज देखने आते हैं ।

दिल्ली में बिना लाइसेंस के कुली

†१४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जंक्शन पर बिना लाइसेंस के कुली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, कुछ बिना लाइसेंस के कुली पकड़े गये हैं ।

(ख) इसको रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) अनधिकृत कुलियों को पकड़ने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये एक विशेष सरकारी रेलवे पुलिस दल बनाया गया है ।

(२) टिकट क्लक्टरों का भी एक विशेष निरीक्षण दल बनाया गया है जो अनधिकृत कुलियों को पकड़ेगा और पुलिस को सौंप देगा ।

(३) लाइसेंस वाले कुलियों की , एक समिति बनाई गई है जो इस बुराई को दूर करने के लिये रेलवे की सहायता करेगी ।

(४) अनधिकृत कुलियों को हटाने के लिये अधिकारी, निरीक्षक तथा अधिक्षक अचानक जांच करते हैं ।

रेलवे पुल

†१४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में कौन कौन से उपरी पुल बन कर पूरे हो गये हैं अथवा बन रहे हैं; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में कौन कौन से नये पुल बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६०–६१ में सड़क के उपर नीचे पुलों के बारे में बताने वाला एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) यद्यपि सभी राज्य सरकारों से अप्रैल, १९५९ में तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये कहा था परन्तु अभी तक कई राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है । राज्यों से जानकारी मिलने के बाद प्रस्तावों का आयोजन किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

भाड़ा दरों को विनियमित कर` के लिये संविहित शक्तियां

†१४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र पार व्यापार में मालभाड़ा दरों को विनियमित करने के लिये इस सम्बन्ध में अमरीकी विधि की तरह संविहित शक्तियां प्राप्त करने के प्रस्ताव पर तब से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस मामले पर अभी सम्बन्धित नौवहन हितों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

उत्तर भारत में चीनी के कारखाने

†१४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना पेरने और इसका मूल्य चुकाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). कारखानों के पास जो गन्ना था, उसको पेरने के बाद कारखाने वर्ष १९६०-६१ के लिये बन्द हो गये । औसतन १५ जुलाई, १९६१ तक गन्ने के मूल्य का लगभग ९२.५ प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है और बाकी का जैसे ही चीनी बिकती है, भुगतान किया जा रहा है ।

जर्मन कृषि शिष्ट मंडल

†१४९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अग्रिम परियोजनाओं के बारे में जर्मन कृषि शिष्टमण्डल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जापान का कृषि अध्ययन दल

†१५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान के कृषि अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो खेती के सुधार के लिये क्या प्रमुख सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति[1]

†१५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के प्रपत्रों के बारे में नियुक्त की गई समिति की बाकी सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) १७-४-१९६१ को विचाराधीन बतायी गई १४ सिफारिशों में से एक अस्वीकार कर दी गई है। बाकी पर निदेशालय और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में अन्तिम निर्णय होना बाकी है। इनकी जांच की जा रही है और इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पठानकोट स्टेशन पर यात्री सुविधायें

†१५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर पठानकोट स्टेशन पर प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षा कक्ष बहुत छोटे हैं और वहां पर अन्य यात्री सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Forms Committee.

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर क्या नये सुधार और यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) और (ख). जी, नहीं। इस समय विद्यमान सुविधायें यात्री यातायात को देखते हुये पर्याप्त हैं। तथापि निधि उपलब्ध होने पर तृतीय योजना काल में पठानकोट स्टेशन पर सुविधाओं में निम्नलिखित सुधार करने का प्रस्ताव है—

(१) वर्तमान पाखानों के स्थान पर के० वी० रेलवे प्लेटफार्म संख्या १ और २ पर फ्लश के पाखाने बनाना।

(२) प्रमुख मार्ग का विस्तार करना।

(३) पर्यटक प्लेटफार्म।

(४) फ्लश के पाखाने और स्नानागार

द्वितीय योजना काल में पंजाब में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र

†१५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में परिवार नियोजन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में परिवार नियोजन के लिये पंजाब सरकार को और स्थानीय निकायों/ऐच्छिक संस्थाओं को क्रमशः ३·५१ लाख रुपये और ६,३२,६८३ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

३·५१ लाख रुपये की सहायता में से राज्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये रखी गई धनराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डाक तथा तार विभाग को प्राप्त शिकायतें और सुझाव

†१५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ में अब तक पंजाब के डाक सुपरिटेंडेंटों और डाक तथा तार के निदेशक को कितनी शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए ;

(ख) शिकायतों और सुझावों का स्वरूप क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें और सुझाव लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही नहीं की गई है और उनके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** :

(क)	शिकायतें	४०३१२
	सुझाव	कोई नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) डिलीवरी में विलम्ब और डाक वस्तुओं के खोये जाने और भुगतान में विलम्ब और मनीआर्डरों के खोये जाने सम्बन्धी शिकायतें। इसके अतिरिक्त कुछ दावों के निबटारे में विलम्ब और दुर्व्यवहार आदि जैसे विभिन्न मामलों के बारे में शिकायतें।

निबटाई गई शिकायतें —— ३८१०७

(ग) जांच के अधीन शिकायतें २२०५

शिकायतों के प्राप्त होने और निबटाने में समय के कारण कुछ प्रतिशत शिकायतें हमेशा लम्बित रहती हैं।

डाक तथा तार कर्मचारी

†१५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के अन्त में पंजाब सर्किल में श्रेणी-वार और डाक डिवीजन-वार डाक तथा तार कर्मचारियों की क्या संख्या है ;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ग) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये आरक्षित अभ्यंश को अब तक पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारयन)** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

केरल में ग्राम्य जल संभरण

†१५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा केरल सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राज्य में ग्राम्य जल संभरण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गयी है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अधीन सहायता का ब्योरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	**दिया गया सहाय्य अनुदान** (लाख रुपयों में)
१९५६–५७	२.८७५ रुपये
१९५७–५८	६.६०९ रुपये
१९५८–५९	९.००० रुपये
१९५९–६०	२.९०० रुपये
१९६०–६१	४.७२० रुपये
संभरित प्रविधिक सहयोग मिशन के उपकरणों की लागत	९.६४८ रुपये
कुल	३९.७५२ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार निरोधी संगठन

†१५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० के बाद से अब तक पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार निरोधी संगठन ने क्या कार्य किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** जुलाई, १९६० से जून, १९६१ की अवधि में पूर्व रेलवे के सतर्कता संगठन के कार्य में, भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना, जिन मामलों में बड़े पैमाने पर धोखा, चोरी और गबन आदि किये गये हैं, उनकी सम्बन्धित विभागों को सूचना देना ताकि निरोधात्मक उपचारात्मक उपाय किये जा सकें और रेलवे कर्मचारियों की शिक्षा ताकि उनमें नैतिक जागरण हो, शामिल हैं।

इस अवधि में जांच के लिये ३४२ नये मामले रजिस्टर किये गये। कई मामलों में आरोप सिद्ध किये गये और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। ७ कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया, २४ को निकाला गया, १५ का वेतन अथवा पद घटाया गया और ९९ अन्य कर्मचारियों को अन्य दण्ड दिये गये।

कई स्टेशनों पर माल की पुनः तुलाई करके अकस्मात जांच की गयी जिसके परिणामस्वरूप कम शुल्क के रूप में ५५४५ रुपये ७ नये पैसे वसूल किये गये। २५ गैर-रेलवे-मैनों को छोटी यात्रा के इस्तेमाल शुदा तृतीय श्रेणी के टिकट बेचते हुए पकड़ा गया और उन्हें सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। बुकिंग के समय माल की गलत बयानी के भी कई मामले पकड़े गये।

कर्मचारियों में नैतिक जागरण करने के लिये प्रमुख स्टेशनों और कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूलों में लैक्चरों की व्यवस्था की गयी। सतर्कता विभाग द्वारा पता लगाये गये विशिष्ट महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा, कार्य प्रणाली और दण्ड समेत कर्मचारियों में परिचालित कर दिया गया है ताकि वह असंकोची कर्मचारियों में चेतावनी के रूप में कार्य कर सके।

उत्तर प्रदेश को आवंटित लोहा तथा इस्पात

†१५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ के लिये कृषि कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश ने लोहा तथा इस्पात की कितनी मात्रा की मांग की और उसको कितनी मात्रा आवंटित की गयी; और

(ख) आवंटित अभ्यंश का संभरण करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (ड० पं० शा० देशमुख)**: (क) वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश की कृषि कार्यों के लिये लोहा तथा इस्पात की मांग और आवंटन क्रमशः ६५,९६३ टन और ५०,४९८ टन था।

(ख) राज्य सरकारें उनको आवंटित कृषि अभ्यंश रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को देती हैं जो लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता को इन्डेन्ट भेजते हैं। फिर वह उन इन्डेन्टों को पूर्ति के लिये उत्पादकों को भेज देते हैं। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को दी गयी प्राथमिकता के अनुसार संभरण किया जाता है। संभरण में शीघ्रता करने के विचार से जस्ता चढ़ी हुई नालीदार चादरों के अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये अपेक्षित लोहा तथा इस्पात को 'प्रथम प्राथमिकता' दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीज फार्म

†**१५९. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में बीज फार्म स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: वर्ष १९५८–५९ में लागू की गयी पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन प्रत्येक योजना को नहीं बल्कि कृषि योजनाओं के प्रत्येक दल को ग्राह्य केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को बता दी जाती हैं और प्रत्येक दल के अधीन किये गये कुल व्यय के आधार पर दल-वार वर्ष के अन्त में मंजूरी भी दी जाती है। अतः वर्ष १९६०–६१ में बीज फार्म स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को दी गयी धनराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भूमि को समतल बनाना

†**१६०. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को वर्ष १९६०–६१ में कृषि कार्यों लिये भूमि को समतल बनाने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: वर्ष १९६०–६१ के लिये राज्य के विकास कार्यक्रम में भूमि को समतल बनाने की कोई योजना शामिल नहीं है। कृषि विकास योजनाओं के लिये निधि एकमुश्त दी जाती है और किसी पृथक योजना पर भूमि को समतल बनाने के लिये यदि राज्य सरकार ने कोई धन व्यय किया, तो वह भारत सरकार को नहीं बताया जाता।

दक्षिण रेलवे पर डकैती

†**१६१. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष १९६१ की पहली छमाही में दक्षिण रेलवे पर कितनी डकैतियां हुईं; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों का पता लगाया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, शून्य।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम रेलवे पर आरक्षण क्लर्क

†**१६२. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे पर ग्रेड-वार और स्टेशन-वार आरक्षण क्लर्कों (रिजर्वेशन क्लर्कस्) की क्या संख्या है; और

(ख) पश्चिम रेलवे में कितने यात्री-पथप्रदर्शक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) संख्या निम्न प्रकार है :

स्टेशन	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन-स्तर
भावनगर	आरक्षण क्लर्क	१	११०–२००
बम्बई (चर्चगेट)	प्रमुख आरक्षण निरीक्षक	१	३७०–४७५
,,	उप प्रमुख आरक्षण निरीक्षक	१	२०५–२८०
,,	आरक्षक क्लर्क	१६	१५०–२४०

(ख) १६.

पश्चिम रेलवे पर सामयिक कर्मचारी[1]

†१६३. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पश्चिम रेलवे में कुल कितने सामयिक कर्मचारी हैं;

(ख) इन कर्मचारियों में से कितनों ने एक वर्ष से भी अधिक की लगातार सेवा की है; और

(ग) उसी अवधि में इनमें से कितने कर्मचारी नियमित सेवा में लगाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ३०–६–१९६१ को ३२,५८२ ।

(ख) २४०२ ।

(ग) १५४० ।

रात्रि विमान डाक सेवा

†१६४. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० मे कितनी बार रात्रि विमान डाक सेवा उड़ाने देर से आरम्भ हुई और अथवा देर से आये और प्रत्येक मामले में कितनी देर हुई।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण रखा जाता है जिसमें वर्ष १९६० में रात्रि विमान-डाक सेवाओं के देर से चलने के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

(१) आध घंटे से कम की देर और (२) देर से आने के मामलों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

गाड़ियों का देर से चलना

†१६५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में अप और डाउन नागपुर/इटारसी पैसेंजर गाड़ियां कितनी बार देर से चली और कितनी बार देर से पहुंचीं और प्रत्येक मामले में कितनी देर हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: एक विवरण संलग्न है।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

---

†मूल अंग्रेजी मे

[1] Casual workers,

केरल में पम्बा और वल्लापत्तनम् योजनायें

†१६६. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को केरल राज्य में पम्बा तथा वल्लापत्तनम योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन योजनाओं को प्रविधिक स्वीकृति दी जा चुकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में पम्बा और वल्लापत्तनम् योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं।

(ख) जी, अभी नहीं ।

केरल में कल्लड और कुट्टियाडी सिंचाई योजनायें

†१६७. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कल्लड और कुट्टियाडी सिंचाई योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को कल्लड परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है। कुट्टियाडी सिंचाई योजना का परियोजना प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में कंजीरपुझा सिंचाई योजना

†१६८. **श्री म० र० कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल की कंजीरपुझा सिंचाई योजना का केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है।

आसाम में रेलवे हाई स्कूल

†१६९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितने रेलवे हाई स्कूल हैं ; और

(ख) वे स्कूल कहां कहां स्थित हैं और उनमें पढ़ाई का माध्यम क्या रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तीन ।

(ख)	स्थिति	शिक्षा का माध्यम
१.	लमडिंग	बंगाली
२.	बदरपुर	
३.	पण्डु	

विमान सेवायें

†**१७०. श्री दिनेशसिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान सेवा निगम द्वारा १९६० में कितने यात्रियों को विमानों में ले जाया गया और विमानों की वास्तविक यात्री-वहन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या भारतीय विमान सेवा निगम द्वारा संचालित कुछ मार्ग अलाभप्रद हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन से हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) कलेंडर वर्ष १९६० में वहन किया गया यात्री यातायात ५९१,५१६,३७४ यात्री-किलोमीटर है जबकि उपलब्ध सीट-किलोमीटर ८५८,१५८,५४१ है। इन सेवाओं में वर्ष के दौरान कुल ७,४५,२८८ यात्रियों को ले जाया गया ।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान् । डकोटा विमानों द्वारा परिचालित प्रायः समस्त सेवायें घाटे पर चल रही हैं ।

उड़ीसा को तीसरी योजना के लिये अनुदान

†**१७१. श्री कुमार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये विभिन्न चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य योजनाओं पर अभी तक किस प्रकार का आवंटन किया गया है ;

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये योजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) अभी तक प्रत्येक योजना पर कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये प्रस्तावित उपबंध दिखाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ग) केन्द्रीय सहायता दिये जाने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को धन पिण्ड राशि मार्गोपाय पेशगियों के रूप में दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग इस प्रकार नौ बराबर की महावारी किश्तों में दिया जाता है। अन्तिम भुगतान मंजूरियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों द्वारा पेश किये गये व्यय के आंकड़ों के आधार पर जारी की जातीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि विकास योजनायें

†१७२. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के लिये कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) प्रत्येक योजना पर वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) अभी तक कितनी राशि योजनावार दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ के लिये विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के लिये किये गये आवंटन दिखाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]** १९५८–५९ से प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरियां योजनावार नहीं दी जाती हैं। वित्तीय सहायता के लिये भुगतान की मंजूरियां वित्तीय वर्ष के अन्त में विकास की विभिन्न मदों के लिये निर्धारित अधिकतम सीमाओं के आधार पर (जहां तक राज्य पंचवर्षीय योजना की योजनाओं का संबंध है) और वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को सूचित की गई केन्द्रीय पोषित योजनाओं के लिये अलग अलग जारी की जाती हैं । चालू वर्ष के लिये निर्धारित अधिकतम सीमाओं की सूचना अभी भेजी जानी है ।

उड़ीसा की राष्ट्रीय जलसम्भरण योजना

†१७३. **श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य को कुएं खोदने के लिये केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय जलसंभरण योजना में से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : उड़ीसा सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय जलसंभरण तथा स्वच्छता (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित ग्रामीण जल-संभरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये भुगतान की गई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	भुगतान की गई राशि
	(लाख रुपयों में)
१९५६–५७ .	१०.५०
१९५७–५८ .	१२.९५५
१९५८–५९ .	१९.९९६८०
१९५९–६० .	३.९०
१९६०–६१ .	७.७१
योग	५४.०६१८०

योजनाओं में साधारण कुओं का निर्माण/पुनर्नवीकरण और नलकूपों की स्थापना सम्मिलित है ।

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर और बोकारो में दामोदर घाटी निगम के तापीय विद्युत् संयंत्रों का ठप्प हो जाना

†१७४. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री न० म० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर और बोकारों में दामोदर घाटी निगम के तापीय विद्युत् संयंत्र अप्रैल और जुलाई, १९६१ के बीच कितनी बार खराब हुये ;

(ख) उनके बार-बार खराब हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) संयंत्रों में लगे उपकरणों की कुल लागत कितनी है ; और

(घ) वे उपकरण किन विदेशी संभरणकर्ताओं से प्राप्त हुये थे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र का यूनिट संख्या १ (७५ एम० डब्लू०) ५ बार और यूनिट संख्या २ (७५ एम० डब्लू) ४ बार बन्द करना पड़ा। बोकारो स्थित चौथा यूनिट ९-३-१९६१ को उसके जेनेरेटर ट्रांसफार्मर में क्षति पहुंचने से खराब हो गया। उसे २२ जून, १९६१ को पुनः चालू कर दिया गया और तब से वह ठीक चल रहा है ।

(ख) दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र के दोनों यूनिटों में विभिन्न दोष पाये गये जो परीक्षात्मक आधार पर चलाये जा रहे थे और उपकरण के संभरणकर्त्ताओं से स्थायी वाणिज्यिक संचालन के लिये ग्रहण नहीं किये गये थे। सामान्यतः उन यूनिटों को अधिक समय के लिये बन्द किया जाना चाहिये था ताकि संभरणकर्ता सुधार कार्य कर सकें। परन्तु यह संभव नहीं था क्योंकि परीक्षात्मक एककों को कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम के तीन बड़े जेनेरेटिंग यूनिटों के खराब हो जाने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कमी की पूर्ति करने के लिये चालू रखना था। बोकारो स्थित चौथे यूनिट के जेनेरेटर ट्रांसफार्मर की क्षति का निश्चित कारण उपकरण के संभरणकर्ता द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) बोकारो के चौथे यूनिट के लिये उपकरण की कुल लागत लगभग ३·७९ करोड़ रुपये है। दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र में स्थापित उपकरण की कुल लागत लगभग ८·६३ करोड़ रुपये है ।

(घ) बोकारो के चौथे यूनिट के जेनेरेटर-ट्रांसफार्मर का संभरण ब्रिटेन की मेसर्स इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा किया गया था। जहां तक दुर्गापुर के तापीय विद्युत केन्द्र के उपकरण का संबंध है, टरबाइन और बायलर संयंत्र का संभरण पश्चिम जर्मनी के मेसर्स एम०ए०एन० ने, जेनेरेटरों का मेसर्स ए० ई० जी० (पश्चिम जर्मनी) ने और कोल मिल्स का मेसर्स लोसचे (पश्चिम जर्मनी) ने किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के प्रलेखों का हिन्दी में अनुवाद

१७५. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय में काम में आने वाली कुल कितने पृष्ठों की ऐसी सामग्री है जिसका हिन्दी में अनुवाद किया जाना है ;

(ख) उस सामग्री का रेलवे मंत्रालय में ही अनुवाद करवाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी क्या कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय उन पुस्तकों के हिन्दी अनवाद से है जिनमें रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नियम और विनियम दिये गये हैं ? यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) इस समय ६३ नियम पुस्तकों आदि का हिन्दी अनुवाद होना है । कुछ नियमों में संशोधन हो रहा है, इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कुल कितने पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद होना है ।

(ख) इस काम के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) यह काम रेलवे बोर्ड की हिन्दी (विशेष) शाखा को सौंपा गया है। इस समय इस शाखा में १ सैक्शन अफसर, ५ हिन्दी सहायक और २ हिन्दी टाइपिस्ट हैं ।

रेलवे में भाषा सम्बन्धी कार्य का समन्वय

१७६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय में विभिन्न भाषाओं में किये जाने वाले कार्य को समन्वित करने के लिए क्या व्यवस्था है

(ख) यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई व्यवस्था है तो उसका स्वरूप क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग). रेलवे मंत्रालय में केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में काम होता है । हिन्दी में जो काम होता है उसे समन्वित करने के लिए एक अलग शाखा खोली गयी है । अन्य भाषाओं में जो पत्र आते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उनका हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद कराने की भी व्यवस्था है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के प्रपत्रों को हिन्दी में छापना

१७७. श्री क० भे० मालवीय : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नुस्खों की पर्चियां और पहचान पत्र इस समय केवल अंग्रेजी में छापे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार इन पर्चियों और पहचान पत्रों को अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी छपवाने की व्यवस्था करेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इन फार्मों को हिन्दी में छपवाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली दुग्ध वितरण केन्द्र

१७८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध वितरण केन्द्र के कार्ड केवल अंग्रेजी में ही छापे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में इन्हें अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी छापा जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). कार्डों को अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी छापे जाने के औचित्य को उपयुक्त कार्यवाही के लिये योजना के अधिकारियों के नोटिस में ला दिया गया है ।

तुंगभद्रा बांध

†१७९. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर-बेलारी जिलों में स्थित तुंगभद्रा बांध की ऊंचाई मूल योजना से ५ फीट बढ़ा दी गई है ;

(ख) ऊंचाई बढ़ाने से दायीं ओर बायीं ओर कितनी भूमि जलमग्न हो गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बांध की ऊंचाई बढ़ाने से दायीं और बायीं ओर जलमग्न हुई अतिरिक्त भूमि और इमारतों के लिए प्रतिकर का भुगतान करने के लिए मूल्यांकन किस वर्ष में किया गया था ;

(घ) क्या बेलारी और रायचूर जिलों के गांवों के रैयतों को भूमि और इमारतों के मूल्यांकन के अतिरिक्त कोई प्रसादतः राशि दी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रसादतः राशि का प्रतिशत क्या है और वह किन किन गांवों को तथा किस वर्ष भुगतान की गई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

सहकारी समितियां

†**१८०. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई वन सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) इन समितियों के सदस्यों की राज्यवार संख्या कितनी है, उन्हें कितना सहकारी ऋण और अनुदान (अलग अलग) दिया गया ; और

(ग) इन समितियों द्वारा राज्यवार कितना व्यापार किया गया ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) से (ग). प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक सामग्री राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन राजस्व

†**१८१. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५१ तक टेलीफोन राजस्व की सर्किल-वार बकाया कितनी है ; और

(ख) इसमें से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य उपभोक्ताओं की अलग अलग राशि कितनी है ।

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

तृतीय योजना में विद्युत् परियोजनायें

१८२. श्री क० भे० मालवीय : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी विद्युत परियोजनायें शामिल की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना से चली आ रही स्कीमों के अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६२ विद्युत उत्पादन स्कीमें सम्मिलित की गई हैं ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

दिल्ली में हैजा

१८३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून, १९६१ तक दिल्ली में हैजे से कितनी मौतें हुई ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने लोगों को टीके लगाये गये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

१८४. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को बन्द करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस की सदस्यता को वैकल्पिक किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

आहार पोषण

†१८५. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए विभिन्न आयु वर्गों के स्त्री पुरुषों को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये उनकी आहार-पोषण सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं की शिक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने आहार-पोषण पर निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :—

(१) "मीनूज़ फॉर लो कॉस्ट बैलेंस्ड डाइट्स एण्ड स्कूल लंच प्रोग्राम्स ।"[1]

(२) तन्दुरुस्ती के लिए भोजन ।

(३) ईटिंग फॉर हैल्थ ।[2]

(४) बच्चों के खाने की अच्छी आदतें ।

(५) बैलेंस्ड डाइट[3] ! (जारी की जाने वाली है ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Menus for low cost balanced diets and school lunch programmes:

[2]Eating for health.

[3]Balanced diet.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं :

(१) 'मील्स फॉर दि यंग' ।[१]

(२) 'न्यूट्रीशन' ।[२]

महाराष्ट्र सरकार ने भी मनुष्य के आहार-पोषण और भोजन विज्ञान के सिद्धांतों पर एक सचित्र पुस्तिका निकाली है (तीसरी आवृत्ति, नवम्बर, १९५८) ।

डाक की चीजों का न पहुंचना

†१८६. **श्री चुनी लाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को गत वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के सम्बन्ध मे कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(१) गैर-रजिस्टर्ड पैकिटों और पार्सलों का न पहुंचना ;

(२) रजिस्टर्ड पैकिटों और पार्सलों का न पहुंचना ;

(३) मनियाडर ; और

(४) एक्सप्रेस डेलिवरी पत्र ।

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** (१) और (२). सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सब प्रकार की गैर-रजिस्टर्ड डाक और रजिस्टर्ड वस्तुओं से सम्बन्धित शिकायतों के आंकड़े सामूहिक रूप से रखे जाते हैं ; ।

(३) २,२७,६८४ ।

(४) ८,७९९ ।

नस्ली सांडों का निर्यात

†१८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल में सोवियत संघ को १०० नस्ली सांड़ों का निर्यात किया है ;

(ख) क्या सोवियत संघ में भारतीय सांड़ों की बहुत अधिक मांग है ;

(ग) यदि हां, तो उसका अनुमान क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उनकी मांग पूरी करने का विचार कर रही है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** (क) से (घ). सोवियत रूस से हाल में मुर्रा नस्ल के ७० बैल-सांड़ों और २० भैंसा-सांड़ों और सूरती नस्ल के २ भैंसा-सांडों के निर्यात की मांग आई है । निर्यात की अर्ध-वार्षिक निर्यात कोटे में अनुमति दे दी गई है और निर्यात लाइसेंस भी दिया जा चुका है । परन्तु रूसी प्रतिनिधियों ने अभी तक उन पशुओं को भेजा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Meals for the young.

[२]Nutrition.

जबलपुर में प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र

+

†१८८. श्री हेम बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में एक प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा किस प्रकार का है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) योजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली दुग्ध योजना

+

†१८९. श्री प्र० गं० देव :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दिल्ली में मक्खन, घी और आइसक्रीम बनने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के निम्नलिखित स्थानों में स्थित पूरे दिन खुलने वाले दूध के स्टालों में मक्खन, घी और आइसक्रीम बेचे जाते हैं ;

१. सेंट्रल डेरी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली ।

२. पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली ।

३. कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली ।

४. योजना भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

मक्खन और घी नई दिल्ली के एक प्राधिकृत वितरक द्वारा भी बेचा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के मूल्य में कमी

†१६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी का मूल्य १९६१ में और कम किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) सरकार द्वारा वितरण यंत्र के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) इस समय चीनी के नियंत्रित कारखाना मूल्य में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकारों से वितरण पर नियंत्रण को यथासंभव ढीला कर देने के लिए कहा जा चुका है । अनेक राज्यों में खदरा वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया गया है और थोक व्यापारियों को खुदरा व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट समय के अन्दर न उठाए गए स्टाक को यदि कोई हो, खुले तौर से बेचने की अनुमति दे दी गई है । परन्तु चीनी की समस्त स्थिति पर, वितरण के पहलू को सम्मिलित करके, विचार किया जा रहा है ।

व्यास परियोजना प्रतिवेदन

†१६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा व्यास परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में क्या अग्रेतर प्रगति की गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने यूनिट संख्या १ (व्यास-सतलज सम्पर्क) का परियोजना प्रतिवेदन और यूनिट संख्या २ (व्यास बांध) का पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन अभी तक पेश नहीं किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

सेवा सहकारी समितियां

†१९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेवा सहकारी समितियां बनाने के बारे में क्या प्रगति की गयी है;

(ख) जिन राज्यों ने यह आन्दोलन अभी बिल्कुल आरम्भ नहीं किया है उनकी संख्या और नाम क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस आन्दोलन को और तीव्र बनाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सहकारी वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक सेवा सहकारी समितियों की प्रगति बतायी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ख) जी, कोई नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) योजना कार्यक्रम के अधीन प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिये सेवा सहकारी समितियों के नये ढंग से संगठन करने और प्राथमिक ऋण समितियों का सेवा सहकारी समितियों में पुनर्गठन करने के लिये वार्षिक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं।

(२) नयी सेवा सहकारी समितियों और पुनर्गठन के लिये ली गयी समितियों को प्रबन्ध अनुदान के रूप में (जो ३ से ५ वर्षों की अवधि में अधिकतम ९०० रुपये होगा) प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(३) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये है।

पुरानी और नई दिल्ली को मिलाने के लिये नई सड़क

†१९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी और नई दिल्ली को मिलाने वाली मथुरा रोड के स्थान पर एक वैकल्पिक सड़क बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हार्डिंग पुल को दुगुना करने और वर्तमान पुल के नीचे सड़क के समानान्तर एक सड़क बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी इस योजना की संभाव्यता और ब्यौरे का हिसाब नहीं लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय पंचायत परिषद्

१९४. { श्री खुशवक्त राय :
{ श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की तीसरी वार्षिक बैठक जयपुर में हुई थी;

(ख) बैठक ने अपने संकल्प में किन-किन विषयों की सिफारिश की थी;

(ग) क्या उपरोक्त सिफारिशों पर विचार हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों के स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां ।

(ख) परिषद् ने निम्न के सम्बन्ध में आठ प्रस्ताव पास किये :—

१. पंचायती राज से दलगत राजनीति दूर करना;

२. सर्वसम्मत चुनावों को प्रोत्साहित करना;

३. पंचायत परिषद् के संविधान में परिवर्तन सुझाने के लिए समिति की नियुक्ति;

४. पंचायत समितियों और जिला परिषदों में विधान सभाओं और संसद् के सदस्य केवल सम्बद्ध सदस्यों के रूप में जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं;

५. तमाम भू-राजस्व पंचायतों के सुपुर्द करना और पचायतों द्वारा अपने आय के साधन विकसित करना;

६. पंचायती राज की समस्याओं के अध्ययन और पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान की स्कीम तैयार करने के लिए समिति की नियुक्ति;

७. प्रत्येक गांव में एक सहकारी एवं एकीकृत समिति की स्थापना;

८. परिषद् के अध्यक्ष महोदय को संविधान संशोधित किये जाने तक परिषद् जनरल कौंसिल के लिए सदस्य नियुक्त करने का अधिकार देना ।

(ग) व (घ). पंचायती राज से सम्बन्धित प्रस्ताव (१), (२), (४) व (५) कुछ समय से मंत्रालय और राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परिषद् के ८ से १० नवम्बर, १९६० तक बंगलौर में हुए सम्मेलन और १३ से १५ जुलाई, १९६१ तक हैदराबाद में हुए सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन की कार्यवाहियों में इस विषय पर विचार-मतैक्य प्रकट किया गया है ।

पंजाब में पंचायत राज का सर्वेक्षण

१९५. श्री खुशवक्त राय : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जनमत संस्था ने सरकार की ओर से पंजाब में पंचायत राज का सर्वेक्षण करना आरम्भ किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय के अनुरोध पर जनमत संस्था ने हाल ही में पंजाब में हुए पंचायतों के चुनावों से उत्पन्न प्रवृत्तियों के अध्ययन करने की दृष्टि से तथा पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक समर्थन का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण किया था।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं।

पूर्व रेलवे पर यात्री यातायात तथा दुर्घटनायें

१९६. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में पूर्व रेलवे पर कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) वर्ष १९६०-६१ में इन यात्रियों की संख्या कितनी थी;

(ग) १९५२-५३ से १९६०-६१ तक कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं; और

(घ) १९५२-५३ और १९६०-६१ के बीच इन दुर्घटनाओं में अलग-अलग कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण मेज पर रखी है जिसमें सूचना दी गयी है।

विवरण

हर वर्ष ३१ मार्च को तैयार आंकड़ों के अनुसार १९५२-५३ से १९६०-६१ तक की अवधि में पूर्व रेलवे पर बुक किये गये यात्रियों, रेल दुर्घटनाओं (जिनमें टक्कर, गाड़ी के पटरी से उतरने, गाड़ी में आग, गाड़ी गिरने, गाड़ी गिराने के प्रयास और समपार पर सड़क यातायात से टक्कर लगने की दुर्घटनायें शामिल हैं) और इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरने वालों (यात्रियों, रेल-कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों) की संख्या नीचे दी हुई है।

नीचे दिये हुये आंकड़ों से निष्कर्ष निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि रेलों के पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप १४ अप्रैल, १९५२ को भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के सियालदह, हावड़ा, आसनसोल, दानापुर डिवीजन और धनवाद परिवहन डिवीजन और पहले की समूची बंगाल-नागपुर रेलवे को मिलाकर एक रेलवे (पूर्व रेलवे) बना दी गयी थी। १ अगस्त, १९५५ को इस संयुक्त रेल-प्रणाली के दो टुकड़ कर दिये गये और भूतपूर्व बंगाल-नागपुर रेलवे के हिस्से को अलग इकाई बनाकर दक्षिण-पूर्व रेलवे बनाया गया। बाकी भाग को अब पूर्व रेलवे कहते हैं। अतः १९५५-५६ और

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे अगले वर्षों के आंकड़ों की तुलना १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ के आंकड़ों से नहीं की जा सकती।

वर्ष	बुक किये गये यात्रियों की संख्या (दस लाख में)	रेल दुर्घटनाओं की संख्या	इन दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या
१९५२-५३ .	२०३.५	३७१	११
१९५३-५४ .	२१६.५	३२५	११
१९५४-५५ .	२३३.५	३५०	३
१९५५-५६ .	१७१.५	१५४	२
१९५६-५७ .	१८२.८	१६१	२
१९५७-५८ .	१८६.६	२०५	१८
१९५८-५९ .	१९०.०	१८३	८
१९५९-६० .	२३०.२	१५२	२
१९६०-६१* . . .	२७० ०	१९६	११

*१९६०-६१ के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः उपरोक्त आंकड़ों को अन्तिम समझना चाहिये।

इटावा स्टेशन

१९७. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इटावा स्टेशन पर दो द्वार हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक द्वार सदैव बन्द रहता है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले यात्रियों में झगड़े हो जाते हैं ; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन को जनता की इस मांग का ज्ञान है कि यात्रियों के लिये दोनों द्वार खुले रहने चाहें—एक बाहर जाने वालों के लिये और दूसरा अन्दर आने वालों के लिये ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। एक रास्ता यात्रियों के आने-जाने के लिये है और दूसरा रास्ता केवल स्टेशन प्लेटफार्म से सामान और पार्सल लाने-ले जाने के लिये इस्तेमाल होता है।

(ग) जनता की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं आयी है।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था का बंगलौर से रांची को स्थानान्तरण

†१९८. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** २७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था को बंगलौर से रांची स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). इस मामले पर अभी भारत सरकार और मैसूर सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है और अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

टिड्डयों का आक्रमण

†१९९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो अथवा तीन महीनों में भारत में बड़े पैमाने पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उससे देश के कौन से भाग प्रभावित हुये ;

(ग) कितनी क्षति हुई ;

(घ) इन आक्रमणों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) उसका क्या परिणाम निकला ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) २१ जून, १९६१ से पश्चिम से भारत में २६ टिड्डी दलों ने प्रवेश किया ;

(ख) इस समय राजस्थान राज्य, गुजरात का कच्छ जिला और पंजाब का फीरोजपुर जिला प्रभावित हुये हैं ।

(ग) अभी किसी क्षति के बारे में नहीं बताया गया है ।

(घ) और (ङ). भारत में टिड्डियों का आक्रमण टिड्डी प्रजनन और अरेबिक पेनिनसुला में मूल प्रजनन क्षेत्रों में और अन्य स्थानों पर जहां ये पैदा होती हैं और दल बनाती हैं, अकार्यकारी अथवा अपर्याप्त टिड्डी नियंत्रण का परिणाम है । भारत में टिड्डी दलों को आने से रोकने का कोई तरीका नहीं है परन्तु भारत सरकार वर्ष १९५५ से प्रत्येक वर्ष अरेबियन पेनिनसुला में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित टिड्डी विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिये एक टिड्डी विरोधी मिशन रवाना भेजती रही है । इन आंदोलनों का उद्देश्य अरेबिया में टिड्डियों को नष्ट करना और उस क्षेत्र से पूर्व की ओर टिड्डियों के उड़ने के अवसर न्यूनतम करना है ।

औषधियों के डिब्बों पर नुस्खा छापना

†२००. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औषधियों के डिब्बों पर आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के नुस्खे छापने के लिये उठाये गये या उठाये जाने वाले पगों का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : सरकार अभी आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों पर औषधि अधिनियम के अधीन नियंत्रण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

सड़क परिवहन निगम

†२०१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने अभी तक सड़क परिवहन निगम स्थापित नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अभी केवल असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम स्थापित करने को सहमत नहीं हुए हैं । ये निगम स्थापित न करने के बारे में उन्होंने जो प्रमुख कारण बताये हैं, वे निम्न प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रीय सड़क परिवहन सेवायें चलाने के लिये उनकी वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है ।

(२) सड़क परिवहन निगम स्थापित करने पर निगम को अपनी आय में से कुछ भाग आय-कर के रूप में केन्द्रीय सरकार को देना पड़ेगा और इस प्रकार उनके राजस्व में कमी होगी ।

इस मामले पर उपरोक्त राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और उन पर इस बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति मानने के लिये दबाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

हल्दिया खड़गपुर रेल सम्पर्क

†२०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया—खडगपुर रेल-सम्पर्क के लिये प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में फालतू गेहूं

†२०३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से इसके फालतू गेहूं के निबटारे के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के पास गेहूं के फालतू भंडार को, जो अच्छी हालत में है, लेने को तैयार हो गयी है ।

गेहूं के मूल्य और भण्डार

†२०४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गेहूं के मूल्य और भण्डार के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) वर्ष १९६०-६१ में अन्य देशों से गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

†खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जुलाई, १९६१ के पिछले सप्ताह में गेहूं के थोक मूल्य का अखिल भारतीय देशनांक (आधार १९५२-५३ =१००) ८९ था जब कि पिछले वर्ष इसी सप्ताह यह ९३ था ।

व्यापारियों और उत्पादकों के पास गेहूं के भंडार के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु २३ जलाई, १९६१ को सरकार के पास निम्न भंडार था :—

केन्द्रीय सरकार	१४.९६ लाख मीटरिक टन
राज्य सरकारें	२.७५ लाख मीटरिक टन
कुल	१७.७१ लाख मीटरिक टन

(ख) वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में विदेशों से लगभग ४३.९१ लाख मीटरिक टन गेहूं आया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल के मूल्य और भण्डार

†२०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल के मूल्य और भंडार के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वर्ष १९६०–६१ में अन्य देशों से चावल का आयात किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जुलाई, १९६१ के पिछले सप्ताह में चावल के थोक मूल्य का अखिल भारतीय देशनांक (आधार १९५२–५३ =१००) १०८ था जब कि यह पिछले वर्ष इसी सप्ताह में ११५ था । इससे पता चलता है कि देश में चावल के संभरण की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अच्छी है ।

व्यापारियों और उत्पादकों के पास चावल के भंडार के बारे में कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु २३ जुलाई, १९६१ को सरकार के पास भण्डार की स्थिति निम्न प्रकार थी :

केन्द्रीय सरकार . .	८.८० लाख मीटरिक टन
राज्य सरकारें . .	३.४१ लाख मीटरिक टन
कुल	१२.२१ लाख मीटरिक टन

(ख) और (ग). वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में विदेशों से लगभ ६.६४ लाख मीटरिक टन चावल आया ।

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में 'सुपर मार्केट'

†२०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाट सर्कस, नई दिल्ली में एक सुपर मार्केट बनाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि इस योजना को 'क्रय-विक्रय केन्द्र का निर्माण' नाम दिया गया है और इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । इसके तृतीय योजना-काल में क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"सतलज व्यास सम्पर्क योजना" के अधीन मोहिन्द्रगढ़ जिले के लिये पानी

†२०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में मोहिन्द्रगढ़ जिले को "सतलज-व्यास सम्पर्क योजना" के अधीन सिंचाई के लिये पानी मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन इस जिले की कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) "सतलज-व्यास सम्पर्क योजना" के अधीन मोहिन्द्रगढ़ जिले को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली का विस्तार

†२०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली के विस्तार में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : विलिंगडन अस्पताल के विस्तार के लिये अभी तक निम्नलिखित कार्य मंजूर किये गये हैं :—

(१) नये नर्सिंग होम का निर्माण ।

(२) नये नर्सिंग होम की चहारदीवारी बनाना ।

(३) नार्थ वार्ड विंग (पहली मंजिल) और वेस्ट वार्ड विंग (पहली मंजिल) का वातानुकूलन ।

(४) इर्विन रोड पर ओ० पी० डी० का निर्माण ।

(५) लारेंस स्क्वेयर में वार्डों का निर्माण ।

(६) पेइंग वार्डों का निर्माण ।

(७) पेइंग वार्डों में संवर्द्धन और परिवर्तन ।

(८) एक डीजल इंजन जेनेरेटिंग सेट का लगाया जाना ।

क्रम संख्या १ और २ में उल्लिखित कार्य पूरे किये जा चुके हैं । क्रम संख्या ३, ६, ७ और ८ में लिखित कार्य किये जा रहे हैं । क्रम संख्या ४ और ५ में लिखित कार्य स्थान की कमी के कारण रोक दिये गये हैं और इनको इन बस्तियों में रिहायशी क्वार्टरों के खाली होने और गिराने के बाद आरम्भ किया जायेगा । इस मामले में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी विकास बोर्ड

†२०९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी विकास बोर्ड द्वारा राज्यों को दी गयी बड़ी धनराशि का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निधि के शीघ्र उपयोग के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) जी, नहीं। बोर्ड द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार बिना खर्च की गयी स्वीकृत निधि या तो नकद वापस ले ली जाती है या अगले वर्षों के हिसाब में लगा ली जाती है और इस प्रकार स्वीकृत धनराशि का कोई भाग राज्य सरकारों के पास बिना खर्च किया नहीं पड़ा रहता।

वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६० में खर्च की प्रतिशतता क्रमशः ७२, ९३, ९८ और ९५ थी। क्योंकि वर्ष १९५६–५७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था ये प्राक्कलन सभी मामलों में बिल्कुल ठीक नहीं थे। तथापि बाद के वर्षों में स्थिति सुधर गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वर्ष १९६०–६१ में गोदामों का निर्माण

†२१०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६०–६१ में गोदामों के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि को पूरी तौर पर खर्च नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) वर्ष १९६०–६१ में गोदामों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गयी धनराशि के बारे में जानकारी सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा किसी सहकारी समिति को निधि मंजूर करने और समिति द्वारा गोदाम बनाये जाने पर लगभग ९ से १२ महीने तक लग जाते हैं। क्योंकि वर्ष १९६०–६१ में निधि की अन्तिम किश्त मार्च, १९६१ में मंजूर की गयी थी, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि निधि पूरी खर्च की गयी या नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता पत्तन पर पाइलट आफिसर

†२११. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने कितने पाइलट आफिसर्ज नियुक्त किये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को रिहायशी क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) क्या अफसरों के लिये अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हुगली चालक सेवा में पदाधिकारियों की कुल संख्या ६३ है जिनमें ४ प्रशासनिक पदाधिकारी और १४ लीड्समेन (प्रशिक्षणाधीन चालक) हैं ।

(ख) चार प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत १४ पदाधिकारियों को क्वार्टर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी १४ लीड्समेन अप्रेन्टिसों को चैमरी आवास दिया गया है ।

(ग) जी, हां । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों समेत अपने कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की तृतीय पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं के लिये प्राक्कलनों में १.५० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

रंगपुर में सड़क पुल

†२१२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगपुर में कृष्णा नदी पर सड़क पुल पूरा होने वाला है ;

(ख) इस कार्य के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार को कितना धन दिया ; और

(ग) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक ।

(ख) ३६,२९,००० रुपये अर्थात् कार्य की पूरी लागत ।

(ग) जून, १९६१ के अन्त तक १५,७५,४०० रुपये ।

कांडला–अहमदाबाद लाइन

†२१३. **श्री खीमजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि सरकार कांडला और अहमदाबाद के बीच एक बड़ी लाइन बनाने के अपने फैसले से हट गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह खबर ठीक है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में चेचक

†२१४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'चेचक' का प्रकोप अभी भी फैल रहा है ;

(ख) वर्ष १९६१ में अब तक चेचक के कितने मामले हुये हैं ;

(ग) इनमें से कितने रोगियों की मृत्यु हुई ; और

(घ) इस अवधि में चेचक से मरने वाले व्यक्तियों का आयु-वर्ग क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) देश के विभिन्न भागों से चेचक के मामलों का पता लगा है ।

(ख) और (ग). १७ जून, १९६१ तक विभिन्न राज्यों में चेचक के रोगियों और चेचक से मृतकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	रोगी	मृत्यु
आंध्र प्रदेश	१,६७३	४६५
असम	२४३	४२
बिहार	१३८	४३
दिल्ली	८५८	२०२
गुजरात	३,३३६	१,२९०
जम्मू तथा काश्मीर	जानकारी उपलब्ध नहीं है ।	
हिमाचल प्रदेश	४३	७
केरल	३२९	८२
महाराष्ट्र	७,७८७	२,०५८
मध्य प्रदेश	२,१७०	३३०
मद्रास	३,९२२	१,०२३
मैसूर	१,७७८	५४९
मनीपुर	१८	९
उड़ीसा	२२४	११
पांडिचेरी	३५६	१९२
पंजाब	७८७	१७०
राजस्थान	३,१९५	७७८
त्रिपुरा	११	४
उत्तर प्रदेश	४,१५९	१,३७३
पश्चिम बंगाल	३६०	१३८
कुल	३१,३८७	८,७६६

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष के आरम्भिक महीनों में नागपुर शहर और दिल्ली में किये गये दो विशेष अध्ययनों से पता चला कि चेचक से मरने वाले व्यक्ति निम्न आयु-वर्ग के थे :—

आयु वर्ग	नागपुर शहर		दिल्ली	
	मृत्यु	प्रतिशतता	मृत्यु	प्रतिशतता
१ वर्ष तक . .	३०७	२८.००	२७	१८.००
१ से ४ वर्ष तक	६२५	५७.१०	३२	२१.३३
५ से १४ वर्ष तक	१२७	११.६०	२९	१९.३३
१५ से ४४ वर्ष तक	१९	१.८०	६०	४०.००
४५ और अधिक .	४	०.४०	२	१.३३
जिनके बारे में बताया नहीं गया .	१२	१.१०	—	—

तीसरी योजना में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता

†२१५. **श्री कोडियान**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के अन्दर समुद्र द्वारा भूमि कटाव की समस्या का मुकाबला करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की योजना बनाली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) केरल सरकार को तीसरी योजना में इस कार्य के लिये कितनी सहायता देने का विचार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी कोई फैसला अन्तिम रूप से नहीं किया गया ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कालीकट में मैडिकल कालिज

†२१६. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में मैडिकल कालिज की स्थापना के लिये केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से अब तक कैसी और कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) कालिज की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस संबंध में और कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्रीकरमरकर)** : (क) १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६० में कालीकट में मैडिकल कालिज की स्थापना के लिये केरल सरकार को १०.०७ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता वर्ग-वार आधार पर दी गई थी। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में केरल सरकार को 'चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण' वर्ग के लिये, जिसके अन्दर कालीकट में मैडिकल कालिज की स्थापना की योजना शामिल है, निम्न राशियां दी गई थीं :

	लाख रुपये
१९५८–५९ .	२२.४५
१९५९–६० .	१०.८९
१९६०–६१ .	३५.६४
कुल	६८.९८

राज्य सरकार इस वर्ग के अन्दर किसी भी योजना पर सहायता का उपयोग कर सकते हैं।

(ख) कालिज के सब विभागों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्दर काम आरम्भ कर दिया था, यद्यपि कालिज से संलग्न एक पृथक हस्पताल का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। आवश्यक क्वार्टरों का निर्माण हो चुका है या हो रहा है। जिला मुख्यालय हस्पताल, कालीकट इस समय अन्तरिम उपाय के तौर पर मैडिकल कालिज के लिये हस्पताल के तौर पर काम कर रहा है। छात्रों की संख्या १०० से बढ़ा कर १५० कर दी गई है।

(ग) राज्य सरकार की संशोधित तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५० लाख रुपये का उपबन्ध कालीकट के मैडिकल कालिज की पूर्णता के लिये शामिल किया गया है। दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा का अभी फैसला नहीं किया गया है।

तीसरी योजना में केरल के लिये नई सिंचाई परियोजना

†२१७. **श्री कुन्हन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी योजना अवधि में केरल में नई सिंचाई परियोजनायें आरम्भ करने के लिये कोई योजनायें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे नई परियोजनायें क्या हैं ; और

(ग) क्या कांजिरापुजहा और वालापथनम योजनाओं को भी शामिल किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). केरल सरकार ने निम्न नई बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के बारे में परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पेश कर दिये हैं :—

१. काल्लाडा
२. पाम्बा
३. कांजिरापुजहा
४. वाल्लापट्टिनम्
५. पालामुजहिपुजहा ।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में बारापाले जल-विद्युत् परियोजना

†२१८. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की बारापाले जल विद्युत् परियोजना तीसरी योजना में शामिल की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य की तीसरी योजना में इस महत्वपूर्ण परियोजना को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) केरल राज्य की बारापाले नदी की योजना मुख्य बारापाले जल-विद्युत् परियोजना की पनचक्की जलधारा का विकास करना होगी जिसे अगले वर्ष मैसूर राज्य के कुर्ग जिले में आरम्भ किया जायेगा । अभी तक योजना की जांच नहीं हुई है और इस पर तभी विचार किया जा सकता है जब मैसूर की मुख्य योजना आरम्भ कर ली जाये ।

दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

†२१९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुक्कूस :
श्री मणियांगडन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना बनाने की क्या प्रगति हुई है ;

(ख) दूसरी योजना अवधि में कितनी राशि खर्च की गई है और तीसरी योजना में इसके लिये कितना उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दूसरे शिपयार्ड के लिये १०० एकड़ भूमि की कुल आवश्यकता में से, केरल सरकार ने ३६ एकड़ सरकारी भूमि मुफ्त देना स्वीकार कर लिया है। ६४ एकड़ गैर सरकारी भूमि में से लगभग २० एकड़ अधिग्रहण की जा चुकी है और शेष भूमि का शीघ्रतापूर्वक अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना के लिये प्रविधिक/वित्तीय सहयोग प्राप्त करने और प्रविधिक सलाहकारों की नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) २०.५२ लाख रुपये की राशि दूसरी योजना अवधि में खर्च की गई थी । परियोजना, जिस पर २०.५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, तीसरी योजना में शामिल औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं की सूची में शामिल करली गई है । औद्योगिक परियोजनाओं के विशिष्ट उपबन्ध तीसरी योजना में दिखाये नहीं जाते । व्यक्तिगत योजनाओं के लिये निधियों के नियतन की वास्तविक मात्रा के प्रश्न पर संसाधनों विदेशी पूंजी आदि की उपलब्धि तथा उनकी प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाओं के द्वारा विचार किया जायेगा ।

(ग) ६० लाख रुपये का उपबन्ध चालू वित्तीय वर्ष में व्यय के लिये किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली से शहादरा का किराया

२२०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन से शहादरा तक ७ किलोमीटर की दूरी से अधिक का किराया लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितना अधिक किराया लिया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

दिल्ली के गांवों में दलबन्दी

२२१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने गांवों में दलबन्दी हो चुकी है ; और

(ख) इसके फलस्वरूप क्या क्या लाभ हुये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १३२ गांव।

(ख) ऊंची भूमि से बहने वाले वर्षा के पानी द्वारा २४९७ एकड़ भूमि बहा ली जाने से बचा ली गई है। इसके अतिरिक्त ऊपर की उपजाऊ तह का संरक्षण और वर्षा का पानी अन्न की उपज को बढ़ाने में सहायता करता है।

दिल्ली में फसलें

२२२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में दिल्ली के किन-किन विकास खंडों में फसलों को चूहों से बचाने का आंदोलन चलाया गया ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चूहा उन्मूलन आंदोलन देहली के पांचों विकास खडों, महरौली, नजफगढ़, अलीपुर, कंझावला और शहादरा में चलाया गया था, जिसके अन्तर्गत ४१३७६ एकड़ भूमि आई थी। गांव स्तर पर यह आंदोलन ग्राम पचायतों द्वारा आयोजित किया गया था। चूहों को मारने के लिये जींकफोसफाइड का प्रयोग किया गया था जो कि इस कार्य के लिये एक बहुत ही प्रभावशाली विष है और यह ५० प्रतिशत राजसहायता पर सप्लाई किया गया था। इस आंदोलन को चलाने से पूर्व विस्तृत प्रचार किया गया था जो काफी सफल सिद्ध हुआ।

दिल्ली के किसान

२२३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किसानों को १९६०–६१ में कितने का उन्नत किस्म का बीज दिया गया ;

(ख) यह बीज कितना था ;

(ग) क्या यह समय पर बांट दिया गया था ; और

(घ) वितरण का क्या तरीका अपनाया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) व (ख). लगभग १,६५,०२६ रुपयों के मूल्य के ६,५०० मन के लगभग सुधरे बीज वितरित किए गए थे।

(ग) जी हां ।

(घ) बीज सहकारी समितियों और ब्लाक एजेंसियों के माध्यम से वितरित किए गये थे ।

'डिलीवरी जोन' १५ के डाकघर में टेलीफोन

२२४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ रोड पर दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के डिलीवरी जोन संख्या १५ में स्थित डाकघर में टेलीफोन नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । कीर्त्तिनगर स्थित जोन नं० १५ के डाकघर में हाल ही में एक टेलीफोन लगा दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पशुओं की चिकित्सा

२२५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्डवार कितने पशुओं का इलाज १९६०–६१ में किया गया; और

(ख) इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)

खंड का नाम	इलाज किए गए पशुओं की संख्या
महरोली . . .	१६४०४
अलीपुर . . .	२०१८३
कंझावला . . .	१६३६५
नजफगढ़	१७६०३
शहादरा	२३११८
योग	९३९७३

(ख) रुपये ३,६३,१३६

दिल्ली में मुर्गी पालन केन्द्र

२२६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९६०–६१ तक कितने मुर्गी पालन केन्द्र खोले गये; और

(ख) प्रत्येक विकास खण्ड को कितनी मुर्गियां पालने को दी गईं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दो राजकीय केन्द्र ।

(ख) (१) नजफगढ़ खंड ३,५३०
(२) अलीपुर खंड ७,५८०

प्रशिक्षण शिविर

२२७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में दिल्ली में कितने ग्राम नेता प्रशिक्षण शिविर लगाये गये ;

(ख) उन में कितने ग्राम नेता प्रशिक्षित किये गये ; और

(ग) किस किस्म का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ३८ ।

(ख) १४४५

(ग) प्रशिक्षण कृषि, मुर्गी-पालन, उद्यानक्रम, लघु-उद्योग, पशु-पालन, पंचायत और सहकारी विषयों में दिया गया था । भाषण विशेषज्ञों द्वारा दिए गए थे । हरी खाद, दुग्ध-व्यवसाय व पशु-पालन, भूमि पुनरवारण, राष्ट्रीय बचत, समाज-शिक्षा और टिड्डी नियंत्रण पर व्यावहारिक निदर्शन किए गये ।

दिल्ली में विकास कार्य

२२८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण जनता ने श्रम और नकदी के रूप में कितने विकास कार्यों में योग दिया; और

(ख) इस का विवरण क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १,०२७

(ख)

कार्य की किस्म	कार्यों की संख्या	लोगों का योगदान (मूल्य रुपयों में)
सामुदायिक केन्द्र	१८०	३,९७,५६०
बीज गोदाम	१७	३८,०२५
पटरियां	१७९	३,१८,६०३
पीने के जल के कुयें	२०८	१,०२,९८६
पशुओं की नांद	१	२३०
हैंड पम्प	६१	६,८४०
तालाब	४३	४३,३४४
उपागमन सड़क	८	८,६०४
पाठशाला-भवन	१००	२,२६,५९५
मूत्रालय	७	३५५
स्नानागार	१८	२,४३९
नालियां	५	२,३१५
पुलियां	७७	२८,०८१
स्वास्थ्य केन्द्र	१	१,७९०
समाज कल्याण केन्द्र	७	१५,५१५
रोगी पशुओं के लिए छोटा तालाब	२०	१,०१९
शौचालय	२	१६३
वृक्ष रक्षक वाड़	१	५७९
स्ट्रीट लाइट	२	१९९
पवन चक्की	१	१,०७०

†मूल अंग्रेजी में

कार्य की किस्म	कार्यों की संख्या	लोगों का योगदान (मूल्य रुपयों में)
बाल-उद्यान . . .	३	२,०१२
पुस्तकालय . . .	१	६,२६५
बाढ़ निरोध दीवार . .	२	२,१८५
संक्रामिक रोगों से मरने वाले पशुओं का शव-घर . . .	२	२,१२५
मछली पालने का तालाब . .	८१	८२,५७६
	१०२७	१२,६४,५०५

दिल्ली की सर्कल पंचायतें

२२६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहली की सर्कल पंचायतों का कार्य सीमित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ;

(ग) क्या इन से विकास खण्डों के किसी कार्य में सहयोग नहीं लिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो अब सर्कल पंचायतों का काम क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विकास कार्य में सर्कल पंचायतों से सहयोग नहीं लिया जा रहा है ।

(घ) सर्कल पंचायतों को केवल न्यायिक कार्य सौंपा गया है ।

ईंटों के भट्टे

२३०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहकारी आधार पर ईंटों के भट्टे चलाने को प्रोत्साहन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सहकारिता विभाग ने क्या योगदान किया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन सहकारी आधार पर ईंटों के भट्टे चलाने को प्रोत्साहन देने के लिये कोई विशेष स्कीम नहीं है। फिर भी इस कार्य के लिये उपयुक्त पाई गई वर्तमान सहकारी समितियों को सहायता दी जा रही है।

(ख) दिल्ली प्रशासन का सहकारी विभाग ऐसी सहकारी समितियों की चिमनियों आदि के लिये इस्पात का कोटा और ईंटों को पकाने के लिये कोयला उपलब्ध करने में सहायता करता रहा है। दिल्ली राज्य सहकारी संघ से भी कुछ ईंटों के भट्टे चलाने के लिये अनुरोध किया गया है।

रासायनिक उर्वरक

२३१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रासायनिक उर्वरक के मूल्य घटाने एवं इसे बिक्री कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख) सरकार रासायनिक उर्वरकों के भावों को कम करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। अन्तिम निश्चय करने में ठीक कितना समय लगेगा, यह बताना कठिन है।

उर्वरकों को सेलसटैक्स से मुक्त करना राज्य सरकारों का विषय है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत करना नहीं चाहती है।

इन्दौर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†**२३२. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्वार्टर बनाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) और (ख) १६ क्वार्टर बनाये गये हैं। अधिक क्वार्टर बनाने के प्लान बनाये जा रहे हैं।

दुर्गम क्षेत्र समिति

२३३. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गम क्षेत्र समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उक्त समिति से सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों में से प्रत्येक ने उस की सिफारिशों पर अब तक कौन-से विशेष कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) प्रश्न नं० ९७ के उत्तर में दी गई जानकारी से अधिक कुछ नहीं है ।

(ख) क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के एक अंश के रूप में दुर्गम क्षेत्रों की हालातों को सुधारने के लिये विविध योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा, यह अभी कहना बहुत जल्दी है कि राज्य सरकारों/केन्द्रीय संघ राज्यों ने हर एक सिफारिश के सम्बन्ध में क्या खास कार्यवाही की है ।

उत्तर प्रदेश में सड़कें

२३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सैंतीस सड़कों के निर्माण के लिये कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को विशेष अनुदान देना स्वीकृत किया गया था, उन में से अपूर्ण सड़कों के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक इस प्रयोजन के लिये कितनी सहायता दी जा चुकी है ;

(ग) क्या उन में से किसी सड़क को और आगे बढ़ाने के लिये अनुदान अथवा ऋण देने के कोई प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन का विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचित मार्च, १९६१ तक का खर्च	प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचित ३०-६-६१ तक निर्मित सड़कों की लम्बाई	टिप्पणी
१	२	३	४	५
		रुपये	मील-फर्लांग	
१	घारचुला गरबयांग तक खच्चरों की सड़क का निर्माण (१६ मील)	४,२०,४५०	६-२	—
२	मोहन-दौमैल-बैजराव मार्ग का निर्माण (बैल गाड़ी के लिये बिना रोड़ी की सड़क—३० मील)	१२,००,००८	२९-६	पूरी हो गयी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

१	२	३	४	५
३	जोशीमठ से नीति गांव तक खच्चरों की सड़क (४४$^{1}/_{2}$ मील)			
	(१) सड़क का सुधार .	३,७०,६६५	४५–६	–
	(२) कमज़ोर पुलों का फिर से बनाना ।	१,८५,७०२	९७ प्रतिशत	–
४	नीति गांव से नीति दर्रे तक पैदल रास्ते का निर्माण (१९ मील)	२,०५,०३८	१९—०	पूरी हो गयी । (इस में पुल व पुलियां भी तैयार हो गयीं)
५	बद्रीनाथ से मना दर्रे (१९ मील) तक खच्चरों की सड़क का निर्माण ।	३,२०,८८३	२५—०	
६	घरसू बरकोट मार्ग का निर्माण (मोटरों के लिये बिना रोड़ी की सड़क (३२ मील)	१४,३२,५३५	३२—०	
७	खच्चरों की सड़क को भटवारी से नैलंग तक फिर से बनाना और उसे आगे बढ़ाना (४२ मील)	१,०५,३२६	५—४	
८	तुलसीपुर नेपाल सीमा सड़क का निर्माण (१४ मील)	५,६३,३४८	१३—०	
९	स्याना कचेसर मार्ग को रोड़ी डाल कर पक्का बनाना और पुलों व पुलियों का निर्माण (९ मील)	२,७९,२८०	८—२	पूरा हो चुका है
१०	सूरजनगर से ठाकुरद्वारा तक की सड़क को रोड़ी डाल कर पक्का बनाना (१० मील)	४,२०,४७६	९—४	

१	२	३	४	५
११	नरैनी कलिंजर मार्ग को रोड़ी डाल कर पक्का बनाना और पुलों व पुलियों का निर्माण (१६ मील)	७,५८,२९७	१५—१	
१२	बकसी तालाब अष्टी सीमा सड़क को रोड़ी डाल कर पक्का करना और उस पर पुलों व पुलियों का निर्माण (४½ मील)	१,२४,५१९	४—६½	पूरी हो चकी है।
१३	(क) कांदीपुर–दोस्तपुर मार्ग (१०।२ मील)	२,३३,३३४	९—४	
	(ख) कुरेभर-मझवारा मार्ग (६ मील) पर रोड़ी बिछाना	५६,४७०	४—४	
१४	फूलपुर–मुबारकपुर मार्ग पर रोड़ी डालना और पुलों व पुलियों का निर्माण (८ मील)	२,७८,१२२	८—४	
१५	रसरा-नगरा-तुरतीबारी मार्ग पर रोड़ी बिछाना व पुलों का निर्माण	१५,७४१	१—३	आगे काम रुका है।
१६	मुसकरा-मौधा मार्ग पर रोड़ी बिछाना व पुलों का निर्माण (१६ मील)	४,३९,६५६	१५—४	
१७	सिकन्दरा-अकबरपुर - बाड़ा मार्ग का निर्माण (२५ मील)	१६,०२,०९८	१९—०	
१८	कपकोटे से तेजम तक मोटरों के योग्य सड़क का निर्माण (३३ मील)	१५,३२,५१५	२९—०	

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में सड़कों की कुछ अन्य योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये हैं। सड़कों की इन आयोजनाओं और उनके व्योरे की सूचना देना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

क्षेत्रीय फल अनुसन्धान केन्द्र

२३५. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि,** मंत्री २७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय फल अनुसन्धान केन्द्र ने, जिसके बारे में निश्चय किया गया था, अपना कार्य सहारनपुर में आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां अनुसन्धान के लिये क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है या करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) राज्य सरकार ने प्रादेशिक फल अनुसन्धान केन्द्र को सहारनपुर में स्थापित करना मान लिया है, लेकिन कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण इसको अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है, जिन्हें वे दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं। आशा है कि केन्द्र जल्दी कार्य करना आरम्भ कर देगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

जल-विद्युत् परियोजना संस्था की स्थापना

†२३६. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य ने एक जल-विद्युत परियोजना संस्था, जिसमें अनुसंधान प्रयोगशालायें हों और परीक्षण करने, समन्वय तथा प्रयोग क्रिया विश्लेषणों के संगठन तथा नमूने की संस्था की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फलों को डिब्बों में बन्द करने की फैक्टरी

†२३७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि कांगडा जिला में फलों के डिब्बों में बन्द करने की फैक्टरी लगाने का लाइसेंस दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसी फैक्टरी लगाने का इरादा है और उस पार्टी का क्या नाम है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुड़ के दाम

†२३८. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ के दाम पिछले छः महीनों में उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गिर गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गुड़ के दामों को और गिरने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में गुड़ के दाम जनवरी से अप्रैल १९६१ तक गिरते रहे हैं, परन्तु उसके बाद ये बढ़ गये हैं। महाराष्ट्र में दिसम्बर १९६० से लेकर लगातार दाम गिर रहे हैं किन्तु राज्य सरकार इस समय हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझती ।

वन्य पशुओं का संरक्षण

†२३९. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में देश में वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस सिलसिले में इस अवधि में केन्द्र ने क्या क्या किया है ;

(ग) वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये तीसरी योजना में सरकार ने और क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ; और

(घ) इस काम के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) देश में वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की हैं, वे ११ फरवरी १९५९ को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर में बताई गई है ?

(ख) दूसरी योजना अवधि के पहले दो वर्षों में, ८,४६,६४० रुपये तक अनुदानों का उपबंध केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वन्य पशुओं के संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय करने के लिये किया था । १९५८–५९ से लेकर, संशोधित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार, एक मुश्त अनुदानों का उपबन्ध राज्यों के लिये वन्य पशु संरक्षण समेत वन योजनाओं और भूमि संरक्षण के लिये किया है। इन अनुदानों में से राज्यों ने वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये कितने धन का प्रयोग किया है, यह मालूम नहीं है ।

(ग) और (घ). भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कार्रवाइयों के चालू रखने पर राज्यों द्वारा व्यय करने के लिये तीसरी योजना में शामिल करने के लिये १७६.२२ लाख रुपये के उपबन्ध करने का विचार है ।

सरकारी डाक्टरों के वेतन क्रम

†२४०. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी डाक्टरों के लिये दूसरे वेतन आयोग ने जिन वेतन क्रमों की सिफारिश की थी वे दिल्ली में नहीं दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्यान्नों के दाम

†२४२. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से खाद्यान्नों के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ; और

(ख) विभिन्न मुख्य केन्द्रों में सरकार के पास कितना स्टाक जमा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जनवरी से जुलाई १९६१ तक तथा १९६० की इसी अवधि के लिये खाद्यान्नों के थोक दामों का मासिक देशनांक दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) इस प्रकार की सूचना का ऐसा ब्योरा बताना लोकहित में नहीं है ।

राबर्टगंज–गढ़वा रोड लाइन

२४३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर राबर्टगंज और गढ़वा रोड स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के निर्माण पर प्रति हजार घन फुट मिट्टी का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है ;

(ख) क्या मिट्टी के सम्भरण के लिये टेंडर मांगे गये थे ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि पड़ोस के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में शारदा सागर बांध, घौरा जलाशय बांध, नानक सागर बांध और तुमरिया बांध के लिये दिये जाने वाले लीड और लिफ्ट की प्रति घन फुट दरें क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन दरों और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित दरों में क्या अन्तर है ?

रेल उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) बयान नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २८]** ।

(ख) जी हां, बिना अपवाद सभी अवसरों पर ।

(ग) और (घ). हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इन प्रायोजनाओं में वस्तुतः किन दरों पर भुगतान हुआ क्योंकि इनमें से कोई प्रायोजना रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं है ।

गाड़ियों में छुरेबाजी की घटनायें

†२४४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों में बारंबार छुरेबाजी की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बिना टिकट यात्री ऐसी घटनायें करते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). गाड़ियों में बिना टिकट यात्रियों द्वारा छुरेबाजी की घटनायें बहुत कम होती हैं और अकेले वे लोग ही ऐसी घटनायें नहीं करते। तब यदि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उपचारात्मक उपाय, जो संलग्न परिशिष्ट में दिये गये हैं, किये जाते हैं।

मानसिक रोग

†२४५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत में मानसिक रोग के रोगियों की संख्या काफी बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का क्या कारण है ; और

(ग) रोग की वृद्धि को रोकने के लिये तथा इसके इलाज के लिये सुविधायें प्रदान करने के हेतु क्या कार्यवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). क्योंकि मानसिक रोगों की विद्यमानता का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, यह कहना संभव नहीं है कि आया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी।

(ग) यह राज्यों का प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व है कि वे अपने राज्यों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करें।

उड़ीसा बाढ़ जांच समिति का प्रतिवेदन

†२४६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा बाढ़ जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) इस प्रतिवेदन की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(घ) तीसरी योजना में किन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता।

अग्रिम सहकारी फार्म[1]

†२४७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिला में आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित अग्रिम सहकारी फार्म अब तक आरम्भ किये जा चुके हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pilot Cooperative Farms.

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर आरम्भ किये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) पुरी जिला में अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत पांच सहकारी खेती संस्थायें आरम्भ करने के लिये प्रस्ताव बनाये गये हैं । पंजीयन के बाद वे कार्यारम्भ करेंगे ।

(ख) चुने गये स्थान हैं—जटना खंड में अंगारपारा, भुवनेश्वर खंड में भागवत, बोलगढ़ खंड में सानपाछार, रायपुर खंड में गिरधरपुर और चिल्हा शैडो खंड में राहानवल्ली ।

बालि मेला परियोजना

†२४८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालि मेला परियोजना स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन आया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) क्या आंध्र में गुंटे वेडा में बांध की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में आंध्र और उड़ीसा की सरकारों में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (ङ) गुंटे वाडा बांध की ऊंचाई और बांध की स्थापना के बारे में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों के बीच मतभेद हो गया । दोनों सरकारों ने अपने अपने प्रस्ताव के पक्ष में केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिये । उसके पश्चात् इस मामले पर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में पुनर्विचार किया गया है । अब आशा है कि पारस्परिक बातचीत के द्वारा मतभेद दूर हो जायेगा ।

रेल गाड़ियों का लाइन से उतरना

†२४९. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, १९६१ में पश्चिम तथा मध्य रेलवे पर कितनी रेलगाड़ियां लाइन से उतरी और कितनी रेलगाड़ी सेवायें अव्यवस्थित हुईं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनकी संख्या १९६० के इस काल की अपेक्षा अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) कुल कितनी जानें गईं और कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :

(क)	मध्य रेलवे	पश्चिम रेलवे
लाइन से उतरना	३८	२७
रेलगाड़ी सेवाओं का अव्यवस्थित होना	१२	१३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). नहीं। पश्चिम रेलवे पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। मध्य रेलवे पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या थोड़ी बढ़ी जिसे अचानक उतार चढ़ाव कहा जा सकता है।

(घ)

	मध्य रेलवे	पश्चिम रेलवे
मरे	१	१
घायल	१५	७

सी० टी० ओ० कलकत्ता

†२५०. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दासगुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० टी० ओ० कलकत्ता के तार अनुभाग की प्रोत्साहन योजना समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या तार पहुंचाने पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) नहीं। प्रोत्साहन योजना केवल थोड़े से सर्किटों के बजाये सारे सर्किटों पर लागू की गई थी और अभिनवीकृत कर दी गई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हां। आरम्भ में तार भेजने पर प्रभाव पड़ा। समायोजन की प्रारम्भिक अवधि बाद स्थिति सामान्य हो गई है।

मैसूर राज्य में नलकूप योजना

†२५१. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२ में मैसूर राज्य में नलकूप योजना का कोई आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित आवंटनों की धनराशियां कितनी कितनी हैं ; और

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत रायचूर जिले में, विशेषकर तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत फिर से बसाये गये गांवों में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार छोटे सिंचाई कार्यों के लिये समूचे रूप में आवंटन करती है और नलकूपों तथा अन्य योजनाओं के लिये उप-

†मूल अंग्रेजी में

आवंटन करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। मैसूर सरकार ने १९६०–६१ और १९६१–६२ में भूजल के संभाव्य संसाधन का वैज्ञानिक निर्धारण न होने से नल कूपों के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया क्योंकि भूस्तर उत्साहवर्द्धक नहीं है। आजकल वैज्ञानिक निर्धारण के प्रारम्भिक कार्य के रूप में भूतत्वीय प्रावेक्षण कार्य हो रहा है।

खाद्यान्नों का आयात

†२५२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष, किस प्रकार का तथा कितनी मात्रा में कितनी लागत से खाद्यान्नों का आयात किया गया ;

(ख) इसी अवधि में कितनी लागत से कितना आयात करने का अनुमान था ; और

(ग) किन-किन देशों से यह आयात किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :—

विदेशों से आयात किये गये विभिन्न खाद्यान्नों की मात्रा

वर्ष	गेहूं ('००० टन)	चावल ('००० टन)	मोटा अनाज ('००० टन)	लेखों में बताई गई कुल लागत (करोड़ रुपयों में)
१९५६–५७	१७४२.६	९८५.९	—	९९.६८
१९५७–५८	३०७०.५	४७२.७	—	१५०.५७
१९५८–५९	३३००.९	२८९.४	१२०.१	१३५.८०
१९५९–६०	३३५७.१	४९५.१	२७.५	१२७.९०
१९६०–६१	३९७४.९	६५८.४	५२.४	१८४.२७

(ख) कुल अवधि में ७०० करोड़ रुपये का १७० लाख टन।

(ग) अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात किया गया था। बर्मा, चीन, संयुक्त अरब गणराज्य, अमरीका तथा वीएटनाम से चावल आयात किया गया था।

अमरीका से मोटा अनाज आयात किया गया था। है

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के ठेकेदार

†२५३. **श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न भारतीय रेलों पर जलपान गृहों, चाय की दूकानों, फल की दूकानों आदि के लिए, प्रत्येक रेलवे पर दस वर्ष से अधिक की अवधि वाली कौन कौन सी संस्थायें हैं तथा इनके ठेके कितनी अवधि से हैं तथा यह किन किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) उपरिलिखित ठेकेदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई थी ;

(ग) ठेकों का पुनर्नवीकरण किस प्रकार किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन विभिन्न दुकानों को अलग अलग करके विभिन्न ठेकेदारों को दे देने का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (घ). संसद् की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उत्तम अधीकरण के हित में यह निर्णय किया गया है कि रेलवे पर भोजन-व्यवस्था का ठेका लेने वाले ठेकेदारों की चलती फिरती दूकानों समेत कुल दूकानें चार होनी चाहिये । रेलों ने इन आदेशों को पूरी तरह से लागू कर दिया है ।

संतोषजनक काम होने पर भोजन-व्यवस्था के ठेकों की सामान्यत : अवधि, जो ३ से ५ वर्ष तक की होती है, के बाद पुनर्नवीकरण कर दिया जाता है ।

त्रिपुरा में बिना डाक्टरों की डिस्पेंसरियां

†२५४. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितनी डिस्पेंसरियां बिना डाक्टरों के हैं ;

(ख) त्रिपुरा में पिछले तीन वर्षों में कितने डाक्टरों ने त्याग पत्र दिया था ; और

(ग) डिस्पेंसरियों के लिये डाक्टरों की व्यवस्था करने के लिये तथा उनको त्यागपत्र देने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) इस समय वहां पर नौ डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं ।

(ख) पन्द्रह ।

(ग) पदों को विज्ञापित कर दिया गया है ।

सिविल असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड १ का वेतन क्रम रुपये ३२५—२५—५००—३०—५९०—ई०बी० —३०—८०० कर दिया गया है जिस से त्रिपुरा में डाक्टर आ सकें । डाक्टरों को निवास स्थान देने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनय नगर, दिल्ली, में बरसाती पानी के नालों की सफाई

†२५५. **श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई-दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के नगरों में सफाई विभाग बरसाती पानी के नालों की समय समय पर सफाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो मेन विनय नगर तथा अन्य निकटस्थ नगरों में वर्षा के पानी की पिछली बार कब सफाई की गयी थी ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि मेहतर प्रतिदिन इन नालियों में गन्दगी भर देते हैं और पास ही रखे गये 'डस्टबिनों' में उस गन्दगी को नहीं डालते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) मेन विनय नगर (सरोजनी नगर) में सफाई का काम १२-१-१९६१ को आरम्भ किया गया था । तब से इस नगर की सभी नालियां नियमित रूप से प्रत्येक महीने साफ की जा रही हैं । निकटस्थ नगरों में सफाई का काम नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने १२ जून से ३१ जलाई, १९६१ के बीच में किया था ।

(ग) और (घ) नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने बताया है कि सभी मेहतर गन्दगी को बाल्टियों अथवा हांथ से चलाई जाने वाली गाड़ियों में इकट्ठा करके नजदीक के 'डस्ट बिन' में डालें । इन 'डस्ट बिनों' में से गन्दगी ले जाने वाली गाड़ियां दिन में एक बार गन्दगी को ले जायेगी और नष्ट करने वाले स्थान पर डाल देंगी । जब भी कभी मेहतरों को गन्दगी नालियों में डालते पकड़ा जाता है तो एक बार उनको समझाया जाता है, दुबारा में चेतावनी दी जाती है तथा उसके बाद अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर रेलवे पर धोखा

†२५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२, जून, १९६१ को कानपुर में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कोयले के चार वैगन पकड़े गये जो राख से ढके थे और कानपुर से बाहर ले जाये जा रहे थे ;

(ख) क्या ये बैगन रेलवे साइडिंग पर पकड़े गये थे ;

(ग) क्या कोयले की समूची मात्रा को राख बताया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख), जी, नहीं । रेलवे सुरक्षा बल ने ११-६-६१ को कानपुर इंजन-शेड के भीतर ४ राख के ट्रक पकड़े जिन में स्टीम कोल भरा था और वह जले हुये कोयले से ढका था । ये ट्रक कानपुर से बाहर नहीं जा रहे थे ।

(ग) जी नहीं, समूची मात्रा को जला हुआ कोयला बताया गया था और राख नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ).जी, हां। इस मामले की जांच की गई है और इंजन शेड के दो कर्मचारियों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया है। उनमें से एक को मुअत्तिल किया जा चुका है और दूसरे के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

पालोदा में सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†२५७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलोदा (केरल स्थित सुपारी अनुसंधान केन्द्र में रिक्त तीन प्रविधिक पद भर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों की क्या अर्हतायें हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) रिसर्च असिस्टेंट के दो पद भरे गये हैं और एक खाली है।

(ख) नियुक्त किये गये दो व्यक्तियों की अर्हताये निम्न प्रकार हैं :—

(१) बी० एस० सी० (कृषि)। १०–१०–१९५९ से ३१–३–१९६१ तक केन्द्रीय सुपारी अनुसंधान केन्द्र, विहल में जूनियर रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया।

(२) बी० एस० सी० (बोटेनी)। टेपियोका अनुसंधान संस्था, त्रिवेंद्रम् में लगभग ६ वर्ष तक असिस्टेंट के रूप में और ५–२–१९६० से ३१–३–१९६१ तक प्रादेशिक सुपारी अनुसंधान केन्द्र पीची (केरल) में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया।

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहतों को क्षतिपूर्ति

†२५८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च १९६१ के रेलवे दुर्घटना सबम्न्धी अतारांकित प्रश्न संख्या १५६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हताहतों को क्षतिपूर्ति देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और :

(ख) क्षतिपूर्ति के प्रत्येक दावे का फैसला करने में कितना समय लगता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अब तक प्राप्त ५१ दावों में से ३० मामलों पर विचार किया गया, अन्तिम रूप दिया गया और जहां उचित समझा गया क्षतिपूर्ति दी गयी। बाकी २१ मामले विचाराधीन हैं।

भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ८२-क के अधीन क्षतिपूर्ति के दावों पर दावा आयुक्त विचार करते हैं। घातक मामलों के बारे में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन दावों का राज्य सरकारों द्वारा नियक्त श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिये स्थानीय आयुक्तों द्वारा भुगतान किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारियों पर रेलवे प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। रेलवे द्वारा जो दावे निपटाये जाते हैं, उनके बारे में भी शीघ्रता की जा रही है।

(ख) ऐसे मामलों को निपटाने में जो समय लगता है वह मामले के गुणावगुण पर निर्भर करता है और वह प्रत्येक मामले में भिन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर और महाराष्ट्र में आयुर्वेद और सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता

†२५९. {श्री अगाड़ी :
श्री बोडयार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ से लेकर १९६०–६१ तक, प्रति वर्ष, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में आयुर्वेद कालिजों और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को कितनी सहायता और अनुदान दिये गये ;

(ख) संस्थाओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक को सहायता / अनुदान के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में राज्य सरकार ने पता लगया कि उपरोक्त अवधि में कुछ बोगस संस्थायें यह सहायता प्राप्त कर रही थीं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). दो विवरण सभापटल पर रखे जातें हैं जिनमें मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में आयुर्वेदिक कालिजों और अन्य संस्थाओं के नाम और उनको वर्ष १९५५-५६ से लेकर १९६०–६१ तक, प्रति वर्ष दी गयी अनुदान की धनराशि के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]** जहां तक वर्ष १९५८–५९ से राज्य सरकारी संस्थाओं को सहायता का सम्बन्ध है, यह योजनाओं के एक दल के लिये एक मुश्त दी जाती है और राज्य सरकारें प्रत्येक दल में योजनाओं पर व्यय नियमित करने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

(ग) जी, नहीं । संस्थाओं को अनुदान राज्य सरकारों की सिफारिश पर दिये जाते हैं ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हुबली में कर्णाटक मेडिकल कालिज

†२६०. **श्री सुगन्धि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मैसूर राज्य में धारवाड जिले में हुबली और कर्णाटक के मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिये कुल कितनी सहायता/अनुदान दिया गया ;

(ख) यह संस्था किस तिथि को आरम्भ हुई ;

(ग) इस संस्था को भारतीय चिकित्सा परिषद् ने किस तिथि को मान्यता प्रदान की ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने में विलम्ब और शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण विद्यार्थियों ने जून, १९६१ में हड़ताल कर दी थी ;

(ङ) मान्यता प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(च) क्या मेडिकल स्कूल चलाने के लिये मैसूर राज्य का कोई प्रस्ताव है ; और

(छ) यदि हां तो मैसूर सरकार द्वारा इन संस्थाओं को चलाये जाने के बारे में संघ सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद् की क्या राय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). हुबली में कर्णाटक मेडिकल कालिज, जून १९५७ में आरिम्भ किया गया था, अतः कालिज की स्थापना के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कालिज के लिये वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में मैसूर सरकार को ५,८३,८९२ रुपये की धनराशि दी गयी। उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त, वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में राज्य सरकार को 'चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण' शीर्ष के अन्तर्गत, जिसमें कर्णाटक मेडिकल कालिज, हुबली की स्थापना भी शामिल है, कुल ५०,७२,००० रुपये का एक मुश्त अनुदान मंजूर किया गया। राज्य सरकार इस शीर्ष के अन्तर्गत जिस योजना पर चाहे सहायता खर्च कर सकती है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ के अधीन, भारत में कोई भी विश्व-विद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था, जो वह मेडिकल अर्हता प्रदान करती है जो प्रथम अनुसूची में शामिल नहीं है, केन्द्रीय सरकार से उस अर्हता को मान्यता प्रदान करने का आवेदन कर सकती है और केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद प्रथम अनुसूची में संशोधन कर उस अर्हता को उस में शामिल कर सकती है। कर्णाटक मेडिकल कालिज, हुबली कर्णाटक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली एम० बी० बी० एस० की डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त है।

(घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) जी हां।

(छ) भारतीय चिकित्सा परिषद् ऐसे मेडिकल स्कूल आरम्भ करने के पक्ष में नहीं है। केन्द्रीय सरकार मेडिकल असिस्टेंटों के प्रशिक्षण के लिये अल्प-कालीन पाठ्य-क्रम आरम्भ करने के पक्ष में है।

विश्वभारती में नलकूप

†२६१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैगोर शताब्दी के अवसर पर विश्वभारती में एक नल-कूप के छिद्रण का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है ;

(ग) क्या यह शान्तिनिकेतन, श्रीनिकेतन और अन्य विभागों समेत सारी विश्वभारती को पानी का संभरण करेगा ; और

(घ) क्या यह पूरा हो गया है और उस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). शान्तिनिकेतन में अन्वेषणात्मक नलकूप संस्था द्वारा अपने सामान्य कार्य में एक नल-कूप का छिद्रण किया गया। बाद में इसको टैगोर शताब्दी समारोह के अवसर पर उपहार के तौर पर विश्वभारती को सौंपने का फैसला किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यह नहीं समझते कि यह नलकूप समूचे विश्वविद्यालय क्षेत्र को पानी का संभरण कर सकेगा।

(घ) जी, हां। नल-कूप के निर्माण पर ५५,५०० रुपये खर्च हुए हैं।

नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

†२६२. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (१) मरीजों के साथ कठोर बर्ताव और (२) उपचार में असावधानता के लिये लक्ष्मीबाई नगर और सरोजिनी नगर के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पेंसरियों में डाक्टरों के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें डिसपेन्सरी-वार मामले में की गयी कार्यवाही बताई गयी हो ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३०२७/६१**]

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के विकास खंड

२६३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पांचों विकास खंडों में टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह काम पूर्ण होने की आशा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) देहली के पांच खंडों, अलीपुर, कंझावला, नजफगढ़, महरौली और शाहदरा में से महरौली और शाहदरा के खंड विकास अधिकारियों के कार्यालयों में टेलीफोन पहले ही लगाए जा चुके हैं। कुछ तकनीकी कठिनाइयों तथा डाक व तार प्राधिकारी वर्ग के टेलीफोन लगाने सम्बन्धी वायदों की अधिकता के कारण, शेष तीन खंडों में टेलीफोन लगाने के कार्य में विलम्ब हो गया है। फिर भी इन तीन खंडों में भी जल्दी ही टेलीफोन लगवा देने सम्बन्धी मामले का तेजी से पीछा किया जा रहा है।

डाक तथा तार विभाग में रिक्त पदों का विज्ञापन

†२६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के पंजाब सर्किल में रिक्त पदों को पंजाब राज्य के समाचारपत्रों की प्रादेशिक भाषा में विज्ञापित किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विज्ञापनों की क्या संख्या है और उस राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में रिक्त पदों के विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुल ७५ विज्ञापन जारी किये गये थे । ६८ विज्ञापनों पर २९३४·३० रुपये व्यय किये गये बाकी सात विज्ञापनों के बिल अभी नहीं आये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में छोटी सिंचाई योजनायें

†२६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी सभी छोटी सिंचाई परियोजनाओं अथवा योजनाओं को अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ख) क्या इन योजनाओं में से किसी पर निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिये वर्ष १९६१–६२ में पंजाब को कोई आवंटन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन आवंटित किया गया है और किस योजना के लिये?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) राज्य सरकार ने यह बताया है कि कुछ परियोजनायें अभी स्वीकार की जानी हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्ष १९६१–६२ में आरम्भ की जाने वाली योजनायें और प्रत्येक के लिये आवंटित धनराशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

१. गैर-सरकारी नल-कूप बनाने के लिये तकावी ऋण	२४.३६
२. रिसने वाले कुओं की खुदाई/मरम्मत के लिये तकावी ऋण	२०.००
३. पम्पिंग सेट लगाने के लिये तकावी ऋण	२०.००
४. पहाड़ी क्षेत्रों में कूओं की मरम्मत/निर्माण के लिये राज-सहायता	३.३३
५. गुडगांव जिले में बांध का निर्माण	२.३०
६. पैकेज कार्यक्रम के अधीन सिंचाई सुविधायें	१०.००
७. नलकूप योजना (पुरानी) पर बहाव	३०.००
८. पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में पम्पों द्वारा लिफ्ट सिंचाई	१.००
९. निम्नलिखित जिलों में तालाबों और बांधों द्वारा सिंचाई :	
(१) मोहिन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिले	२.८९
(२) कांगड़ा और अम्बाला जिले	०.६८
	११४.४८

†मूल अंग्रेजी में

हरी खाद

†२६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हरी खाद के लिये पंजाब में ग्लाईरीसिडिया की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). सामान्य गुणन फार्म (जी० एम० एफ०) नियमों के अधीन सभी हरी खाद बीजों के गुणन और वितरण के लिये २ रुपये प्रति मन की केन्द्रीय राज-सहायता ग्राह्य है। ग्लाईरीसिडिया के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है। क्योंकि वर्ष १९५८-५९ से लागू पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता दल-वार दी जाती है और योजना-वार नहीं, हरी खाद के लिये दी गयी कुल धनराशि के बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डाक बचत बैंकों में चैक पद्धति

†२६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में कितने डाकघरों में अब चैक से रुपये निकालने की पद्धति लागू की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : पंजाब राज्य में सभी हैड आफिसों और विभागीय सब-आफिसों में जिनकी संख्या क्रमशः १७ और ६२६ है।

दिल्ली और फीरोजपुर के बीच जनता गाड़ी

†२६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजपुर और दिल्ली के बीच एक जनता गाड़ी चलाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : फीरोज पुर और दिल्ली के बीच जनता गाड़ी चलाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

'पुनर्नवा'

†२६९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पुनर्नवा' की प्रभावोत्पादकता का परीक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जैसा अतारांकित प्रश्न संख्या ४०७७ के भाग (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है, 'पुनर्नवा' का नेत्र शक्ति आदि (विजुअल एक्युइटी या रिफ्रेक्टिव एरर) पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरकों और बीजों का वितरण

†२७०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ के दौरान, राज्य-वार, देश में उर्वरकों और अच्छे बीजों के विवरण के लिये कुल कितनी धन राशि आवंटित की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** राज्य सरकारों को उर्वरकों और अच्छे बीजों की खरीद और वितरण में सहायता देने के लिये भारत सरकार अल्प कालीन ऋण मंजूर करती है। अल्प-कालीन ऋण के लिये मांग आने पर उर्वरकों के लिये दिये गये संभरण आदेशों के आधार पर और बीजों की लागत के आधार पर मंजूरी दी जाती है। अल्प-कालीन ऋण के लिये राज्यों से मांग केवल वर्ष के अन्त में प्राप्त होती है। राज्य-वार अल्प-कालीन ऋण का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जाता।

फाजिल्का (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शन

†२७१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १–७–१९६१ को फाजिल्का शहर (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे; और

(ख) कनेक्शनों की मंजूरी शीघ्र देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) २२।

(ख) भूमिगत केबिल बिछाये जाने हैं। सामान मिलने पर और केबिल बिछाये जाने के बाद प्रतिरिक्त कनेक्शन दिये जायेंगे। एक्सचेंज का भी विस्तार किया जायेगा।

पंजाब में व्यास बांध परियोजना

†२७२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में व्यास बान्ध परियोजना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ख) इस बांध के लिये कुल कितनी धन राशि मंजूर की गयी है और उसमें केन्द्र का कितना अंश है ;

(ग) इस परियोजना में खेती योग्य कितने एकड़ भूमि मिलेगी ;

(घ) इसमें लगने वाली खेती वाली भूमि के लिये सरकार द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिये कितनी धन राशि आवंटित की गयी है ;

(ङ) इस से कितने परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है ; और

(च) विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) व्यास बांध के लिये जो जगह चुनी गयी है वह जालन्धर-पठानकोट सेक्शन पर मुकेरियन रेलवे स्टेशन से २४ मील और तलवारा से लगभग ५ मील कांगड़ा जिले में पोंग गांव के समीप है ।

(ख) व्यास बांध और सम्बन्धित कार्यों के लिये कुल लागत का अनुमान ९४ करोड़ रुपये लगाया गया है । यह समूची लागत केन्द्रीय सरकार ब्याज वाले ऋण के रूप में देगी ।

(ग) इस में लगभग ५८,००० एकड़ भूमि लगेगी जिस में से लगभग २८,००० एकड़ खेती वाली है ।

(घ) अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया है । भूमि, मकानों, वनों, सड़कों और रेलवे को क्षतिपूर्ति देने के लिये ५३९ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया हैं ।

(ङ) लगभग ९४०० परिवार ।

(च) विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जायेगा । औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने और सहकारी समितियां बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

भारत-डुबई रेडियो टेलीफोन सम्पर्क

†२७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और डुबई के बीच हाल में रेडियो टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : जी हां, भारत और डुबई के बीच ९ मई, १९६१ को रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया गया था ।

(ख) चूंकि यह सम्पर्क भारत और बहराइन के बीच वर्तमान रेडिओ टेलीफोन सरकिट के विस्तार द्वारा स्थापित किया गया था इस लिये उसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ ।

भारत-अफगानिस्तान रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क

†२७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच रेडियो टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच ९ मई, १९६१ को प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया गया था ।

(ख) इस सम्पर्क की स्थापना वर्तमान उपकरण के उपयुक्त समय सहभागिता के आधार पर उपयोग द्वारा की गयी है इस लिये उसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बॉक्स टाइप के माल डिब्बे

†२७५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने पूर्व रेलवे की कांचरपाड़ा वर्कशाप में बाक्स टाइप के माल डिब्बों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस टाइप के माल डिब्बों की विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) देश में इस टाइप के माल डिब्बों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) यह माल डिब्बा खुला हुआ होता है जिसकी वहन क्षमता ५५ टन है जब कि चार पहियों वाले डिब्बों की २२ टन और पुराने बोगी टाइप के माल डिब्बों की ४४ टन होती है ।

(२) बाक्स टाइप के माल डिब्बे पुराने टाइप के ४ पहियों वाले डिब्बों अथवा बोगी टाइप की तुलना में मार्ग के प्रतिफुट अधिक भार वहन करते हैं ।

(३) बाक्स टाइप डिब्बे सेन्टर बफर कपलर्स[1] और रोलर बियरिंगों[2] से युक्त होते हैं ताकि अधिक भारी रेल गाड़ियां चलाई जा सकें ।

(४) बाक्स टाइप के माल डिब्बों के निर्माण में वैल्डिंग कन्सट्रक्शन काम में लाया गया है ।

(ग) बाक्स टाइप के माल डिब्बों की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग ३०० माल डिब्बे प्रति माह है ।

शरवती जल विद्युत् परियोजना

†२७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरवती जल विद्युत परियोजना के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से दो ऋण प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है ; और

(ग) परियोजना का ब्योरा और उसकी लागत क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर सकारात्मक है ।

(ख) प्रथम प्रक्रम के लिये ८४ लाख डालर और दूसरे प्रक्रम के लिये २१५ लाख डालर ।

(ग) परियोजना के प्रथम प्रक्रम में ३६.६ करोड़ रुपये की लागत से ८९.१ एम० डब्लू० के दो एककों की स्थापना की जानी है जब कि दूसरे प्रक्रम में, जैसाकि विकास ऋण निधि के प्राधिकारियों को बताया गया है, २५.४ करोड़ रुपये की लागत से ८९.१ एम० डब्लू० के ५ एककों की, कुछ ट्रांसमिशन लाइनों आदि सहित, स्थापना की जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Centre Buffer couplers.
[2] Roller bearings.

चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैतियां

†२७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि में चलती हुई रेलगाड़ियों में हुई डकैतियों के समस्त मामलों में जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उपपतियों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार और दंडित किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) स्थिति बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**

पंजाब में आउट एजेंसियां

†२७८. **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६१–६२ में अभी तक कितनी रेलवे आउट एजेंसियां खोली गई हैं ; और

(ख) १९६१–६२ में कितनी नई आउट एजेंसियां खोली जानी हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक ।

(ख) पंजाब में दो और आउट एजेंसियां खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; परन्तु अभी यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन दो स्थानों पर आउट एजेंसियां १९६१–६२ में खुल जायेंगी या नहीं अथवा कभी खोली भी जायेंगी या नहीं। इसके अतिरिक्त संभव है कि इस वर्ष में अन्य स्थानों पर आउट एजेंसियां खोली जायें ।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे

†२७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में १९६०–६१ में और १९६१–६२ में अभी तक कितने व्यक्तियों का एक्सरे किया गया ; और

(ख) ऐसे मामले किस प्रकार के हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) १९६०–६१ १,६०,५३२ व्यक्ति
१९६१–६२ . ५८,५६० व्यक्ति

(ख) इनमें सभी प्रकार के मामले हैं । सामान्यतः वे निम्नलिखित हैं :—

(१) सीने का स्क्रीनिंग और

(२) विशेष एक्सरे परीक्षा जैसा कि नीचे बताया गया है :—

१. बरियम मील (Barium meal)

२. आई० वी० पी० (I.V.P.)

---

†मूल अंग्रेजी में

३. कोलेसिस्टोग्राम (Cholecystogram)

४. ओरल कोलेसिस्टोग्रैफी (Oral Cholecystography)

५. कोलेंगियोग्राम (Cholengiogram)

६. हिस्टेरो-सैलपिंगोग्रैफी (Hysterо-Salpingography)

७. न्यूमनसैफलोग्राम (Pneumoencephalogram)

८. वेंट्रीयूलोग्राम (Ventrieulogram)

९. माइलोग्राम (Myelogram)

१०. ब्रॉन्कोग्राम (Bronchogram)

११. टोमोग्राम (Tomogram)

१२. सिनोग्राम (Sinogram)

१३. ऐंगियो और आरटेरियोग्राम (Angio and arteriogram)

१४. प्लूरोग्राम (Pluerogram)

१५. ऑरटोग्राम (Aortogram)

१६. स्प्लीनो ग्राम Spleenogram)

१७. सिस्टोग्राम और यूरेथ्रोग्राम (Cystogram and Urethrogram)

१८. एंगिओ कार्डिओग्राम (Angiocardiogram)

१९. सिएलोग्राम (Sialogram)

२०. सेरिब्रल एंगिओग्रैफी (Cerebral angiography)

२१. बेरियम एनिया (Barium enema)

२२. बेरियम स्वैलो (Barium Swallow)

२३. विविध ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार

†२८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १ अगस्त, १९६१ को भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन थे ; और

(ख) ऐसे मामले किस प्रकार के हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १४० ।

(ख) (१) आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति का जमा होना ।

(२) घूस स्वीकार करना ।

(३) धोखाधड़ी ।

(४) सरकारी धन का गबन ।

(५) अभिलेखों में हेरफेर करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) रेलवे सामग्री और श्रमिकों का दुरुपयोग ।

(७) पास और पी० टी० ओ० का गलत उपयोग ।

(८) निर्दिष्ट प्रतिमान से नीचे दर्जे की सामग्री स्वीकार करना ।

(९) ठेकेदारों को अधिक सामग्री देना ।

(१०) माप पुस्तकों में हेर फेर करना ।

दुर्घटनायें

†२८१. **श्री दलजीत सिंह :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक ज़ोन-वार (१) पटरी से उतरने (२) टक्करों और (३) गाड़ियों में आग लग जाने से कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ख) जोन-वार मृत तथा घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

रेलवे	टक्करें	पटरी से उतरने के मामले	रेलगाड़ी में आग लग जाना
मध्य	९	११२	४२
पूर्व	१३	४६	२२
उत्तर	७	७५	३६
पूर्वोत्तर	४	८१	१४
पूर्वोत्तर सीमान्त	५	८२	२
दक्षिण	७	११२	१९
दक्षिण-पूर्व	२	७३	३२
पश्चिम	९	६७	४२
योग	५६	६४८	२०९

(ख)

रेलवे	मृत	घायल
मध्य	३	७५
पूर्व	४	९९
उत्तर	—	१२
पूर्वोत्तर	—	९
पूर्वोत्तर सीमान्त	४९	१४४
दक्षिण	—	२२
दक्षिण पूर्व	—	३६
पश्चिम	१	१६
योग	५७	४१३

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या यथासंभव कम करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा निरंतर उपचार कदम उठाये जा रहे हैं। उनका ब्यौरा 'भारतीय सरकारी रेलवे की वर्ष १९५९-६० की दुर्घटनाओं का पुनर्विलोकन' में दिया गया है जिसकी एक प्रति सभा को बजट के कागजात के साथ उपलब्ध की जा चुकी है।

प्रशिक्षित अध्यापक

२८२. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के परिणामस्वरूप बकाया वेतनों के भुगतान के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रशिक्षित अध्यापकों को कब तक बकाया वेतन दिये जाने की संभावना है ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वेतनक्रम बढ़ाये जाने के फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे के जिन अध्यापकों को बकाया वेतन मिलता था, उन सबका भुगतान किया जा चुका है। उत्तर रेलवे के सम्बन्धित अध्यापकों को बकाया वेतन देने की बात लेखा विभाग ने मंजूर कर ली है और उनका भुगतान जल्द किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में सड़कें

†२८३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास के लिए निर्धारित ३२५ करोड़ रुपये में से कितनी राशि उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए, उपलब्ध की जायेगी ; और

(ख) पूर्वोक्त राशि में केन्द्रीय सरकार का कितना अंश होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए कुल लगभग ३३.४७ करोड़ रुपए उपलब्ध किए जाने की संभावना है जैसा कि नीचे बताया गया है :

	रुपए करोड़ों में
(१) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाएं	२.९९
(२) राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाएं	३०.४८
योग	३३.४७

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं के लिए धन भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

जगदलपुर डाकघर

†२८४. **श्री किस्तैया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगदलपुर (बस्तर) में डाकघर की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि डाक विभाग ने जगदलपुर के कर्मचारियों को बढ़ाये जाने के लिए अनेक बार प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जगदलपुर (बस्तर) के लिए विभागीय इमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने उस डाकघर के लिए एक बड़ी इमारत बना कर उसे डाक तथा तार विभाग को भाड़े पर देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

जगदलपुर-दांतवारा टेलीफोन लाइन

†२८५. **श्री किस्तैया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष टेलीग्राफ लाइन के जगदलपुर से दांतवारा और आगे बस्तर जिला (म० प्र०) में भोपाल-पटनम तक विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) और (ख). दांतवारा में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने और उसे जगदलपुर से सम्बद्ध करने का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। नई लाइन का विस्तार बीजापुर तक किया जायेगा। ये कार्य सामग्री उपलब्ध होने पर तुरन्त पूर्ण हो जायेंगे।

भोपाल-पटनम में समान सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं समझा गया।

हिन्दी का प्रयोग

२८६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और संलग्न कार्यालयों में कितने अनुभाग हैं और उनमें से कितने ऐसे अनुभाग हैं जिनमें काफी लोग हिन्दी जानते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने ऐसे अनुभाग हैं जिन्हें हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप प्रस्तुत करने की अनुमति है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) २४ और ८ ।

(ख) १ ।

हिन्दी रिपोर्ट

२८७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कार्यालयों, जिनकी रिपोर्टें, अभी तक केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं, की रिपोर्टों के हिन्दी में प्रकाशन के लिये दिये गये आदेशों का कहां तक पालन किया गया है; और

(ख) किन रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था की जा रही है ?

कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उद्धृत हिदायतों के अनुसरण में, उन कार्यालयों ने, जो केवल अंग्रेजी में ही रिपोर्टें प्रकाशित कर रहे थे, हिन्दी में भी रिपोर्टें प्रकाशित करने की आज्ञाओं के पालन करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाये हैं ।

(ख) वे कार्यालय जिन्होंने अब तक हिन्दी में रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, वन अनुसन्धान शाला और कालिजें, देहरादून और केन्द्रीय चावल अनुसन्धान शाला, कटक हैं । इस मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत से कार्यालय या तो रिपोर्टें जारी नहीं करते हैं या तकनीकी विषय की रिपोर्टें जारी करते हैं जिनमें बहुत अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली होती है ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण

२८८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गयी;

(ख) १९६१–६२ के लिए कितना ऋण नियत किया गया है;

(ग) १९६०–६१ में उपक्रम ने कितनी बसें खरीदीं और उनमें से कितनी इस ऋण की राशि से खरीदीं; और

(घ) १९६१–६२ में कितनी बसें खरीदनी हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) ४० लाख रुपये ।

(ख) ४६ लाख रुपये ।

(ग) १९६०–६१ में दिल्ली परिवहन ने ६० बसें खरीदीं जिन में से ५० बसें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण से खरीदी गयीं ।

(घ) १०५ बसें ।

अस्थायी खण्ड कर्मचारी[1]

†२८९. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के अस्थायी ब्लाक कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक खंड कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों के अनुसार स्थायी बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं; और

(ग) शेष संघ राज्य क्षेत्रों में वैसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी ने अपने खंडों में अनेक अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित कर दिया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र इस मामले में विचार कर रहे हैं और इस लक्ष्य की ओर शीघ्र ही कदम उठाये जाने वाले हैं।

तीसरे दर्जे की महिला यात्री

†२९०. **डा० अचमम्बा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेशनों पर तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिए कोई पृथक प्रतीक्षालय नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं। तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिए अनेक स्टेशनों पर, स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर, प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है।

अन्य स्टेशनों पर, जहां तीसरे दर्जे के महिला यात्री प्रतीक्षालय नहीं हैं, तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों को उच्च श्रेणी का महिला प्रतीक्षालय, यदि कोई हो, उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

†२९१. **डा० अचमम्बा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद, विजयवाड़ा और वाल्टेयर के बीच समस्त रेलगाड़ियां पिछले एक वर्ष से देर से क्यों चला करती हैं; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इन लाइनों पर रेलगाड़ियों के देर से चलने को रोकने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार किये हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) हैदराबाद–विजयवाड़ा–वाल्टेयर सेक्शन की कुछ गाड़ियां मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से समय से नहीं चल रही हैं :

(१) हैदराबाद–विजयवाड़ा–वाल्टेयर सेक्शन इकहरी लाइन वाला स्टेशन है जिसमें यातायात बहुत बढ़ गया है। इस सेक्शन में लम्बे सफर की मेल/एक्सप्रेस और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Temporary Block Staff.

पैसिंजर गाड़ियां चलती हैं और एक गाड़ी के चलने में देर हो जाने से अन्य पर भी प्रभाव पड़ता है ।

(२) सेक्शन की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए किये जाने वाले इंजीनियरिंग कार्यों के कारण बहुत से भागों में काफी दूर तक धीरे धीरे चलना पड़ता है जिसमें बहुत समय लग जाता है ।

(३) दक्षिण पूर्व रेलवे के ईस्ट कोस्ट सेक्शन में अगस्त, १९६० में और मद्रास–विजयवाड़ा सेक्शन में नवम्बर, १९६० में लाइनों का टूट जाना ।

(ख) इस सेक्शन पर गाड़ियों के देर से चलने को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है :–

(१) रेलवे प्रशासन इन गाड़ियों के चलने पर बहुत ध्यान दे रहा है । विजयवाड़ा–वाल्टेयर सेक्शन पर गाड़ियों के चलने की देखभाल करने के लिए एक सेक्शन कन्ट्रोलर की विशेष ड्यूटी लगाई गई है ।

(२) जिन मामलों में गाड़ी का रोका जाना बचाया जा सकता हो उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों से उपयुक्त लिखापढ़ी ।

(३) समय समय पर वक्त की पाबन्दी के लिए अभियान आयोजित करना ।

(४) जो गाड़ियां समय से नहीं चल रही थीं उनमें से कुछ के समय का १५-६-६१ से बदला जाना ।

(५) इन सेक्शनों पर चलने वाली कुछ मेल/एक्सप्रेस तथा पैसिंजर गाड़ियों के समय में १-१०-६१ से लागू होने वाली समय सारिणी में इस प्रकार परिवर्तन करने वाले प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि उन्हें अच्छा रास्ता मिल सके और उनके चलने में सुधार हो सके ।

(६) क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, जिससे क्रासिंग आदि के लिए गाड़ियों के रोकने में स्वभावतः कमी होगी, डोरनाकल और विजयवाड़ा के बीच लाइन को दोहरा करने का प्रस्ताव है । दोहरा बनाने से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

देशी चिकित्सा पद्धतियां

†२९२. **डा० अचमम्बा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्यों में देशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास की विभिन्न योजनाओं का केन्द्र द्वारा समन्वय किया जाता है और उन्हें संघ स्तर पर सम्बन्धित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). जी नहीं, उनका केन्द्र द्वारा समन्वय नहीं किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनाड़ी व्यक्तियों का चिकित्सा व्यवसाइयों के रूप में पंजीयन[1]

†२९३. **डा० अचमम्बा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है (१) कि देशी चिकित्सा पद्धतियों में हजारों अनाड़ी व्यक्तियों का चिकित्सा व्यवसाइयों के रूप में पंजीयन किया जा रहा है (२) कि देशी भेषज तथा औषधियां बाजार में बिक रही हैं और उन्हें इन्जेक्शनों तक के काम में लाया जा रहा है (३) कि ये सब लोगों के जीवन के लिए अत्यन्त हानिकर और घातक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने (१) अनाड़ी व्यक्तियों को डाक्टरी करने से रोकने और उसके लिए दण्ड निर्धारित करने (२) देशी चिकित्सा व्यवसाइयों के पंजीयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतिमान निर्धारित करने और (३) देशी भेषजों के प्रमापीकरण एवं विपणन और उनके घातक उपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त विधान बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). देशी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसाइयों का पंजीयन राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है और हम यह नहीं समझते कि अनाड़ी व्यक्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। परन्तु फिर भी भारत सरकार ने चिकित्सा व्यवसाइयों, जिसमें देशी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसाई भी सम्मिलित हैं, के पंजीयन के लिए एक आदर्श विधेयक समस्त राज्य सरकारों में उपयुक्त संपरिवर्तनों, यदि आवश्यक हो, सहित अंगीकृत किए जाने के लिए, परिचालित किया था। इस मामले में विधान अधिनियमित करना राज्य सरकारों का काम है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी भेषजों को भेषज अधिनियम, १९४० के पर्यालोकन में लाने के प्रश्न पर सरकार पृथकतः विचार कर रही है।

पानी तथा नालियों की योजना

†२९४. { **डा० अचमम्बा** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त अथवा किन्हीं राज्यों ने संघ सरकार द्वारा पानी तथा नालियों की योजनाओं, ग्रामीण तथा नागरिक, के लिए उपबन्धित समस्त धन का उपयोग कर लिया है और यदि नहीं तो उसका कहां तक उपयोग किया है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशियां आवण्टित की गई थीं और उनका संबंधित राज्यों द्वारा कहां तक उपयोग किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार राज्यों को पानी तथा नाली योजनाओं के लिए उपबन्धित समस्त राशि को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगी और उस निधि के पूर्णोपयोग का पर्यवेक्षण करने के लिए उपयुक्त शासकीय यंत्र स्थापित करेगी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) राज्य सरकारों ने संघ सरकार द्वारा नागरिक एवं ग्रामीण जल संभरण एवं जल निस्सारण योजनाओं के लिए भुगतान किए गए ऋणों और अनुदानों की राशियों का पूरी तरह उपयोग किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Regisration of Quacks as Medical Practitioners.

(ख) आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

अहमदाबाद-बड़ौदा लाइन पर बिजली से रेलें चलाना

†२९५. **श्री क० उ० परमार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद–बड़ौदा लाइन पर बिजली से रेलें चलाने का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलों पर जाली टिकट बेचने वालों का गिरोह

†२९६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६१ के महीने में हावड़ा स्टेशन पर खुले आम जनता को जाली तथा बिना काम में लाये हुए प्लेटफार्म टिकट बेचने वाले किसी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी ; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां,

(ख) जी हां ।

(ग) हावड़ा में जी० आर० पी० ने दो स्त्रियों को गिरफ्तार किया था क्योंकि उनके पास समय समाप्त हुए तथा दोबारा तारीख डाले हुए ३२ प्लेटफार्म टिकट थे । जिनको वह बेचने की कोशिश कर रही थीं । आई० पी० सी० की धारा ४२०/५११/४६७ के अधीन हावड़ा जी० आर० पी० ने मामला आरंभ कर दिया है तथा जांच की जा रही है । जून १९६१ में दोबारा तारीख डाले हुए टिकटों को तथा अन्य अनियमित 'लेटफार्म टिकटों को बेचने के बारे में २४ अन्य व्यक्तियों पर अभियोग लगाये थे । रेलवे मजिस्ट्रेट ने इनमें से १३ पर प्रत्येक पर ५ रुपये जुर्माना किया तथा एक को न्यायालय उठने तक के लिए कारावास की सज़ा दी शेष १० अपराधियों की अन्तिम स्थिति का अभी पता नहीं है ।

इस अव्यवस्था का पता स्टेशन अधिकारियों को लगा और उन्होंने जी० आर० पी० से कार्यवाही करने को कहा ।

हेलाकांडी (आसाम) में डाकखाना

†२९७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के हेलाकांडी में २१ जून १९६१ से डाकखाने बन्द पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा इसके क्या कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). जी नहीं। स्थानीय गड़बड़ी के कारण चार डाकखाने अस्थाई रूप में बन्द हो गये थे।

बिहार में कुष्ठ नियन्त्रण योजना

†२९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ नियंत्रण योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार को कुल कितनी धनराशि पेशगी दी गई ; और

(ख) बिहार में अब तक यह राशि किन योजनाओं पर व्यय की गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में कुष्ठ नियंत्रण योजना के लिए बिहार सरकार को ७,७९,१५१ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। १९५८–५९ से वर्ग के आधार पर राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 'रोगों की रोकथाम के लिए जन स्वास्थ्य योजनायें' वर्ग के अधीन बिहार सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई थी। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों में कुष्ठ नियंत्रण योजना भी शामिल है।

१९५८–५९	२·३१२ लाख रुपये
१९५९–६०	९·८१ लाख रुपये
१९६०–६१	२०·४६ लाख रुपये
जोड़ . .	३२·५८२ लाख रुपये

वर्ग की किसी भी योजना पर राज्य सरकार इस सहायता का प्रयोग कर सकती हैं।

(ख) १९६०–६१ के अन्त तक राज्य में चालू १४ कुष्ठ सहायता केन्द्रों की व्यवस्था के लिए धनराशि काम में लाई गई।

बचत बैंक के धन का ग़बन

२९९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माधव मिल्स डाकघर पटना नगर (बिहार) के भूतपूर्व पोस्ट मास्टर के विरुद्ध बचत बैंक के रुपये के ग़बन के लिए एक मामला दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पोस्ट मास्टर द्वारा कितनी राशि का कथित ग़बन किया गया है ;

(ग) यह ग़बन किस कालावधि में किया गया है ;

(घ) क्या इस कालावधि में लेखे की लेखापरीक्षा की गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षकों को इस ग़बन का कभी पता लगा था ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(छ) सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक जिस राशि का पता चला है वह ४९,६८४ रुपये है ।

(ग) ३ सितम्बर, १९५८ से १३ अप्रैल, १९६१ तक ।

(घ) ग़बन की अवधि के दौरान कार्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया था ।

(ङ) उक्त ग़बन निरीक्षण अधिकारियों के ध्यान में नहीं आया था ।

(च) प्रत्येक निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारियों को परीक्षण के तौर पर दस बचत बैंक लेखों की बकाया रकम की जांच करना आवश्यक है । इस जांच के अंतर्गत उन लेखों में से कोई भी ऐसा लेखा नहीं था, जिसमें ग़बन किया गया हो ।

(छ) विभागीय नियमों के अन्तर्गत बचत बैंक में होने वाले ग़बन की रोकथाम के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है । इसमें यह भी शामिल है कि प्रत्येक बार तीन साल के बाद उप डाकपालों का बारी-बारी से स्थानान्तरण किया जाये, ब्याज की रक़म दर्ज करने के लिए पास बुक प्रधान डाकघर को भेजी जाये, किसी उप डाकघर या शाखा डाकघर में रुपया जमा करने पर प्रत्येक बार प्रधान डाकघर से जमाकर्त्ता को पावती भेजी जाये; साथ ही निरीक्षण प्रश्नावली में भी इसकी रोकथाम के लिए प्रावधान दिये रहते हैं । फिर भी, कर्मचारियों की बेईमानी के कारण बचत बैंक में इस प्रकार के ग़बन होते हैं, जो जमाकर्त्ताओं की लापरवाही का भी फ़ायदा उठाते है ।

गण्डक पर रेलवे पुल

†३००. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बगहा (चम्पारन-बिहार) के निकट गंडक नदी का रेलवे पुल बहुत दिन पहले बह गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुल के बह जाने के कारण उस स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुल के पुनर्निर्माण का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी हां । पुल १९२५ में बह गया था तब से इस स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आने जाने का रास्ता नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

हैजा

३०१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जून तथा जुलाई मास में कितने व्यक्तियों की हैजे से मृत्यु हुई;

(ख) किस राज्य में हैजे से सबसे अधिक मृत्यु हुईं ; और

(ग) कितनी मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन एक्सचेंज, माल्दा

†३०२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के माल्दा में डाक विभाग तथा टेलीफोन एक्सचेंज के लिए एक विभागीय हैड पोस्ट आफिस बिल्डिंग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया, इस समय क्या स्थिति है तथा भवन कब तक बन कर पूरा हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार श्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यद्यपि मार्च १९५९ में काम आरम्भ किया गया था परन्तु लागत में वृद्धि की स्वीकृति का पुनरीक्षण न किए जाने के कारण काम रोक दिया गया था । १९६० में काम पुनः आरम्भ किया गया तथा आधा पूरा हो चुका है । मार्च ६२ तक इसके पूरे हो जाने की आशा है ।

रेलों पर माल डिब्बों की कमी

†३०३ **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल के आने जाने में सबसे बड़ी कठिनाई माल-डिब्बों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो माल-डिब्बों की स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं । रेलवे की परिवहन क्षमता में गड़बड़ी होने का माल-डिब्बों की कमी केवल एक कारण है । अपेक्षित मात्रा में इस्पात की अप्राप्यता तथा कलकत्ता के आसपास बिजली की कमी के कारण वैगनों के निर्माण का कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार नहीं चल पाया ।

माल-डिब्बों की प्राप्यता बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

१. इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय से अन्य दिनों के समान ही रविवार को भी कोयले के लदान के प्रश्न पर गातचीत की गई है तथा इस प्रकार से लदान बढ़ रहा है ।

२. बड़े बड़े उद्योगों से कहा गया कि छुट्टियों तथा रविवार को भी लदान अन्य दिनों के समान ही करा करें ।

३. जिन पुराने माल-डिब्बों को सेवा से हटा लिया गया था उनको हल्के भार के लदान के लिए मरम्मत करके पुनः सेवा में लगा दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. माल-डिब्बों की क्षमता में २ टन अधिक तक माल भरने की अनुमति देकर वैगनों द्वारा अधिक माल उठाने के लिये कहा गया है ।

५. माल-डिब्बों के निर्माण कार्य में शीघ्रता की जा रही है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†३०४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के परादीप पत्तन पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना स्वीकार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). परादीप में तट से दूर मछली पकड़ने का केन्द्र बनाने की एक योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है । योजना का उद्देश्य यह है कि मछली पकड़ने के स्थानों का पता लगाया जाये और तट से दूर के क्षेत्रों में मछली पकड़ने की उपयुक्तता की खोज करने का काम किया जाये । क्योंकि योजना आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगी इसलिये चालू वित्तीय वर्ष में योजना पर कोई भी धनराशि व्यय होने की सम्भावना नहीं है ।

परादीप पत्तन

†३०५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के नये मुख्य मंत्री से परादीप पत्तन के अग्रेतर विकास के बारे में कोई बातचीत हुई है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इसके लिये और अधिक धन देना स्वीकार कर लिया है जिससे तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में परादीप एक सभी मौसमों में काम में आने वाला बन्दरगाह बन जाये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । उड़ीसा के नये मुख्य मंत्री ने इसके बारे में परिवहन तथा संचार मंत्रालय से कोई बातचीत नहीं की है।

(ख) जी नहीं । माध्यमिक बन्दरगाह विकास समिति ने सिफारिश की थी कि परादीप को १५४·३ लाख रुपये की अनुमानित लागत से अनेक मौसम का बन्दरगाह बनाया जाये जिस पर ५·५ लाख टन वार्षिक यातायात किया जा सके । समिति द्वारा बताई गई ९९ लाख रुपये की योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ।

उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण

†३०६. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में ग्राम्य जल सम्भरण के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । इस काम के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

कार्यक्रम का नाम	योजना में प्रस्तावित उपबन्ध
	रुपये लाखों में
१. स्वास्थ्य योजना के अधीन राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई .	१५.००
२. पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का कार्यक्रम	३४.३९
३. स्थानीय विकास कार्यों का कार्यक्रम . .	२३.००

ग्राम्य जल सम्भरण समस्या का निर्धारण करने के सर्वेक्षण के बाद १९६२–६६ के उपबन्धों का निर्णय किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ने १,६५,००० रुपये (प्रत्येक १ प्रक्रम के ब्लाक के लिये १ . १५ लाख रुपये तथा प्रत्येक २ प्रक्रम के ब्लाक के लिये ० . ५० लाख रुपये) 'स्वास्थ्य तथा ग्राम्य सफाई' शीर्ष के अधीन व्यवस्था की है । इस व्यवस्था का एक भाग ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं पर व्यय होगा ।

मद्रास में रासाय-चिकित्सीय केन्द्र[1]

†३०७. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के रासाय-चिकित्सीय केन्द्र को बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) सीमित अध्ययन के लिये स्थापित केन्द्र का काम समाप्त हो गया है । बंगलौर में राष्ट्रीय टी० बी० संस्था बन जाने के कारण यह ठीक समझा गया कि टी० बी० के अग्रेतर अनुसन्धान इस संथा में किये जायें । इसीलिये वहां पर आवश्यक सुविधायें बना दी गई हैं ।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३०८. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ जुलाई को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Chemotherapy Centre.

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) भारतीय रेलों पर २० मई १९६१ से अब तक कितनी बार गाड़ियां पटरियों से उतरी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी हां। ६-७-१९६१ को पश्चिम रेलवे के गेटाल्सर-पोर बन्दर विभाग के रानावाव तथा पोरबन्दर स्टेशनों के बीच लगभग ८.१५ बजे ६७८ डाउन मालगाड़ी के १६ वैगन पटरी से उतर गए तथा गिर गए और दो वैगन केवल पटरी से उतरे।

(ग) १६०, भारतीय रेलों पर २० मई से ३० जून १९६१ तक।

पंजाब में चीनी

†३०९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की पंजाब सहकारी चीनी मिल से ४० लाख टन चीनी उठाई नहीं गई है; **और**

(ख) यदि हां, तो आवंटियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं, पंजाब की तीन सहकारी मिलों से बाहर निकाली गई १७,३२६ टन चीनी में से केवल १५७२ टन का निश्चित तिथि को लदान नहीं किया जा सका था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत् संसाधन

†३१०. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विद्युत् संसाधनों के बारे में ६४ योजनाओं की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) कुछ योजनाओं की जांच की जा रही है। अन्य योजनाओं पर शीघ्र ही काम आरम्भ किये जाने की आशा है।

(ख) जांच पूरी हो जाने के बाद ब्यौरे बताये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†३११. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई में मुग़लसराय के निकट २१ माल-डिब्बे पटरी से उतर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ दावों का भुगतान किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां। ४-७-६१ को १५.४५ बजे जब अप क्रैक स्पेशल गुड्स गाड़ी पूर्व रेलवे के गया-मुग़लसराय ग्रान्ड कार्ड डबल लाइन सेक्शन पर कुदरा तथा पुसौली स्टेशनों के बीच चल रही थी, उस समय उसके कोयले से भरे हुए २१ वैगन पटरी से उतर गये।

(ख) जी नहीं।

सिराथू डाकखाने का लूट लिया जाना

†३१२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९६१ में इलाहाबाद के निकट सिराथू में एक डाकखाना लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो घटना के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१७/१८ मई १९६१ की रात में सिराथू डाकखाने से सम्बद्ध सब पोस्ट मास्टर के क्वार्टर के आंगन में डाकू बाहर की दीवार तोड़ कर घुस आये। उसके बाद सब पोस्ट मास्टर, उसकी पत्नी, डाकिये तथा डाकिये के भतीजे, जो अन्दर सो रहे थे, को उन्होंने पीटा और बेहोश कर दिया और दरवाज़े तोड़ कर क्वार्टरों में घुस गये। डकैतों ने सब-पोस्ट मास्टर के व्यक्तिगत सामान को हटाने के बाद, पोस्टमास्टर के क्वार्टर तथा डाकखाने के बीच के दरवाज़े को तोड़ डाला। डाकखाने में घुस कर उन्होंने डाकखाने के रिकार्डों को तहस नहस किया। टेलीफोन तोड़ा। तालाबन्द दराजें खोलीं। एक दराज में से टिकटों की पेशगी के १९ रुपये ४९ नये पैसे ले गये। उन्होंने ३ रुपये ८५ नये पैसे का एक वी० पी० पैकेट खोल लिया और उसको डाकखाने के बाहर फेंक दिया। मामला पुलिस को सौंप दिया गया है तथा पुलिस जांच कर रही है। घायल व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

को तुरंत तेज बहादुर सप्रू अस्पताल (इलाहाबाद) में भरती किया गया और उनकी चिकित्सा कर दी गई। चिकित्सा के बाद घायल व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बताया जाता है कि वह ठीक हैं।

दिल्ली में जल-संभरण

†३१३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की वर्तमान अपर्याप्त जल संभरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली को जमना में अधिक पानी मिलेगा;

(ख) क्या जुलाई १९६१ में उत्तर खण्ड परिषद् की श्रीनगर में हुई बैठक में इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां। १९६४ की ग्रीष्म ऋतु तक पंजाब सरकार दिल्ली को ३२५ क्यूज़ेक पानी देगी। यह निर्णय २५-५-१९६१ को हुई बैठक में किया गया था।

(ख) और (ग). उत्तर खण्ड परिषद् की श्रीनगर की बैठक में इस मामले पर विचार नहीं हुआ था।

रत्नगिरी में सड़क

†३१४. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के रत्नगिरी में बौद्ध-बिहार तक सड़क निर्माण के कुल प्राक्कलन क्या हैं ?

(ख) क्या राज्य सरकार भी इस व्यय में हिस्सा लेगी और यदि हां, तो कितना; और

(ग) निर्माण कार्य की प्रगति क्या है तथा इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). संभवतया माननीय सदस्य बेनीपुर (कटक–सालीपुर–कुप्तानपाल–बालीचंद्रपुर–बेनीपुर रोड) से रत्नगिरी तक बन रही सड़क का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि यही सड़क रत्नगिरी के बौद्ध स्मारकों तक जायेगी। सड़क पर ३,०९,६०० रुपये के व्यय का अनुमान है। इसमें से ५० प्रतिशत अधिकतम १,५४,८०० रुपये भारत सरकार अनुदान के रूप में देगी तथा शेष राज्य सरकार केन्द्रीय सड़क निधि में से हुए आवंटनों में से व्यय करेगी। मिट्टी की सड़क लगभग बन चुकी है। सड़क पर तारकोल बिछाने तथा नालियां बनाने का काम हो रहा है। आशा है कि लगभग एक वर्ष में काम पूरा हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में दूध फैक्टरी

†३१५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मैसूर में एक दूध फैक्टरी आरम्भ करने के लिये मैसूर को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां । मैसूर नगर में दूध योजना स्थापित करने के लिये ।

(ख) योजना में इर्द गिर्द के गांवों से दूध जमा करना, इस को मैसूर नगर में लगाये जाने वाले दूध संयंत्र में तैयार करना तथा बिक्री डिपुओं की श्रंखला के द्वारा इसका वितरण करना अभिप्रेत है । क्रीम, मक्खन, घी आदि भी बनाया जायेगा । पूंजी व्यय का अनुमान ८ लाख रुपये है ।

परिवार नियोजन

†३१६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की बैठक हाल ही में नैनीताल में हुई थी?

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में परिवार नियोजन का कोई कार्यक्रम बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुख में रखने वाली गोलियों की व्यापकता के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक की सिफारिशों की प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल टी–३०२८/६१]** । बोर्ड ने सिफारिश की थी कि डैमोग्राफी, चिकित्सा और शरीर विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रों (जिनमें मुख में रखने वाली गोलियों सम्बन्धी अनुसंधान शामिल है) सम्बन्धी अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिये ।

उड़ीसा में चीनी के दाम

†३१७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी दिये जाने के बावजूद चीनी, उड़ीसा में खुले बाजार १ रुपये ७५ नये पैसे सेर बिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा में चीनी कहीं भी १ रुपये ७५ नये पैसे सेर नहीं बिक रही है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कटक मालगोदाम क्षेत्र

†**३१८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में उड़ीसा में कटक मालगोदाम क्षेत्र रेलवे के लिये शालिमार के पश्चात् दूसरा सब से अधिक आय वाला केन्द्र है;

(ख) क्या रेलवे ने इस क्षेत्र को सुधारने के लिये कुछ किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कटक मालगोदाम की आय दक्षिण पूर्वी रेलवे में दूसरे नम्बर पर नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त (ख) की दृष्टि से सवाल नहीं उठता ।

पंजाब के देहाती और नगरीय क्षेत्रों में डाक व तार की सुविधाएं

†**३१९. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब के देहाती और नगरीय क्षेत्रों में डाक व तार की सुविधाओं के विस्तार का कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) और (ख) . विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

डाक सुविधायें :—तीसरी योजना अवधि में पंजाब के देहाती क्षेत्रों में ८९४ और नगरीय क्षेत्रों में ७८ डाकखानें खोलने का विचार है ।

तार सुविधायें : निम्न स्थानों पर तार घर खोलने का विचार है :

१. गडला
२. धलियारा
३. चौकी मनियार
४. चिचियान
५. डोडा सिवा
६. मोलाग
७. मोटा
८. लहरी सराय
९. वैरोवाल
१०. पंचात
११. चब्बल

---

†मूल अंग्रेजी में

१२. कोचरी कलान
१३. रानिया
१४. नई मण्डी हिसार
१५. मण्डी आदमपुर
१६. भाईसपा
१७. सतुआली
१८. खड़खोडा
१९. राम नगर
२०. बडवाला
२१. पैप्सू भाखड़ा कालोनी पटियाला
२२. डिग मण्डी
२३. बुटाना
२४. सावात
२५. झोझूकलां
२६. लोसार
२७. तलवाड़ा
२८. कोली
२९. तलवंडी सेहड़ा
३०. फरीदाबाद औ० क्षेत्र
३१. कनक मण्डी रोहतक
३२. चण्डी मन्दिर

कुछ और प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यदि वित्तीय दृष्टि से उचित होंगे तो योजना अवधि में मंजूर किये जायेंगे ।

अल्पाहार-गृह चलाने के लिये लाइसेंस

†३२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में अब तक उत्तर रेलवे पर अल्पाहार-गृहों और चाय स्टालों के लाइसेंसों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ३० जून १९६१ तक सात ।

(ख) दो ।

खाद्यान्नों का आयात

†३२१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० जून १९६१ तक की अवधि में कितना खाद्यान विदेश से मंगवाया गया; और

(ख) किन-किन समझौतों के अधीन कितना-कितना अनाज मंगवाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १८७४ हजार मीट्रिक टन के लगभग ।

(ख) निम्न समझौतों के अन्तर्गत इतना खाद्यान्न आयात किया गया :

जिनस	निर्यात करने वाला देश	समझौता
गेहूं	अमरीका	(१) पी एल ४८०, सितम्बर, १९५८
		(२) पी एल ४८०, नवम्बर, १९५९
		(३) पी एल ४८०, मई, १९६०
		(४) मैंगनीज/गेहूं अदला बदली मार्च, १९५९ ।
	कनाडा	कोलम्बो योजना सहायता, १९६०–६१
	आस्ट्रेलिया	१९६० और १९६१ के विभिन्न समझौते
चावल	बर्मा	(१) १९६० संविदा
		(२) १९६१ संविदा
	अमरीका	पी एल ४८०, मई, १९६०
	संयुक्त अरब गणराज्य	फरवरी १९६१ का समझौता
मिलों	अमरीका	पी० एल ४८०, सितम्बर, १९६०

भारत-चैकोस्लोवाकिया के बीच विमान संचालन करार

†३२२. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच नया विमान संचालन करार हुआ है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दिन)**: (क) भारत सरकार और चैकोस्लोवाकिया के समाजवादी गणतन्त्र के बीच एक करार १९ सितम्बर, १९६० को प्राग में हुआ था । उक्त करार, नई दिल्ली में अनुमोदन टिप्पण/अनु समर्थन लेखों के विनिमय के फलस्वरूप, जिनमें प्रत्येक देश द्वारा अपनी विधि सम्बन्धी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदन का उल्लेख था, जून, १९६१ से लागू हुआ ।

(ख) करार की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को पहले ही भेजी जा चुकी हैं ।

मैसूर राज्य में मक्खन; क्रीम आदि बनाने की फैक्टरी

†३२३. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में मक्खन निकले दूध का पाउडर आदि बनाने के लिये एक 'क्रीमरी' आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी कहां लगाई जाएगी और क्या यह सरकारी गर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में होगी ;

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऋण और अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार की सहायता क्या होगी;

(घ) क्या संयंत्र देश में बनाया जा रहा है या विदेश से मंगवाया जा रहा है और संयंत्र की क्षमता तथा लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फैक्टरी कब तक उत्पादन आरम्भ करने वाली है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्रमें मांडया में फक्टरी लगाने का विचार है।

(ग) राज्य योजना के लिये केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(घ) दूध को गर्म करके ठंडा करने, क्रीम को अलग करने का सामान दूध को सुखाने का रोलर, कम्प्रैशन और रैफ्रिजरेशन के लिये कुछ पुर्जों का आयात करना पड़ेगा। मक्खन और घी बनाने के लिये अपेक्षित अन्य सामान, भाप संभरण, शीतागार और गुण प्रकार नियन्त्रण का सामान देश में से ही प्राप्त किया जाएगा। क्रीम री लगभग २०० टन रोलर से सुखाया स्किम दूध और लगभग १०० टन मक्खन और घी प्रति वर्ष तैयार करेगी। आयात किये जाने वाले उपकरण की लागत का अनुमान २.५० लाख रुपये तथा देशी उपकरण की लागत का अनुमान ३ लाख रुपये है।

(ङ) १९६४–६५ में।

सुकिन्दा खनन क्षेत्र के लिये रेलवे लाइन

†३२४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि सुकिन्दा खनन क्षेत्र से परदीप पत्तन तक रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ किया जाए :

(ख) क्या उसने इस परियोजना के लिये रेलवे मन्त्रालय से कुछ वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां तो इस मामले में रेलवे मन्त्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं। सुकिन्दा खनन क्षेत्र को हावड़ा कटक मुख्य लाइन से मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है। सुकिन्दा क्षेत्र में तोमका खानों से झकपुरा तक १७ मील लम्बी यह साईडिंग उड़ीसा सरकार के लिये डिपाजिट काम के तौर पर मंजूर कर दी गई है।

(ख) नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पोषाहार डिवीजन

†३२५. **श्री सरजू पांडेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के कक्ष के तौर पर एक पोषाहार डिवीजन स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प० थामस)** : पोषाहार शाखा का धीरे धीरे गठन किया जा रहा है। कुछ प्रविधिक पद मंजूर किये गये हैं और भर्ती की जा रही है। कुछ विचार बनाये जा रहे हैं किन्तु आशा है कि यह सब कुछ पोषाहार सत्याहार के आने के बाद ही प्रगति करेगा, जिनकी सेवाएं देना खाद्य तथा कृषि संगठन ने स्वीकार कर लिया है।

'पोलीफेज़' मीटर

†३२६. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पोलेफेज़ मीटरों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा लेने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थना कब की गई थी;

(ग) क्या विदेशी पूंजी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) प्रार्थना केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अक्तूबर १९६० में की गई थी ;

(ग) जी हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

केरल में चावल के दाम

†३२७. **श्री मणियांगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि केरल के कुछ भागों में वहां हाल में आई बाढ़ों के पश्चात् चावल के दाम बढ़ गये हैं;

(ख) दामों को गिराने के लिये क्या कार्रवाई की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). केरल के कुछ भागों में बाढ़ों के पश्चात् चावल के भाव बढ़ गये थे। इसका साधारणतः यह कारण था कि परिवहन व्यवस्था में रुकावट पैदा होने से स्थानीय मिलों द्वारा चावल का छिलका उतारने के काम के बन्द किये जाने के कारण चावल कम आता था।

सहायता के तौर पर केरल सरकार ने जुलाई और अगस्त १९६१ में प्रति सप्ताह प्रति कार्ड २ एडगाजाइज से ३ एड गाजाइड तक चावल का राशन बढ़ा दिया है। इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने राज्य को २०,००० टन चावल का अतिरिक्त अभ्यंश आवंटित कर दिया है। व्यापार के द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्य में पर्याप्त मात्रा में चावल लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही भी की गई है।

बेलापुर के समीप रेलवे यात्रियों की मृत्यु

†३२८. **श्री प्र० चं० देव** :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून में मध्य रेलवे के ढोंड-मनमाद सैक्शन पर बेलापुर के समीप कुछ यात्री घायल हुए थे और कुछ मारे गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Polyphase Meters

(ख) यदि हां तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). १६ जून, ६१ को लगभग ४ बजकर ३० मिनट पर एक हल्का इंजन बेलापुर स्टेशन के खतरे के सिगनल में घुस गया और बालू के ढेर की साइडिंग में चला गया जिसके परिणामस्वरूप पटरी से उतर गया। सिगनल तथा तार-संचार विभाग का एक खलासी कुचला गया और मर गया जो पटरी के समीप सो रहा था। ५ अन्य खलासी तथा एक सिगनल वाले को हल्की चोटें आई जो, थोड़ी दूर पर सो रहे थे। इस दुर्घटना में किसी यात्री को चोटें नहीं आईं।

रेल दुर्घटना

†३२९. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९६१ में गाउक-तेलगी सैक्शन पर करलीमती एवं बागलकोट स्टेशन के समीप दुर्घटना हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी, हां। १७ जून १९६१ को लगभग २१.२९ बजे जब कि २३३ अप बीजापुर-गाड़ग यात्री गाड़ी करलीमती और बागलकोट स्टेशनों के बीच चल रही थी, ६५-१२-११ मील पर इंजन तथा टेंडर उलट गये और चार बोगियां पटरी से उतर गईं, क्योंकि उस क्षेत्र में अचानक और भारी वर्षा के कारण रेल की पटरी टूट गई थी। इंजन में काम करने वाले व्यक्तियों तथा तीन यात्रियों को हल्की चोटें आएं, जिन की तुरन्त मरहम पट्टी करवाई गई।

किराये में अन्तर

३३०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा स्टेशन से कमतौल स्टेशन तक के प्रथम श्रेणी के टिकटों पर फासला और किराया कमतौर से दरभंगा तक के टिकटों पर छपे फासले तथा किराये से भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १ अप्रैल से ३० जून, १९६१ तक की अवधि में दरभंगा से कमतौल और कमतौल से दरभंगा तक के लिए प्रथम श्रेणी के कुल कितने टिकट जारी किये गये और उनसे किराये की कितनी राशि वसूल की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). १-४-६० से भारतीय रेलों के वाणिज्य विभाग में नाप-तौल की मीटरिक प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप दरभंगा और कमतौल स्टेशनों के बीच की दूरी १५ मील की जगह २४ किलोमीटर और पहले दर्जे का किराया एक रुपया सात आने (१.४४ नये पैसे) की जगह १ रुपया ४५ नये पैसे कर दिया गया है। दरभंगा स्टेशन से जो टिकट जारी किये जाते हैं वे नये स्टाक से दिये जाते हैं जो वहां अभी हाल में रखा गया है और उन पर दूरी ३४ किलोमीटर और किराया १ रुपया ४५ नये पैसे छपा हुआ है। लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

कमतौल मे जो टिकट जारी किये जाते हैं, उन पर दूरी १५ मील और किराया एक रुपया सात आना लिखा हुआ है क्योंकि वहां टिकटों का पुराना स्टाक अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यात्रियों से सही, अर्थात् १ रुपया ४५ नये पैसे किराया वसूल किया जाता है और टिकटों पर जो दूरी और किराया छपा हुआ है, उसे काटकर ठीक करना पड़ता है।

(ग) १ अप्रैल, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक दरभंगा से कमतौल तक पहले दर्जे के कुल ५४ टिकट और कमतौल से दरभंगा तक कुल १०८ $^{1}/_{2}$ टिकट जारी किये गये और उनसे क्रमशः ७८.३० नये पैसे और १५७.३४ नये पैसे की आमदनी हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग

३३१. **श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ को भोपाल से मिलाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने के हेतु कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ (कलकत्ता–नागपुर–बम्बई रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४३ (रायपुर-विजयनगरम रोड) नामक दो राजमार्ग गुजरते हैं।

हाल ही में जबलपुर-भोपाल-बियौरा रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ घोषित किया गया है।

इन राजमार्गों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भोपाल से मिलाने के लिए इस समय कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ को उपलब्ध धन राशि से अपेक्षित स्तर तक विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस राजमार्ग में सड़क कहीं कहीं छूटी हुई है, इन छूटे हुए टुकड़ों की कुल लम्बाई लगभग ६० मील है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

†३३२. **श्री तंगमणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों को बकाया मकान किराया भत्ता दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो विलंब का क्या कारण है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) यह पता लगा है कि मकान किराया भत्ता केवल एक व्यक्ति को मिल सकता था, जिसकी पहले जांच की जा रही थी। उस मामले में अवशेष राशि देने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) चूंकि दावा कितने ही वर्ष पुराना था इसलिये मस्टर रोल तथा आकस्मिकता रजिस्टर आदि आवश्यक कागजों को ढूंढ़ कर उनकी जांच करनी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे

३३३. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे की किन-किन गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के सोने की व्यवस्था वाले डिब्बों में गद्दे लगे हुए हैं ; और

(ख) गद्देदार सीटों के प्रयोग के हकदार बनने के हेतु यात्रियों द्वारा कितने मील की यात्रा निर्धारित की गई है तथा साथ ही उक्त गद्देदार सीटों के लिए कितना अतिरिक्त भाड़ा प्रति टिकट पर लिया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नं० २३ डाउन / २४ अप बम्बई-सेंट्रल दिल्ली जनता एक्सप्रेस और राजकोट और अहमदाबाद के बीच ३५ अप/९९ अप/८७-अप और ८८ डाउन/१०० डाउन/३६ डाउन गाड़ियों में ।

(ख) दूरी का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । तीसरे दर्जे के बुनियादी किराये के अलावा एक रात या उसके किसी भाग के लिए प्रति यात्री प्रति शायिका ३ रुपये अधिप्रभार लिया जाता है ।

रेलवे पदाधिकारियों की एक स्थान पर रहने की अवधि

३३४. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसा कोई नियम बनाया है जिसके अन्तर्गत तीन साल से अधिक समय तक कोई अधिकारी एक स्थान पर नहीं रह सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नियम ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो गजटेड नहीं हैं ; और

(ग) क्या उक्त नियम रेलवे स्कूल के अध्यापकों पर भी लागू किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता । लेकिन जो अराजपत्रित कर्मचारी जनता के सम्पर्क में आते हैं, उनके सम्बन्ध में स्थायी आदेश यह है कि तीन वर्ष के बाद उन्हें दूसरी जगह बदल दिया जाय ।

जहां तक अध्यापकों और दूसरे अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें आवश्यकतानुसार दूसरी जगह बदला जा सकता है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

३३५. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने जनवरी से जुलाई, १९६१ तक कितने प्रकाशन निकाले हैं ;

(ख) क्या ये प्रकाशन किसानों के लाभ के लिए निकाले गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये सब प्रकाशन अंग्रेजी में निकाले गये हैं अथवा इनमें से कुछ हिन्दी में भी निकाले गये हैं ; और

(घ) यदि कुछ प्रकाशन हिन्दी में निकाले गये हैं, तो उनके नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने जनवरी से जुलाई १९६१ तक की अवधि में २३ प्रकाशन जारी किये ।

(ख) परिषद् के प्रकाशनों का अधिकतर सम्बन्ध कृषि और अन्य विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान के परिणामों और अन्य उपयोगी जानकारी से होता है । दो प्रकार के प्रकाशन जारी किये जाते हैं । पहली प्रकार का सम्बन्ध अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं और सरकारी विभागों इत्यादि के लिए अनुसन्धान प्रकाशनों से है जबकि दूसरी प्रकार के प्रकाशनों का सम्बन्ध मुख्य रूप से किसानों के लाभ के लिये है ।

(ग) उपयुक्त प्रकाशन हिन्दी में भी निकाले जाते हैं ।

(घ) (१) भारत में पुष्प वृक्ष

(२) घी बनाने की परत विभाजन विधि

(३) प्राचीन भारत में खेती

(४) भारत में डेरी उद्योग (प्रैस में)

(५) पशुजात सम्पत्ति (प्रैस में)

(६) जैविक खादें (प्रैस में)

(७) मुर्गियों का आहार (प्रैस में)

(८) हरी खाद का उपयोग (प्रैस में)

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३३६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ जून, १९६१ को रानी स्टेशन पर गाड़ी के पटरी से उतर जाने की बड़ी दुर्घटना हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि और क्षति का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

छोटे सिंचाई कार्य

†३३७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में छोटे सिंचाई कामों के कारण १०० लाख एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि पर खेती होगी ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना के पहले वर्ष में सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तीसरी योजना में छोटी सिंचाई के लिये १२८ लाख एकड़ (सरल) अतिरिक्त भूमि का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) न केवल छोटे सिंचाई कार्यक्रम को और तेज़ करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं अपितु इसके प्रविधिक एवं संगठन सम्बन्धी पक्ष को भी मज़बूत किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों की रहने की बस्तियां, नई दिल्ली

†३३९. **श्री राम गरीब :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नई दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की रहने की बहुत सी बस्तियों अर्थात् सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर और किदवई नगर में गलियां अत्यन्त ही बुरी हालत में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों की कब मरम्मत हुई है और कब तक इनकी मरम्मत करवाने का विचार है तथा कब तक मरम्मत पूरी हो जाएगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने सूचना दी है कि हालत इतनी बुरी नहीं है ।

(ख) पिछले वर्ष से इन बस्तियों की सड़कें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से नई दिल्ली नगर पालिका समिति के पास चली गई है। जब कभी आवश्यकता होती है, समय समय पर मरम्मत की जाती है तथा गड्ढों और टूटी सड़कों को भरा जाता है

दामोदर घाटी निगम की नहर में कटाव

†३४१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम नहर व्यवस्था दुर्गापुर में कटावों के कारण खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इसको ठीक करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम सिंचाई नहर में कोई कटाव नहीं था । स्थानीय मुख्य नहर के बांए किनारे की विंग दीवार का कुछ भाग ७७० चेन पर १४ जुलाई, १९६१ को गिर गया था जिसके फल-स्वरूप लगभग एक सप्ताह तक नीचे के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल नहीं मिल सका । तुरन्त इसको रोकने के लिये उपाय किये गये और २३ जुलाई, १९६१ से जल दिया जाने लगा ।

भूमि संरक्षण

†३४२. **श्री मो० ब० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि ५,००० लाख एकड़ भूमि में संरक्षण उपाय करने की जरूरत है और इनमें से २००० लाख एकड़ भूमि पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है ?

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्य किये गये हैं ; और

(ग) क्या पहली और दूसरी योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त किये जा चुके हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भूमि संरक्षण की समस्या के सब पहलुओं की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय विकास योजनाओं में उपबन्ध किया गया है। पहली योजना के अध्याय २२ (पृष्ठ २९७ से ३०५), दूसरी योजना के अध्याय १५ (पृष्ठ ३०६ से ३१२) और तीसरी योजना की प्रारूप रूपरेखा के अध्याय ८ (पृष्ठ १७४ से १७६) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिन में इस समस्या की सीमा का ज्ञान, कार्य का क्रमित कार्यक्रम और आयोजित लक्ष्य तथा पहली और दूसरी योजना अवधियों में अनुमानित प्राप्ति का उल्लेख किया गया है।

(ग) **पहली योजना** : कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

दूसरी योजना : २० लाख एकड़ कृषि भूमि की रक्षा तथा १० लाख एकड़ क्षेत्र में वन रोपण तथा चरागाहों के विकास का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से लगभग २५ लाख एकड़ कृषि भूमि की रक्षा कंटूर बंधों और चबूतरों के द्वारा की गई थी और लगभग ५ लाख एकड़ भूमि में वन रोपण तथा चरागाह विकास किया गया था।

जब कि कृषि भूमि सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति लक्ष्य से अधिक हुई है, वन रोपण और चरागाह विकास की आवश्यकता वाली अन्य भूमि के बारे में कमी रही है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के मार्ग में प्रमुख कठिनाई यह रही है कि अधिकांश राज्यों में भूमि संरक्षण के लिये उचित संगठन का अभाव था, उचित विधायी अधिनियमन का अभाव जिन के द्वारा सरकार उन क्षेत्रों में जहां लोग स्वयं ऐसा करने को तैयार न हों, आवश्यक उपाय कर सकती हों, तथा प्रशिक्षित लोगों की कमी थी। इन सब मामलों में केन्द्रीय सरकार बार बार राज्य सरकारों से प्रार्थना करती रही है कि न्यूनताओं को पूरा किया जाए तथा प्रविधिक सलाह मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता देती रही है।

समुद्र तटों[1] और स्मारकों के इर्द गिर्द के क्षेत्रों का विकास

†३४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समुद्र तटों के विकास के प्रस्ताव एवं स्मारकों के इर्द गिर्द के क्षेत्रों को सुन्दर बनाने के सुझाव पर पर्यटक विकास परिषद् की चंडीगढ़ में हाल में हुई बैठक में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया था ;

(ग) क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ङ) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). ४ और ५ अगस्त को चंडीगढ़ में अपनी पांचवीं बैठक में पर्यटन विभाग परिषद् ने पर्यटन स्थानों के प्राकृतिक दृश्यों के डिजाइन बनाने और समुद्र पत्तनों के विकास के बारे में विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार किया था। यह स्वीकार किया गया कि प्राकृतिक दृश्यों के डिजाइन बनाने के

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Beaches.

विशेषज्ञ भारत में लिये जा सकते हैं और उन्हें अन्य देशों से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। परिषद् ने सिफारिश की कि एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की जाएं जो राज्य सरकारों को कुछ चुने हुए समुद्र पत्तनों और पर्यटन योग्य स्थानों के एकीकृत विकास के लिये योजनायें बनाने में परामर्श दें। परिषद् ने ५ अगस्त, १९६१ को सिफारिश की थी और अभी तक सरकार ने उस पर विचार नहीं किया है।

तीसरी योजना अवधि के लिये पर्यटन की प्रारूप योजना में समुद्र तटों पर पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने और स्मारकों के इर्द गिर्द क्षेत्रों को सुन्दर बनाने की निम्न योजनाएं शामिल हैं :—

भाग १.—(पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के खर्च से)

दिल्ली

	लाख रुपयों में
१. सूर्य कुंड के इर्द गिर्द के क्षेत्र का पिकनिक स्थान के रूप में विकास (पिकनिक स्थान, घास के मैदान, नहरें, विद्युतीकरण आदि)	४.००
२. कुतुब, हुमायूं टुंब, लाल किला, हौज खास में तेज रोशनी की व्यवस्था	३.००

केरल

त्रिवेन्द्रम के समीप कोवालम समुद्र तट पर रैस्टोरैंट	१.००

मध्य प्रदेश

खुजराहो के मन्दिरों के इर्द गिर्द के क्षेत्र को सुन्दर बनाना	२.५०

मद्रास

(१) तंजौर मन्दिर का विद्युतीकरण	०.२०
(२) महाबलिपुरम् में छतरियों की व्यवस्था और समुद्र तट पर बिजली लगाना	०.५०

उड़ीसा

(१) भुवनेश्वर में राजरानी और मुखतेश्वरी मन्दिरों के इर्द गिर्द बाग	१.००
(२) कोनार्क समुद्र तट में क्लोक रूम की सुविधाएं	०.५०
(३) कोनार्क मन्दिर के इर्द गिर्द बाग	२.००
(४) पुरी समुद्र तट पर क्लोक रूम की सुविधा	०.५०

राजस्थान

सहेलियों की बाड़ी (उदयपुर) का विकास	१.००

भाग २. (केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आधे आधे व्यय से)

मद्रास

मद्रास और महाबलिपुरम के बीच समुद्र तट पर छुट्टी गृह	३.७४

	लाख रुपयों में
महाराष्ट्र	
(१) बम्बई में जुहू समुद्र तट पर स्नानागारों और फव्वारों की व्यवस्था	५.००
(२) अजंता में बाग लगाना	०.४० (बची हुई योजनाओं के तौर पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के भाग (क) के उत्तर में १४ मार्च, १९६१ को मैं ने बताया था कि केवल कार्य की सुविधा के लिये मैडिकल कालिज बिल्डिंग डिवीज़न, जो लोक निर्माण विभाग के सड़क और भवन खंड के उत्तरी सर्कल के अधीन एक डिवीज़न है, हीराकुद में रखा गया है, जो सर्कल का भी मुख्यालय है और इसी कारण से उत्तरी सिंचाई डिवीज़न, जो हीराकुद बांध सर्कल के अधीन एक डिवीज़न है, सर्कल के मुख्यालय बुरला में रखा गया है।

उड़ीसा सरकार से बाद में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मैडिकल कालिज बिल्डिंग डिवीज़न बुरला में स्थान न होने के कारण हीराकुद में रखा गया है। उत्तरी सिंचाई डिवीज़न २६ अप्रैल, १९६० को हीराकुद से बुरला भेजा गया था। मैडिकल कालिज बिल्डिंग डिवीज़न, जो मई, १९६० में स्थापित किया गया था, बुरला में स्थापित किया जाना था, परन्तु वहां स्थानाभाव के कारण हीराकुद में स्थापित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १२ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के भाग (क) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :—

"४७. इस में वे नेपाली, गोआनी और पाकिस्तानी शामिल नहीं हैं जो भारत में स्थायी रूप से बसने के ख्याल से आये हैं।"

पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना

भारतीय तार अधिनियम, १८८५ के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली ,दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०६७ की एक प्रति।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०१८ में प्रकाशित भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०६७ में प्रकाशित भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०१ में प्रकाशित भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८२५ में प्रकाशित भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५६ में प्रकाशित भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये क्रमशः संख्या एल टी–२८५३/६१ और ३०१८/६१]

वर्ष १९५८–५९ के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३०१९/६१]**

नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, १९६१

हिमाचल प्रदेश में लागू, पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में संशोधन करने वाली अधिसूचना

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ के अधीन अधिसूचना का शुद्धि-पत्र

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) (क) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९४ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, १९६१ ।

(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी०–१०२-४१/५७ ।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या एच (टी) १४–४२७/५९, दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अधिसूचना संख्या टी० २६–५३/५७ दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० ।

(ग) अधिसूचना संख्या टी० १०२–४१/५६—दो दिनांक २७ अप्रैल, १९६१ ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०१५ की एक प्रति, जिसमें दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४४ का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—२९२४/६१; २९३३/६१; ३०२०/६१ और ३०२१/६१]

सांभर झील के संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी विवाद के पंचाट के बारे में सरकारी संकल्प

†**श्री राज बहादुर** : मैं, श्री मनुभाई शाह की ओर से, सांभर झील के संसाधनों का उपयोग करने के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान की सरकार को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि सम्बन्धी विवाद के पंचाट और उस पर भारत सरकार के निर्णय के बारे में दिनांक १२ अगस्त, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या २० (३)/५७—नमक, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—३०२२/६१]

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अधीन अधिसूचनायें

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : मैं, श्री सु० डे० की ओर से, कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३०२३/६१]

अत्यावश्यक-पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४९ द्वारा शुद्ध किया गया दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८४ में प्रकाशित चीनी (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक १८ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ को रद्द करने वाली दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

(तीन) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८१ में प्रकाशित चीनी (यातयात नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३०२४/६१]

कार्य मंत्रणा समिति

चौंसठवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन से, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन से, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बंध में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५९–६० के प्रतिवेदन पर, जो २४ अप्रैल, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का यह नवां वार्षिक प्रतिवेदन है। अब उनके नौ प्रतिवेदन हमारे सामने आ चुके हैं। इसलिये हमें अब उनकी सफलता-असफलताओं का लेखा-जोखा करना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि इस पिछले वर्ग के कल्याण के लिये हमने जो कार्य किया है, उसमें क्या खामी रह गई है।

पिछली बार आपके सुझाव पर ही इसके बारे में एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई थी। उस सुझाव के लिये हम आपके आभारी हैं। बैठक में शमिल होने के लिये हम उन माननीय सदस्यों के आभारी हैं। उन्होंने योजनाओं की कार्यान्विति के बारे में अपने दृष्टिकोण पेश किये थे । उन में से कुछ सुझाव बड़े व्यावहारिक थे। हमने अपने निदेशों के साथ, वे सुझाव राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के पास भेज दिये हैं। पिछली बार आपके सुझाव के अनुसार अनौपचारिक बैठक करने से एक बड़ा लाभ यह हुआ था कि वाद-विवाद मुख्य-मुख्य बातों पर ही केन्द्रित रहा; उसमें भटकाव नहीं आ पाया। आशा है कि इस बार भी इस प्रतिवेदन से सम्बंधित हमारा वाद-विवाद योजनाओं

---

†मूल अंग्रेजी मे

और उनकी कार्यान्विति की मुख्य-मुख्य बातों पर ही केन्द्रित रहेगा और माननीय सदस्य अपने स्पष्ट रचनात्मक सुझाव पेश करेंगे ।

हमें इस वाद-विवाद में सब से अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिये कि इन सभी कल्याण-योजनाओं की कार्यान्विति राज्य सरकारों को ही करनी है । राज्य सरकारों को भी इनकी कार्यान्विति की ओर उतना ही ध्यान देना चाहिये जितना कि संसद्-सदस्य और संघ सरकार देती है ।

केन्द्र की ओर से, हम तो केवल पथ-प्रदर्शन और निर्देशन ही कर सकते हैं, वास्तविक कार्यान्विति तो राज्य सरकारें ही करेंगी । इसलिये राज्य-विधान मंडलों को बड़े ध्यान से इसके उन पहलुओं पर विचार करना चाहिए जिनका उनसे सम्बन्ध है ।

संविधान में रखी गई व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाना है । परन्तु यह समझना ग़लत होगा कि उनके कल्याण के लिये केवल यही एक योजना है, और उसके लिये इस योजना के लिये आवंटित राशि ही उपयोग में लाई जायेगी । वास्तव में, हमारे देश की समूची योजना भी इस में अपना अंशदान करेगी ही । सारे देश की जनता की खुशहाली बढ़ाना हमारी तृतीय योजना का उद्देश्य है और सारे देश की खुशहाली बढ़ने के साथ ही इन पिछड़े वर्गों की खुशहाली बढ़ना जरूरी हो जाता है ।

सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित इन वर्गों, समाज के उन्नत वर्गों से अलग कटे हुए इन लोगों के पास हमें जाना पड़ेगा, उनके लिये काम करना पड़ेगा । हम अभी तक जितना करते आये हैं, उससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा । यदि हमें अपनी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य निर्धारित अवधि में पूरे करने हैं, तो पिछड़े हुए इन लोगों को उन्नत बनाना अत्यावश्यक है । केन्द्रीय सरकार एक सीमा तक ही वित्तीय सहायता दे सकती है और पथ-प्रदर्शन कर सकती है । हम ने अभी तक, इन नौ वर्षों में बहुत कुछ किया है; परन्तु अभी बहुत काफी काम करने को पड़ा हुआ है । इसीलिये हमारी आलोचना होती है । आलोचना सही हो या ग़लत, हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी ।

एक आलोचना यह की गई है कि अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों की जन संख्या को देखते हुए, यह व्यवस्थित राशि बिलकुल अपर्याप्त है । इसके उत्तर में, मैं फिर दोहराती हूं कि विशेष रूप से व्यवस्थित इस राशि के अतिरिक्त, सामान्य योजना की राशियां भी, हमारा सामान्य विकास भी इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करेगा ।

स्वाभाविक है, नौ वर्षों तक कल्याणकार्य कर चुकने के बाद अब हमारा सारा ध्यान इन पिछड़े वर्गों में भी सबसे पिछड़े वर्ग—भंगियों, मेहतरों और चमारों—पर केन्द्रित हो रहा है । वे लोग जैसा काम करते हैं, वह मनुष्य के योग्य नहीं । देश की जनता के प्रत्येक वर्ग को उनकी उन्नति में योगदान करना ही पड़ेगा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना हमें अभी-अभी मिली है । हमारे देश के सामने आज जितनी भी समस्यायें हैं, उन सभी के हल के लिये योजना में कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है । देश की उन्नति के कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों के इन लोगों की उन्नति को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

इससे पहले की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये, अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये अनुदानों और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती रही है । अस्पृश्यता-निवारण के लिये कानून भी बनाया गया है । परन्तु इस प्रकार के सुधार केवल कानून बनाकर नहीं किये जा सकते । कानून के पीछे लोकमत की शक्ति भी रहनी चाहिए ।

[श्रीमती आल्वा]

हम ने इससे पहले भी अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा, आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य और आवास के लिये सहायता की व्यवस्था की है। परन्तु सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि इन वर्गों का सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया जाये। उसके बिना अस्पृश्यता-निवारण नहीं किया जा सकता।

इस कार्य के लिये आवंटित राशि उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। प्रथम योजना में राज्य-क्षेत्र के लिए २० करोड़ और केन्द्रीय क्षेत्र के लिये १९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थी। द्वितीय योजना में राज्य-क्षेत्र के लिये ५९ करोड़ और केन्द्रीय क्षेत्र के लिये ३२ करोड़ रुपये दिये गये थे। अब तृतीय योजना में राज्य क्षेत्र के लिये ७८·९० करोड़ और केन्द्रीय क्षेत्र के लिये २७ करोड़ रुपये रखे गये हैं। पर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए जो कार्यक्रम रखा है वह ३५ करोड़ रुपये का है, जबकि आवंटन केवल २७ करोड़ रुपये है। इसलिये तृतीय योजना के दौरान इस कार्य पर कुल मिलाकर ११३·९० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

द्वितीय योजना-काल में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं रखा गया था कि केन्द्रीय क्षेत्र में कौन सी योजना सम्मिलित की जाये, या कौन सी न की जाये। हम विभिन्न परीक्षण कर रहे थे। अब हमने राज्यों के सुझावों और इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के सुझावों तथा अनुभवों के आधार पर, इस तृतीय योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है कि केन्द्रीय क्षेत्र के लिए कौन सी विशेष योजनायें रहेंगी। इस के बारे में संसद्-सदस्यों ने भी समय-समय पर हमारा पथ-प्रदर्शन किया है। अब यह निर्णय कर लिया गया है कि केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ विशेष योजनायें ही चालू की जायेंगी और सारे देश में विकास की समान गति बनाये रखना अत्यावश्यक है। विकास में एक रूपता बनाये रखना अत्यावश्यक है। इसीलिये आवंटित राशि २७ करोड़ रुपये होते हुए भी, कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य बढ़ा कर ३५ करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में २१ करोड़ ७५·६० लाख रुपये अनुसूचित जातियों के लिये हैं, जब कि आवंटित राशि केवल १६ करोड़ १५ लाख रुपये है। अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कार्यक्रम में ८२५ लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वित्तीय आवंटन केवल ७ करोड़ रुपये है। वित्तीय आवंटन की अपेक्षा वास्तविक लक्ष्य इसलिए अधिक रखा गया है कि कार्यक्रम जैसे-जैसे आगे बढ़ता जायेगा उसकी गतिशीलता भी बढ़ती जायेगी; और आशा है कि गतिशीलता बढ़ने के साथ-साथ कार्यक्रम की सफलतायें भी बढ़ती जायेंगी और हम वित्तीय आवंटन द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले लक्ष्यों से आगे बढ़ सकेंगे। तृतीय योजना में कुल व्यवस्था ७८·९० करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इसका अनुमोदन कर दिया है। इस में से ३८ करोड़ १४·५८ लाख रुपये अनुसूचित आदिम जातियों, ३१ करोड़ ८९.३६ लाख अनुसूचित जातियों और ८ करोड़ ५२·१४ लाख रुपये विकास तथा अन्य योजनाओं के लिए हैं।

इन सभी योजनाओं, आवंटित राशियों, लक्ष्यों और समय समय पर होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के अतिरिक्त एक और भी तथ्य है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिये। यह कि राज्यों का सम्पर्क केन्द्र के साथ लगातार बना रहता है। दिल्ली में हुए पिछले दो सम्मेलनों में राज्यों के मंत्रियों ने एक स्वर से सिफारिश की थी कि तृतीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये अधिक आवंटन किया जाये। स्वर्गीय पंत जी इसकी ओर विशेष ध्यान देते थे। सभी जानते हैं कि उन्होंने कितने जुट कर इन वर्गों के कल्याण के लिये काम किया था। अब उसका भार हमारे नये गृह-कार्य मंत्री पर पड़ा है। वह भी इसमें बड़े उत्साह से जुट गये हैं। आशा है कि वर्तमान गृह-कार्य मंत्री योजना आयोग के सहयोग से स्वर्गीय पंत जी का संकल्प पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आशा है कि योजना

आयोग आवंटित राशि में वृद्धि कर देगा। अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है। परन्तु इससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए।

पिछली बार आदिम जाति विकास खण्डों की काफी आलोचना हुई थी। मैं मानती हूं कि उनमें कुछ खामियां हैं और उनका कार्य-संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। द्वितीय योजना काल के दौरान ४३ खण्डों की खुली आलोचना की गई थी। उसकी जांच के लिये हमने तुरन्त एल्विन समिति नियुक्त कर दी थी। उस समिति ने आदिम जाति खण्डों के कार्य-संचालन की जांच-पड़ताल करके कुछ सिफारिशें भी की थीं। उन्हीं के आधार पर निर्णय किया गया था कि आदिम जाति विकास खण्ड देश के केवल उन क्षेत्रों में ही बनाये जायें जहां आदिम जातियों की जनसंख्या ६६ प्रतिशत या दो-तिहाई या इससे अधिक हो, और उसका क्षेत्रफल २०० वर्गमील हो और कुल जनसंख्या २५,००० हो। यह भी निर्णय किया गया था कि आदिम जाति विकास खण्डों के गठन को प्रशासकीय इकाइयों पर आधारित और आश्रित नहीं करना चाहिए। आशा है कि अब इन परिवर्तनों के बाद आदिम जाति विकास खण्डों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिलकुल बदल जायेगा और तृतीय योजना काल में उनका कार्य-संचालन अत्यन्त सुचारु रूप से चलेगा। तृतीय योजना काल में, हमें ऐसे खण्डों की संख्या ३०० तक पहुंचानी है।

लेकिन कैसे ? इसे तो राज्य-वार करना पड़ेगा। हमें आन्ध्र में १५, आसाम में ३७, बिहार में ४८, गुजरात में ३६, केरल में १, मध्य प्रदेश में ५६, महाराष्ट्र में १६, उड़ीसा में ५७, पंजाब में २, राजस्थान में ११, हिमाचल प्रदेश में २, मनीपुर में ७, और त्रिपुरा में ३ खण्ड बनाने हैं। ये कुल मिला कर २६४ होते हैं। अभी छः खण्डों का आवंटन करना बाकी है। इनका क्रम इस प्रकार होगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष में क्रमशः १० प्रतिशत, १० प्रतिशत, २५ प्रतिशत और ३५ प्रतिशत कार्यक्रम पूरा किया जायेगा। चौथे और पांचवें वर्षों में ३५ प्रतिशत कार्यक्रम पूरा किया जायेगा। परन्तु सब से महत्वपूर्ण यह है कि चालू वर्ष में कितने खण्ड बनाने में सफलता मिलती है। १९६१-६२, चालू वर्ष में ३० खण्ड बनने चाहिएं, तभी हम योजना का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।

भंगियों की सामाजिक दशा के बारे में सभा में बार-बार उल्लेख आ चुका है। समाज के सभी वर्गों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ है। बड़ी अच्छी बात है कि समाज अब उनके प्रति अपना कर्त्तव्य समझ रहा है। शताब्दियों तक वे लोग उपेक्षित रहे हैं। अब उनको समाज का एक अंग माना जाने लगा है। हमें अब प्रयास करना चाहिये कि उनका अपना एक व्यक्तित्व बने।

केन्द्र ५० प्रतिशत सहायता देने को तैयार है और इसके लिए धन भी काफी है परन्तु नीचे स्थानीय बोर्डों तथा नगरपालिकाओं में पता नहीं क्या होता है कि धन की व्यवस्था करने पर भी धन राज्यों द्वारा लिया ही नहीं जाता। इसका कारण यह है कि इस दिशा में पर्याप्त जागृति का अभाव है। मेरा मत यह है कि वह समय अवश्य आयेगा जबकि देश में भंगियों की अवस्था का काया पलट हो जायेगा। इसके लिये मलकानी समिति ने भी २७२ अथवा २७४ सिफारिशें की हैं। परन्तु खेद है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य देशों में इस भंगीपने के व्यवसाय को अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। भंगियों के पेशे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। इस मामले पर विचार करने के लिये और अच्छे ढंग से इन बातों का हल निकालने के लिये एक विशेष सचिव की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया है।

[श्रीमती आल्वा]

अब म सबसे अधिक विवादास्पद मामले की ओर आती हूं । वह सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित करने का प्रश्न है। अभी तक तो स्थिति यही रही है कि इन जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे हैं । परन्तु सरकार का पूरा प्रयत्न रहता है कि इन जातियों के लोग उपलब्ध हों । इस दिशा में प्रत्येक सम्भव उपाय किया जाता है । इस बारे में राज्य सरकारों को आदेश भी दे दिया गया है कि वे अपनी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को किस प्रकार भर्ती करें । मुकाबले वाले स्थानों में १२½ प्रतिशत और बिना मुकाबले वाले स्थानों में १६⅔ प्रतिशत का संरक्षण है । ५ प्रतिशत लोग मुकाबले से अथवा अन्य प्रकार से आदिम जाति लोगों को भी लेने का संरक्षण है । अनुसूचित जातियों ने तो इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की है परन्तु आदिम जाति लोग पीछे हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आयु सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ ढील कर दी गयी है । प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये दी जाने वाली फीसों आदि के सम्बन्ध में भी काफी छूटें दी गयी हैं । इन लोगों के मामले में पद के लिये उपयुक्त होने का स्तर भी कुछ नीचा ही रखा गया है । सारी स्थिति को देखने से पता चलता है कि इन जातियों के लोगों को नौकरियों में रखने के आकड़े निरन्तर बढ़ रहे हैं । यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि पदोन्नति के मामले में उनके लिए कुछ स्थान अथवा कोटा निर्धारित हो । प्रथम जनवरी, १९६० को केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी :—

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
श्रेणी १	११,३७८	१२७	२३
श्रेणी २	२२,२१३	५३२	१६२
श्रेणी ३ . .	८,६९,०२,२२१	६२,२१५	८,१६८
श्रेणी ४ (भंगियों के अतिरिक्त) .	९,२४,००,३३६	१५,०९,२५१	२७,२२७

भर्ती के लिये परीक्षाओं में बैठने के लिये क्लासों की व्यवस्था भी की जा रही है । इलाहाबाद में इस प्रकार का एक विद्यालय चल रहा है और वह दो पाठ्यक्रम समाप्त कर चुका है । अब जो क्लास १९६० से आरम्भ हुई है उसमें ४१ व्यक्ति हैं । भारत सरकार इसके लिये पूरी सहायता दे रही है । इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से संघ लोक सेवा आयोग के मुकाबले की परीक्षा में एक व्यक्ति आई० पी० एस० की परीक्षा में सफल हुआ और ९ व्यक्तियों को केन्द्रीय सेवा परीक्षा के लिये बुलाया गया । यद्यपि यह ठीक है कि संख्या कम है परन्तु यह प्रतिवर्ष बढ़ रही है । और इसे इतना बढ़ जाना चाहिए कि संरक्षण की आवश्यकता ही न रहे ।

इन लोगों के कल्याण के लिये भी बराबर प्रयास जारी है । हाल के वर्षों में मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां बढ़ा दी गयी है । १९५४ में यह छात्रवृत्तियां ११४ थीं जो १९५९-६० में बढ़ कर ३८,६५७ हो गयीं । १९६०-६१ में इस दिशा में भारत सरकार ने २,६९,००,००० रुपये खर्च किये । इसमें एक समस्या यह आ रही है कि यह छात्रवृत्तियां ऐसे ही दी जानी चालू नहीं रखी जा सकतीं । यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गयी तो उन्हें छात्रवृत्तियां देने के लिये किसी न किसी प्रकार की परीक्षा रखनी होगी । पिछड़े वर्गों का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में जाति को आधार मानने के बजाय उनकी आर्थिक दशा को कसौटी मानना अधिक अच्छा होगा ।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि स्वयंसेवक संस्थायें इस काम के लिये उचित प्रकार के व्यक्तियों को भर्ती करें तथा प्रशिक्षित करें। उन्हें सहायता देने के साथ-साथ हमने कुछ ऐसी शर्तें भी निर्धारित कर दी हैं, जिनसे हमें यह पता चलता रहे कि काम ठीक प्रकार से चल रहा है और कोई भूल नहीं रह रही। अस्पृश्यता निवारण के लिये बहुत कुछ किया जा चुका है, परन्तु मेरे विचार में इस दिशा में संस्थाओं के स्थान पर अच्छे मर्द और औरतें अधिक सहायक हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हम इस विषय पर जो वाद-विवाद करने जा रहे हैं उसमें माननीय सदस्य अपने व्यवहारिक सझाव देंगे ताकि इस मामले में हम अपने दृष्टिकोण में और अधिक सुधार कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सं० रं० कृष्ण** (करीमनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हमें इस बात का बड़ा सन्तोष है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सहायता के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। पर यह भी सत्य है कि उसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं जिसके द्वारा वे सब योजनायें ठीक ढंग से चल सकें जिसके लिये कि वह धन की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकारें प्राय: केन्द्रीय योजनाओं को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कर पा रहीं। मेरा मत यह है कि इस उद्देश्य के लिये एक प्रभावशाली अभिकरण की स्थापना होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त को यह अधिकार दिये जाने चाहिएं कि वह इस बात की देख रेख करे कि जो धन उनको दिया जाता है उसका शीघ्र और समुचित ढंग से उपयोग हो। मुझे इस बात का भी खेद है कि राज्य सरकारें आयुक्त महोदय को ठीक जानकारी भी नहीं देतीं। गत ११ वर्षों से ऐसा ही कुछ हो रहा है। अत: मेरा अनुरोध है कि राज्यों में भारत सरकार की ओर से कोई प्रभावशाली मशीनरी होनी चाहिए जो कि वहां इस दिशा में करने वाले अपेक्षित कार्य की समुचित देखभाल कर सके। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कई राशियां जो खर्च नहीं की जातीं वे अधिकारियों के खातों में डाल दी जाती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी उदासीन हैं।

भंगियों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कम से कम उसके एक मन्त्रालय अर्थात् प्रतिरक्षा मन्त्रालय में काम करने वाले भंगी विशेष समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अन्तर्गत आ जायें। जो समिति हमारी उपमन्त्री महोदया ने स्थापित की है उसकी सिफारिशों को शीघ्र ही अमल में लाया जाना चाहिये। क्या हमारा शक्तिशाली गृह-कार्य मन्त्रालय राज्य सरकारों को उपरोक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर बाध्य नहीं कर सकता? मेरा सुझाव यह है कि राज्य स्तर पर एक मन्त्री की अध्यक्षता में कोई समिति का निर्माण कर देना चाहिये जो यह देख भाल करती रहे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की जो विभिन्न योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गयी हैं उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाय और उनका समन्वय भी ठीक ढंग से होता रहे। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्र में एक पृथक विभाग होना चाहिये जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का काम देखे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति लोगों के लिये नौकरियों में स्थान तथा पदोन्नतियों का संरक्षण करने से प्रशासन की कार्यकुशलता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई राज्यों में इस प्रयोग का परिणाम अच्छा ही रहा है। आंध्र प्रदेश तथा मद्रास में इसका परीक्षण काफी सीमा तक सफल रहा है। हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसा संरक्षण दें जिससे योग्यता पर प्रभाव पड़े

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० रं० कृष्ण]

परन्तु १०० में से १२ और १४ लोगों को सदोन्नति मिल जाने से विशेष रूप में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर आप केवल उन्हीं अनुसूचित जाति लोगों को लें जो कि सूची में सबसे ऊपर हों और जिन्हें काम इत्यादि का भी कुछ अनुभव हो।

हम यह जानना चाहते हैं कि कितने अनुसूचित जाति के लोग आत्मनिर्भर हो गये हैं तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है। मेरा विचार है कि बड़ी मुश्किल से एक प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिनकी स्थिति कुछ ठीक हुई है। शिक्षा मन्त्रालय का कहना है कि १० प्रतिशत लोगों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से ठीक हुई है। मेरे विचार से यह आय-साधन कसौटी बड़ी अस्पष्ट है यह सही हालत नहीं बताती। अनुसूचित जाति के बच्चों को विदेश जाने के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं लेकिन प्रश्न यह है कि कितने विद्यार्थी इसका लाभ उठाते हैं। उनकी संख्या नगण्य होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह आय-साधन कसौटी ठीक नहीं है और उसे समाप्त कर देना चाहिये।

अनुसूचित जाति के बच्चों के सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। उन्हें अपने बारे में तहसीलदार से एक प्रमाणपत्र लेना होता है। यह प्रमाणपत्र पाने में उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि गृह मन्त्रालय की सारी कोशिशों के बावजूद भी ये छात्रवृत्तियां राज्यों तक नहीं पहुंच पातीं।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये जो राशि पृथक् रक्षित की गई है, उसे बढ़ा दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिये कि वे अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये अवण्टित धन को अन्य मदों के लिये बदल सकें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों के कमिश्नर ने जो अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको पढ़ने के पश्चात् मैं सब से पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकारी विभागों की अब तक जो रिपोर्टें इस सदन् को प्राप्त होती रही हैं, जितनी व्यवस्थित रिपोर्ट यह प्राप्त हुई है अथवा इससे पहले भी जो इस विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उस को देखते हुए मेरा अपना अनुमान है कि दूसरे विभागों को इसका अनुकरण करना चाहिए। साथ ही जहां तक मेरी वैयक्तिक जानकारी है उस आधार पर भी मैं कह सकता हूं कि इस विभाग के आयुक्त ने न केवल रिपोर्ट को तैयार करने में ही शक्ति लगाई है अपितु स्थान-स्थान पर जाकर जन-जातियों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की है और उस सम्बन्ध में जो अपने सुझाव दिये हैं वह सुझाव केन्द्रीय सरकार के लिए ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के लिए भी माननीय हैं और माननीय ही नहीं अपितु शीघ्रता के साथ उन पर कुछ कार्यवाही भी होनी चाहिए।

मैं एक विशेष बात जिसको कि गत वर्ष भी मैंने इस रिपोर्ट की चर्चा के सिलसिले में उठाया था, आज फिर उसको दुहराना चाहता हूं। इस आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा है कि राज्य सरकारों को पिछड़े वर्गों को उन्नति देने के लिए जितनी शीघ्रता से और तत्परता से कार्य करना चाहिए था, राज्य सरकारें अभी तक उस दिशा में उतनी सतर्क होकर सहयोग नहीं दे रही हैं उनका अपना अनुमान सम्भवतः यह है कि यह कार्य केवल पिछड़े वर्गों के कमिश्नरों का है और उन्हें ही यह सारा काम करना है लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि संविधान में यह जो धारा रखी गई कि पिछड़े वर्गों को, जनजातियों को और जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी उन्नति करने के लिए इस प्रकार के विभाग की स्थापना की जायेगी तो यह दायित्व केवल इस विभाग के

कमिश्नर या केन्द्रीय सरकार का ही नहीं था अपितु उसमें देश की सभी वह सरकारें सम्मिलत थीं जो कि राज्य सरकारें कहलाती हैं ।

आयुक्त की रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने उतनी तत्परता से कार्य नहीं किया है मेरा अपना अनुमान है कि जहां मैं इस सदन में आपके द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार का संकेत दूं कि वे इस दिशा में सतर्क होकर कार्य करें वहां साथ ही साथ एक आवश्यक कार्यवाही इस विषय में यह भी हो सकती है कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर को इस प्रकार की सुविधाएं दी जांएं कि वह प्रान्तों में कुछ असिस्टैन्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति करें जोकि उन प्रान्तों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर उनको दे सकें तो मेरा अपना अनुमान है कि इससे कार्य में सुगमता पैदा होगी और उस कार्य को और वृद्धि भी दी जा सकेगी ।

साथ ही साथ एक दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने का सम्बन्ध है अभी पीछे एक आध घंटे की चर्चा प्रस्तुत करते हुए मैं ने इस विषय में सरकार से अनुरोध किया था कि हम क्यों नहीं इस बात के लिए यत्नशील होते कि पिछड़े क्षेत्रों में जिनके कि ऊपर हम इतनी बड़ी धनराशि व्यय कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के कमिश्नर महोदय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें इतने आंकड़े अवश्य दें कि इतने प्रतिशत लोग इस प्रकार के हो गये हैं, जिनको अब सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है—इतने प्रतिशत लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब वे सरकारी सहायता की अपेक्षा नहीं रखते । मेरा अनुमान है कि ऐसा करने से दो लाभ होंगे । जो वर्ग सरकारी सहायता और अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप इतना उन्नत और सावधान हो चुका है कि अब उसको और सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जो सरकारी सहायता के वस्तुतः अधिकारी हैं, उन को वह साहयता मिलने से पहले ही उस को हड़प लेता है, अगर उस को पृथक कर दिया जायगा, तो वह सहायता उन लोगों को पहुंचने लग जायेगी, जो कि उसके वास्तविक अधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के लिये भी यह एक गौरव की बात होगी कि वह हर एक वार्षिक रिपोर्ट में यह संख्या देंगे कि इस वर्ष इतने प्रतिशत लोगों को इस योग्य बना दिया गया है और उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर इतना उन्नत कर दिया गया है कि अब वे सरकारी सहायता के अधिकारी नहीं रहे हैं । इस लिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के लोगों की संख्या वार्षिक रिपोर्ट में जरूर ही दिखाई जानी चाहिए ।

पहले भी इस सदन में एक विधेयक उपस्थित करते हुए मैं ने यह आग्रह किया था कि सरकार को इस बात पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए कि जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले जिन भाइयों को सहायता देने के लिये हमने कमिश्नर की नियुक्ति की है और विभाग बनाया है और इसके लिये अपने बजट में एक बहुत बड़ी धन-राशि रखी है, क्या वास्तव में उनको वह सहायता पहुंच रही है, उस धन-राशि का अपव्यय तो नही हो रहा है और बजाये इसके कि वह उन लोगों को सहायता देने के कार्य में लगे क्या उसी राशि से लोगों का धर्म-परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है, उनकी पुरानी मान्यताओं को तो नहीं बदला जा रहा है । मैं ने पिछले साल भी इस सम्बन्ध में यह कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये आंकड़े अवश्य दें कि इस वर्ष जंगली और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों ने अपना धर्म बदला है और जिन्होंने बदला है, क्या उन्होंने स्वेच्छा से, या धार्मिक सिद्धान्तों से प्रभावित हो कर बदला है, अथवा लोभ और

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

लालच और दबाव के कारण उन को अपना धर्म-परिवर्तन करना पड़ा है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ २०० पर पैरा २८ में कमिश्नर महोदय ने इस विषय में थोड़ा सा संकेत भी दिया है और कहा है,

"भारत जैसे धर्म-निरपेक्ष राज्य में ईसाई व अन्य धर्म-प्रचारकों के ध्यान में जिन्होंने पहाड़ी जनता की वर्षों से जो स्वार्थरहित व भक्ति-भाव से सेवायें की हैं तथा उस के लिये वे आदर व प्रशंसा के पात्र हैं . . . "

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्वार्थरहित और भक्तिभाव से लोगों की सेवा करते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और मुझे उनके कार्य की प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम को यह स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने १९३८ में "हरिजन" में लिखा था कि इस देश में कुछ ऐसे ईसाई प्रचारक हैं, जो सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा बिल्कुल उसी प्रकार की है, जैसी कि मछली पकड़ने वाले व्यक्ति की होती है, जो कांटे के आगे आटा लगा कर मछली को पकड़ लेता है, जिसका उद्देश्य मछली का पेट भरना नहीं, अपितु मछली को पकड़ कर अपना पेट भरना होता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यक्ति सेवा की भावना से नहीं बल्कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं, उनके बारे में कमिश्नर महोदय को अपनी रिपोर्ट में चिन्ता प्रकट करनी चाहिए और उनको और सरकार को इस विषय में गम्भीरता के साथ कुछ निर्णय लेना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए कष्ट होता है कि सन् १९५७ में जब केन्द्रीय सरकार से यह पूछा गया कि हिन्दुस्तान में विदेशी ईसाई प्रचारकों के पास ईसाइयत के प्रचार के लिए बाहर से कितना पैसा आया है, तो सरकार की ओर से यह बताया गया था कि पिछले दस बारह वर्षों में लगभग ७५ करोड़ रुपया आया है। इसके बाद १७ फरवरी, १९६१ को मैंने माननीय पं० गोविन्द बल्लभ पन्त से यह प्रश्न पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में कुल मिला कर कितना पैसा विदेशों से आया है। उन्होंने बताया कि ३९.६३ लाख रुपया पिछले तीन वर्षों में ईसाई प्रचारकों को विदेशों से आया है। शायद उस बात पर भी हम को संतोष होता, लेकिन सरकार ने उसके साथ ही यह नोट जोड़ा था कि यह अधिकारपूर्ण भाषा में नहीं बताया जा सकता कि उक्त रुपया केवल धर्म-प्रचार पर ही व्यय हुआ है, यह किन्हीं दूसरे कामों पर हुआ है।

इस रिपोर्ट में मि० एल्विन के एक वाक्य को उद्धृत किया गया है, जिसको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने ध्यान-पूर्वक दिया है—

"बहुत से अवसरों पर प्रधान मंत्री ने इन तथ्यों का सविस्तार विवेचन किया है और कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संसार के दूसरे भागों में आदिवासी जनता पर तथा-कथित यूरोपीय सभ्यता' के घातक प्रभावों की ओर संकेत करते हुए जिन्होंने उनकी 'कलाओं हस्तोद्योगों तथा रहन-सहन के सीधे साधे ढंग का अन्त कर दिया है' उन्होंने यह बतलाया है कि 'यदि हम उस की रोक-थाम नहीं करते तथा उस को भली-भांति प्रयुक्त नहीं करते, तो कुछ तक तथा-कथित भारतीय सभ्यता का भी वही घातक प्रभाव होने का डर है।,"

मैं समझता हूं कि दबी हुई भाषा में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। सरकार और कमिश्नर महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि विदेशों से आकर जो ईसाई प्रचारक ईसायत का प्रचार कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाये और उनको अनुचित कार्य

करने से रोका जाये । जो सेवा-भाव से काम कर रहे हैं, उन की मैं सराहना करता हूं । लेकिन जिन लोगों के मस्तिष्क में दूसरी भावना भरी हुई है और एक अराष्ट्रीय दृष्टिकोण काम कर रहा है, जो भारत में पृथकत्व की प्रवृत्तियां को बढ़ावा दे रहा है, जिसका परिचायक नागालैंड का निर्माण और झारखंड प्रान्त के निर्माण की मांग है, जो लोग हिन्दुस्तान में अराष्ट्रीय कार्यवाहियां कर रहे हैं, सरकार और कमिश्नर महोदय से मेरा आग्रह है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। मैं कमिश्नर महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उन घने जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में जा कर देखें कि वहां पर ईसाई प्रचारक सेवा का कार्य कर रहे हैं या उस के पीछे ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जो किसी भी समय हमारे स्वाधीन राष्ट्र को संकट के द्वार पर ले जा कर खड़ा कर सकती है । इस सम्बन्ध में सतर्क हो कर कार्य करना चाहिए ।

जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया है, कमिश्नर महोदय को हर वर्ष अपनी रिपोर्ट में उन लोगों की संख्या देनी चाहिए कि जिन्होंने अपना धर्म-परिवर्तन किया है और साथ ही यह सूचना भी होनी चाहिए कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन स्वेच्छा से किया है, या दबाव, लोभ और लालच से किया है । जहां तक मेरी जानकारी है और जैसा कि मैंने पहले भी इस सदन को सूचना दी है, हिन्दुस्तान में ईसाई प्रचारकों ने वही उपाय बरतने शुरू कर दिये हैं, जिन का प्रयोग पहले मुस्लिम लीग किया करती थी । उन की ओर से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़-छाड़ करने के अतिरिक्त उन लोगों की अविद्या, गरीबी और अशिक्षा का अनुचित लाभ उठा कर पैसे के बल पर उन को अपने चंगुल में फंसाने की चेष्टा हो रही है । मुझे यह देख कर कष्ट होता है कि आज हमारी सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रही है कि किस प्रकार हमारे देश में अनुचित उपायों को काम में ला कर लोगों का धर्म-परिवर्तन किया जा रहा है । जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि तुम ने अपना धर्म-परिवर्तन क्यों किया, तो कोई कहता है कि मेरे सामने बच्चों के लिये रोटी का प्रश्न था, कोई कहता है कि मेरे सामने दवा दारू का सवाल था, कोई बच्चों की तालीम की बात करता है और कोई कपड़ों की कठिनाई सामने रखता है । मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाये कि यह किसी भी राज्य के लिये शोभा और गौरव की बात नहीं है कि उस की प्रजा को रोटी और कपड़े के बदले अपना धर्म देना पड़े । लेकिन इस अभागे देश में पिछले तेरह सालों से यह बात हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग की विषाक्त प्रवृत्तियों का जो दंड इस देश को भुगतना पड़ा, उसी प्रकार, इन विदेशी ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों को यदि रोका नहीं गया, तो उन के द्वारा देश में छोटे छोटे प्रान्तों की मांग का समर्थन किया जायगा और इस प्रकार राजनैतिक अस्थिरता लाने का प्रयत्न किया जायगा, जैसा कि पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था । सरकार को इस विषय में शीघ्र ही कोई गम्भीर निर्णय लेना चाहिए और इस विभाग को यह दायित्व देना चाहिए कि वह इस बात की जांच करे कि प्रतिवर्ष कितने लोगों ने अपना धर्म-परिवर्तन किया है । जो लोग शिक्षा की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से बढ़े हुए हों, उन में यह नियम लागू किया जाये या न किया जाये, लेकिन पिछड़े हुए और पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक रूप से इस बात को लागू किया जाये कि जो व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है, उस को कम से कम छ: महीने पहले कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देनी चाहिए और कलेक्टर इस बात की जांच-पड़ताल करे कि जो आदमी धर्म-परिवर्तन करना चाहता है, वह धार्मिक सिद्धान्तों से, आध्यात्मिक कारणों से प्रभावित हो कर धर्म बदल रहा है, या वहां पर कोई निहित स्वार्थ कार्य कर रहे हैं, जिन के कारण किसी दबाव या लोभ से प्रभावित हो कर वह आदमी अपना धर्म बदल रहा है । अगर इस विषय में कलेक्टर को संतोष हो जाये, तो उस आदमी को धर्म बदलने का अधिकार दे दिया जाये । सीधी सादी भाषा में मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर

कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिये और यदि ऐसा किया गया तभी आप इस प्रकार की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगा सकेंगे अन्यथा नहीं ।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक बात और कह देना चाहता हूं । आयुक्त महोदय की रिपोर्ट को देखने से इतना तो प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि जो गैर-सरकारी संस्थायें इन क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रही हैं उनको भी वह सहयोग प्रदान करना चाहते हैं । लेकिन जिस प्रकार की मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और जिस प्रकार से मैंने एक दो बार माननीय श्री दातार जी से निवेदन भी किया है और एक आध बार इस सदन में भी कहा है, उसको आज फिर मैं दृढ़ता के साथ यहां कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिये कि सरकारी पैसा जितना व्यय हो वह सब सरकारी अधिकारियों के हाथों से व्यय हो और यदि ऐसा होता है तभी उसका सदुपयोग होगा अन्यथा नहीं । मैं समझता हूं कि यह बात कोई आवश्यक नहीं है । हमारे देश में इस प्रकार की भी अनेक सामाजिक संस्थायें हैं जो एक एक पाई का, एक एक कोड़ी का हिसाब सम्भाल कर रखती हैं, उसका सदुपयोग करती हैं । मेरा अपना अनुमान यह है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों की सेवा करने के लिए, अनुसूचित जातियों की सेवा करने के लिए जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं, उनको सरकार को मुक्त-हस्त हो कर सहयोग देना चाहिये । बहुत सी संस्थायें मेरी जानकारी में हैं जो कि बड़ा अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं । जसपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है । आप पता लगा सकते हैं भारत के स्वतंत्र होने से पहले इस क्षेत्र में कितने लोगों ने धर्म बदला था और स्वतंत्र होने के बाद के तेरह वर्षों में कितने लोग धर्म बदल करके क्रिस्चिएनिटी में आ गए हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी । मैं इन बातों को क्या कहूं, नियोगी कमिशन की इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसको देखने से आपको सारी स्थिति का पता चल जाएगा कि किस प्रकार के अनुचित उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं हिन्दुस्तान के लोगों का धर्म बदलने के लिए । स्वतंत्र भारत में इस परह की चीज़ों का होना दुःख की बात है । आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारी सरकार जो सहयोग प्रदान करती है वह उन लोगों को प्रदान करती है कि जो सरकारी धन का अपव्यय करते हैं और जो उसका सद्व्यय करते हैं, उनको प्रदान नहीं करती है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी भी क्या गारेंटी है कि सरकारी हाथोंसे जो धन व्यय होता है उसका सदुपयोग ही होता है । सदन के माननीय सदस्यों ने बातया है कि सरकारी हाथों से जो व्यय किया जाता है, उसमें से भी बहुत से धन का अपव्यय होता है । देखा जाता है कि उन संस्थाओं को कम सहयोग प्रदान किया जाता है जोकि चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने में अपना योगदान करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करती हैं, होस्टल्ज़ या छात्रावास खोलने जैसी प्रवृत्तियों में भाग लेती हैं । जसपुर के इलाके में एक संस्था है जिसके बारे में मेरी अपनी जानकारी है और जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका नाम है, कल्याण आश्रम यह संस्था पिछड़े हुए क्षेत्रों के अन्दर कार्य करती हैं । इस तरह की और भी बहुत सी संस्थायें हैं जो सेवा कार्य कर रही हैं । रांची में, उड़ीसा के क्षेत्रों में कई संस्थायें कार्य कर रही हैं । ऐसी ही एक संस्था पिछड़ी जाति सेवा संघ है । इसी प्रकार से एक संस्था है जिसका नाम दलिततोद्धार सभा है । ये स्वयंसेवी आर्गनाइजेशंज़ हैं जो कार्य कर रही हैं । ये संस्थायें एक वर्ष से कार्य नहीं कर रही हैं बल्कि उस वक्त से कर रही हैं जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था । इसी प्रकार का एक और देश का गौरवपूर्ण संगठन है जिसने अस्पृश्यता की आवाज़ को और इस प्रकार के बलात् धर्म परिवर्तनों को रोकने की आवाज़ को उठाया था और आज नहीं ८५ साल पहले उठाया था और उसका नाम है आर्य समाज । तो इस प्रकार की जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं सरकार को चाहिये कि वह उनको अपने संपर्क में ले और अपनी ओर से आफर करे कि आप इन क्षेत्रों में कार्य करते रहें और जो सहायता वह उनकी कर सकती है करती रहे, उनको अपना सहयोग प्रदान करती रहे और यदि सरकार ने ऐसा किया तो

ये संस्थायें अधिक उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकेंगी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अगर स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा कार्य चलाया जाएगा तो पवित्रता भी रहेगी और कार्य भी अधिक हो सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री महोदय की शिकायत है कि जब इन संगठनों ने विधि मांगी तो उन्हें निधि नहीं दी गई। कुछ ऐसे संगठन बन गये हैं जो इन पिछड़े वर्गों की अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है कि जसपुर की कल्याण संस्था है, उसने सहयोग चाहा, दलितोद्धार सभा हैं, उसने सहयोग चाहा, और इस प्रकार के कई संगठन हैं जिन्होंने सहयोग चाहा, लेकिन उनको सहयोग नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उपमंत्री महोदया बतायेगी कि क्या इसमें ऐच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता का विवरण इसमें है।

†**श्रीमती आल्वा :** जब कभी ये संगठन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से सहायता मांगते हैं तो उन्हें कुछ शर्तों की पूर्ति करनी होती है। और उन शर्तों की पूर्ती करने के बाद उन्हें धन दे दिया जाता है। मैं इन सब बातों का उत्तर अंत में दूंगी।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि उन सुझावों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये। आज स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए १४ वर्ष बीत गये लेकिन केन्द्रीय सरकार अभी तक इन जातियों के हितों की देखभाल करने के लिये कोई मंत्रालय अलग से नहीं बना सकी।

मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या एक बड़ी समस्या है। उनके उत्थान सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को समुचित ढंग से कार्यान्वित करने में सरकार असफल रही है। इन योजनाओं को पूरा करने के काम की देखभाल करने के लिये राज्यस्तर पर एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। त्रिपुरा में वर्तमान आदिवासी सलाहकार बोर्ड के स्थान पर एक आदिवासी विकास बोर्ड होना चाहिये। इन जातियों के उत्थान का प्रश्न इनकी आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है। उनकी ज़मीनें सुरक्षित रहनी चाहिये। सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के वितरीत त्रिपुरा में हजारों आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। उन्हें इसके बदले में अन्य प्लाट दिये जानें चाहियें।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

वहां पुनर्वासित लोगों को ठीक ढंग से भी बसाया नहीं जा रहा है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि जिन नगर क्षेत्रों में से केन्डरी स्कूल हैं वहां अनसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। जो स्कूल स्वेच्छित प्रयत्नों से चलाये जा रहे हैं उनकी सहायता दी जानी चाहिये तथा उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। आदिम जाति के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिये यदि स्कूलों की स्थापना करते हैं तो सरकार नाना प्रकार की शर्तें लगा देती हैं जिनका पूरा करना उन गरीब लोगों के लिये बड़ा कठिन है। आदिम जाति की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनमें इन लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

जहां तक मतदाता सूची का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि मतदाता सूचियों में आदिम जातियों के लोगों के नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं किया जाना

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

चाहिये । दाइयों तथा गार्डों के प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित किये जाने चाहियें ।

श्री धनगर (मैनपुरी): सभापति महोदय, आज हम लोग इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस करने जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझे सबसे पहले एक बात कहनी है । पिछले समय में भी इस विषय में बहुत कुछ वार्ता हुई है लेकिन मुझे अफसोस है कि इस सम्बन्ध में अभी कोई किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है । वह बात केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो इन क्लासेज़ को वजीफे दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में है । अभी तक इन वजीफों के मिलने में बहुत देरी होती है, और कभी कभी तो विद्यार्थियों को एक एक साल बाद ये वजीफे मिलते हैं । यह शिकायत नई नहीं है । जब जब इस रिपोर्ट पर इस भवन में बहस हुई है हर बार यह शिकायत की गयी है, लेकिन अभी तक यह शिकायत दूर नहीं हुई है । बहुत से विद्यार्थी उधार लेकर या दूसरी सहायता प्राप्त करके अपनी परीक्षा पास कर जाते हैं उसके बाद उनको यह वजीफे की सहायता मिलती है, जिसके कारण उनके गारजियन्स को बहुत सा ब्याज देना पड़ जाता है और पराधीनता और आधीनता का सामना करना पड़ता है । इसलिए मैं इस बार फिर आपके मारफत सम्बन्धित लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये वजीफे मिलने में देरी न हो । अगर उनको यथासमय वजीफे दिये जायें तो उनको अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है ।

दूसरी चीज एक और है जिसका पिछले साल भी जिक्र हुआ था । इसका सम्बन्ध भी हरिजनों और आदिम जाति के विद्यार्थियों से है । कुछ लोग जो कि पिछड़े माने जाते हैं उनके विद्यार्थियों को जो वजीफे दिये जाते थे उनमें बहुत काफी कमी कर दी गयी है । उसके सम्बन्ध में मैं आगे वार्ता करूंगा । अब उनको बहुत ही कम वजीफे दिये जाते हैं । और जो अछूत और आदिम जाति के विद्यार्थी हैं उनके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि उनको मैरिट के आधार पर वजीफे दिये जायेंगे । यह चीज इन विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई में बहुत बाधक साबित हो रही है । इसलिये मैं समझता हूं कि जब अदर बैकवर्ड कलासेज के वजीफे बहुत कम कर दिये गये हैं, तो हरिजन और आदिम जाति को विद्यार्थियों के लिये मैरिट की शर्त न लगायी जाए और जितने विद्यार्थी आते हैं सब को ही वजीफे दिये जायें । यदि प्री मैट्रिक स्टेज में यह किसी तरह सम्भव न हो कि सब विद्यार्थियों को वजीफे दिये जाएं, तो जब वे यूनिवरसिटी स्तर पर आते हैं उस समय तो कम से कम सभी विद्यार्थियों को बगैर मैरिट का ख्याल किये वजीफे मिलने चाहियें ताकि वे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकें । प्री मैट्रिक स्टेज में तो यह तरीका है कि जो विद्यार्थी ४० परसेंट या उससे ऊपर मार्क्स लायेंगे उनको ही वजीफे दिये जायेंगे । मैं चाहता हूं कि ये सब प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहियें और जो प्रान्तीय सरकारें हैं वे जितने प्रतिबन्ध लगाती हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है ।

अब तीसरी बात इन जातियों को मकानात बनाने की जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में है । इस सुविधा की सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है लेकिन यह करीब करीब ७५० रुपए की सीमा है और यह रकम उनको मकान बनाने के लिए दी जाती है । आज के समय में जब कि हर एक चीज इतनी महंगी हो रही है, एक परिवार के लिए जिसमें १२ आदमी हों यह कहां तक काफी हो सकती है । यह एक अछूत भाई का सवाल नहीं है, अछूतों के मुहल्ले के मुहल्ले और गांव के गांव नेस्त नाबूद हो जाते हैं और जमींदोज हो जाते हैं और उनकी मकान के लिये ७५०

रुपया दिया जाता है। यह भी सब लोगों को नहीं मिल पाता, चन्द लोगों को ही यह रकम मिल पाती है। मैं समझता हूं कि इस रकम से एक कमरा भी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी हालत में यह मदद नाकाफी है। इसके अलावा यह मदद जिन लोगों के मार्फत दी जाती है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर वे लोग हैं जो कि न तो हरिजन भाई हैं और न आदिम निवासी हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ९९ फीसदी से भी ज्यादा वे लोग हैं जो कि इसका वितरण करते हैं और जिनके हाथ में यह चीज है, वह शोवर्क तो दिखलाते हैं लेकिन वास्तविकता से यह बातें बहुत दूर हैं उन लोगों को जितना महत्व मिलना चाहिये वह महत्व नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से यह चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को यह जो घर बनाने की सहूलियत दी जाय तो कम से कम उनको २००० रुपयें तो दिये जायें ताकि वे कुछ ऐसे मकान तो बना सकें जो कि टिकाऊ हों और कुछ दिनों तक उसमें अच्छे तरीके से रह सकें।

उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की बाबत मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर एक आदिम निवासियों की कालोनी बनी हुई है और वह इटावा जिले के सदर मुकाम से ३ फर्लांग की दूरी पर है। वहां पर कंजर, गिहार आदिम निवासी भाइयों के वास्ते कुल मिला कर ५३ मकान बनाये गये हैं। हालांकि उन मकानों के कम्पलीशन की फाइनल रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हुई है लेकिन अभी बरसात के कारण आधे मकान गिर गये हैं। यह मकान हम जितने लेजिस्लेटर्स थे एम० एल० ए० और एम० पी० उनके बहुत जोर दिये जाने पर बनाये गये थे। पिछले सात वर्ष की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वहां पर कंजर और गिहार भाइयों की यह कालोनी बनाई गई। उन में मैटीरियल इतना थर्ड क्लास लगाया गया कि मकानों के कम्पलीशन की फाइनल रिपोर्ट भी नहीं दी गई है और बरसात के कारण आधे से ज्यादा मकान जमींदोज हो गये। यह सारे ठेकेदार, पी० डब्ल्यू० डी० के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वह सब न तो हरिजन हैं और न आदिवासी हैं और न ही उनको हरिजनों से कुछ उंसियत है। टेक्निकल वर्क करते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यह जो हमारे कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है यह कोई बुनियादी चीज पर रिपोर्ट तो नहीं है। जैसी रिपोर्ट सरकार चाहती है उसके मुताबिक है उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन तो भी इस रिपोर्ट में जो कुछ भी स्पष्टता है उसके लिये मैं कमिश्नर साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने कहीं कहीं संकेत कर दिया है और हमारी सरकार की मीठी चुटकी ले ली है और कहीं कहीं पर उन्होंने सरकार की कड़वी चुटकी ली है। मीठी और कड़वी चुटकी लेते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बेबस है इससे ज्यादा सरकार कर नहीं सकती।

अभी वह प्रसंग मैं लाना नहीं चाहता था लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिपोर्ट के सफा ८ पर तीसरे पैराग्राफ में यह दिया हुआ है :—

> "लिस्ट औफ अदर बैकवर्ड क्लासेस"। यह रिपोर्ट कमिश्नर आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है और यह चीज नहीं मालूम कैसे यहां पर आ टपकी। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को लेकर काफी कनफ्यूजन है। कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में तभी तो लिखते है "लिस्ट औफ अदर बैकवर्ड क्लासेज" साथ ही वह यह भी लिखते हैं:—
>
> "पिछड़े वर्गों के लोगों का सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण के बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।"

आखिर यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया यह कांग्रेस की सरकार कितने जमाने से काम कर रही है। पन्द्रह वर्ष कांस्टीट्यूशन को बने हो गये और उसमें यह बात तय हुई थी कि हमारे राष्ट्रपति जी इस तरह का एक कमीशन बिठायें जो कि यह बतलाये कि अदर बैकवर्ड क्लासेज क्या हैं। जो जातियां अदर बैकवर्ड क्लासेज की हों उनमें से जिनका स्तर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लायक हो उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स में

[श्री धनगर]

शामिल करें और जिनका कि लेबिल बैकवर्ड क्लासेज के लायक भी नहीं है उनको बैकवर्ड क्लासेज से अलग करें। यह करने का बिल्कुल उसका साफ इरादा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट कहां है ? मैं नहीं समझता हूं कि उस रिपोर्ट को क्यों साइडट्रैक कर दिया गया ? अभी तक इस भवन के सामने बहस करने के लिये वह रिपोर्ट नहीं लाई गई है हालांकि उसका जिक्र यदा कदा हर जगह है। हर एक सूबे में शेड्यूल्ड कास्ट्स का जिक्र है। आदिम जातियों का जिक्र है। कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जहां पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने लिख कर यह चेतावनी न भेज दी हो कि इतनी इतनी जातियां हैं। हर एक सूबे के वास्ते अलग अलग लिस्ट है और हर एक सूबे में वह लिस्ट भेज भी दी गई है। नीज उत्तर प्रदेश में जब मैं वहां पर पांच साल एम० एल० ए० रहा तो मैंने वहां पर देखा कि यह अदर बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में कहीं तो एक मुहकमे में ५६ जातियां लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की लिस्ट में ५६ जातियां लिखी हुई हैं जिनमें से ३६ तो हिन्दुओं की हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, अहीर, गड़रिया, काछी, लोधी, नाऊ, कहार, तेली, तम्बोली, दर्जी, भुर्जी, लुहार, सुनार, शिम्पी, बक्कलीगर्स और नायक वगैरह जातियां हैं। इनके अलावा २० जातियां और लिखी हुई हैं। वह बीस हमारे मुसलमान भाइयों की हैं। इस तरह से ५६ जातियां उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेज की लिखी हुई हैं। इनको सब तरह की एजूकेशन फैसेलिटीज दी जायें। अब उत्तर प्रदेश में कहीं पर ५६ जातियों की लिस्ट भेजी जाती है, कहीं पर सिर्फ १४ की भेजी जाती है तो कहीं पर २६ की भेजी जाती है। जब डिपार्टमेंटल चुनाव होता है तो वहां पर कहते हैं कि सिर्फ २६ जातियों की लिस्ट वहां पहुंची है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने यह चीज रक्खी कि यह चौदह जातियों की जो लिस्ट है यह महल धोखेबाजी है और यह गड़बड़ घुटाला और धोखेबाजी क्यों होती है ? इस मुल्क में वे लोग जिनकी कि आबादी ८५ प्रतिशत है उनका सरकारी मुहकमों में एक परसेंट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बाकी १५ फीसदी लोग सारे सरकारी मुहकमों में छाये पड़े हैं। मैंने चूंकि इस बारे में स्पेशल स्टडी की है इसलिये मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि सन् १९११ से सन् १९३१ तक जातियों के हिसाब से जो मर्दुमशुमारी हुई है उसमें एक परसेंट रिप्रेजेंटेशन भी इन अभागे लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है। इस भवन में और अन्य विधान परिषदों में हमारे हरिजन भाइयों को जरूर प्रतिनिधित्व प्राप्त है लेकिन हम देखते है कि वे यहां और अन्यत्र किस तरीके से रहते हैं। यह लोग बिल्कुल एक कान गही बकरी के समान आचरण करते है। वे सत्ता प्राप्त पार्टी के जो कि शासन को चलाते हैं उनकी कान गही बकरी के समान रहते हैं उनकी कृपा पर जिन्दा रहते हैं और उनकी कृपा पर हमारे हरिजन भाइयों को टिकट मिलता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री धनगर : मैं अदब से कहना चाहता हूं कि इस प्वाइंट को क्लरिफ़ाई करने के लिये मैं और प्वाइंट्स को छोड़ देता हूं, लेकिन इसके लिये मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर दिया जाये, ताकि मैं अपनी इस वार्ता को समाप्त कर दूं। इस वार्ता का महत्व इसलिये है कि भविष्य में हमारा देश गुलाम हो जाता है या अपनी आज़ादी को कायम रखता है। इस सम्बन्ध में इस देश की पुरानी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहले पठानों ने इस मुल्क को गुलाम बनाया। उस समय बारह हज़ार पठान एक तरफ़ थे और उनसे कई हज़ार गुना हिन्दू दूसरी तरफ़ थे। जिस वक्त इस मुल्क की आज़ादी को चैलेंज किया गया, तो उसका नतीजा यह हुआ कि पठान विजयी हुए और उनसे कई हज़ार गुना अधिक

हिन्दू हार गये। उसके बाद जब पठानों ने भी हिन्दुओं की गलती को दोहराया और अपने अन्दर कई प्रकार की जातियां बना लीं, तो उनको भी वही दुर्गति हुई और फिर इस्लामिक कौम मुग़लों की शक्ल में हिन्दुस्तान में आई और

"कारी गिना न सेत, सब को मारा एक ही खेत।"

उन्होंने पठानों को भी मार गिराया और हिन्दुओं को भी मार गिराया। इस देश में ग्यारह पीढ़ी पठानों ने और आठ पीढ़ी मुग़लों ने हुकूमत की और फिर देशी राजा और नवाबों की नई सभ्यता और संस्कृति ने जन्म पाया, जिसको बाद में सात समुद्र पार से आये हुए अंग्रेजों ने विध्वंश किया। उन्होंने छः पीढ़ी राज्य करके इसको खत्म कर दिया। प्रश्न यह है कि इस हार की वजह क्या थी। इसकी वजह वह नहीं है, जो कि स्मिथ और दूसरे तारीख के लिखने वालों, इतिहासकारों ने दी है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हिन्दुस्तान एक जातिवाद मुल्क है। इसमें हजारों जातियां हैं और इसमें सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता विकसित नहीं होने पाई। । जब राष्ट्रीयता का प्रश्न आता है, उस वक्त गांधी जी जैसे महात्मा गवर्नमेंट के शिकार कर दिये जाते हैं। पठानों और मुगलों से हिन्दुओं की हार की वजह यह है कि मुसलमानों में तो यह उसूल है कि अल्लाह एक है और सारे इन्सान उसके बन्दे हैं, उनमें कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत नहीं है। वे लोग कुरान शरीफ की मुसावात की थ्योरी को मानते हैं। इसके मुकाबले में हिन्दुओं की थ्योरी क्या है? हिन्दुओं में हजारों जातियां हैं---ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, अहीर, गडरिया, काछी, लोधी, नाऊ, कहार, तेली, तम्बोली, दर्जी, भर्जी, लुहार, सुनार, कुम्हार, धोबी, नट वग़ैरह। इसका परिणाम यह रहा है कि इस देश में कभी भी राष्ट्रीयता नहीं रही है।

मेरा निवेदन यह है कि जब तक इस देश में ८५ फी सदी लोग स्वतः तैयार नहीं होंगे, तब तक यह गहन समस्या हल नहीं हो सकती है। यह ठीक है कि पैसे की शक्ल में कुछ सहायता मिली है, लेकिन उसका प्रश्न नहीं है। यदि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया या राज्य सरकारों के मिनिस्टर देहात में जायें और भंगी के साथ खाना खायें और मेहतर की बारात में शामिल हों, यदि जवाहरलाल जी और दीगर मिनिस्टर अछूत भाइयों की शादियों वग़ैरह में शामिल हों, तो देहाती आदमी समझेंगे कि सरकार अस्पृश्यता-निवारण करना चाहती है, इसकी चर्चा अखबारों के कालमों में होगी और जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज स्थिति क्या है? राष्ट्रपति या गवर्नर के भोज में तो सब लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के हाथों से छीन छीन कर खाते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि देश में और समाज में अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन देहात में वही लोग कूद कूद कर अपने चौके में जाते हैं। यहां पर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का काम चलता रहता है, कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट हर साल छप जाती है, काफ़ी पैसा व्यय होता है, लेकिन वास्तव में परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

श्री दलजीत सिंह (कांगड़ा-रक्षित-अनसूचित जातियां) : माननीय सदस्य ने ८५ फ़ी सदी का जिक्र किया है। ८५ फ़ीसदी का क्या मतलब है?

†**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति, यह कोई प्रश्न काल नहीं है।

श्री धनगर : ८५ फ़ीसदी का मतलब .....

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री उइके (मंडला–रक्षित–अनसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदया, कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये अध्यक्ष महोदय के सुझाव के अनुसार जो बैठक हुई थी, उसमें मैंने इस रिपोर्ट की खास खास बातों पर अपने विचार प्रकट किये थे। अब इस सदन का समय उन बातों को दोहराने में खर्च न करते हुये कुछ अन्य बातें आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं।

कमिश्नर ने इस रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिये हैं। अगर सरकार उन पर अमल करे—पूरा अमल न करके अगर पचास फीसदी अमल ही करे, तो भी बहुत से काम हो सकते हैं। हम कई रिपोर्टों पर विचार करते चले आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिपोर्टों पर बहुत कम विचार करती है। मेरा पहला सुझाव यह है कि चूंकि इस रिपोर्ट पर पार्लिमेंट में जो विचार होता है, उसका असर स्टेट गवर्नमेंट्स पर उतना नहीं होता, जितना कि होना चाहिये, इसलिये केन्द्रीय सरकार हर एक राज्य सरकार को यह आदेश दे कि इस रिपोर्ट पर हर विधान सभा में बहस होनी चाहिये। अगर राज्यों की विधान सभाओं में इस रिपोर्ट पर बहस होगी, तो वहां के स्थानीय पत्रों में वे बातें प्रकाशित होंगी, वहां के एम० एल० एज़० सरकार के काम के संबंध में नुक्ता-चीनी करेंगे और इस प्रकार राज्य सरकारें अधिक काम करने के लिये मजबूर होंगी।

इस ढाई महीने के समय में मैं जो कुछ बातें प्रत्यक्ष देकर आया हूं, उनका जिक्र करना चाहता हूं। बस्तर में करीब नौ लाख आदिवासी हैं। वहां की हालत क्या है ? इस रिपोर्ट में दिया हुआ है और राज्य सरकार भी कहती है कि ८५ लाख रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में खाली बस्तर जिले पर खर्च हुआ आदिवासियों के उत्थान के लिये। ८५ लाख रुपया जिस जिले में खर्च हुआ, उस जिले में मुझे क्या देखने को मिलता है ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीकांत जी ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक तरफ दण्डकारण्य स्कीम चल रही है, दूसरी तरफ बेलाडोला में काम हो रहा है और तीसरी तरफ रेलवे लाइन निकल रही है। इन कामों के सिलसिले में बाहर से भी लोग वहां गये हुये हैं। जब मैंने पहले दिन बस्तर जिले में प्रवेश किया, तो मुझे यह देखने को मिला कि एक आदिवासी अपने कुटुम्ब को, जिसमें उसकी बूढ़ी माता भी है, लेकर चला जा रहा था। मैंने देखा कि दण्डकारण्य के एक ट्रक का ड्राइवर उस आदिवासी को मार रहा था। वहां हमारी दो तीन जीपें खड़ी हुई थीं एक जीप कलक्टर की भी थी। जब उसको पूछा गया कि उस को क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि अभी तो मार रहा हूं, फिर ट्रक से बांध कर पीछे खींचता हुआ ले जाऊंगा। उसने कहा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। दस मिनट तक उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे वहां पर खड़े होते हुये भी उसने उसको मारना बन्द नहीं किया....

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : आप शुक्र करो कि आपको नहीं मारा।

श्री उइके : हो सकता है कि हमें भी मारता लेकिन मारा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो कोई खतरा नहीं है। आप बेबाकी से बोलें।

श्री उइके : जी हां, यहां कोई खतरा नहीं है।

ट्रकें और दूसरी जितनी भी चीजें बाहर से वहां आई हैं, मेरी प्रार्थना है कि उसके ऊपर भी आप नजर रखें। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। एक दिन के लिये जब हम जिले

का दौरा करने के लिये जाते हैं तो आदिवासियों की जो समस्यायें हैं वे हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उनसे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो हजारों ट्रकें इस जिले में चल रही हैं, जो दण्डकारण्य स्कीम चल रही है, रेलवे का जो सर्वे कार्य चल रहा है या बेलाडीला के उत्थान का कार्य चल रहा है. इनमें लगे हुये लोग हर रोज कितने आदिवासियों को मारते होंगे और कितनी उनकी हत्तक करते होंगे, बेइज्जती करते होंगे। इस सबका अनुमान लगाना आपके लिये भी मुश्किल नहीं होना चाहिये।

मैं बस्तर की जेल में गया हूं। वहां मैंने कैदियों का खाना खाया है, रिकार्ड को देखा है और मैंने पाया है कि जितने वहां कैदी हैं, उनमें से ७५ परसेंट ऐसे हैं जो कि दफा ३०२ के अन्तर्गत कत्ल के मामलों में गिरफ्तार किये गये हैं। इस तरह के मामलों की छानबीन करने में सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, लोग जाकर खुद ही बता देते हैं पुलिस थाने में कि हमने फलां आदमी को कत्ल किया है और इस तरह का बयान वे अदालतों में भी दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको बीस बीस साल तक जेलों में रहना पड़ता है। ये लोग जो मारपीट करते हैं या कत्ल करते हैं, बाहर वालों से नहीं करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं। आज तक रियासती समय में या इस आजादी के पिछले तेरह सालों में वहां की जेलों के रिकार्ड यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने किसी अनादिवासी को या किसी रियासती अफसर को या किसी सरकारी अफसर को मारा है। वे सीधे सादे, भोले भाले लोग हैं। बाहर वालों से छेड़खानी वे नहीं करते हैं। पर बाहर वाले जो लोग जाते हैं वे जगह जगह उनकी मारते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। ऐसी हालत में क्या हम ट्राइबल वैल फेयर कर रहें हैं? ऐसी सूरत में इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें लिखने से क्या फायदा, ८५ लाख रुपया खर्च करने से क्या लाभ?

वहां पर रेलवे लाइन निकल रही है। रेलवे लाइन के लिये जितनी जमीन नापी जाती है, उसमें काश्त करना बन्द कर दिया जाता है और जिनकी जमीन ली जाती है उनको जल्दी पैसा नहीं दिया जाता है। शायद उनको पैसा देने में दो तीन साल लग जायेंगे। तब तक तो मैं समझता हूं कि वे लोग अपने घर, अपने गांव, अपना सब कुछ छोड़ कर चले जायेंगे और कम्पेंसेशन लेने वाला कोई बच नहीं रहेगा। इस वास्ते आपको चाहिये कि जो भी कम्पेंसेशन देना हो जल्दी से दे दिया जाये।

वहां दण्डकारण्य योजना चली है। उस पर कितने ही करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत हमारे बंगाली भाइयों को लाकर बसाया जायेगा। यह कहा गया है कि इस योजना से २५ परसेंट आदिवासी भाइयों को भी लाभ मिलेगा। मैं दण्डकारण्य को देखने के लिये गया हूं और उस जगह को मैंने देखा है जहां पर डिवेलेपमेंट का काम हो रहा है। वहां के एडमिनि स्ट्रेटर से भी मैं मिला हूं। वहां पर वहां की जनता भी काफी इकट्ठी हो गई थी। उसने बताया कि १८ गांव हैं और हर एक गांव में चार सौ के करीब बैल, गाय भैंस, बकरी इत्यादि हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर ला कर के वहां पर जमीन को साफ कर दिया गया है। अब इन गांवों के लोगों के पास जानवरों को चराने के लिये कोई जगह नहीं बच रही है और उनको जानवरों को चराने के लिये दस मील दूर ले जाना पड़ता है। इन १८ गांवों में छः हजार के करीब लोग रहते हैं। यहां पर ७०० फैमिलीज़ को लाकर बसाया जाने वाला है। अगर एक फैमिली में पांच पांच मैम्बर हों तो इसका मतलब हुआ कि ३५०० लोग यहां बसाये जायेंगे। जब ये यहां बस जायेंगे तो ये जो ६ हजार भाई हैं, उनको शरणार्थी आप बना देंगे। उन लोगों ने कहा कि आज तो दस मील हमें जानवरों को चराने के लिये लें जाना पड़ता है लेकिन जब कल यहां पर शरणार्थी भाई आकर बस जायेंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरफ से हम अपने जानवरों को चराने के लिये ले जायेंगे? अगर हम अपने

[श्री उइके]

जानवरों को बाहर ले जायेंगे तो वे लोग हमारे जानवरों को काजी हाउस में बन्द कर देंगे, हम तब अपनी परवरिश कैसे करेंगे । इसके उत्तर में बताया गया कि एक दूसरी जगह है, नारायणपुर एक केन्द्र है, जो ५२ मील दूर है, वहां पर बसने जायें। इस सब का अर्थ यह हुआ कि ३,५०० शरणार्थियों को वहां बसा दिया जायेगा और जो ६,००० वहां बसे हुये हैं उनको शरणार्थी बना दिया जायेगा ।

दण्डकारण्य में जो रजिस्टर रखे हुये हैं उनको मैंने देखा । मैंने पाया कि बंगाल सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महीने में छः बार शरणार्थियों के कल्याण कार्य को देखने भेजा है लेकिन जो हमारे प्रदेश के अफसर हैं या जो केन्द्र के अफसर हैं वे कभी भी आदिवासियों के भलाई के कार्यों को जाकर नहीं देखते हैं। मैंने बिज़िटर बुक को देखा और पाया कि कोई भी अधिकारी आकर आदिवासियों के कल्याण के कार्यों को नहीं देखता है ।

उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक एग्रीमेंट कर रखा है ट्राइबल वैलफेयर के बारे में ।

दण्डकारण्य को शुरू हुये चौथा साल आ रहा है, आज तक एंथ्रोपोलोजिस्ट एप्वांइट नहीं हुआ है। कौन देखेगा ट्राइबल वैलफेयर को ? यह समस्या बस्तर जिले की है। वहां एक तरफ दण्डकारण्य है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, तीसरी तरफ ट्रक वाले हैं और चौथी तरफ उस जिले में कोई सैटलमेंट नहीं है। सैटलमेंट के कारण भी वहां बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस जिले में इधर उधर जंगलों में लकड़ी पड़ी हुई है, जल रही है लेकिन वहां के लोग जलाने के लिये लकड़ी के लिये तरसते हैं। हमारी सरकार कहती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८५ लाख रुपया वहां खर्च किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा कल्याण का काम वहां किया गया है । कोई भी कल्याण कार्य नहीं किया गया है। सब अकल्याण ही अकल्याण हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ला एंड आर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन वहां जो फाइरिंग हुआ उसमें १२ आदिवासी मारे गये। आज तक उनको कम्पेंसेशन नहीं मिला है। यह ट्राइबल वैलफेयर डिपार्टमेंट का काम था कि वह देखता कि उनको कम्पेंसेशन जल्दी मिले। हमारे कमिश्नर साहब का काम था कि वहां जाकर देखते कि जो लोग मारे गये हैं या जो जख्मी हो गये हैं, उनके कुटुम्बियों की क्या हालत है ? मैं समझता हूं कि ८५ लाख रुपया खर्च न करके अगर आपने अपने दिल और दिमाग वहां पर लगाये होते और सहानुभूति से आप पेश आये होते तो यह फाइरिंग ही न हुआ होता। छः महीने पहले से अखबारों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि वहां गड़बड़ी होगी मगर किसी ने इस बात की चिंता नहीं की। इनको चाहिये था कि उनके बीच जाकर वे उनकी दशा को देखते। आदिवासियों के बारे में समय समय पर अखबारों में स्टेटमेंट निकलते रहते हैं लेकिन उनका नतीजा क्या होता है ? वहां पर जो फाइरिंग हुई वह उचित थी या अनुचित, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर संविधान ने आपके ऊपर आदिवासियों के बारे में कुछ बंधन लगाये हैं, कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं और आपको उनका कल्याण करना है तो ऐसा न करें कि कागजों पर बड़ी बड़ी रिपोर्टें आप छाप दें और उनको अखबारों में पबलिश करवा दें और लोगों को बता दें कि इतने करोड़ रुपया इनके कल्याण के लिये खर्च कर दिया गया है बल्कि यह देखें कि उनका वास्तविक कल्याण हो। अगर आप ठोस कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी उनका कल्याण हो जायेगा, बहुत जल्दी उनका उत्थान हो जायेगा। तब न इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा न इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी ।

छोटी छोटी बातों के लिये हम रोते हैं, हम कहते हैं, स्कालरशिप वक्त पर नहीं मिलती हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। इनको आप जाने दीजिये आज तो उन लोगों को खाने को नहीं मिल

रहा है, उनके पास जो जमीन है, वह उनसे छीनी जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। जो आदिवासी बस्तर में हैं, उनको रियासत के जमाने में १५ एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई थी। उन्होंने उसमें से दो तीन एकड़ जमीन जोती और १३ एकड़ के ऊपर झाड़ उगाया। आज उनको कहा जा रहा है कि यह जो १३ एकड़ जमीन है, यह जो जंगल है, यह तुम्हारा नहीं है। अगर यह जमीन उन से ले ली जाती है तो उनका क्या होगा, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है, अगर इस पर बहस विधान सभाओं में भी हुआ करे तो राज्य सरकारें जिस सुस्ती से आज काम करती हैं आदिवासी कल्याण के मामले में, उस सुस्ती से वे काम नहीं करेंगे और काम तेजी से हो सकेगा।

अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं। मैं रायगढ़ जिले की जसपुर तहसील में गया था। मिशनरियों की जो खास खास जगहें है मैंने उन को देखा। उन लोगों से जा कर मिला। मैंने आदिवासी विभाग के केन्द्रों को जाकर देखा, साथ ही जो हमारे कल्याण केन्द्र हैं जिन के सम्बन्ध में श्री प्रकाशवीर शास्त्री कह रहे थे, उन को भी मैंने देखा। मुझे उन सबों में बहुत फर्क मिला। एक तो आदमियों के साथ माता पिता जैसा प्रेम करते हैं और दूसरे अपनी हुकूमत करते हैं, और तीसरे लोग पैसा कमाने के लिये काम करते हैं। अगर इस तरीके से काम होगा तो आखिर आदिवासी कहां जायेंगे? वे उसी तरफ जायेंगे जहां उन को माता पिता का प्रेम मिलेगा। जहां पर अफसरों की हुकूमत मिलेगी वहां नहीं जायेंगे, जहां पर पैसा कमाने की बात होगी वहां पर भी नहीं जायेंगे। तो इस तरह से काम सही ढंग से नहीं होता है। मुझे जसपुर तहसील में यह देखने को मिला कि लड़के अपने गांव से चार मील दूर पढ़ने को जाते हैं। उन के गांव के अन्दर दो स्कूल हैं, एक आदिवासी विभाग का और दूसरा जनपद का, लेकिन वह उन स्कूलों में न जा कर चार मील पैदल चल कर मिशनरी स्कूल में जाते हैं। यह सोचने की बात है कि आखिर वह चार मील पैदल क्यों जाता है जब कि उन के गांव के अन्दर आदिवासी विभाग का और जनपद के ऐसे दो स्कूल हैं। खाली नुक्ताचीनी करने से कुछ नहीं होगा। हम को इस पर गौर करना होगा और स्वीकार करना होगा कि यह काम किसी आर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एजेन्सी के ऊपर डाल कर अपनी जिम्मेदारी टालने से आगे नहीं बढ़ेगा। सारा काम सरकार को करना होगा। अगर आज ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? हमारी कोई जबर्दस्ती नहीं है। जो भी आज इस कार्य में लगे हुए हैं उन में से किसी को ठीक से जानकारी नहीं है किसी बात की। अगर आप ने हमारे लिये कुछ नहीं किया तो जैसे ईश्वर हमें रक्खेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन संविधान ने आप के ऊपर जिम्मेदारी रक्खी है हरिजनों और आदिवासियों को ऊपर उठाने की। आदिवासियों के बीच में जो काम हुआ है वह इस किताब में लिखा है। इस रिपोर्ट को देख कर आदिवासियों के लिये करोड़ों रुपयों का काम हो रहा है, यह हमें नहीं सोचना चाहिये। वास्तव में आदिवासियों के लिये कुछ काम हो तो जरूर रहा है, लेकिन जिस ढंग से हो रहा है उस से आदिवासियों का कल्याण होने वाला नहीं है।

इतना कह कर मैं अपना भाषण खत्म करना चाहता हूं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर जो विचार चल रहा है, मैं उस में भाग लेने के लिये सदन में खड़ा हुआ हूं। पहले भी यह रिपोर्ट अपने रूप में हमारे सामने आती रही है। इस समय भी जो रिपोर्ट हमारे सामने है उस में उन्हीं बातों का

[श्री बाल्मीकी]

समावेश है। अस्पृश्यता की विभीषिका आज भी सारे देश के अन्दर विद्यमान है, अस्पृश्यता का प्रभाव किसी प्रकार भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश के अन्दर जो भी प्रयत्न सरकारी रूप में या गैर सरकारी रूप में चल रहे हैं, उन के पीछे भी एक ऐसी भावना प्रतीत होती है, जैसी भावना कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने यहां पर प्रदर्शित की, अर्थात् यह कि जब भी कोई कार्य यहां पर मिशनरियों के द्वारा शुरू किया जाता है तो उसका रूप कुछ होता है और उसके पीछे भावना कुछ और होती है। आज इस बात का प्रयत्न जरूर है कि देश में अस्पृश्यता की विभीषिका कम हो और जो इस विभीषिका के शिकार हैं, उन के मस्तिष्क के अन्दर कुछ सन्तोष पैदा हो कि देश में अस्पृश्यता निवारण का जो कार्य चल रहा है उस से उन के जीवन के अन्दर कुछ उत्थान पैदा होगा और वे भी सच्चे मानव के रूप में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह बात अवश्य है कि आर्य जाति ने संसार को जो ज्ञान दिया वेद के रूप में, एक वैदिक समाज के रूप में, उस के अन्दर जो मानव का ऊंचा स्थान है, उस की ओर देश बढ़ता हुआ कहां प्रतीत होता है। मैं यहां विशेषकर यह प्रदर्शित करना चाहता हूं कि हमारी हिन्दू जाति या आर्य जाति ने मनुष्य को ही मनुष्य मान कर उसका आदर नहीं किया बल्कि हर एक जीव में, जो छोटे से छोटा जीव हो सकता है, उस में परमात्मा का अंश मान कर और उसे मानवता तथा पवित्रता का रूप मान कर, उस का पूरी तरह आदर किया है। मैं इस सम्बन्ध में एक भागवत का श्लोक इसलिये रखना चाहता हूं कि आप के सामने एक विशेष भावना और एक विशेष विचार आ सके :

"मृगोष्ट्खरमर्कखुसरीसृपखगमक्षिकाः ।
आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत् ।।"

गृग, ऊंट, गदहा, बन्दर, चूहा, सर्प, पक्षी, मक्खी अर्थात् प्राणिमात्र को पुत्र के समान प्रेम की दृष्टि से देखें। सारे प्राणीमात्र को ही हम अपना समझें और किसी प्रकार किसी से भेद भाव न रक्खें। लेकिन फिर भी इस प्रकार के भेद प्रभेद आज देश के अन्दर नजर आते हैं जिससे कि हमारा सदियों का हीनतम इतिहास हमारी आंखों के सामने आ जाता है इन भेद प्रभेदों के कारण हमें कितने अत्याचार सहन करने पड़ते थे। यह बात जरूर है कि इन बातों की तरफ हमारे जो आयुक्त हैं वे समाज तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि समाज के अन्दर रहने वाले सभी प्राणियों का देश के अन्दर एक ऐसा समान समाज बन सके जिस में सब के लिये उचित स्थान हो, और यही नहीं, बल्कि उस स्थान में किसी प्रकार के भेद प्रभेद, भले ही वे जातिगत भावना से हों, धन की भावना से हों या जो पद-पदवी बांटे जाते हैं उन की भावना से हों, नजर नहीं आने चाहियें। लेकिन यह बात यहां पर हकीकत में पूरी तरह दृष्टिगोचर नहीं होती है। हमें वाणी के पीछे भी अगर इस प्रकार की स्थिति का प्रकाश मिल सके तो मैं उसे मान सकता हूं, लेकिन आज भी जिस प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन के पीछे जो कटुता है, उस के कटु प्रभाव को भी हम देखते हैं। अभी कल रात को जब मैं मोटर से अपने शहर से आ रहा था तो बस के अन्दर झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अन्दर एक आदमी एक दम से कूद कर बोला : "भंगी का बच्चा बना कर छोड़ूंगा, समझता नहीं है ?" इस से पता चलता है कि देश के अन्दर किस प्रकार की कटुता विद्यमान है, और मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार की कटुता आज सरकारी दफ्तरों के अन्दर, नौकरियों के अन्दर, पढ़े लिखे लोगों के मन के भीतर, बे पढ़े लिखे लोगों के मन के भीतर, सब स्थानों पर नजर आती है। इस प्रकार के कटु शब्द जब हमारे सामने आते हैं तो वे किस प्रकार हमारे हृदय को बींधते हैं, इसे आप जानते हैं। एक गोली का घाव या तलवार का घाव

भर सकता है परन्तु बातों का घाव नहीं भर सकता। बातों के घाव के कारण जो घातक घटना हो सकती है उस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक श्लोक है :

"कर्णिनालीकनाराचान्निर्हरन्ति शररतः ।
वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुं शक्यो हृदिशयो हि सः ।।"

तीर या बन्दूक की गोली शरीर में बैठ जाने पर उसे शरीर से निकाला जा सकता है, तीर का घाव यदि हृदय में बैठ गया हो तो वह हृदय अच्छा हो सकता है, लेकिन कटु शब्द का जो घाव है वह कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिये वाणी का प्रयोग समाज में खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये। आज वह वाणी का प्रेम और सद्भाव भी हमें नहीं मिल सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इस प्रकार से हमें सरकारी नौकरियों के अन्दर कुछ स्थान दिया जाता है। मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हमारे लिये कुछ नहीं हुआ है। हमारे लड़के थानेदार हो गये हैं, डिप्टी कलेक्टर हो गये है, डाइरेक्टर बन गये हैं, ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हैं, छोटे छोटे स्थानों पर भी बैठे हैं, असिस्टेंट्स हैं, दूसरे पदों पर हैं, एल० डी० सी० हैं, यू० डी० सी० हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस ओर ध्यान देती हैं और वहां पर इस प्रकार के सहृदय मानव हैं जो हमारी समस्याओं को समझते हैं, हमें उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रमोशनों के अन्दर, तरक्कियों के अन्दर इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न की जाती हैं जिन के लिये मैं कहने के लिये तैयार हूं कि वे दुर्भावनापूर्ण हैं। हमें इस तरह की बातें सरकारी दफ्तरों में देखने को मिलती है। वे सरकारी अधिकारी जो हमारे सिर पर ऊंचे बन कर बैठे हुए हैं वे किस प्रकार से वाणी का प्रयोग करते हैं और वाणी के तीर या गोली मारते हैं और उन से जो घटनायें हो जाती हैं, उन को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। एक घटना जो मेरे दिमाग में आती है वह इस प्रकार है :— अभी १६ मई, सन् १९६१ की घटना है कि हमारा एक नौजवान आई० डी० प्रसाद जो कि मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अन्दर एक असिस्टेंट था, उद्योग भवन की इमारत से नीचे गिरता है। मैंने उसकी लाश को देखा और इधर उधर की बातें भी देखीं। यह बात सही है कि उसकी पुलिस जांच हुई। लेकिन आप देखें कि उसके पीछे क्या रूप है। मैं विशेष रूप से उस तरफ नहीं जाना चाहता लेकिन हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। चन्द दिन पहले उससे उसके साथियों ने या दूसरे अधिकारियों ने कुछ कटु शब्द कहे। उसकी धर्म पत्नी ने भी इस प्रकार का आवेदन पत्र सरकार में पेश किया है। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ और पुलिस की भी जो छान बीन है वह हमारे सामने नहीं आयी। हमारे मन में यह विचार आते हैं कि इस घटना के पीछे जातिगत दुर्भावना काम कर रही है। आदरणीया मंत्राणी जी यहां मौजूद हैं, और मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस घटना की ऊंचे ढंग से और सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाए और हमें मालूम हो कि इसके पीछे क्या भावना थी और बहुतथ्य सामने आने चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे लिए प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं लेकिन हमें देश के अन्दर सद्भावना तक नहीं मिल पाती और इस प्रकार की घटनायें हमारे सामने आती हैं। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर ठीक प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकतीं। यह ठीक है कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने इस प्रकार की कुछ घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है लेकिन जो इस प्रकार की अमानुषिक घटनाएं देश में होती हैं उनसे हमारे अन्दर उत्तेजना जागृत होती है और उनके कारण हमको जो अपमानों का सामना करना पड़ता है उससे आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जो छोटे छोटे हरिजन कार्यकर्ता गांवों में और नगरों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये काम करते हैं उनको

[श्री बाल्मीकी]

इस प्रकार की स्थितियों का प्रायः सामना करना पड़ता है । मेरठ जिले में सरदार प्रीतम सिंह प्रभाकर का जो कत्ल हुआ है वह इस बात को जाहिर करता है कि उसके पीछे जातिगत दुर्भावना है । उसके पीछे एक शार्ट साइटेडनेस है जिसके कारण हम खुल कर अपनी बात नहीं कह सकते । इस बात को मैं आपके सामने नहीं लाना चाहता कि किस प्रकार इन घटनाओं से हमारे अन्दर उद्वेलन होता है, लेकिन हम आपको उस उद्वेलन के कारण दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहते । आज बहुत सी ऐसी राजनैतिक पार्टियां हैं जो साम्प्रदायिक और जातिगत भावनाओं को उभारने का विचार रखती हैं । लेकिन जहां तक हरिजनों का सवाल है हम लोग देश के साथ हैं । आज भी हम धर्म के साथ हैं । लेकिन हमको प्यार, और सद्भावना का व्यवहार मिलना चाहिये । इस ओर मैं ने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आज भी अस्पृश्यता की कठोरता विद्यमान है । हमारे कमिश्नर महोदय ने भी कुछ ग्रामों की इस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न होना चाहिये और इस काम को केवल अधिकारियों पर ही न छोड़ देना चाहिये । बल्कि समाज में इस कलंक को दूर करने के लिये जोरदार प्रयत्न होने चाहियें ।

सन् १९५५ में आपने अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम पास किया था लेकिन उसका पूरे रूप से पालन नहीं होता । गांवों में अगर हरिजन लोग कुंओं पर जाते हैं या अपने दूसरे सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो वहां के अन्य लोगों की ओर से उनको रोका जाता है और अनेक घटनाएं होती हैं । उनकी थानों में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती । इस प्रकार जो आपने कानून बनाया है उस पर अमल नहीं होता है । इसलिये इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि उस कानून पर अमल हो सके । इस कानून का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये ।

अभी मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए जाते हैं उनमें से अगर ५० प्रतिशत पर भी अमल किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि अस्पृश्यता का यह अभिशाप कम न हो सके और जो हमारे मानव जाति को उठाने के प्रयत्न हैं वे आगे न बढ़ सकें ।

एक बात का जिक्र बहुत दिनों से आ रहा है कि देश में बहुत से ऐसे गाव हैं जहां अभी भी अस्पृश्यता मानी जा रही है । मैं चाहता हूं कि उन गांवों की सूची हमारे सामने आवे ताकि हम जान सकें कि वे कौन से गांव हैं जहां अभी अस्पृश्यता जारी है ।

श्री रामसेवक यादव : हिन्दुस्तान के ६ लाख गांव ही वह सूची है ।

श्री बाल्मीकी : यह काम हो सकता है । सरकार को इस काम में कोई दिक्कत नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ग्रामों में अभी भी अस्पृश्यता मानी जाती है उनकी सूची तैयार की जाए ।

जहां तक हरिजनों को कानूनी सहायता मिलने का सवाल है वह उनको वक्त पर नहीं मिल पाती । मैं चाहता हूं कि उनको कानूनी सहायता समय पर देने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ।

यह ठीक है कि आप अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन इसके लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि अस्पृश्य और हरिजनों के जीवन स्तर को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया

जाए, उनको खेती के लिये और आवास के लिए जमीन दी जाए और जो भूदान की और चकबन्दी की जमीन है वह भी उनको बराबर मिले। अभी जो चकबन्दी हो रही है उसमें हरिजनों को जमीन नहीं मिलती, बल्कि जो उनके रहने और खेती की जमीनें हैं वे भी उनसे छीनी जा रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में और दूसरे राज्यों में। इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकारी अधिकारी और पुलिस कोई भी ध्यान नहीं देते कि हरिजनों को यह सुविधाएं प्राप्त हो सकें और उन्हें सुरक्षा मिल सके।

बंजर भूमि के बारे में हम बहुत दिनों से कहते चले आ रहे हैं लेकिन बंजर भूमि भी उनको रहने के लिये नहीं दी जाती। इंडस्ट्री और उद्योगों में उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके लिये उनको आर्थिक सहायता ना के बराबर मिलती है। उनको व्यापार तथा उद्योग धन्धों के लिये परमिट दिये जाने चाहिये। हरिजनों के नाम से जो कोआपरेटिव सोसाइटियों को परमिट दिए जाते हैं उनसे हरिजनों को लाभ नहीं होता। हां, रेलवे विभाग के अन्दर हमारे एक मात्र नेता बाबू जगजीवन राम के प्रयत्न से और डिप्टी मिनिस्टर की सद्भावना से हरिजनों को नौकरियों में स्थान मिलने लगे हैं और उनको पानी पिलाने के और दूसरे स्थान मिले हैं। साथ ही फलों, चाय आदि के ठेके मिले हैं। इसके लिये हरिजन उनको धन्यवाद देते हैं।

अब मैं छात्रवृत्तियों के प्रश्न पर आता हूं। जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं उनमें पिछड़ी जातिवालों की छात्रवृत्तियों में कमी की गई है। उनको ज्यादा वजीफे मिलने चाहिये। हरिजनों को जो वजीफे दिए जाते हैं उनके बीच में अब मैरिट का सवाल आ गया है। इस कारण भंगी कंजर आदि जो बहुत पिछड़े वर्ग हैं उनको वजीफे नहीं मिल पाते। ये लोग गरीबी और पिछड़ेपन के अभिशाप में ग्रस्त हैं। अगर इनको वजीफे देने के लिये मैरिट की शर्त रखी गयी तो इनकी उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रिपोर्ट के पहले पेज पर एक बहुत सुन्दर चित्र दिखाया गया है जो कि बताता है कि किस प्रकार सिर पर पाखाना ढोने की लानत को खत्म किया जाएगा और यह काम हाथ गाड़ी द्वारा किया जाएगा। इसी चित्र में दिखाया गया है कि एक माता छोटी मूठ की झाड़ू लिए कमर झुकाए काम कर रही है और दूसरी माता किस प्रकार लम्बी मूठ की झाड़ू लिए काम कर रही है। हमको इस चित्र में इस घिनौने काम का बदला हुआ रूप दिखाया गया है। इस में एक शान है। भंगी का सवाल अत्यन्त कठिन है। भंगी सदियों से समाज की तह में बैठा हुआ है। उसकी दशा को सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान विनोबा जी के शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

> "अस्पृश्यता निवारण का अर्थ किसी को अस्पृश्य न समझना इतना ही नहीं है बल्कि किसी भी समाजोपयोगी कार्य को अस्पृश्य न मानना वह भी है। पाखाने साफ करना सिर्फ भंगी का ही काम है, यह भावना चली जानी चाहिये। उससे तो स्वच्छता का सच्चा शिक्षण मिलता है। सार्वजनिक स्वच्छता को कैसे रखा जाए, इसका भी पाठ उससे मिल जाता है।"

भंगियों के काम के तरीके में तबदीली की जाए, उनको रहने के लिये जमीन मिले, साथ ही उनके काम को घृणा की दृष्टि से न देखा जाए। भंगी जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उसकी सिफारिशें भी गृह मन्त्रालय के सामने हैं और वे बहस के लिये कभी सदन के सामने आएगी। लेकिन यह जरूरी है कि सारे देश के अन्दर भंगी की स्थिति को बदला जाए और सफाई पेशा लोगों की स्थिति को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। पहिली योजना में हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, दूसरी योजना जा रही है। उसका भी हमारे पर कोई

[श्री वाल्मीकि]

असर नहीं हुआ। अब तीसरी योजना का पूरा रूप हमारे सामने है। मेरा निवेदन है कि जब तक हरिजनों के उत्थान के काम को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक भंगी के काम करने के तरीके को नहीं बदला जाता, तब तक देश के अन्दर कोई विशेष तरक्की नहीं नजर आएगी। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में अस्पृश्य समझे जाने वाले भंगी और अति शूद्र लोगों की ओर ध्यान दिया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने अपने इस प्रतिवेदन में उनकी ओर ध्यान दिया है और उचित यह होगा कि इस अस्पृश्यता की समस्या को विशेष प्रकार की प्राथमिकता देते हुये हल किया जाय। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये और उसके लिए कदम उठाने होंगे कि मेहतर, भंगी और बाल्मीकी कहलाने वाले सफाई पेशा लोगों का जीवन बेहतर हो सके, उनका उत्थान हो सके और वह भी यह महसूस कर सकें कि हम भी इस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले महान् देश के नागरिक हैं और हमारा भी उसमें एक स्थान है। जरूरत इस बात की है कि आज लोगों के दिमागों के अन्दर जो अस्पृश्यता का पाखाना है, अस्पृश्यता की विभीषिका है और अस्पृश्यता का कूड़ा करकट है वह सब के दिमागों से हट जाय और उसका निवारण हो जाय। ऐसा होने पर ही हम एक ऐसी मानव जाति यहां इस महान देश में पैदा होते देख सकेंगे जोकि सही मायने में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होगी और हमारा राष्ट्र तथा समाज इस जातिपांति और छुआछूत की लानत से दूर रह कर प्रगति पथ पर चल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने का समय दिया गया तो वह दूसरों का वक्त छीनने के लिये तैयार रहें।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष हम यहां पर आयुक्त महोदय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करते हैं और बहस करते हैं। उनकी रिपोर्ट के अन्त में एक बड़ी लम्बी सूची होती है उन सिफारिशों की जिनकी कि कमिशनर साहब करते हैं। आयुक्त महोदय अपने अनुभव के आधार पर जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनको उसमें रखते हैं। वह समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं और हम भी देखते हैं। यह आशा होती है कि इस बार जो समस्याएं कमिश्नर महोदय ने सुझाई हैं सम्भवतः उनका समाधान हो जायगा। मैं पिछले ८–९ साल से बराबर यह देखता चला आ रहा हूं कि हमें यह पता नहीं लगता कि है कि कमिश्नर महोदय ने जो सिफारिशें कीं उनमें से कितनी सिफारिशों पर अमल किया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कमिश्नर महोदय ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से कितने प्रतिशतः के ऊपर अमल किया गया? राज्य सरकारों ने उस पर कितना अमल किया है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर कितना ध्यान दिया है। इसके बारे में जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है नहीं तो कमिश्नर साहब बराबर सिफारिशें करते चले जायेंगे और सिफारिशों की लिस्ट बराबर बढ़ती चली जायगी और फिर यह भावना पैदा होगी कि लिस्ट तो बढ़ती जा रही है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें और जब वे अपना उत्तर दें तो इस बात का जरूर जवाब दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने बड़े जोरदार शब्दों में एक बात कही है। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि हरिजनों का उद्धार और उत्थान करना चाहती हैं। अब मैं तो यह जानता हूं कि जो कोई हरिजनों का उत्थान करना चाहता है और उद्धार करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है तो उसमें कहने वाली बात नहीं होती है। उसमें तो रचनात्मक काम करना पड़ता है। जिन संस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने हरिजनों के उत्थान का कितना कार्य किया उन लोगों की प्रगति के वास्ते कितना

काम किया यह अगर वह बता सकते तो कुछ बात भी होती। वे बतलाते कि उनकी संस्थाओं ने हरिजन उद्धार का इतना काम किया है और दूसरी संस्थाएं जिनको कि अनुदान दिया जा रहा है उन्होंने उनकी तुलना में कोई ज्यादा काम नहीं किया है या कम काम किया है या बहुत कम काम किया है तो मैं समझ सकता था कि उनकी बात ठीक है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने यह कुछ नहीं बताया। जब वह मुझ से मिले थे तो मैंने उनसे यह कहा भी था। आज अवस्था यह है कि कुछ राजनैतिक पार्टियां हर बात को एक उद्देश्य बनाना चाहती हैं और उद्देश्य बना कर बहुत लम्बी चौड़ी बातें कह कर उससे लाभ उठाना चाहती हैं। ठीक उस तरीके का लाभ उठाना चाहती हैं जिस तरीके का कि वह दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी सदस्य इस तरह की बात कहें वे यह भी सोचें कि उन्होंने स्वयं हरिजनों के उत्थान और उद्धार के लिए कितना काम किया है।

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं जो कि मैं सदन् के सामने रख देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उन पर गौर किया जायगा। एक चीज तो यह है कि ७५० रुपये का मकान बनाने के वास्ते जो अनुदान देते हैं मेरी समझ में यह बिलकुल अपर्याप्त है। इसके द्वारा हरिजनों के हृदय के अन्दर हम एक ऐसी भावना को जन्म दे रहे हैं जिसमें कि उनकी अवस्था एक भीख मांगने वाले की जैसी हो जायगी। मैं चाहता हूं कि या तो हम उनको अच्छे मकान दें और उसके लिए पूरा अनुदान दें। उनको जमीन दें और जमीन पर मकान उनको बना कर दें वरना यह जो ७५० रुपये का अधूरा अनुदान देते हैं इससे एक अच्छा मकान नहीं बन सकता है। ७५० रुपये के अन्दर एक अच्छा मकान नहीं बन सकता है। अगर आप अनुदान की रकम नहीं बढ़ा सकते तो इस अधूरे सिलसिले को आपको बंद कर देना चाहिए। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप बजाय उनको अनुदान देने के कर्जा दीजिए और इतना ऋण दीजिए ताकि वह एक अच्छा मकान बना सकें। लेकिन जो कर्जा आप दें वह सूदरहित होना चाहिए। उस पर सरकार को व्याज नहीं लेना चाहिए। ताकि हरिजन लोग आसानी से उसकी उतार सकें। जिस तरीके से मकान बनाने के लिए और बहुत सारे कर्जे दिये जाते हैं और जिनको कि तीस साल की बराबर किश्तों में लिया जाता है, उसी आधार पर इसके लिए भी एक योजना बनाई जाय ताकि ३०, ४०, और ५० वर्ष के अदर थोड़ा-थोड़ा करके हमारे हरिजन भाई अपना कर्जा उतार सकें।

एक माननीय सदस्य : अगर वह न दें सकें तो क्या होगा ?

श्री नवल प्रभाकर : मुझे इसका विश्वास है कि वह किश्तों में अपना कर्जा उतार सकगे। ऐसी बात नहीं है कि वह उसको न दे सकेंगे। मैं उनको बखूबी जानता हूं और उनकी आदत से परिचित हूं। वे भले ही अपना पेट काटेंगे लेकिन कुछ न कुछ बचा कर अपना कर्जा उतार देंगे।

आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह शहरों में हरिजनों के वास्ते मकानों की उचित व्यवस्था का अभाव है। आज शहरों में रहना हरिजनों के वास्ते दूभर होगया है और उनको शहरों में रहने के वास्ते कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। आज स्लम ऐरियाज अर्थात गंदी बस्तियों में जहां कि हमारे हरिजन भाई निवास करते हैं वहां पर वे पशुओं से भी बदतर हालत में अपने दिन गुजार रहे हैं। हिरजनों की अवस्था पशुओं से भी बदतर है। मैं दिल्ली के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कह सकता हूं कि यहां दिल्ली में जो

[श्री नवल प्रभाकर]

हरिजन गंदी बस्तियों में पड़े हुए हैं उनकी हालत पशुओं से भी बदतर है। उनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां के बारे में सर्वेक्षण कराये। आज हालत यह हो रही है कि हरिजन तपेदिक का शिकार होते चले जा रहे हैं। दिल्ली के हरिजन कल्याण मंडल में काफी तादाद में अर्जियां आती हैं और उसके द्वारा सहायता के अभाव में तपेदिक के रोगियों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हरिजनों को तपेदिक की बीमारी लगने का कारण यही है कि जहां वह रहते हैं वह स्वास्थ्यप्रद जगहें नहीं हैं। आप अंदाज भी न लगा पायेंगे कि वह कैसे नर्क में वास करते हैं। वे गड्ढों के पास में रहते हैं जहां कि लम्बे लम्बे कीड़े बुल बुलाते रहते हैं। उनके रहने के स्थान के पास संडाध भरी नालियां बहती हैं जिनमें कि बहुत ही गंदगी पड़ी रहती है। इतने पर ही बस नहीं है। हालत यह है कि जो झोंपड़ियां बना कर वह रहते हैं उसमें भी उनको सन्तोष और चैन नहीं मिल पाता है। कारपोरेशन या म्युनिसपल कमेटी के कर्मचारी लोग उन झोंपड़ियों को तोड़ने के वास्ते चले आते हैं। उनको न रात को चैन है और न दिन को चैन है। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। अन्यत्र तो राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं लेकिन दिल्ली तो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है और यहां के वास्ते तो केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। सरकार को देखना होगा कि देश के अन्दर जितने भी हरिजन भाई रहते हैं उनकी अवस्था क्या है। स्लम्ज का नाम दिया जाता है। लेकिन उसके अन्दर भी कोई तरक्की नजर नहीं आती है। फाइलें चलती हैं कागजी कार्रवाई होती है और रिपोर्ट भी हर महीने मेरे पास आ जाती है लेकिन इस मामले में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हमारे प्रधान मंत्री जी बार बार चिट्ठियां लिखते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। यदि आप वास्तव में हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको उनके वास्ते अच्छे प्लाटों का प्रबन्ध करना होगा, उनको मकान बनाने की पूरी-पूरी सहूलियतें देनी होंगी। आज हमारा ध्यान गांवों की ओर अधिक जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहरों की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे यहां की जो गन्दी बस्तियां हैं उनको जाकर देखें और अपने आप अनुमान लगायें कि वहां पर मानव रहते हैं या पशु रहते हैं।

हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह अच्छी बात है। एक बच्चा जब वह हायर सैकेंडरी पास कर लेता है, उसके बाद अगर वह आगे पढ़ना चाहता है तो उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस तरह के पांच सात नहीं सकड़ों केस हैं। जिसने अच्छे नम्बरों में इम्तिहान पास किया हो, अच्छे नम्बरों में उतीर्ण हुआ हो और जो कालेज में आगे पढ़ना चाहता हो उसके पास पैसा नहीं होता है कि वह पढ़ सके। आजकल इस तरह का ढंग बना हुआ है कि जब वह कालेज में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको फीस इत्यादि की शक्ल में २०० या २५० रुपया जमा कराना पड़ता है और इसके अलावा किताबें खरीदनी पड़ती हैं, तब जा कर उसकी पढ़ाई आरम्भ होती है। वह हरिजन जो गन्दी बस्ती में रहता है और जिसके माता पिता की आमदनी ५०–६० रुपये महीना ही होती है, वह इतने रुपये खर्च करने में असमर्थ होता है और इसका नतीजा यह होता है कि वह कालेज में प्रवेश नहीं पा सकता और आगे की पढ़ाई से उसको वंचित रह जाना पड़ता है। आप जो कालेज में जाना चाहता है उसको छात्रवृत्ति देते हैं। मैं चहना काहता हूं कि क्यों न यूनिवर्स्टी को यह लिख दिया जाए कि बाद में जब उसका पैसा छात्रवृत्ति की शक्ल में आ जाए तब उसको एडजस्ट कर लिया जाए और शुरू शुरू में उससे पैसा लेने पर इंसिस्ट न

किया जाए। यह व्यवस्था सारे देश के लिए होनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं, उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इसमें कोई विशेष पैसे की बात नहीं है, बल्कि जो तरीका इस समय है, उसको बदलने की जरूरत है, जो ढंग है, उसको बदलने की बात है। जो पैसा उसको पांच छः महीने बाद मिलने वाला है और जो फीस इत्यादि उसको प्रवेश के समय जमा करानी पड़ती है, उस समय उसे उससे न ले कर बाद में अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। छात्रवृत्ति में बिल्कुल यही होता है। ट्यूशन फीस और किताबों का खर्च इत्यादि जोड़ करके उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। इस वास्ते जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप अवश्य ध्यान देंगे।

एक बच्चा जो पढ़ता है वह अगर अन्तिम वर्ष में जाकर फेल हो जाता है तो उसको उस हालत में स्कालरशिप नहीं मिलता है। उस सूरत में उसके मां बाप उसको आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र सुझाव यह है कि उसको अगली पढ़ाई जारी रखने के लिये लोन दे दिया जाये ठीक उसी तरह से जैसे कि विस्थापित भाइयें को दिया जाता है पढ़ाई जारी रखने के लिये। जब वह बच्चा पढ़कर नौकरी में लग जाये या कोई धंधा करने लग जाये उस समय उससे वह ऋण वसूल कर लिया जाये। यदि इस तरह से किया गया तो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा।

अभी बाल्मीकी जी ने एक बात कही है। मैं पहले इस बात को नहीं मानता था। मैं समझा करता था कि मन की जो भावनायें हैं, वे बदला जरूर करती हैं और जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, वैसे वैसे ये भावनायें भी बदलती जाती हैं। लेकिन कुछ घटनायें ऐसी हो जाती हैं, जो मन को झकझोर देती हैं और मन के अन्दर एक तरह की हल चल पैदा कर देती हैं और हमें सोचने के लिये विवश कर देती हैं। अनायास ही हमारे दिल में यह भाव पैदा हो जाता है कि लोगों के मन साफ नहीं हैं और अस्पृश्यता की भावना उन के मनों के अन्दर गहरी बैठी हुई है और बाहर निकलने का नाम नहीं लेती हैं। मद्रास का कांड हमने देखा। इस तरह के छोटे मोटे और भी कई कांड होते रहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी जिसने डायरेक्टर साहब से इजाजत ली कि वह पढ़ना चाहता है और उन्होंने उसको इजाजत दे भी दी कि वह पढ़ सकता है, कालेज में दाखिल हो गया। लेकिन जब उसकी परीक्षा का समय आया और किसी को यह मालूम हो गया कि वह हरिजन छात्र है तो बजाय इसके कि उसको अपने घर के पास रहने दिया जाता उसको बीस मील दूर एक गांव में पढ़ने के लिये भेज दिया गया। वह बहुत रोया, चिल्लाया, दर दर जाकर हाथ पर जोड़े लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह मेरे पास आया। मैं भी क्या कर सकता था? मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखा और उन्होंने कृपा पूर्वक इतना तो कर दिया कि उसको जो एग्जेमिनेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वह दिला दी। लेकिन परिणाम वही निकला जो निकलना था। वह फेल हो गया। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उसको तीन घंटे आने में और तीन घंटे जाने में लगते थे। वह अंधेरे में उठ कर जाता था और रात गये वापिस आता था। इस तरह की जो घटनायें दिन-प्रति दिन होती रहती हैं, वे मन को झकझोर देती हैं और हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये विवश कर देती हैं कि अस्पृश्यता मिट नहीं रही है और अस्पृश्यता की भावना मनों के अन्दर घर जमाये बैठी है और अवसर पा कर बाहर निकल आती है।

कहने को तो मुझे बहुत कुछ कहना था ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो खत्म करना चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर : मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता कि जो बातें मैंने कही हैं और जो सुझाव दिये हैं, उनपर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक) : हम अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के ९ वें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन में बहुत सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बच्चों को उच्चशिक्षा के मामले में अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जहां तक छात्र वृतियां देने का सवाल है वे भी उनको पूरी संख्या नहीं दी जाती इतना ही नहीं है बल्कि उन छात्रवृत्तियों का भुगतान भी नहीं किया जाता है। इसके विरुद्ध प्रत्यावेदन भी भेजे गये किन्तु कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले को जांच करे। सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा को कुछ निश्चित संख्या में नम्बर पाने वाले विद्यार्थियों तक सीमित रखने की नीति अनसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों के लिये हानिकारक होगी। यह उनके प्रति एक विभेद पूर्ण नीति होगी तथा देश के मुख्य हितों के विरुद्ध होगी। क्यों कि यदि उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये स्थान नहीं मिला तो फिर वे पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे।

इन जातियों की शिक्षा संबंधी अवस्था बहुत ही असंतोषजनक है। सरकार उनकी दशा को सुधारने के लिये कोई प्रभावी कदम उठावे। इन लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा देना नितांत आवश्यक है।

कई विद्यार्थी जो मैट्रिक की परीक्षा तृतीय श्रेणी में उतीर्ण हुए उन्होंने भविष्य में अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। और वे लोग बी० ए० में जाकर प्रथम श्रेणी में उतीर्ण हुए हैं। अतः तीसरी श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रवेश को रोकना देश के हित में नहीं है।

अब मैं अनुसूचित जातियों की आर्थिक अवस्था के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग की एक योजना के अनुसार १९५९–६० में ५०,८३८ व्यक्तियों को १.७६ लाख रु० का काम मिला। यदि इसे उक्त आदमियों में बांटा जाये तो प्रति व्यक्ति ३.४ रु० बैठता है। इसी प्रकार प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के पूरे और आंशिक समय काम करने वाले कुल १७,३०६ व्यक्ति थे उन्होंने इन योजनाओं से २.०७ लाख रुपये अर्जित किये। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को १० महीने काम करने के अनन्तर केवल ११.९ रु० मिले। तब भला सरकार किस प्रकार यह दावा कर सकती है कि सरकार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की आर्थिक का दशा सुधार करने का प्रयत्न कर रही है।

सरकार केवल हाथ से बुने हुए धागे की खादी की सहायता दे रही है इसका यह फल हुआ है कि वे बुनकर लोग जो कि मिलों का बारीक सूत इस्तेमाल करते थे वे अपना काम छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके वस्तुओं को बाजार में कोई खरीद ही नहीं है।

विदेशों को भेजे जाने वाले जूतों को खरीद का कार्य राज्य व्यापार निगम किन्ही मध्यम व्यक्तियों द्वारा करता है इससे जूतों के वास्तविक निर्माता नफे से वंचित रहते हैं। यह नीति न्यायपूर्ण नहीं है। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि ठेका सीधे जूते बनाने वालों को ही दिया जाये।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब से इस रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है, जितने माननीय सदस्यों को मैंने सुना करीब करीब सभी ने इस समस्या की गम्भीरता के बारे में जिक्र किया, और मैं कह सकता हूं कि चाहे वे सरकारी दल के सदस्य रहे हों, उनकी भी यह जुरत नहीं पड़ी कि इस समस्या से वह इन्कार करते। हां यह अवश्य है कि दो एक माननीय सदस्यों ने और

---

†मूल अंग्रेजी में

खास तौर से वाल्मीकी जी ने कुछ आगे बढ़ कर और बाद में कुछ पीछे हट कर उस चीज को पीछे लाने की कोशिश की पर असलियत को वह भी बेचारे छिपा नहीं सके ।

यह हरिजनों आदिम जाति और पिछड़े लोगों की समस्या एक विषम समस्या है और इस समस्या का सम्बन्ध जाति प्रथा से है । मैं बराबर कहता आया हूं, और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पुनः इस सदन में दुहराऊंगा कि जब तक इस जाति प्रथा का अन्त नहीं होता तब तक न तो इस समस्या का हल होगा, न देश में राष्ट्रीयता कायम होगी, न एकता कायम होगी, और न देश के अन्दर स्वतंत्रता और समता कायम रह सकती है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस हो रही है । तो हम देखते हैं कि इस सदन में–अभी तो प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं––अब तक कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, हमारी उपमंत्रणी महोदया थीं वह भी उठकर चली गयीं, एक हमारे सभा सचिव श्री जोशी जी बैठे थे । इतना अहम प्रश्न और इस तरह का सरकार का रुख ।

अगर हम रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें यदा कदा शिकायतें की गयी हैं कि राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट नहीं दी वह रिपोर्ट नहीं दी । रिपोर्ट को देखा जाए तो पता चलेगा कि दस राज्यों ने और तीन केन्द्र शासित राज्यों ने उनको कुछ सूचनाएं दीं और बाकी ने नहीं दीं । इस तरह आठ बच रहते हैं । फिर आप देखें कि कुछ परिपत्र आयुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए । उन परिपत्रों का जहां तक सवाल है सभी का उत्तर नहीं आया और कई कई राज्यों से ६–७–८ परिपत्रों का उत्तर नहीं आया । इससे पता चलता है कि किस तरह राज्य सरकारें इस समस्या को हल कर रही हैं और इस मामले में कितनी रुचि लेती हैं यह इस रिपोर्ट से जाहिर हो जाता है ।

आज भी उस चीज की शिकायत की गई है और पिछली बार भी शिकायत की गई कि हरिजनों के उद्धार और उत्थान के हेतु राज्य सरकारों का जो कर्त्तव्य है वह उसको पूरा नहीं करती हैं । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जो केन्द्र शासित क्षेत्र हैं वहां से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आती है ? फिर अब तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जितने भी राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ही सत्तारूढ़ पार्टी है और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो राज्य सरकारें क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट भेजतीं यह कुछ समझ में नहीं आता । इसके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि उनमें आपस में कुछ एक मिली भुगत चल रही है कि वह अपनी जिम्मेदारी इन पर डालें और यह अपनी जिम्मेदारी उन पर डालें । असल में मालूम यह देता है कि कोई भी इस समस्या का समाधान और हल नहीं चाहता ।

यहां पर हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लड़कों को वजीफे दिये जाने की बात और उनके स्कूलों में दाखिले की बात को लेकर काफी चर्चा हुई है । मैं उन बातों को लेकर अपना समय नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह छुआछूत का जो प्रश्न है वह अभी भी विद्यमान है और हल नहीं हुआ है ।

छुआछूत के दो रूप हैं । एक तो छुआछूत वह है जो अभी भी गांवों में चलती है । आज भी गांवों के अन्दर हम देखते हैं कि नहाने की जगह से लेकर, पूजा पाठ में और उठने बैठने इन सब में यह छुआछूत बर्त्ती जाती है । लेकिन मैं आपको छुआछूत का दूसरा रूप भी बताना चाहता हूं और वह हमारे पढ़े लिखे लोगों में चलती है । यह तो ठीक है कि जहां तक पढ़े लिखे तबके का ताल्लुक है दफ्तरों का सवाल है, बड़े बड़े अफसरों का सवाल है उनमें छुआछूत खाने पीने और चाय तक तो दूर हो गई है लेकिन जहां नौकरियां देने का सवाल

[श्री रामसेवक यादव]

आता है, जहां तरक्की देने का सवाल देने का आता है, छुआछूत की बीमारी ने बड़ा घृणित रूप धारण कर लिया है । जाति प्रथा का इतना नंगा नाच हो रहा है कि अगर किसी राज्य में कोई अमुक जाति का मुख्य मंत्री बन जाये तो देखने में यह आता है कि चीफ सेक्रेटरी, इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस और अन्य विभागों के आला अफसर सब उसी जाति के भर जाते हैं । यह जाति प्रथा की बीमारी उत्तर प्रदेश से ले कर केन्द्र तक घर कर गयी है और कोई इससे अछूता नहीं बचा है । यह जाति प्रथा छुआछूत का एक मिला जुला नतीजा है जो कि हम देख रहे हैं लेकिन इस समस्या के समाधान के लिये कोई कोशिश नहीं की जाती है ।

हमारे साथी श्री बाल्मीकी ने इस जाति प्रथा के कारण भेदभाव के उदाहरण पेश किये । मैं भी सदन के सामने इसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक उदाहरण रखना चाहता हूं और वह ब्लिटज अखबार में निकला था । श्री इन्द्र देव प्रसाद जो कि कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में असिस्टेंट था हालात ने उसको आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया । उसके सवर्ण जाति के सुपीरियर्स ने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया क्योंकि वह एक हरिजन था । और आत्महत्या करने से पहले उसके सैक्शन सुपरिनटेंडेंट के बतौर काम करने का चांस था क्योंकि कि सैक्शन सुपरिनटेंडेंट दो महीने की छुट्टी पर गया था लेकिन जो उसका ड्यू प्रमोशन था वह उसे नहीं दिया गया और उसको तरक्की न दे कर उससे कम क्वालिफाइड आदमी को उस जगह पर बिठा दिया गया । इन परिस्थितियों से मजबूर हो कर और फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने १६ मई की सुबह को आत्महत्या कर ली ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अगर वे किसी एक खास मामले को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय को उसका पहले नोटिस मिलना चाहिए । इस तरह से मंत्री साहब उसका कैसे जवाब दे सकेंगे ?

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज अखबारों में काफी जगह पा चुकी है और इस पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि मैं समझता हूं कि हमारी मंत्राणी महोदया इस केस को अच्छी तरह से जानती होंगी. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : पहले से यह फर्ज कर लेना कि मंत्राणी महोदया इसके बारे में जानकारी रखती होंगी ठीक न होगा । अगर माननीय सदस्य कोई इंडिविजुएल केस रखना चाहते हैं तो उसका उनको पहले से नोटिस देना चाहिए वरना मंत्री महोदय उसका जवाब नहीं देंगे ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जातिप्रथा और भेदभाव के बारे में और कितनी ही मिसालें दे सकता हूं । मैंने इस केस का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसकी चर्चा अखबारों में काफी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि हमारी मंत्राणी महोदया को अवश्य इस बारे में जानकारी होगी ।

इसी तरह राजस्थान की घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । जिला सीकर में नीम के थाने के समीप एक गनेश्वर झरना है । वहां पर हरिजनों को स्नान करने नहीं दिया जाता है । पिछले वर्ष तीन हिरजनों ने उस झरने में नहाने का प्रयास किया था तो इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि वहां के सवर्ण लोग इकट्ठा हुए और उन हरिजनों के ऊपर

घातक प्रहार किया और मजा यह है कि वहां की सुखाड़िया सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आगामी २ अक्तूबर को हम लोग उस स्थान पर हरिजनों को ले कर जायेंगे और हरिजनों को वहां पर स्नान करने का अधिकार दिलाने का प्रयत्न करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे।

भारतीय संविधान में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों के बीच में जाति या किसी अन्य चीज को ले कर कोई भेदभाव नहीं बर्ता जायेगा लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से संविधान की उपेक्षा की जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं रिपोर्ट में इस घटना का कहीं जिक्र नहीं है हालांकि यह इतनी अहम घटना है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

हिन्दुस्तान की आबादी इस समय करीब साढ़े ४३ करोड़ के है। इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि सन् १९५८ में अस्पृश्यता के सिलसिले में ३९८ मुकद्दमात दर्ज किये गये जबकि सन् १९५९ में ऐसे मुकद्दमों की तादाद घट कर ३८९ रह गयी है। इस हिसाब से ९ मुकद्दमे कम हुए और यह कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की प्रगति अच्छी है लेकिन मैं एक दूसरा नतीजा निकालूंगा और वह नतीजा यह है कि अगर हम इस फीगर को सही मान लें और यह मान लें कि सरकार की मशीनरी चाहे राज्यों की हो अथवा केन्द्र की हो, इन मामलों को ले कर ठीक चलती है और जब यह जुर्म दस्तअन्दाजी का जुर्म है और इसमें पुलिस को मुकदमा चलाने का अधिकार है और चूंकि मुकद्दमों की संख्या इतनी कम है इसलिए हम यह मान लें कि छुआछूत जैसी समस्या इस देश है ही नहीं। लेकिन श्रीमन्, असलियत क्या है ? असलियत तो यह है कि इनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई इनक्वायरी और जांच पड़ताल नहीं होती और जांच होती भी है तो मुकद्दमा नहीं चलता है। आखिर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि यह रिपोर्ट लिखने वाले, इनक्वायरी करने वाले और मुकद्दमा चलाने वाले लोग है कौन ? मैं तो यह बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की इसको कामयाबी मानूंगा अगर वे अपने पुलिस अधिकारियों को ही हरिजनों पर अत्याचार करने से रोक सकें।

अभी मैं मुगलसराय गया था। वहां पर मुझे मालूम हुआ कि इसी केन्द्रीय सरकार के रेल विभाग के अन्तर्गत वाच एंड वार्ड में हरिजन भाई भी रहते हैं और सवर्ण हिन्दू भी रहते हैं। वहां जो भंडारखाना है जहां भोजन उनको मिलता है वह हरिजनों को चौके में नहीं मिलता है और सवर्ण लोगों को चौके में खाना परोसा जाता है। इस तरह का भेदभाव उनके साथ बर्ता जाता है। यह मामला ऊपर आया भी है।

इसी तरह का भेदभाव इलाहाबाद युनिवरसिटी के होस्टल में जहां कि आई० ए० एस० के ट्रेनीज विद्यार्थी रहते हैं हरिजन और सवर्ण विद्यार्थियों के बीच में चलता है। यही भेदभाव पुलिस में भी होता है और अगर किसी आदमी की हत्या हो जाये तो उसकी लाश को ले जाने के लिए कौन तलाश किया जाता है। लाश को ढोने के लिए एक खास जाति है, चमार जाति, जिसके कि सदस्य श्री जगजीवन राम हैं, उस जाति के आदमी को तलाश किया जाता है। यह भेदभाव जाति जाति के बीच में हम लोग ही नहीं करते हैं बल्कि सरकार की मशीनरी करती है। १०९ के मुकद्दमे हम देखते हैं कि हरिजनों पर ही चलते हैं। एक तरफ तो हरिजनों के पास नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और मजा यह है कि जब वह कहीं जाते हैं तो

[राम सेवक यादव]

उनके ऊपर १०९ का मुकद्दमा कर दिया जाता है। १०९ का चालान उन्हीं लोगों का होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी प्रशासन में भी हरिजनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

अब जहां तक पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफे मिलने की बात है तो वह भी उनको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वह तो फर्स्ट डिवीजन हासिल नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर है कि जिनको रहने की सुविधा नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं उनके बच्चों को फर्स्ट डिवीजन कैसे मिलेगा ?

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अब यह फर्स्ट डिवीजन की कैद लगाने का तो मतलब यह हुआ कि वह पिछड़ी जाति, हरिजनों को वजीफा देना ही नहीं चाहती। गांवों में एक कहावत चरितार्थ है कि **मांगने गये थे पूत, मर गया** भतार। अब उनके लिए यह शर्त लगाना कि जब तक वे इतने मार्क्स नहीं लायेंगे उनको विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल सकेगा एक तरह से पिछड़ी जाति के लोगों को विश्वविद्यालय में दाखिल होने से रोक दिया गया है। अब हरिजनों में स्त्रियों को भी शामिल करता हूं और उनमें कुछ मुसलमान भाई भी आ जाते हैं। मोमिन, अंसार इन सभी लोगों की संख्या का अगर हिसाब लगायें तो ३६–३७ करोड़ लोगों के बच्चों के आगे पढ़ने पर यह शर्त लगा कर एक तरह से रोक लगा दी गई है।

श्री गायकवाड़ जी ने श्रीमाली को मनु की पदवी दी। बेचारे श्रीमाली का क्या, असली मनु तो प्रधान मंत्री नेहरू हैं। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी इस देश के गरीब पिछड़े और हरिजन लोगों के साथ है तो कम से कम इस तरीके का प्रतिबन्ध दाखिले के लिए नहीं लगाना चाहिए और उनको आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। सरकार को इसके लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।

हम देखते हैं कि इस सदन में मामूली मामूली विषयों पर बहसें हो जाती हैं। कोई साधारण सी भी घटना होती है, तो उस का रेफरेंस हाउस में होता है। यह समझ कर कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या जटिल है, उन के लिये विशेष सुविधा की जरूरत है, एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिस की रिपोर्ट आती है। यह पार्लिमेंट खत्म होने जा रही है। पिछली बार मैं ने पूछा कि क्यों इस पर बहस नहीं होती है, क्यों इतना पैसा व्यय किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी बहस करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

जब सरकार यह कहती है कि हम जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं मानेंगे, बल्कि हम आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति से पिछड़ेपन की जांच करेंगे, तो फिर जिन हरिजन भाइयों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और इस प्रकार उन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन को भी वही सुविधायें मिलनी चाहिएं, जो कि उन को हरिजनों के रूप में मिलती थीं।

मैं डिस्क्रिमिनेशन की एक और मिसाल देना चाहता हूं । मझे गर्व है--और देश को भी गर्व होना चाहिए--कि डा० अम्बेडकर जैसा प्रतिभावान व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ । हम देखते हैं कि दूसरे कई माननीय बुजुर्गों और नेताओं की प्रतिमायें सेंट्रल हाल में लगा दी गई हैं, लेकिन डा० अम्बेडकर, जो कि केन्द्रीय मंत्री-मंडल के सदस्य और संविधान के निर्माता रहे हैं, की प्रतिमा को वहां स्थान नहीं मिल पाया है ।

यदि सरकार चाहती है कि इस सिलसिले में कुछ काम हो, तो वह मेरे इन सुझावों की तरफ ध्यान दे । हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिये इन बातों पर अमल करना जरूरी है ।

रविदास, कबीर, तुकाराम, रामदास आदि उदार समाज-सुधारकों के उपदेश पाठ्य-पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाए जायें, ताकि जातीयता का विष हमारे समाज से निकल सके ।

तहसीलों और डेवेलपमेंट ब्लाक्स में अधिकारी और समाज के कार्यकर्ता और दूसरे लोग मिल कर सहभोज और सभायें साल-ब-साल करते रहें ।

अखिल भारतीय जाति विनाश संघ को भी सहयोग दिया जाये और अधिक सहभोज और अन्तर्जातीय विवाह संगठित किये जाये । जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करें, उन को सरकारी नौकरियों और गज़ेटिड नौकरियों में प्राथमिकता दी जाये ।

हरिजनों, आदिवासियों, स्त्रियों और मोमिन, अन्सार आदि पिछड़ी जातियों को, कम से कम जब तक जाति-प्रथा का अन्त न हो जाये और समानता और समता स्थापित न हो जाये, बड़ी नौकरियों और गज़ेटिड नौकरियों में साठ प्रतिशत अवसर दिये जायं, चाहे वे दूसरों के मुकाबले में कम योग्य भी क्यों न हों । उन की अयोग्यता के सम्बन्ध में जो दलील दी जाती है, वही दलील अंग्रेज हिन्दुस्तानियों के बारे में दिया करते थे । जब तक उन को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उन में योग्यता कैसे आयेगी ?

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में हरिजनों को जमीन देने की बात की जाती है । मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप के सामने रखूंगा । वहां पर चालीस एकड़ अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और इस के अलावा बाग, मुर्गी फार्मिंग, बगीचा, जड़ी बूटी वाली भूमि आदि इतना कुछ छोड़ दिया गया है कि जमीन बंट ही नहीं सकती है । हरिजनों और पिछड़ी जातियों को जमीन देने का जो सिद्धान्त है, उस की आत्मा की रक्षा करते हुए उन लोगों को वास्तविक रूप में जमीन दी जाये और दिखावे और प्रचार का काम न किया जाये ।

जहां तक लगान की माफी का प्रश्न है, दस बीघा से नीचे की खेती बिना मुनाफे की होती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजनों का लगान माफ किया जाना चाहिए ।

†**श्री अय्याकण्णु** (नागपट्टिनम्--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : दुख का विषय है कि इस प्रतिवेदन पर अधिकांश अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोग ही चर्चा करते हैं वस्तुतः यह सारे सभा की वस्तु है । अतः सभी सदस्यों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिये । मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अन्य सदस्यों को इस विषय में बोलने का अधिक अवसर प्रदान करें ।

इस प्रतिवेदन ने एक सामान्य रूप धारण कर लिया है प्रति वर्ष वही सिफारिशें दोहराई जाती हैं और उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अय्याकण्णु]

मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अनुसूचित जातियों के लिये नौकरियों तथा विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित करने मात्र से ही उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है । जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिये महान मनोवैज्ञानिक क्रान्ति की आवश्यकता है । संसद् और नौकरियों में भी अनुसूचित जाति के उन्हीं लोगों को स्थान प्राप्त होते हैं जो अधिक प्रगतिशील होते हैं । इसके लिये हमें बहुत प्रचार और साहित्य निर्माण करने की आवश्यकता है वस्तुतः महात्मा गांधी के बाद से यह उत्साह किसी में भी नहीं दिखायी दे रहा है । यह कार्य सरकार से नहीं अपितु गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है ।

मेरा विचार है कि संविधान तथा अन्य सरकारी आदेशों में अनुसूचित जातियों को नौकरियों में नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी सुविधायें देने के लिये जो कुछ उपबंध किये गये हैं उनका उचित तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है । अतः मेरा सुझाव है कि असिस्टेंट ग्रेड, भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके लिये पृथक परीक्षायें ली जानी चाहिये, जिससे कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से योग्यतम व्यक्ति ले लिये जा सकें । सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि क्या चुनाव तथा पदोन्नति से भरी जाने वाली नौकरियों में उनके लिये स्थान सुरक्षित नहीं किये जा सकते हैं ?

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं । उन्होंने कई बातों का अपने भाषणों में जिक्र किया है । मैं एक ही बात के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं । हमारी डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने स्केवेंजिंग सिस्टम के बारे में कुछ कहा और इस पर दुःख भी प्रकट किया है । इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं । इस विषय में मैं समझती हूं कि इन पिछले तेरह वर्षों में हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं । हमें चाहिये था कि हम इसकी शुरुआत तो कर देते लेकिन वह भी हमने नहीं की है । इसका क्या कारण है, यह मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें, तो प्रकाश डालें । हम दो योजनाओं को पूरा कर चुके हैं और उनके दौरान में इसके बारे में हम कुछ न कुछ तो अवश्य कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया । मैं पूछना चाहती हूं कि उसका क्या कारण है ? क्या हम इसके बारे में कोई स्कीम भी नहीं बना सकते थे, क्या हम कोई टाइम लिमिट भी नहीं फिक्स कर सकते थे कि इतने समय में हमारे देश से यह जो इन-ह्यूमन सिस्टम है, यह जो स्केवजिंग सिस्टम है, मैला सिर पर उठा कर ले जाने की जो प्रथा है जोकि भद्दी प्रथा है, इसको खत्म किया जाए । मैं ने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है लेकिन यह ढूंढ़ने का अवश्य प्रयत्न किया है कि इसके बारे में कुछ कहा गया हो लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है । मैं ने यह ढूंढ़ने का भी प्रयत्न किया है कि किसी जगह पर पायलट प्राजैक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है या नहीं, लेकिन यह भी मुझे देखने को नहीं मिला है । तीसरा प्लान जो कल हमारे सामने रखा गया है, उसको मैं पढ़ तो नहीं सकी हूं लेकिन उसमें से यह देखने का मैं ने जरूर प्रयत्न किया है कि इसके बारे में उसमें कुछ कहा गया है या नहीं और उसमें मैं ने पाया है कि इसके बारे में दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं मगर जो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से खत्म किया जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । इस तरह से इसका जिक्र न देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ है और

यही कारण है कि मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा है । मुझे बोलने की प्रेरणा मिली है ।

दुनिया में अमरीका वाले और रशिया वाले स्पेस पर विजय पाने की तैयारी कर रहे हैं और यह इस बात का द्योतक है कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है । विज्ञान की तरक्की को देख कर हमें गर्व और खुशी का अनुभव होता है । मगर जब हम अपनी बहनों और भाइयों को सिर पर मैला उठा कर जाते हुए देखते हैं तो हमारा सिर मानो शर्म से झुक जाता है । हमने लोक शासन और डेमोक्रेसी को अपनाया है और हम ह्यूमन डिगनिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं । मगर जब हम इस कुप्रथा को देखते हैं तो विवश हो जाते हैं इस नतीजे पर पहुंचने को कि ह्यूमन डिगनिटी और ह्यूमन राइट्स कहां पर हैं ? बेशक आज मेरी पार्टी की सरकार है मगर मुझे यह कहने में दुःख होता है कि इस बारे में हम जितना निर्बल रहे हैं, उतने निर्बल शायद और किसी काम नहीं रहे हैं । जितनी इंटेंसिटी हमें इस काम के लिए दिखानी चाहिए थी, हमने नहीं दिखाई है । थोड़े से पैमाने में भी अगर हमने इंटेंसिटी दिखाई होती तो यह काम शुरू हो गया होता । मगर हमने ऐसा नहीं किया । अगर हमारे दिल में इंटेंसिटी आ जाए तो काम को किए बिना हम नहीं रह सकते हैं ।

एक तरफ हम देखते हैं कि जो भंगी हैं, जो इस काम को करते हैं, वे इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । जिन लोगों का यह काम है वे समझते हैं कि इसको करने का उनका पूरा अधिकार है और यह काम उनके लिए सुरक्षित रखा हुआ है और इस पर उनका वैसा ही अधिकार है जैसा जमींदारों का या राजा महाराजाओं का पुराने जमाने में अपनी जमीनों पर या अपनी रियासतों पर अधिकार हुआ करता था । दूसरी ओर जो सवर्ण हिन्दू हैं उनके दिल कुछ पत्थर जैसे बन गए हैं । उनके दिलों में भी ऐसी भावना नहीं आती है कि उनसे यह काम छुड़वाया जाए । और मैं ऐसी बात सुन कर दंग रह जाती हूं । हम में से कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो यह सोचते होंगे कि भंगी लोगों का जो अधिकार है उनके इस अधिकार को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनको कम्पेंसेशन देना चाहिए । जिस जमाने में हम रह रहे हैं उस जमाने में इस तरह की प्रथा को जारी रहते देख कर आश्चर्य होता है । आज हम पोलिटिकल इक्वैलिटी की बात करते हैं, पोलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं । लेकिन जहां पर सोशल और इकोनोमिक जस्टिस और इक्वैलिटी नहीं होती वहां ये लोग पोलिटिकल राइट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है । कुछ भाई कह सकते हैं कि बहन जी खवाबी बातें कर रही हैं । मगर मैं समझती हूं कि यह कोई कठिन बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो हो न सके । इसको खत्म किया जा सकता है । अगर हम यह सोचते हैं कि हर एक शहर में वाटर वर्क्स बन जाएं, ड्रेनेज सिस्टम बन जाए तब हम इसकी ओर ध्यान दें और तब तक के लिए चुप बैठे रहें और कुछ न करें, तो यह मेरी समझ में बात नहीं आती है । मेरा भी कुछ तजुर्बा है और मुझे मालूम है कि इस बारे में सोचने वाले हमारे देश में कुछ लोग हैं और उन्होंने रास्ता भी बताया है ।

मलकानी कमेटी बनी थी और उसने काफी वक्त हुआ अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी । उस रिपोर्ट को हमें क्यों बांटा नहीं गया है, इसको मैं समझ नहीं पाई हूं । यह कोई खानगी चीज नहीं है कि दूसरों को इसे न बताया जाय । इस पर सभी को विचार करने का तथा अपने सुझाव देने का अवसर दिया जाना चाहिये । मैं आशा करती हूं कि

[श्रीमती जयाबेन शाह]

इस रिपोर्ट को शीघ्र ही प्रकट किया जाएगा और शीघ्र ही इसे हमारे हाथों में दे दिया जाएगा ।

इस प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ इम्प्लेमेंट्स, कुछ न कुछ साधन अगर हम म्युनिसिपैलिटीज़ को दे दें जिससे इंसानों को सिर पर जो मैला उठाना पड़ता है वह बन्द हो सके तो इसको शीघ्र ही खत्म किया जा सकता है । इसको खत्म करने के लिए कोई इतने अधिक पैसे की या इतनी बड़ी स्कीम की जरूरत नहीं है । यह बहुत आसान चीज है । अगर कोई कहे कि यह नहीं हो सकता है, तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी तकलीफ उठायें तो इस स्थिति में हम कुछ न कुछ फर्क कर सकते हैं । मैं यह बात इसलिये दोहराती हूं कि कांस्टिट्यूशन ने यह जिम्मेदारी हम पर डाली है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के हकों में और उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार करने का हमारा कर्तव्य है । इसके लिये हमने क्या किया है ? अगर हम उनकी तरफ ध्यान दें तो हम उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, यह तो है ही, लेकिन जहां तक अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न है, जब तक हमारे जैसे लोग, जिनको सवर्ण कहा जाता है, जो सनातनी हैं, वे कदम उठाने के लिये तैयार नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है । जितने दिन तक वे भंगियों को अपने सिर पर मैला उठा कर ले जाते देखते हैं तब तक उनके दिल से अस्पृश्यता निवारण होना निहायत कठिन है । इसलिये सब से पहले तो हमें यह करना चाहिये कि अगर हम दूसरी जगहों पर कम पैसे भी लगायें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा कानून बनायें कि जो हमारी थर्ड फाइव इअर प्लैन चल रही है उसके दौरान हम इस खराबी को दूर करेंगे । मैं तो इस से भी आगे जाने के लिये तैयार हूं कि इसमें भी बहुत सी तकलीफें हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटों पर रखी गई है । हम देखते हैं कि स्टेटों में जूनियर से जूनियर मिनिस्टर होता है उसको बैकवर्ड क्लासेज का काम दिया जाता है । अगर मेरा बस चले तो मैं मुख्य मंत्री को ही यह काम दे दूं और कहूं कि बैकवर्ड क्लासेज का पोर्टफोलियो को वह लें । जिस चीज में हमारे देश की प्रेस्टिज का सवाल है उस ओर खास ध्यान दिया जाय और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसको खत्म करने का हम पक्का निश्चय करें। हाउस से भी मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये हम सब मिल कर काम करें चाहे यह सरकार हो या दूसरी सरकारें हों । यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह एक नैशनल इश्यू है । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हो सकता है इसके लिये हमें कुछ लेजिस्लेशन करना पड़े । दोनों ओर से हम निर्बल हैं । हरिजन भी नहीं चाहते कि यह प्रथा बन्द हो और हम भी इतने तत्पर नहीं हैं कि इसे बन्द कर दें । तब एक ही चारा हमारे पास रह जाता है कि हम इसके लिये कोई कानून बना दें कि सिर पर मैला उठाना और हाथों से मैला साफ करने का काम करना हमारे देश में दो, तीन, चार या पांच सालों में खत्म होना है । हम इस का निश्चय करें ।

इसके बारे में मैं और क्या कहूं ? आज देश में भंगी की हालत खराब है । यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है, हकीकत से ही आंख मूंदना है । पहले जैसी उनकी हालत है वैसी बात करना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि जिस जमाने में हम पहले जीते थे उसमें हमारा राज्य नहीं था । हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हम गुलाम थे । अब जब हमारे सामने यह मौका आया है तो हम क्यों न उसके सवाल को उठायें जो कि पिछड़े हुए लोग या

वीकर सेक्शन कहलाता है ? उसमें भी जिस चीज को प्रायरिटी देनी चाहिये उसको पहले उठायें । इस सम्बन्ध में मैंने बहुत सी बातें कही हैं । मैं अब इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर हमारा मंत्रालय इस काम को शुरु करने का निश्चय करे तो इस सदन को खुशी ही होगी । इसके लिये टाइम लिमिट फिक्स की जाय । अगर हम इस चीज को जल्दी से जल्दी न कर सकें तो कम से कम थर्ड फाइव इअर प्लैन में इस चीज को पूरा करें । इसके लिये कोई स्कीम बने तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे टेरिटरीज हों जहां पर कि हमारी सत्ता चलती है, हर एक का ध्यान इस की ओर होना आवश्क है ।

इसके पश्चात हाउसिंग या आवास का प्रश्न है । हमारे देश में आवास का बड़ा सवाल है । गरीब लोगों के पास आवास हैं ही नहीं । जब हम हरिजनों की ओर देखते हैं तो चाहे वे हरों में हों या देहातों में, सबों का एक ही हाल है । इसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं । जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, लोकल बाडीज हैं उनके लिये क्यों यह आब्लिगेटरी न बनाया जाय कि जो उसके वर्कर्स हैं उनके लिये मकान बनाने की जिम्मेदारी वे लें । मेरी समझ में नहीं आता कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं । पैसा होने पर भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है । म्यूनिसिपैलिटीज़ को हमको समझाना पड़ेगा कि उन को हाउसिंग का प्रबन्ध करना होगा । अगर इसके लिये भी हमें कानून बनाना पड़े तो उसमें भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब ऊपर के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, जो हमारे जैसे सवर्ण लोग हैं अगर वे चुपचाप बैठे रहेंगे, तब तक पिछड़े हुए वर्ग के लोग ऊपर नहीं आ सकते ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बात भी कहना चाहती हूं कि जो भी योजनायें या स्कीमें बनती हैं, चाहे वे कोआपरेटिव की हों या हाउसिंग विभाग की हों, जो लो इनकम ग्रुप वालों की हों वहां हरिजनों के लिये प्रबंध होना चाहिये । आज ऐसा होता है कि कहीं पर भी अगर हरिजनों के मकान बनाये जाते हैं तो वे बिल्कुल अलग बनाये जाते हैं। जिस तरह से पुरानी हाउसिंग कालोनिज बनती थीं उनमें मैं समझती हूं कि अस्पृश्यता निवारण की कोई गुंजाइश नहीं है । इसलिये जहां पर भी नई हाउसिंग स्कीमें बनें, हाउसिंग सोसायटीज बनें, उनकी जमीन में से ५ फीसदी या १० फीसदी प्लाट्स ऐसे रहने चाहियें जिनमें हरिजनों के मकान ही बनें । हरिजनों के लिये प्लाट्स पहले से रिजर्व करने चाहियें । लो इनकम ग्रुप वालों में से इन लोगों के लिये जो लोन दिये जाते हैं वे इंटरेस्ट फ्री दिये जाने चाहियें । अगर इस तरह से किया जायेगा तो मैं समझती हूं कि वे लोग गन्दी बस्तियों से निकलकर जहां हम रहते हैं वहां पर आ सकेंगे । आज कल हरिजनों में से पढ़े लिखे लोगों को भी हमारे यहां मकान नहीं मिल सकता है । सवर्ण लोग उनको मकान देने के लिये तैयार नहीं होते हैं । इस कारण पढ़े लिखे हरिजनों को भी गन्दी बस्तियों में जा कर रहना पड़ता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां पर भी हाउसिंग स्कीम हों उनमें हरिजनों के मकानों के लिये पहले से प्लाट रिजर्व किये जायें ।

ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी यह बड़े दुःख की बात है कि आज बहुत से ऐसे देहात हैं जिनमें जहां पर पशु पानी पीते हैं वहीं पर हरिजनों का भी पानी पीना पड़ता है । मैं समझती हूं कि इसके सम्बन्ध में भले ही कानून बनाया गया हो लेकिन उस पर अमल होना बहुत कठिन है । एक ओर हम देखते है कि हरिजनों के अन्दर जो डिजेबिलिटीज हैं उनको दूर करना है, लेकिन हमें एसी परिस्थिति का निर्माण भी करना है कि जिस में

[श्रीमती जयाबेन शाह]

जो अधिकार हरिजनों को दिये गये हैं वे उनका पूरा उपयोग कर सकें। यह काम केवल सरकार से नहीं होगा हम जो संसद सदस्य हैं, स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स के सदस्य हैं, सोशल वर्कर्स हैं उनका काम है कि वे लोगों को जा कर समझायें। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन हमने बनाये हैं उन पर पूरा अमल भी होना चाहिये और जहां पर भी उनका उल्लंघन हो, चाहे वह शहर में हो या देहात में, वहां पर लोगों को सजा दी जाये।

मुझे कहनी तो बहुत सी बातें थीं मगर सबसे पहले और सबसे अधिक जोर जिस पर देना चाहती थी वह भंगी लोगों की समस्या है जो कि हमारे लिये बड़े शर्म और लज्जा की बात है। उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करें, उसके लिये हम अपना सारा ध्यान लगायें, मजबूती से सिर उठा कर आवाज लगायें और अपनी सरकार को मजबूर करें कि पांच साल के दर्म्यान पूरी तरह से इस समस्या को खत्म करें। यही मेरी आपसे और मंत्री महोदय से प्रार्थना है। और सब बातों के कहने का तो समय नहीं है लेकिन अगर जो बातें मैंने कही हैं उन पर भी अमल हुआ तो मुझे खुशी होगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जब आठवें प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के १५ दिनों के उपरान्त इस पर चर्चा हो जानी चाहिये, तथापि दुःख की बात है सभा पटल पर रखे जाने के १० मास पश्चात् इसमें चर्चा हुई है। यद्यपि आयोग प्रतिवर्ष सिफारिशें करता आया है, पर प्रतिवेदन में इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है कि राज्य सरकारों ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि वह विकास कार्यों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं दे सका है। राज्य सरकारों का कई बार ध्यान दिलाने के पश्चात् भी उनसे पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। राज्य सरकारें सहायक आयुक्तों से पूरी तरह सहयोग नहीं करती हैं। वस्तुतः अनुसूचित जातियों के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का दायित्व राज्यपालों का है, अतः राज्य सरकारों तथा राज्यपालों को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

इस प्रतिवेदन पर सभी राज्य विधान मंडलों में चर्चा होनी चाहिये, जिससे कि सारी राज्य सरकारें उसकी उपयोगिता से परिचित हो जायें और वे अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित परियोजनाओं का अधिक अच्छी तरह क्रियान्वित कर सकें।

इस प्रतिवेदन में कई त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। पिछले वर्ष यह कहा गया था कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि व्यय करने के निमित्त धन राशि वित्तीय वर्ष के अंत में ही न मिले अपितु पहिले उपलब्ध हो जाये तथापि इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। व्यय संबंधी जो विवरण दिये जाते हैं वे भी बिल्कुल गलत और त्रुटिपूर्ण होते हैं आयुक्त ने कई ऐसे मामलों का निर्देश भी किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि सहायक आयुक्त के अधीन बहुत कम कर्मचारी रहते हैं और राज्य सरकारें सहायक आयुक्त से सहयोग नहीं करती हैं। अतः सहायक आयुक्तों के अधीन क्षेत्रीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्पूर्ण देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की एक समेकित सूची होनी चाहिये ताकि जो आदि वासी अपने क्षेत्रों से बाहर चले जायें, उन्हें उन रियायतों से वंचित न होना पड़े, जो उन्हें प्राप्त हैं। यद्यपि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था तो भी सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

रक्षित स्थानों में अनुसूचित जाति के जो सदस्य लिये जा रहे हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है, इसका कारण यह नहीं है कि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है अपितु इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें तथा नियुक्त करने वाले अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जून १९६० में सहायक सुपरिन्टेंडेंट के पदों को भरने के लिये एक परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अभी भी नहीं निकाला गया है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी रेलवे में एक परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अभी तक नहीं निकाला गया है।

यदि आप इस संबंध में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के आंकड़े देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पंजीयित करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है जब कि रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हो रही है। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि अधिकाधिक संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों को नौकरियां दिलाई जायें। टैक्नीकल नौकरियों का भी यही हाल है, छोटी टैक्नीकल नौकरियों में अर्हताप्राप्त व्यक्ति भी नहीं खपाये जा रहे हैं, इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि नियुक्ति अधिकारी इनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया बरत रहे हैं।

श्री राम शरण (मुरादाबाद): सभापति महोदय; सबसे पहले तो मैं आयुक्त महोदय को बधाई देना चाहता हूं उस लगन और कार्यक्षमता के लिए जोकि इस रिपोर्ट में ओतप्रोत है। इस रिपोर्ट में यह तीव्र उत्कंठा पाई जाती है कि इन पिछड़ी हुई जातियों का किस प्रकार भला हो और साथ ही साथ समाज पर यह जो अस्पृश्यता और छुआछूत का कलंक है यह एक बड़ा भारी कलंक है किस प्रकार से यह लानत दूर हो।

इस रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई जाती हैं और खुद आयुक्त महोदय ने बतलाया है कि उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनसे समय पर उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो उन जातियों के सम्बन्ध में पूछे जाते हैं, नहीं मिलते हैं।

रिपोर्ट को देखने से मालूम होगा कि बहुत सी राज्य सरकारें रिपोर्ट के लिए रैलेवेंट डैट इकट्ठा नहीं कर सकी हैं करीब ९० सरकुलर्स तमाम राज्य सरकारों, यूनियन टैरीटेरीज, मिनिस्ट्रीज और युनिवरसिटीज को भेजे गये थे और स्टेटमेंट को देखने से मालूम होगा कि राज्य सरकारों द्वारा काफी महत्वपूर्ण सरकुलर्स के भी जवाब नहीं दिये गये।

मिसाल के लिए मैं आपको बतलाऊं कि उड़ीसा को ३० सरकुलर्स भेजे गये थे जिनमें से कि २१ का उत्तर समय पर नहीं दिया गया। इसी तरह बम्बई को ३० सरकुलर्स भेजे गये थे जिसमें से कि २४ का उत्तर समय पर नहीं दिया गया। केरल को भी ३० सरकुलर्स भेजे गये जिनमें से कि उसने २१ का उत्तर समय पर नहीं दिया। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब इस तरह से बड़ी-बड़ी स्टेट्स का उत्तर नहीं मिलता है तो रिपोर्ट किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है।

[श्री राम शरण]

इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नर महोदयों को शेडयूल्ड ऐरियाज की बाबत अपनी रिपोर्टस् प्रेसीडेंट को आर्थिक वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के अन्दर दे देनी चाहिए लेकिन सिवाय राजस्थान के और किसी राज्य से वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

यह भी कहा गया है कि जहां तक वेलफेयर ऐक्टिविटीज का सम्बन्ध है समय पर रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं। आखिर में यह भी बतलाया गया है कि सन् १९५७ तथा १९५८ के बारे में सर्विसेज की क्या स्थिति रही यह तो पिछली रिपोर्ट में दे दिया गया है लेकिन जहां तक सन् १९५९ का सम्बन्ध है, हालत यह है कि हमारी होम मिनिस्ट्री से भी जिसके कि अन्दर यह हमारे आयुक्त महोदय काम करते हैं, उस होम मिनिस्ट्री से भी सर्विसेज के बारे में सन् ५९ की रिपोर्ट नहीं मिली है और इस वास्ते उसका समावेश भी इसमें नहीं किया जा सका है।

पिछली दफे १८ अगस्त को ऐसी रिपोर्ट पर विचार हुआ था और अब की बार उस पर विचार ८ अगस्त को हो रहा है। इस बार पहले की अपेक्षा १० दिन पहले रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जैसे ही यह रिपोर्ट सदस्यों को बांटी जाय उसके १५ दिन के अन्दर ही हमारे मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करें कि उस पर विचार शुरू हो जाय और उस पर बहस करने का प्रस्ताव लायें। वैसे तो यह रिपोर्ट मार्च के अन्त तक की ही होती है। सितम्बर मास के खत्म होने के पहले इसको समाप्त करके राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और उसके बाद यह उम्मीद की जाती है कि दिसम्बर के महीने में इस रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां सदस्यों में वितरित हो जायें। लेकिन वह अप्रैल में बांटी गई और कम से कम बजट सेशन में उस पर बहस हो जाती तो जो बहस होती उसका अगली रिपोर्ट में कुछ समावेश हो सकता था लेकिन अब तो काफी देरी हो गई है। अब तो पिछले वर्ष की रिपोर्ट तैयार हो गई होगी और सितम्बर के महीने में यानी अगले महीने में राष्ट्रपति को दे दी जायेगी तथा दिसम्बर में वह संसद् के पटल पर रख दी जायगी और इस कारण वर्तमान रिपोर्ट का महत्व बहुत कम हो जाता है। अब आगे जो रिपोर्ट अगले वर्ष आयेगी उसमें इस बहस का नतीजा अगर कुछ दिया जा सकेगा तो उसमें दे दिया जायगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन जातियों पर जो इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है अव्वल तो वह धन ही कम है और अपर्याप्त है। लेकिन वह खर्चा भी जिस प्रकार से होता है वह भी रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है ज्यादातर खर्चा वर्ष की पहली, दूसरी और तीसरी क्वार्टरली में नहीं होता है बल्कि अन्तिम यानी चौथी क्वार्टरली में होता है और वह भी इस तरह होता है। कि बहुत सारा खर्चा ३१ मार्च को होता है। वह खर्चा किस प्रकार से होता है साधारण लोग जोकि इस प्रकार के ३१ मार्च के खर्चे से परिचित हैं उनको पता होगा कि रुपये का उस मौके पर कितना अपव्यय होता है। बहुत सारा खर्चा तब भी नहीं हो पाता है और वहां के कलेक्टर्स अपने पर्सनल लैजर में या ट्रेजरी के रिजर्वड डिपाजिट्स में उसे एकाउन्ट फौर कर देते हैं। इस तरह से जो खर्चा होता भी है वह ठीक प्रकार से उनकी भलाई के वास्ते खर्च नहीं हो पाता है।

प्रश्न यह उठता है कि अस्पृश्यता का जो बड़ा भारी कलंक हमारे समाज के ऊपर विद्यमान है वह हमारे देश में कितना फैला हुआ है। कुछ लोगों का खयाल है कि सन् १९५५ का कानून बन जाने के बाद और संविधान में इस प्रकार का प्राविजन् हो जाने के बाद कि सब

लोग बराबर हैं, अस्पृश्यता अब नहीं रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तविकता कुछ और है और संविधान में व्यवस्था होने के उपरांत भी अस्पृश्यता हमारे बीच विद्यमान है। आयुक्त महोदय ने भी अपना एक तरीका बर्त्ता है और उन्होंने इसके वास्ते पिछली रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया। इस वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में ५१ गांवों में मन्दिर-प्रवेश, कुंओं और नाइयों आदि के सम्बन्ध में हरिजनों की स्थिति का सरवे किया गया और यह देखने की कोशिश की गई कि उनमें कहां तक अस्पृश्यता बरती जाती है। उससे पता चलेगा कि बहुत कम गांव ऐसे हैं, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से अस्पृश्यता से बरी हो गये हैं। आयुक्त महोदय ने राज्य सरकारों को उन गाँवों की सूचियां तैयार करने के लिये कहा है, जिनमें छआछूत नहीं है, या जिनमें छआछूत पाई जाती है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर और पंजाब राज्यों ने ऐसे गांवों की सूची तैयार करना स्वीकार कर लिया है, जहां अस्पृश्यता प्रचलित है और बम्बई और उत्तर प्रदेश ने ऐसे गांवों की सूची बनाना मन्जूर कर लिया है, जहां से अस्पृश्यता खत्म कर दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में साढ़े पांच लाख गांव हैं। जैसा कि कई भाइयों ने कहा है, उनमें से चन्द ही गांव ऐसे होंगे, जिनके बारे में यह कहा जा सके कि वहां अब अस्पृश्यता नहीं रही, वहां रहने वाले एक दूसरे को बराबर समझते हैं और सबके साथ बराबर का बर्ताव होता होता है। आन्ध्र के बारे में कहा गया कि वहां के कलैक्टरों ने रिपोर्ट दी कि वहां से अस्पृश्यता बिल्कुल चली गई, लेकिन आन्ध्र के रहने वाले जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वहां पर हजारों गाँव ऐसे होंगे, जहां अस्पृश्यता पाई जाती होगी।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार से अस्पृश्यता दूर हो। १९५५ के कानून के अनुसार बहुत सी कार्यवाही गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुकदमों के तय होने में बरसों लग जाते हैं। अगर कोई मुकदमा तय होता है, तो वह रजामन्दी से तय होता है और रजामन्दी इस प्रकार की होती है कि जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है, वह ऊंचे दर्जे का आदमी होता है और जिसके खिलाफ अस्पृश्यता बरती जाती है, उसको दबाया जाता है और देरी की जाती है तथा रजामन्दी दिलवायी जाती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें प्रापेगेंडा और प्रचार के द्वारा, ब्राड-कास्टिंग और इन्फर्मेशन के महकमे के सहयोग से, फिल्मों और एडवरटाइजमेंट्स के द्वारा, पुस्तकों के प्रकाशन से लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनाने में सहायक हो सकती हैं, जिससे समाज में सुधार हो। सरकारें सार्वजनिक कार्यों के लिये, जिनसे सब लोगों का संबंध हो, इन लोगों को नियुक्त कर सकती है, ताकि लोगों को उनके सम्पर्क में आना पड़े और स्पर्श करना पड़े और इस प्रकार अस्पृश्यता को दूर करने में सहायता मिले। रेलवे मंत्रालय ने अपने अधीन पानी पिलाने आदि का काम इन लोगों के सुपुर्द किया भी है।

लेकिन अस्पृश्यता को दूर करने में सब से अधिक कार्य तो गैर सरकारी संस्थायें और सार्वजनकि कार्यकर्त्ता ही कर सकते हैं। यदि वे लगन से कार्य करें, तो अस्पृश्यता को दूर करने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हमारे देश में हरिजन सेवक संघ और दलित वर्ग संघ के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है और कार्यकर्त्ता उसमें लगे हुये हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और इस कारण काम अधिक नहीं हो सका है। हरिजन सेवक संघ ने कुछ सघन क्षेत्र स्थापित किये हैं। उसमें कुछ गांवों का क्षेत्र ले लिया है और वहां पर एक, दो, या तीन कार्यकर्त्ता बिठा दिये हैं और वे हर प्रकार से छआछूत को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस समय तीन प्रदेशों में २२ क्षेत्र चलाये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफी अच्छा काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में

[श्री राम शरण]

भी थोड़ा कार्य हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि अधिक कार्यकर्त्ता देश के गांवों में काम करें और धीरे धीरे वहां पर ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि अस्पृश्यता का अन्त हो जाये। वहां से दूसरे क्षेत्रों में भी वही भावना फैलेगी और इस तरीके से छुआछूत देश से दूर हो सकती है।

छुआछूत को दूर करने में हरिजन भाई भी सहायक हो सकते हैं। यह स्वाभिमान का प्रश्न है। जिस व्यक्ति के साथ असमानता का बर्ताव होता है, उस के स्वाभिमान पर ठेस लगती है। अगर हरिजन भाइयों में ऐसा स्वाभिमान पैदा हो जाये कि किसी प्रकार के भेदभाव को बर्दाश्त न करें, तो उनकी यह भावना अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक हो सकती है। हरिजनों में परस्पर जो अस्पृश्यता बरती जाती है, उसका अन्त करना भी बहुत आवश्यक है। हरिजनों में कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं, बाल्मीकी और महार आदि, जिन के साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों में सब से अधिक अस्पृश्यता बरती जाती है। उनको राहत पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ सदस्यों ने भंगी मुक्ति और भंगी कष्ट मुक्ति का उल्लेख किया है। हमारे देश में अप्पा साहब पटवर्धन इस विषय में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने सफाई विद्यालय रत्नागिरि जिले में स्थापित किया और वह इस प्रकार के कार्यकर्त्ता निकालते हैं, जिन का काम यह है कि वे इस प्रकार के कार्य को, जिसको घृणित समझा जाता है, ऐसा बनायें कि वह सफाई से और आसानी से किया जा सके और इसके लिये औजारों में तरक्की की जाये। एक तरफ इस कार्य को सहल और सफाई से किया जाने वाला बनाना है, तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या उन्हीं को नस्ल-दर-नस्ल वही कार्य करने को दिया जायेगा। क्यों न उनके बच्चों को दूसरे कार्य में लगाया जाये ? इसके साथ ही उस काम को अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की जाये, ताकि दूसरे लोग भी उसको करें। एक बहन ने यहां पर कहा कि इस प्रकार का कानून बना दिया जाये कि इस प्रकार का कार्य हर एक को खुद करना पड़े और दूसरों से कराने की जरूरत न हो। इस समय इस काम को जो घृणित समझा जाता है और इस को केवल एक वर्ग पर छोड़ा हुआ है, जिसको अपने काम की मजदूरी बहुत कम मिलती है। इस वीशस सर्कल से उन लोगों को निकालना है। तभी अस्पृश्यता का यह कलंक दूर हो सकेगा और उसको दूर करना समाज के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और उसके लिये सब को सहयोग देना चाहिये।

†**श्री रा० च० माझी** (मयूरभंज––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये बनाई गयी बहुत सी योजनायें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। इस बात को बहुत से सदस्यों ने कहा है। इस संबंध में राज्यों ने जो प्रगति प्रतिवेदन भेजा है वह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें यह दिखाया गया है कि धन खर्च कर दिया गया है जबकि वास्तव में धन खर्च नहीं किया गया है। मैं यह चाहता था कि उपमंत्री महोदया यह भी बतायेंगी कि जिन अधिकारियों की उपेक्षा से इस प्रकार की भयंकर भूल हुई है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है। इस प्रकार की कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये पग उठाये जाने चाहिये।

गत प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा माने गये सूत्र के अनुसार बहुप्रयोजनीय आदिवासी खंडों का चुनाव नहीं किया गया है। इसकी ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये और मान्य सूत्र के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये। एक कठिनाई यह भी है कि जो आदिम जाति एक राज्य में मान्य है वह दूसरे राज्य में मान्य नहीं हैं। मैं इस बात पर अनरोध करना चाहता हूं कि आदिम जातियों की एक अधिकृत सूची तैयार की जानी

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये और उसके अनुसार सभी राज्यों में आदिम जाति लोगों को सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें।

आदिम जाति लोगों के कल्याण की दृष्टि से सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिये कि इन जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां इत्यादि समय पर मिल जानी चाहियें। और सरकार इस बात की निश्चित व्यवस्था करे कि आदिम जातीय क्षेत्रों में शराब के कारखाने न खोले जायें। मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र की स्थापना के कारण आदिवासी लोगों को बहुत हानि हुई है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिये मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। अस्पृश्यता निवारण की दिशा में कुछ भी कार्य नहीं हुआ और पिछड़े वर्गों की अवस्था बिल्कुल ही नहीं सुधरी यह मैं नहीं मानता। एक मित्र ने महात्मा गांधी जी का उल्लेख किया है। महात्मा गांधी सभी प्रकार की जातीय सीमाओं को तोड़ देने के समर्थक थे। अतः मैं भी इसी संदर्भ में यह जोर देना चाहता हूं कि हमें जातीय प्रथा पर जोर देना छोड़ देना चाहिये। जातीय प्रथा को महत्व न देकर ही हम राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ सकते हैं। पिछड़े वर्गों की अवस्था ठीक करने के लिये प्रतिबन्ध दोष हटा देना चाहिये। गांधी जी की भी यही इच्छा थी और समस्या का हल भी यही है।

एंग्लो-इंडियन जाति को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित कर लेने का मैं विरोधी हूं। इसका कोई कारण भी दिखाई नहीं देता। आयोग का यह भी कार्य है कि यह देखे कि ऐसी जातियों की संख्या में कमी हो।

हरिजन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। न ही इस शब्द की कोई परिभाषा ही की गयी है। इसलिये मेरा मत यह है कि हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिवेदन में नहीं होना चाहिये था। अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियां घोषित करने की कुछ कसौटी अवश्य नियत की जानी चाहिये।

श्री च० ला० चौधरी (हाजीपुर——रक्षित——अनसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयोग की रिपोर्ट की मुखालिफत नहीं करता बल्कि मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। मैं गृह मंत्राणी को भी मुबारकबाद देता हूं और उनके कामों की सराहना करता हूं। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास, नान बैकवर्ड क्लास, हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और उनको गांधी जी और जवाहरलाल की वजह से जितनी तरजीह इस मुल्क में दी गयी दूसरे मुल्क है नहीं मिल सकती थी। हमने देखा है सन् १९४५ और १९४६ में बैकवर्डों और हरिजनों के साथ क्या सलूक होता था। आज हमारे सामने वह सलूक नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९५५–५६ में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को चौकीदार और सिपाही में भी बहाल नहीं किया जाता था। उनके लिए बैरकें अलग होती थीं और उनको बड़ी नीची निगाह से देखा जाता था। आज हमारे बीच में गांधीजी नहीं हैं। हम उनके प्रति और जवाहरलाल जी के प्रति नतमस्तक हैं और उनके आभारी है कि आज हमको हरिजन साफ सुथरे दिखाई देते हैं और किसी पार्टी ने हमको सीने से नहीं लगाया चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी हो, या कम्यूनिस्ट पार्टी हो या जनसंघ हो या हिन्दुस्तान की कोई जमहूरियत पार्टी ने मुझे सीने से नहीं लगाया।

(कुछ आवाजें)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० ला० चौधरी]

मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं, मैं फिरकापरस्ती के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। न हिन्दूअम न मुसलमान्म, वजूजे नाम खुदा दीगर न मी दानम। फिरकापरस्ती की यहां गुंजाइश ही नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनों को जो राहत दी गयी है उसकी मैं सराहना करता हूं और उनको जितनी राहत दी जाए ठीक है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ब्राह्मण हैं और भूमहार ब्राह्मण, राजपूत हैं, कायस्थ हैं जिनको सौ सौ या ७५, ७५ रुपए गवर्नमेंट आफ बिहार, गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट आफ इंडिया में क्लर्की में मिलते हैं, उनके चार लड़के हैं। आप अन्दाजा कीजिए कि एक एक लड़के की पढ़ाई पर चालीस चालीस और पचास पचास रुपया खर्च होता है। अब आप अन्दाजा कीजिए कि ऐसा आदमी अपने लड़कों को कैसे पढ़ा सकता है। मैं इस तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दरभंगा और बिहार के बहुत से अन्य जिलों में मैथिल ब्राह्मण हैं। वे सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। जब वे मर जाते हैं और उनकी स्त्री विडो हो जाती है तो वह किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चिन्तित होती है, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। कायस्थों की भी यही हालत है। कायस्थों और ब्राह्मणों में दूसरे विवाह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के मरने के बाद उनके बच्चों को पढ़ने में जो कठिनाई सामने आती है उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आप कुछ बैकवर्ड लोगों को स्कालरशिप देते हैं। लेकिन आप देखें कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं जो कि सामवेद, ऋग्वेद, अथर्वेद और यजर्वेद आदि धर्म समाज या संस्कृत कालेजों में पढ़ते हैं वे ब्राह्मणों के लड़के ६ कोस आते हैं और ६ कोस जाते हैं केवल पढ़ने के लिए। उनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि जो गरीब हैं चाहे वे राजपूत हों या ब्राह्मण हों या कायस्थ हों उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। हमें देखना है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं वे चाहे संस्कृत के विद्यार्थी हों या आई० ए०, बी० ए० के विद्यार्थी हों सभी को सहायता करनी चाहिए। मेरे सामने जाति का कोई सवाल नहीं है। सब बच्चे नेशन की दौलत हैं, ब्राह्मण का लड़का भी और हरिजन का लड़का भी। और बैकवर्ड का लड़का भी। आपको उसके माता पिता की गरीबी की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने म्युनिसिपल लाइट से पढ़कर हिन्दुस्तान के झंडे ऊंचे किए हो सकता है कि आप जो लाखों स्कालरशिप देते हैं उनके पाने वाले नाकाबिल निकलें। लेकिन जो पाठशालाओं में कुश की चटाई पर बैठ कर चारों वेदों और छहों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उन गरीब विद्यार्थियों की ओर भी आप ध्यान दें। मैं ने देखा है कि दरभंगा में बहुत सी विधवाएं चरखा कात कात कर अपनी जिन्दगी बसर करती हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करें। वे बड़ी चिन्ता में रहती हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो मैं आपका ध्यान उनकी तरफ खींचना चाहता हूं।

हम यह नहीं चाहते कि आप हिन्दुस्तान को जातियों के हिस्सों में तकसीम कर दें। मैं तो सारे देश के लोगों को एक जाति का मानता हूं। हमारे वैदिक काल में देश में केवल दो जातियां मानी जाती थीं, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य उनको कहते थे जो कि शिक्षित होते थे और जो जाहिल और गुमराह होते थे उनको अनार्य कहा जाता था।

मैं चाहता हूं कि देश में जो गरीब हैं उनको स्कालरशिप दिए जाएं, क्योंकि उनको स्कालरशिप की जरूरत है। और आप इस नुक्ते निगाह से स्कालरशिप देंगे तो मैं समझता हूं कि आपको तथा देश को काफी कामयाबी मिलेगी। आपने जो मझे बोलने का मौका दिया

उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। वैसे कहना तो मुझे अभी काफी था लेकिन संक्षेप में मैंने अपने विचार सदन के सामने प्रकट कर दिये। चूंकि इस सदन का समय बहुत कीमती है इसलिए मैं और अधिक समय न लेता हुआ अपनी जगह पर बैठ जाता हूं।

श्री तिमय्या : इस प्रतिवेदन में कई सुझाव दिये गये हैं और इस प्रतिवेदन से अनुसुचित जातियों की ठीक स्थिति का पता लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, अगस्त ९, १९६१/श्रावण १८, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

[मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१
१७ श्रावण, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	१८१--२०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८५	भूमि सेना	१८१--८४
८६	खाद्य तथा कृषि मंत्री की विदेश यात्रा .	१८४--८६
८७	तीसरी योजना में नौवहन टनभार	१८६--८७
८८	रेलवे में विवादों का निबटारा	१८७--८९
८९	चीनी का निर्यात	१८९--९५
९०	राजधानी के इर्द गिर्द होटल और मोटल .	१९५--९७
९१	दिल्ली के मास्टर प्लान का प्रारूप .	१९७--९८
९२	दिल्ली दुग्ध योजना . .	१९८--९९
९३	दिल्ली को पंजाब से जल का संभरण .	१९९--२०१
९४	इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन कार्यालय, कलकत्ता .	२०१--०३
११६	केरल की इडुकी जल विद्युत् परियोजना . .	२०३--०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . .	२०४--३३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९५	टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाना .	२०४--०५
९६	गुलाटी आयोग	२०५
९७	कांडला अबाध व्यापार बन्दरगाह .	२०५--०६
९८	पौलैंड से जहाज . . .	२०६
९९	संयुक्त स्टीमर कम्पनियां . .	२०६--०७
१००	अलेक्जेंड्रा गोदी, बम्बई में अग्निकांड . .	२०७--०८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१	भाखड़ा बांध परियोजना के लिये दिये गये अग्रिम ऋणों पर ब्याज की राशि	२०८
१०२	डीजल इंजन	२०८–०९
१०३	गहन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम	२०९
१०४	संयुक्त स्टीमर कम्पनियां	२१०–११
१०५	हैदराबाद के निकट ग्लाइडिंग केन्द्र	२११
१०६	टेल्टा स्टेशन के निकट गाड़ियों की टक्कर	२११–१२
१०७	हुगली नदी की स्थिति	२१२
१०८	इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के लिये विमान	२१३
१०९	खतरे की जंजीरों का हटाया जाना	२१३
११०	मलेरिया	२१३–१४
१११	केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि का निर्माण	२१४
११२	रिहन्द बांध	२१४
११३	दिल्ली में पानी की कमी	२१५
११४	उत्तर रेलवे में जालसाजी के मामले	२१५–१६
११५	रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की मूर्तियां	२१६
११७	अमेरिका को विमान सेवायें	२१६
११८	ग्लाइडर 'रोहिणी'	२१७
११९	रक्त बैंक	२१७
१२०	डाक तथा तार कर्मचारी	२१८
१२१	कलकत्ता-अगरतला विमान सेवा	२१८
१२२	इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के किराये में वृद्धि	२१८–१९
१२३	गेहूं और चावल का उत्पादन	२१९
१२४	आगरा के लिये सस्ती पर्यटक बसें	२१९–२०
१२५	'बोइंग' विमानों के लिये 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' को अमेरिका द्वारा ऋण	२२०
१२६	'एयर इंडिया' के 'बोइंग' विमान की दुर्घटना	२२०
१२७	परिवार नियोजन	२२१
१२८	पैकेज प्रोग्राम	२२१—२३
१२९	केरल को चावल का संभरण	२२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३०	तमिल में तार	२२३–२४
१३१	राप्ती पर पुल	२२४
१३२	कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना	२२४–२५
१३३	अम्बाला रेल यार्ड में आग	२२५
१३४	जहाज प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा	२२६
१३५	दिल्ली स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी	२२६
१३६	ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना	२२७
१३७	गढ़मुक्तेश्वर में सड़क का पुल	२२७–२८
१३८	दूर संचार इंजीनियरों की विदेश यात्रा	२२८
१३९	स्कूल विद्यार्थियों के लिये भी भोजन की व्यवस्था	२२८
१४०	पंजाब का नाला नम्बर ८	२२९
१४१	वाणिज्यिक विपणन दायित्व	२२९
१४२	केन्द्रीय बीज निगम	२३०
१४३	रेलों के लिये विश्व बैंक ऋण	२३०
१४४	कैंसर	२३०–३१
१४५	सूरी ट्रांसमीशन	२३१
१४६	पी० एल० ४८० करार	२३१
१४७	तटीय नौवहन	२३२
१४८	कपास का उत्पादन	२३२–३३
१४९	अन्तर्देशीय जल परिवहन के भाड़े की दर	२३३–३४
१५०	कलकत्ता पत्तन	२३४
१५१	रूस से रेलवे पटरियों की खरीद	२३४–३५
१५२	हसन-मंगलौर रेल लाइन	२३५
१५३	चेचक नियंत्रण आयोग	२३५
१५४	रेलवे वैगन	२३५–३६
१५५	जहाजरानी का विकास	२३६–३७
१५६	इराक के लिये भारतीय विमान चालक तथा टेकनीशियन	२३७
१५७	बाजार में गेहूं की खरीद	२३७
१५८	दिल्ली में जेट विमानों की उड़ान के लिये मौसम केन्द्र	२३७–३८
१५९	सिलीगुड़ी से बड़ी लाइन	२३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४३	सहकारी जिला संबंधी गोष्ठी	२३८
१४४	ताज के दर्शक . .	२३८–३९
१४५	दिल्ली में बिना लाइसेंस के कुली	२३९
१४६	रेलवे पुल	२३९
१४७	भाड़ा दरों को विनियमित करने के लिये संविहित शक्तियां .	२४०
१४८	उत्तर भारत में चीनी के कारखाने	२४०
१४९	जर्मन कृषि शिष्टमंडल	२४०–४१
१५०	जापान का कृषि अध्ययन दल	२४१
१५१	डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति	२४१
१५२	पठानकोट स्टेशन पर यात्री सुविधायें . .	२४१–४२
१५३	द्वितीय योजना काल में पंजाब में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र . .	२४२
१५४	डाक तथा तार विभाग को प्राप्त शिकायतें और सुझाव	२४२–४३
१५५	डाक तथा तार कर्मचारी	२४३
१५६	केरल में ग्राम्य जल संभरण . .	२४३
१५७	पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन .	२४४
१५८	उत्तर प्रदेश को आवंटित लोहा तथा इस्पात . .	२४४
१५९	बीज फार्म .	२४५
१६०	भूमि को समतल बनाना	२४५
१६१	दक्षिण रेलवे पर डकेती . . .	२४५
१६२	पश्चिम रेलवे पर आरक्षण क्लर्क . . .	२४५–४६
१६३	पश्चिम रेलवे पर सामयिक कर्मचारी . . .	२४६
१६४	रात्रि विमान डाक सेवा . .	२४६
१६५	गाड़ियों का देर से चलना	२४६
१६६	केरल में पम्बा और वल्लापत्तनम् योजनायें . .	२४७
१६७	केरल में कल्लड़ और कुट्टियाडी सिंचाई योजनायें . .	२४७
१६८	केरल में कंजीरपुझा सिंचाई योजना . . .	२४७
१६९	आसाम में रेलवे हाई स्कूल	२४७–४८
१७०	विमान सेवायें	२४८

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७१	उड़ीसा को तीसरी योजना के लिये अनुदान	२४८
१७२	कृषि विकास योजनायें . . .	२४९
१७३	उड़ीसा की राष्ट्रीय जल संभरण योजना .	२४९
१७४	दुर्गापुर और बोकारो में दामोदर घाटी निगम	२५०
१७५	रेलवे के प्रलेखों का हिन्दी में अनुवाद	२५१
१७६	रेलवे में भाषा संबंधी कार्य का समन्वय .	२५१
१७७	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के प्रपत्रों को हिन्दी में छापना	२५२
१७८	दिल्ली दुग्ध वितरण केन्द्र	२५२
१७९	तुंगभद्रा बांध	२५२–५३
१८०	सहकारी समितियां	२५३
१८१	टेलीफोन राजस्व . .	२५३
१८२	तृतीय योजना में विद्युत् परियोजनायें .	२५३–५४
१८३	दिल्ली में हैजा . .	२५४
१८४	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२५४
१८५	आहार पोषण .	२५४–५५
१८६	डाक की चीजों का न पहुंचना .	२५५
१८७	नस्ली सांडों का निर्यात . .	२५५
१८८	जबलपुर में प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र .	२५६
१८९	दिल्ली दुग्ध योजना	२५६
१९०	चीनी के मूल्य में कमी . .	२५७
१९१	व्यास परियोजना प्रतिवेदन	२५७
१९२	सेवा सहकारी समितियां . . .	२५८
१९३	पुरानी और नई दिल्ली को मिलाने के लिये नई सड़क	२५८
१९४	अखिल भारतीय पंचायत परिषद् . .	२५९
१९५	पंजाब में पंचायत राज का सर्वेक्षण .	२५९–६०
१९६	पूर्व रेलवे पर यात्री यातायात तथा दुर्घटनायें	२६०–६१
१९७	इटावा स्टेशन	२६१
१९८	अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था का बंगलौर से रांची को स्थानान्तरण . . .	२६१–६२
१९९	टिड्डियों का आक्रमण	२६२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२००	औषधियों के डिब्बों पर नुस्खा छापना . . .	२६२–६३
२०१	सड़क परिवहन निगम	२६३
२०२	हल्दिया खड़गपुर रेल सम्पर्क . . .	२६३
२०३	पंजाब में फालतू गेहूं .	२६४
२०४	गेहूं के मूल्य और भंडार . .	२६४
२०५	चावल के मूल्य और भंडार . . .	२६५
२०६	कनाट सर्कस, नई दिल्ली में "सुपर मार्केट" . .	२६५
२०७	"सतलज–व्यास सम्पर्क योजना" के अधीन मोहिन्द्रगढ़ जिले के लिये पानी	२६६
२०८	विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम . .	२६६
२०९	सहकारी विकास बोर्ड . .	२६७
२१०	वर्ष १९६०–६१ में गोदामों का निर्माण .	२६७
२११	कलकत्ता पत्तन पर पाइलट आफिसर .	२६८
२१२	रंगपुर में सड़क-पुल .	२६८
२१३	कांडला-अहमदाबाद लाइन	२६८
२१४	देश में चेचक . . .	२६९–७०
२१५	तीसरी योजना में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के रोकने के कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता . . .	२७०
२१६	कालीकट में मैडिकल कालिज . . .	२७०–७१
२१७	तीसरी योजना में केरल के लिये नई सिंचाई परियोजनायें	२७१
२१८	तीसरी योजना में बारायोले जल-विद्युत् परियोजना .	२७२
२१९	दूसरा जहाज निर्माण कारखाना	२७२
२२०	दिल्ली से शहादरा का किराया .	२७३
२२१	दिल्ली के गांवो में दलबन्दी . .	२७३
२२२	दिल्ली में फसलें . .	२७३
२२३	दिल्ली के किसान	२७४
२२४	डिलीवरी जोन १५ के डाकघर में टेलीफोन . . .	२७४
२२५	पशुओं की चिकित्सा . .	२७४–७५
२२६	दिल्ली में मुर्गी पालन केन्द्र	२७५
२२७	प्रशिक्षण शिविर . . .	२७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२८	दिल्ली में विकास कार्य	२७६–७७
२२९	दिल्ली की सर्कल पंचायतें	२७७
२३०	ईंटों के भट्टे	२७७–७८
२३१	रासायनिक उर्वरक	२७८
२३२	इन्दौर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२७८
२३३	दुर्गम क्षेत्र समिति	२७८–७९
२३४	उत्तर प्रदेश में सड़कें	२७९–८१
२३५	क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र . .	२८२
२३६	जल-विद्युत् परियोजना संस्था की स्थापना	२८२
२३७	फलों को डिब्बों में बन्द करने की फैक्टरी	२८२
२३८	गुड़ के दाम .	२८३
२३९	वन्य पशुओं का संरक्षण	२८३
२४०	सरकारी डाक्टरों के वेतन क्रम	२८३–८४
२४२	खाद्यान्नों के दाम	२८४
२४३	रावर्टगंज-गढ़वा रोड लाइन .	२८४
२४४	गाड़ियों में छुरेबाजी की घटनायें	२८४–८५
२४५	मानसिक रोग . . .	२८५
२४६	उड़ीसा बाढ़ जांच समिति का प्रतिवेदन . .	२८५
२४७	अग्रिम सहकारी फार्म .	२८५–८६
२४८	बालिमेला परियोजना . . .	२८६
२४९	रेलगाड़ियों का लाइन से उतरना . .	२८६–८७
२५०	सी० टी० ओ०, कलकत्ता .	२८७
२५१	मैसूर राज्य में नलकूप योजना . .	२८७–८८
२५२	खाद्यान्नों का आयात . .	२८८
२५३	रेलवे के ठेकेदार . . .	२८९
२५४	त्रिपुरा में बिना डाक्टरों की डिस्पेंसरियां . .	२८९
२५५	विनय नगर, दिल्ली, में बरसाती पानी के नालों की सफाई .	२९०
२५६	उत्तर रेलवे पर धोखा . .	२९०–९१
२५७	पालोदा में सुपारी अनुसन्धान केन्द्र .	२९१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५८	रेलवे दुर्घटनाओं में हताहतों को क्षतिपूर्ति . . .	२९१
२५९	मैसूर और महाराष्ट्र में आयुर्वेद और सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता	२९२
२६०	हुबली में कर्णाटक मेडिकल कालिज .	२९२–९३
२६१	विश्वभारती में नल-कूप	२९३–९४
२६२	नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैन्सरियों के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें .	२९४
२६३	दिल्ली के विकास खण्ड . .	२९४
२६४	डाक तथा तार विभाग में रिक्त पदों का विज्ञापन . .	२९४–९५
२६५	पंजाब में छोटी सिंचाई योजनायें . .	२९५
२६६	हरी खाद	२९६
२६७	डाक बचत बैंकों में चैक पद्धति	२९६
२६८	दिल्ली और फीरोजपुर के बीच जनता गाड़ी . .	२९६
२६९	'पुनर्नवा'	२९६
२७०	उर्वरकों और बीजों का वितरण	२९७
२७१	फाजिल्का (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शन	२९७
२७२	पंजाब में व्यास बांध परियोजना	२९७–९८
२७३	भारत-डुबई रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	२९८
२७४	भारत-अफगानिस्तान रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	२९८
२७५	बाक्स टाइप के माल-डिब्बे	२९९
२७६	शरबती जल विद्युत् परियोजना. . .	२९९
२७७	चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैतियां . .	३००
२७८	पंजाब में आउट एजेंसियां	३००
२७९	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे. . .	३००–३०१
२८०	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार	३०१–३०२
२८१	दुर्घटनायें . .	३०२–३०३
२८२	प्रशिक्षित अध्यापक . . .	३०३
२८३	उत्तर प्रदेश में सड़कें	३०३
२८४	जगदलपुर डाकघर	३०४
२८५	जगदलपुर-दांतवारा टेलीफोन लाइन . . .	३०४
२८६	हिन्दी का प्रयोग	३०४–३०५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२८७	हिन्दी रिपोर्टें . . .	३०५
२८८	दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण .	३०५
२८९	अस्थायी खण्ड कर्मचारी .	३०६
२९०	तीसरे दर्जे की महिला यात्री .	३०६
२९१	रेलगाड़ियों का देर से चलना .	३०६–०७
२९२	देशी चिकित्सा पद्धतियां	३०७
२९३	अनाड़ी व्यक्तियों का चिकित्सा व्यवसाइयों के रूप में पंजीयन	३०८
२९४	पानी तथा नालियों की योजना . .	३०८–०९
२९५	अहमदाबाद बड़ौदा लाइन पर बिजली से रेलें चलाना .	३०९
२९६	रेलों पर जाली टिकट बेचने वालों का गिरोह .	३०९
२९७	हेलाकांडी (आसाम) में डाकखाना .	३०९–१०
२९८	बिहार में कुष्ठ नियंत्रण योजना . .	३१०
२९९	बचत बैंक के धन का गबन	३१०–११
३००	गंडक पर रेलवे पुल	३११
३०१	हैजा . .	३११
३०२	टेलीफोन एक्सचेंज, माल्दा . . .	३१२
३०३	रेलों पर माल-डिब्बों की कमी . .	३१२–१३
३०४	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना . . .	३१३
३०५	परादीप पत्तन	३१३
३०६	उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण	३१३–१४
३०७	मद्रास में रासाय-चिकित्सीय केन्द्र . . .	३१४
३०८	रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना . . .	३१४–१५
३०९	पंजाब में चीनी . . .	३१५
३१०	विद्युत संसाधन	३१५
३११	माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना . .	३१६
३१२	सिरायू डाकखाने का लूट लिया जाना . .	३१६–१७
३१३	दिल्ली में जल संभरण .	३१७
३१४	रत्नगिरी में सड़क .	३१७
३१५	मैसूर में दूध फैक्टरी .	३१८
३१६	परिवार नियोजन .	३१८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१७	उड़ीसा में चीनी के दाम	३१८–१६
३१८	कटक माल गोदाम क्षेत्र	३१६
३१६	पंजाब के देहाती और नागरीय क्षेत्रों में डाक व तार सुविधायें	३१६–२०
३२०	अल्पाहार गृह चलाने के लिए लाइसेंस	३२०
३२१	खाद्यान्नों का आयात	३२०–२१
३२२	भारत चैकोस्लोवाकिया के बीच विमान संचालन करार	३२१
३२३	मैसूर राज्य में मक्खन आदि बनाने की फैक्टरी	३२१–२२
३२४	सुकिन्द खनन क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन	३२२
३२५	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पोषाहार डिवीजन	३२२–२३
३२६	पोलीफेज मीटर	३२३
३२७	केरल में चावल के दाम	३२३
३२८	बेलापुर के समीप रेलवे यात्रियों की मृत्यु	३२३–२४
३२६	रेल दुर्घटना	३२४
३३०	किराये में अन्तर	३२४–२५
३३१	राष्ट्रीय राजमार्ग	३२५
३३२	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	३२५
३३३	सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे	३२६
३३४	रेलवे पदाधिकारियों की एक स्थान पर रहने की अवधि	३२६
३३५	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	३२६–२७
३३६	गाड़ी का पटरी से उतर जाना	३२७
३३७	छोटे सिंचाई कार्य	३२७
३३६	सरकारी कर्मचारियों की रहने की बस्तियां, नई दिल्ली	३२८
३४१	दामोदर घाटी निगम की नहर में कटाव	३२८
३४२	भूमि संरक्षण	३२८–२६
३४३	समुद्र तटों और स्मारकों के ईर्द गिर्द के क्षेत्रों का विकास	३२६—३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३३१—३४

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १६५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ दिसम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०६७ की एक प्रति ।

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रतिः—

सभा पटल पर रखे गए पत्र——क्रमशः

(क) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०१८ में प्रकाशित भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक १३ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०६७ में प्रकाशित भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०१ में प्रकाशित भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८२५ में प्रकाशित भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक १ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५६ में प्रकाशित भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

(३) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :——

(क) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९४ में प्रकाशित नौवहन विकास निधि (ऋण) नियम, १९६१ ।

*(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी०–१०२–४१/५७ ।

(५) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :——

(क) अधिसूचना संख्या एच (टी) १४–४२७/५९ दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० ।

(ख) अधिसूचना संख्या टी० २६–५३/५७ दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० ।

(ग) अधिसूचना संख्या टी० १०२–४१/५६——दो दिनांक २७ अप्रैल, १९६१ ।

(६) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या

सभा पटल पर रखे गए पत्र—क्रमशः

एस० ओ० १०१५ की एक प्रति, जिसमें दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४४ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(७) सांभर झील के संसाधनों का उपयोग करने के लिये भारत सरकार द्वारा राजस्थान की सरकार को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि सम्बन्धी विवाद के पंचाट और उस पर भारत सरकार के निर्णय के बारे में दिनांक १२ अगस्त, १९६१ के गजट में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या २० (३)/५७—नमक की एक प्रति ।

(८) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९९ की एक प्रति।

(९) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४९ द्वारा शुद्ध किया गया दिनांक १६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८४ में प्रकाशित चीनी (यातायात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६१।

(दो) दिनांक १८ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ को रद्द करने वाली दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८०।

(तीन) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७८१ में प्रकाशित चीनी (यातायात नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६१।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . ३३४

चौसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . ३३४—७९

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में जो कि सभा पटल पर २४-४-६१ को रखा गया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, ९ अगस्त, १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक का पारित किया जाना।

GMGIPND—830 (Ai) LSD—31-8-61—125.